बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअत

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

सोलहवां हि़स्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली—53
Mob:—9219132423

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدهٗ و نصلی علی رسوله الکریم

ह़ज़्र व इबाह़त का बयान

(यानी ममनूअ़ और मुबाह चीजों का बयान)

इस किताब में उन चीज़ों का बयान है जो शरअ़न मम्नूअ़ या मुबाह़ हैं। इस्तिलाहे शरअ़ में मुबाह़ उस को कहते हैं जिस के करने और छोड़ने दोनों की इजाज़त हो न उस में सवाब है न उस में अज़ाब है। मकरूह की दोनों क़िस्मों की तअ़रीफ़ें ह़िस्सा दोम में ज़िक्र कर दी गयीं वहाँ से मअ़लूम करें इस किताब के मसाइल चन्द अबवाब पर मुन्क़सिम हैं सब से पहले खाने पीने से जिन मसाइल का तअ़ल्लुक़ है वह बयान किये जाते हैं कि इन्सानी ज़िन्दगी का तअ़ल्लुक़ खाने पीने से है।

क़ुर्आन मजीद में इरशाद होता है।

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ﴾

"ऐ! ईमान वालों अल्लाह ने जो तुम्हारे लिये हलाल किया है उसे हराम न करो और हद से न गुज़रो बेशक अल्लाह हद से गुज़रने वालों को दोस्त नहीं रखता और अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है उस में खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाये हो"

और फ़रमाता है

﴿كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

"खाओ उस में से जो अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी दी और शैतान के क़दमों पर न चलो बेशक वह तुम्हारा खुला दुशमन है"

और फ़रमाता है

﴿يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

"ऐ बनी आदम अपनी ज़ीनत लो जब मस्जिद में जाओ और खाओ और पियो और इसराफ़ (ज़्यादती) न करो बेशक वह इसराफ़ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ऐ महबूब तुम फ़रमा दो किसने हराम की अल्लाह की ज़ीनत जो उसने अपने बन्दों के लिए निकाली व सुथरा रिज़्क़। तुम फ़रमा दो कि वह ईमान वालों के लिये है दुनिया की ज़िन्दगी में और क़ियामत के दिन तो खास उन्हीं के लिये है। इसी तरह हम तफ़सील के साथ अपनी आयतों को बयान करते हैं इल्म वालों के लिये तुम फ़रमा दो कि मेरे रब ने तो बेहयाईयाँ हराम फ़रमाई हैं जो उन्में ज़ाहिर हैं और जो छुपी हैं और गुनाह और नाहक़ ज़्यादती और यह कि अल्लाह का शरीक करो जिस की उसने कोई दलील नहीं उतारी और यह कि अल्लाह पर वह बात कहो जिस का तुम्हें इल्म नही"।

और और फ़रमाता है।

﴿لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا﴾

"न अन्धे पर पर तंगी है और न लंगड़े पर मुज़ाइक़ा और न बीमार पर हरज और न तुम में किसी पर कि खाओ अपनी औलाद के घर या अपने बाप के घर या अपनी माँ के घर या अपने भाईयों के यहाँ या अपनी बहनों के यहाँ या अपने चचाओं के यहाँ अपनी फुपियों के घर या अपनी ख़ालाओं के घर या जहाँ की कुन्जियाँ तुम्हारे क़ब्ज़े में हैं या अपने दोस्त के यहाँ तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं कि मुजतमेअ़ होकर खाओ या अलग अलग"।

पहले खाने के मुतअल्लिक़ चन्द हदीसें बयान की जाती हैं।

हदीस (1) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाये शैतान के लिये वह खाना हलाल हो जाता है" यअ़नी बिस्मिल्लाह न पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स मकान में आया और दाख़िल होते वक़्त और खाने के वक़्त उस ने बिस्मिल्लाह पढ़ली तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि उस घर में न तुम्हें रहना मिलेगा न खाना और अगर दाख़िल होते वक़्त बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है अब तुम्हें रहने की जगह मिलगई और खाने के वक़्त भी बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है कि रहने की जगह भी मिली और खाना भी मिला"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में अ़म्र इब्ने अबी सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कहते हैं कि मैं बच्चा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की परवरिश में था (यअ़नी यह हुज़ूर के रबीब और उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के फ़रज़न्द हैं) खाते वक़्त बर्तन में हर तरफ़ हाथ डाल देता हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाहिने हाथ से खाओ और बर्तन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे क़रीब है"।

हदीस् (4) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व हाकिम हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स खाना खाये तो अल्लाह का नाम ज़िक्र करके यअ़नी बिस्मिल्लाह पढ़े और अगर शुरूअ़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये तो यूँ कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरुहू" और इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान व बहैक़ी की रिवायत में यूँ है बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आख़िरिही।

हदीस् (5) इमाम अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा व हाकिम व वहशी इब्ने हर्ब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि इरशाद फ़रमाया "मुजतमेअ़ होकर (इकट्ठा होकर) खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो तुम्हारे लिये इस में बरकत होगी" इब्ने माजा की रिवायत में यह भी है कि लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हम खाते हैं और पेट नहीं भरता। इरशाद फ़रमाया कि "शायद तुम अलग अलग खाते होगे" अ़र्ज़ की हाँ। फ़रमाया "इकट्ठे होकर खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो बरकत होगी"।

हदीस् (6) शरह सुन्ना में अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे खाना पेश किया गया इब्तिदा में इतनी बरकत हमने किसी खाने में नहीं देखी मगर आख़िर में बड़ी बे'बरकती देखी हमने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ऐसा क्यों हुआ इरशाद फ़रमाया हम सबने खाने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी फिर एक शख़्स बिग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने को बैठ गया उस के साथ शैतान ने खाना खालिया।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने उमय्या बिन मुख़्शी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स बिग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खा रहा था जब खा चुका सिर्फ़ एक लुक़्मा बाक़ी रह गया यह लुक़्मा उठाया और यह कहा बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरुहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तबस्सुम किया और यह फ़रमाया कि "शैतान इस के साथ खा रहा था जब उसने अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जो कुछ उस के पेट में था उगल दिया"। उस के यह मअ़ना भी हो सकते हैं कि बिस्मिल्लाह न कहने से खाने की बरकत जो चली गयी थी वापस आगई।

हदीस् (8) सहीह मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं जब हम लोग हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ खाने में हाज़िर होते तो जब तक हुज़ूर शुरूअ़ न करते खाने में हम हाथ नहीं डालते एक मरतबा का वाक़िआ़ है कि हम हुज़ूर के पास थे एक लड़की दौड़ती हुई आई जैसे उसे कोई ढकेल रहा है उसने खाने में हाथ डालना चाहा हुज़ूर ने उस का हाथ पकड़ लिया फिर एक एअ़राबी दौड़ता हुआ आया जैसे उसे कोई ढकेल रहा है हुज़ूर ने उस का हाथ भी पकड़ लिया और यह फ़रमाया कि जब खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता खाना शैतान के लिये हलाल हो जाता है शैतान उस लड़की के साथ आया कि उस के साथ खाये मैंने उस का हाथ पकड़ लिया फिर इस एअ़राबी के साथ आया कि उस के साथ खाये मैंने

उस का हाथ पकड़ लिया। क़सम है उस की जिस के दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है उस का हाथ उन के हाथ के साथ मेरे हाथ में है उसके बाद हुज़ूर ने अल्लाह का नाम ज़िक्र किया यअ़नी बिस्मिल्लाह कही और खाना खाया उसी की मिस्ल इमाम अहमद व अबूदाऊद व नसाई व हाकिम ने भी रिवायत की है।

हदीस् (9) इब्ने अ़साकर ने उ़क़बा इब्ने आ़मिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम ज़िक्र न किया हो वह बीमारी है और उस में बरकत नहीं है और उस का कफ़्फ़ारा यह है कि अगर अभी दस्तर'ख़्वान न उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुछ ले और दस्तर'ख़्वान उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उंगलियाँ चाट ले।

हदीस् (10) दैलमी ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब खाये या पिये तो यह कह ले

بسم الله و بالله الّذِىْ لَايَضُرُّمَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ

*बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लजी ला यदुर्रु मअ़ इस्मिही शैउन फिलअर्दि वला फिस्समाइ या हय्यु या कय्यूम फिर उस से कोई बीमारी न होगी अगर्चे उस मे जहर हो।

हदीस् (11) स़ह़ीह़ मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब खाना खाये तो दाहिने हाथ से खाये और पानी पिये तो दाहिने हाथ से पिये"।

हदीस् (12) स़ह़ीह़ मुस्लिम में उन्हीं से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "कोई शख़्स न बायें हाथ से खाना खाये न पानी पिये कि बायें हाथ से खाना, पीना शैत़ान का त़रीक़ा है"।

हदीस् (13) इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवाय़त की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दाहिने हाथ से खाये और दाहिने हाथ से पिये और दाहिने हाथ से ले और दाहिने हाथ से दे क्योंकि शैत़ान बायें से खाता है, बायें से पीता है, और बायें से लेता है, और बायें से देता है"।

हदीस् (14) इब्नुन्नज्जार ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तीन उंगलियों से खाना अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का त़रीक़ा है" और ह़कीम ने इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तीन उंगलियों से खाओ कि यह सुन्नत है पाँचों उंगलियों से न खाओ कि यह एअ़राब (गंवारों) का त़रीक़ा है"।

हदीस् (15) स़ह़ीह़ मुस्लिम में कअ़ब इब्ने मालिक रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तीन उंगलियों से खाना तनावुल फ़रमाते और पोंछने से पहले हाथ चाट लेते।

हदीस् (16) स़ह़ीह़ मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उंगलियों और बर्तन के चाटने का हुक्म दिया और यह फ़रमाया कि तुम्हें मअ़लूम नहीं कि खाने के किस ह़िस्से में बरकत है।

हदीस् (17) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "खाने के बाद हाथ को न पोंछे जब तक चाट न ले या दूसरे को चटा न दे" यअ़नी ऐसे शख़्स को चटा दे जो कराहत व नफ़रत न करता हो मस्लन तलामिज़ा व मुरीदीन कि यह उस्ताज़ व शैख़ के झूटे को तबर्रुक जानते हैं और बड़ी ख़ुशी से इस्तेअ़्माल करते हैं।

हदीस् (18) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने नुबैशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा वह बर्तन उस के लिये इस्तिग़फ़ार करेगा" रज़ीन की रिवायत में यह भी है कि वह बर्तन यह कहता है कि अल्लाह तआ़ला तुझ को जहन्नम से आज़ाद करे जिस त़रह तूने मुझे शैत़ान से निजात दी।

हदीस् (19) तिबरानी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने खाने और पानी में फूंकने से मुमानअत फरमाई।

हदीस् (20) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "शैतान तुम्हारे हर काम में हाज़िर होजाता है खाने के वक़्त भी हाज़िर होजाता है लिहाज़ा अगर लुक़्मा गिर जाये और उस में कुछ लग जाये साफ़ कर के खाले उसे शैतान के लिये छोड़ न दे और जब खाने से फ़ारिग़ होजाये तो उंगलियाँ चाट ले क्योंकि यह मअ़लूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है"।

हदीस् (21) इब्ने माजा ने हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि मअ़क़ल बिन यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु खाना खा रहे थे उनके हाथ से लुक़्मा गिर गया उन्होंने उठा लिया और साफ़ कर के खा लिया यह देख कर गंवारों ने आँखों से इशारा किया (कि॰ यह कितनी हकीर व ज़लील बात है कि गिरे हुए लुक़्मा को उन्होंने खालिया) किसी ने उनसे कहा खुदा अमीर का भला करे (मअ़क़ल इब्ने यसार वहाँ अमीर व सरदार की हैसियत से थे) यह गंवार कन्खियों से इशारा करते हैं कि आप ने गिरा हुआ लुक़्मा खालिया और आपके सामने यह खाना मौजूद है उन्होंने फ़रमाया उन अज्मियों की वजह से मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है हम को हुक्म था कि जब लुक़्मा गिर जाये उसे साफ़ कर के खा जाये शैतान के लिये न छोड़ दे।

हदीस् (22) इब्ने माजा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ लाये रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा उसको लेकर पोंछा फिर खा लिया और फ़रमाया "आयशा अच्छी चीज़ का एह्तिराम करो कि यह चीज़ (यअ़नी रोटी) जब किसी क़ौम से भागी है तो लौटकर नहीं आई यअ़नी अगर ना'शुक्री की वजह से किसी क़ौम से रिज़्क़ चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता"।

हदीस (23) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे हराम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि "रोटी का एह्तिराम करो कि वह आसमान व ज़मीन की बरकात से है जो शख़्स दस्तर'ख़्वान से गिरी हुई रोटी को खालेगा उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी"।

हदीस् (24) दारमी ने असमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि जब उन के पास स़रीद लाया जाता तो हुक्म करतीं कि छुपा दिया जाये कि उस की भाप का जोश ख़त्म हो जाये और फ़रमातीं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि "उस से बरकत ज़्यादा होती है"।

हदीस् (25) हाकिम जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से और अबू दाऊद व असमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि इरशाद फ़रमाया कि खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं है।

हदीस् (26) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब दस्तर'ख़्वान उठाया जाता उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह पढ़ते।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

तर्जमा:— "अल्लाह तआला के लिये बे'शुमार तारीफ़ें, निहायत पाकीज़ा और बा'बरकत न किफ़ायत की गई न छोड़ी गई और न उस से ला'परवाही बरती गई ऐ हमारे रब"! (कबूल फ़रमा)

हदीस् (27) सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला उस बन्दे से राज़ी होता है कि जब लुक़्मा खाता है तो उसपर अल्लाह की हम्द करता है और पानी पीता है तो उस पर उस की हम्द करता है।

हदीस् (28) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने से फ़ारिग़ होकर यह पढ़ते।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ.

हदीस (29) तिर्मिज़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "खाने वाला शुक्र गुज़ार वैसा ही है जैसा रोज़ादार सब्र करने वाला"।

हदीस (30) अबूदाऊद ने अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब खाते या पीते यह पढ़ते

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَ وَ سَقٰی وَ سَوَّغَهٗ وَ جَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا

हदीस (31) ज़िया ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि इरशाद फ़रमाया आदमी के सामने खाना रखा जाता है और उठाने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है उस की सूरत यह है कि जब रखा जाये बिस्मिल्लाह कहे और जब उठाया जाने लगे अल्हमदु लिल्लाह कहे।

हदीस (32) निसाई वग़ैरा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि खाने के बाद यह दुआ पढ़।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ مَنَّ عَلَیْنَا فَهَدَانَا وَ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ اَبْلَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَیْرَ مُوَدَّعٍ رَبِّیْ وَلَا مُكَافِیْ وَلَا مَكْفُوْرٍ وَّ لَا مُسْتَغْنٰی عَنْهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا مِنَ الطَّعَامِ وَ سَقَانَا مِنَ الشَّرَابِ وَ كَسَانَا مِنَ الْعُرْیِ وَ هَدَانَا مِنَ الضَّلَالِ وَ بَصَّرَنَا مِنَ الْعَمٰی وَ فَضَّلَنَا عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَهٗ تَفْضِیْلًا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

हदीस (33) इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स खाना खाये तो यह कहे اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وابدلنا خیرا منه और जब दूध पिये तो यह कहे اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ क्योंकि दूध के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो खाने और पानी दोनों की क़ाइम मक़ाम हो"।

हदीस (34) इब्ने माजा ने आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने खाने पर से उठने की मुमानअ़त की जब तक खाना उठा न लिया जाये।

हदीस (35) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब दस्तर'ख़्वान चुना जाये तो कोई शख़्स दस्रत'ख़्वान से न उठे जब तक दस्तर'ख़्वान न उठा लिया जाये और खाने से हाथ न खींचे अगर्चे खा चुका हो जब तक सब लोग फ़ारिग़ न होजायें और अगर हाथ रोकना ही चाहता है तो मअ़ज़िरत पेश करे क्योंकि अगर बिग़ैर मअ़ज़िरत किये हाथ रोक लेगा तो उस के साथ दूसरा शख़्स जो खाना खा रहा है शर्मिन्दा होगा वह भी हाथ खींच लेगा और शायद अभी उस को खाने की हाजत बाक़ी हो"। इसी हदीस की बिना पर उ़लमा यह फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख़्स कम खुराक हो तो आहिस्ता, आहिस्ता थोड़ा, थोड़ा खाये और उसके बावजूद अगर जमाअ़त का भी साथ न देसके तो मअ़ज़िरत पेश करे ताकि दूसरों को शर्मिन्दगी न हो।

हदीस (36) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने तौरात में पढ़ा था कि खाने के बाद वुज़ू करना यअ़नी हाथ धोना और कुल्ली करना बरकत है उस को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से ज़िक्र किया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया खाने की बरकत उस के पहले वुज़ू करना और उस के बाद वुज़ू करना है। (इस हदीस में वुज़ू से मुराद हाथ धोना है)

हदीस (37) तिबरानी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि इरशाद फ़रमाया "खाने से पहले और बाद में वज़ू करना (हाथ मुंह धोना) मोहताजी को दूर करता है और यह मुरसलीन की सुन्नतों में से है"।

हदीस (38) इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया "जो यह

पसन्द करे कि अल्लाह तआ़ला उस के घर में ख़ैर ज़्यादा करे तो जब खाना हाज़िर किया जाये वुज़ू करे और जब उठाया जाये उस वक़्त वुज़ू करे'' यअ़नी हाथ मुँह धोले।

हदीस् (39) इब्ने माजा इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते है कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि ''इकट्ठे होकर खाओ अलग अलग न खाओ कि बरकत जमाअ़त के साथ है''।

हदीस् (40) तिर्मिज़ी ने इकराश बिन ज़ुवैब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हमारे पास एक बर्तन में बहुत सी स़रीद और बोटियाँ लाई गईं। मेरा हाथ बर्तन में हर त़रफ़ पड़ने लगा और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अपने सामने से तनावुल फ़रमाया फिर हुज़ूर ने अपने बायें हाथ से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और फ़रमाया कि ''इकराश एक जगह से खाओ कि एक ही क़िस्म का खाना है''। इसके बाद त़बाक़ में त़रह़ त़रह़ की खजूरें लाई गईं मैंने अपने सामने से खानी शुरूअ़ कीं और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का हाथ मुख़्तलिफ़ जगह त़बाक़ में पड़ता। फिर फ़रमाया कि ''इकराश जहाँ से चाहो खाओ कि यह एक क़िस्म की चीज़ नहीं'' फिर पानी लाया गया हुज़ूर ने हाथ धोये और हाथों की तरी से मुँह और कलाईयों और सर पर मसह़ कर लिया और फ़रमाया कि ''इकराश जिस चीज़ को आग ने छुआ यअ़नी जो आग से पकाई गई हो उस के खाने के बाद यह वज़ू है''।

हदीस् (41) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जब किसी के हाथ में चिकनाई की बू हो और बिग़ैर हाथ धोये सो जाये और उस को कुछ तकलीफ़ पहुँच जाये तो वह ख़ुद अपने ही को मलामत करे''। उसी की मिस्ल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से भी मरवी।

हदीस् (42) हाकिम ने अबू अ़ब्स इब्ने जब्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि इरशाद फ़रमाया ''खाने के वक़्त जूते उतारलो कि यह सुन्नते जमीला (अच्छा त़रीक़ा) है''। अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की रिवायत में है कि ''खाना रखा जाये तो जूते उतार लो कि उस से तुम्हारे पावों के लिए राहत है''।

हदीस् (43) अबू दाऊद आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि (खाते वक़्त) ''गोश्त को छुरी से न काटो कि यह अ़जि़्मयों का त़रीक़ा है। उस को दांत से नोच कर खाओ कि यह ख़ुशगवार और ज़ोद हज़्म (जल्द हज़्म होने वाला) है'' यह उस वक़्त है कि गोश्त अच्छी त़रह़ पक गया हो। हाथ या दाँत से नोचकर खाया या जा सकता हो। आजकल योरोप की तक़लीद में बहुत से मुसलमान भी छुरी कांटे से खाते हैं यह मज़मूम (बुरा) त़रीक़ा है और अगर ब'वजहे ज़रूरत छुरी से गोश्त का टुकड़ा खाया जाये कि गोश्त इतना गला हुआ नहीं है कि हाथ से तोड़ा जा सके या दांतों से नोचा जा सके या मस़लन मुसल्लम रान भुनी हुई है कि दांतों से नोचने में दिक़्क़त होगी तो छुरी से काटकर खाने में ह़रज नहीं उसी क़िस्म के बाज़ मवाक़ेअ़ पर हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का छुरी से गोश्त का टुकड़ा तनावुल फ़रमाना आया है। उस से आजकल के छुरी कांटे से खाने की दलील लाना स़ह़ीह़ नहीं।

हदीस् (44) स़ह़ीह़ बुख़ारी में अबू हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मैं तकिया लगाकर खाना नहीं खाता''।

हदीस् (45) स़ह़ीह़ बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ख़्वान पर खाना नहीं तनावुल फ़रमाया न छोटी छोटी प्यालियों में खाया और न हुज़ूर के लिये पतली चपातियाँ पकाई गईं। दूसरी रिवायत में यह है कि हुज़ूर ने पतली चपाती देखी भी नहीं। क़तादा से पूछा गया कि किस चीज़ पर वह लोग खाना खाया करते थे कहा कि दस्तर'ख़्वान पर। ख़्वान तिपाई की त़रह़ ऊँची चीज़ होती है जिस पर उ़मरा के यहाँ खाना चुना जाता है कि खाते वक़्त झुकना न पड़े उस पर खाना मुतकब्बिरीन का त़रीक़ा था जिस त़रह़

बाज़ लोग इस ज़माने में मेज़ पर खाते हैं छोटी प्यालियों में खाना भी उमरा का तरीक़ा है कि उन के यहाँ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के खाने होते हैं छोटे छोटे बर्तनों में रखे जाते हैं।

हदीस् (46) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया (यअ़नी बुरा नहीं कहा) अगर ख़्वाहिश हुई खालिया वरना छोड़ दिया।

हदीस् (47) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख़्स का खाना दो के लिये किफ़ायत करता है और दो का खाना चार के लिये किफ़ायत करता है और चार का खाना आठ को किफ़ायत करता।

हदीस् (48) सहीह बुख़ारी में मिक़दाम बिन मअ्दी करब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने अपने खाने को को नाप लिया करो तुम्हारे लिये इस में बरकत होगी"।

हदीस् (49) इब्ने माजा व तिर्मिज़ी व दारमी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक बर्तन में स्रीद पेश किया गया इरशाद फ़रमाया कि किनारों से खाओ बीच में से न खाओ कि बीच में बरकत उतरती है स्रीद एक क़िस्म का खाना है रोटी तोड़कर शोरबे में मल देते हैं हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह खाना पसन्द था।

हदीस् (50) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने मौक़अ् से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "कोई ज़र्फ़ (बर्तन) जो भरा जाये पेट से ज़्यादा बुरा नहीं अगर तुम्हें पेट में कुछ डालना ही है तो एक तिहाई में खाना डालो और एक तिहाई में पानी और एक तिहाई हवा और सांस के लिये रखो।

हदीस् (51) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने मिक़दाम इब्ने मअ्दी करब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "आदमी ने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा इब्ने आदम को चन्द लुक़मे काफ़ी हैं जो उस की पीठ को सीधा रखें अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी हो तो तिहाई पेट खाने के लिये और तिहाई पानी के और तिहाई सांस के लिये"।

हदीस् (52) तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स की डकार की आवाज़ सुनी फ़रमाया "अपनी डकार कम कर इस लिये कि क़ियामत के दिन सब से ज़्यादा भूका वह होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है"।

हदीस् (53) सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खजूर खाते देखा और हुज़ूर सुरीन पर इस तरह बैठे थे कि दोनों घुटने खड़े थे।

हदीस् (54) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो खजूरें मिलाकर खाने से मनअ् फ़रमाया जब तक साथ वाले से इजाज़त न ले ले।

हदीस् (55) सहीह मुस्लिम में आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिनके यहाँ खजूरें हैं उस घर वाले भूके नहीं" दूसरी रिवायत में यह है कि "जिस घर में खजूरें न हों उस घर वाले भूके हैं" यह उस ज़माने और उस मुल्क के लिहाज़ से है कि वहाँ खजूरें बकस्रत होती हैं और जब घर में खजूरें हैं तो बाल बच्चों और घर वालों के लिए इत्मीनान की सूरत है कि भूक लगेगी तो उन्हें खा लेंगे भूके नहीं रहेंगे।

हदीस् (56) सहीह मुस्लिम में अबू अय्यूब अनसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब खाना हाज़िर किया जाता तो तनावुल फ़रमाने के बाद उस का बक़िया (अस्वालश) मेरे पास भेज देते एक दिन खाने का बर्तन मेरे पास भेजदिया उस में से कुछ नहीं तनावुल फ़रमाया था क्योंकि उस में लहसुन पड़ा हुआ था मैंने दरयाफ़्त किया क्या यह हराम है फ़रमाया नहीं मगर मैं बू की वजह से उसे ना'पसन्द करता हूँ मैं ने अ़र्ज़ की जिस को हुज़ूर ना'पसन्द फ़रमाते हैं मैं भी नापसन्द करता हूँ।

हदीस (57) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स लहसुन या प्याज़ खाये वह हम से अलाहिदा रहे" या फ़रमाया "वह हमारी मस्जिद से अलाहिदा रहे" या अपने घर में बैठ जाये और हुज़ूर की ख़िदमत में एक हांडी पेश की गई जिस में सब्ज़ तरकारियाँ थीं हुज़ूर ने फ़रमाया कि "बाज़ सहाबा को पेश करदो और उन से फ़रमाया कि तुम खालो इस लिये कि मैं उन से बातें करता हूँ कि तुम उन से बातें नहीं करते" यअ़नी मलाइका से।

हदीस (58) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लहसुन खाने से मनअ़ फ़रमाया मगर यह कि पका हुआ हो।

हदीस (59) तिर्मिज़ी ने उम्मे हानी रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहती हैं जब मेरे यहाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाये फ़रमाया कुछ तुम्हारे यहाँ है मैंने अ़र्ज़ की सूखी रोटी और सिरका के सिवा कुछ नहीं फ़रमाया "लाओ जिस घर में सिरका है उस घर वाले सालन से मोहताज नहीं"।

हदीस (60) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घरवालों से सालन को दरयाफ़्त किया लोगों ने कहा हमारे यहाँ सिरका के सिवा कुछ नहीं हुज़ूर ने उसे तलब फ़रमाया और उस से खाना शुरूअ़ किया और बार बार फ़रमाया कि सिरका अच्छा सालन है।

हदीस (61) इब्ने माजा ने असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में खाना हाज़िर लाया गया हुज़ूर ने हम पर पेश फ़रमाया हम ने कहा हमें ख़्वाहिश नहीं है फ़रमाया भूक और झूट दोनों चीज़ों को इकट्ठा मत करो यअ़नी भूक के वक़्त कोई खाना खिलाये तो खाले यह न कहे कि भूक नहीं है कि खाना भी न खाना और झूट भी बोलना दुनिया व आख़िरत दोनों का ख़सारा है बाज़ तकल्लुफ़ करने वाले ऐसा किया करते हैं और बहुत से देहाती इस क़िस्म की आदत रखते हैं कि जब तक उन से बार बार न कहा जाये खाने से इन्कार करते हैं और कहते हैं कि हमें ख़्वाहिश नहीं है। झूट बोलने से बचना ज़रूरी है।

हदीस (62) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाये और अबूबक्र व उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा मिले इरशाद फ़रमाया "क्या चीज़ तुम्हें इस वक़्त घर से बाहर लाई" अ़र्ज़ की भूक। फ़रमाया "क़सम है उस की जिस के हाथ में मेरी जान है जो चीज़ तुम्हें घर से बाहर लाई वही मुझे भी लाई"। इरशाद फ़रमाया उठो वह लोग हुज़ूर के साथ खड़े होगये और एक अन्सारी के यहाँ तशरीफ़ लेगये देखा तो वह घर में नहीं हैं अन्सारी की बीवी ने जूँही इन हज़रात को देखा मरहबा व अहलन कहा। हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया कि "फ़ुलां शख़्स कहाँ है" कहा कि मीठा पानी लेने गयें हैं इतने में अन्सारी आगये हुज़ूर को और शैख़ैन को देख कर कहा अल्हम्दु लिल्लाह आज मुझ से बढ़कर कोई नहीं जिसके यहाँ ऐसे मुअ़ज़्ज़ज़ मेहमान आये हों फिर वह खजूर का एक ख़ोशा लाये जिस में अध'पकी और खुश्क खजूरें भी थीं और रतब भी थे और उन हज़रात से कहा कि खाईये और ख़ुद छुरी निकाली (यअ़नी बकरी ज़बह करने का इरादा किया) हुज़ूर ने फ़रमाया दूध वाली को न ज़बह करना अन्सारी ने बकरी ज़बह की उन हज़रात ने बकरी का गोश्त खाया और खजूरें खाईं, पानी पिया। जब खा'पीकर फ़ारिग़ हुए अबूबक्र व उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा

से फ़रमाया कि "क़सम उस की जिस के हाथ में मेरी जान है क़ियामत के दिन उस नेअ्मत का सवाल होगा तुम्हें भूक घर से लाई और वापस होने से पहले यह नेअ्मत तुम को मिली"।

हदीस् (63) मुस्लिम व अबूदाऊद ने उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जो शख़्स चान्दी या सोने के बर्तन में खाता या पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग उतारता है"।

हदीस् (64) अबूदाऊद वग़ैरा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब खाने में मख्खी गिर जाये तो उसे ग़ोता देदे (और फेंकदो) क्योंकि उस के एक बाज़ू में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है और उसी बाज़ू से अपने को बचाती है जिस में बीमारी है यअ्नी वही बाज़ू खाने में पहले डालती है जिस में बीमारी है लिहाज़ा पूरी को ग़ोता देदे।

हदीस् (65) अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स खाना खाये (और दांतों में कुछ रह जाये) उसे अगर ख़िलाल से निकाले तो थूक दे और ज़बान से निकाले तो निगल जाये जिस ने ऐसा किया अच्छा किया और न किया तो भी हरज नहीं।

मसाइले फ़िक़्हिया

बाज़ सूरत में खाना फ़र्ज़ है कि खाने पर स्वाब है और न खाने में अज़ाब। अगर भूक का इतना ग़लबा हो कि जानता हो कि न खाने से मर जायेगा तो इतना लेना जिस से जान बच जाये फ़र्ज़ है और उस सूरत में अगर नहीं खाया यहाँ तक कि मर गया तो गुनहगार हुआ। इतना खा लेना कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त आ जाये और रोज़ा रख सके यअ्नी न खाने से इतना कमज़ोर हो जायेगा कि खड़ा होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा और रोज़ा न रख सकेगा तो उस मिक़दार से खा लेना ज़रूरी है और उस में भी स्वाब है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– इज़्तिरार की हालत यअ्नी जबकि जान जाने का अन्देशा है अगर हलाल चीज़ खाने के लिये नहीं मिलती तो हराम या मुर्दार या दूसरे की चीज़ खाकर अपनी जान बचाये और उन चीज़ों के खालेने पर उस सूरत में मुआख़िज़ा नहीं बल्कि न खाकर मरजाने में मुआख़िज़ा है अगर्चे पराई चीज़ खाने में तावान देना होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– प्यास से हलाक होने का अन्देशा है तो किसी चीज़ को पीकर अपने को हलाकत से बचाना फ़र्ज़ है ,पानी नहीं है और शराब मौजूद है और मअ्लूम है कि इस के पी लेने में जान बच जायेगी तो इतनी पी ले जिस से यह अन्देशा जाता रहे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:–दूसरे के पास खाने पीने की चीज़ है तो क़ीमत से ख़रीदकर खा, पी ले वह क़ीमत से भी नहीं देता और उस की जान पर बनी है तो उस से ज़बर'दस्ती छीन ले और अगर उस के लिये भी यही अन्देशा है तो कुछ ले ले और कुछ उस के लिये छोड़दे।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स इज़्तिरार की हालत में है दूसरा शख़्स उस से यह कहता है कि तुम मेरा हाथ काटकर उस का गोश्त खा लो उसके लिये इस गोश्त के खाने की इजाज़त नहीं यअ्नी इन्सान का गोश्त खाना उस हालत में भी मुबाह नहीं।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.5:– खाने पीने पर दवा और इलाज को क़यास न किया जाये यअ्नी हालते इज़्तिरार में मुर्दार और शराब को खाने, पीने का हुक्म है मगर दवा के तौर पर शराब जाइज़ नहीं क्योंकि मुर्दार का गोश्त और शराब यक़ीनी तौर पर भूक और प्यास का दफ़ईआ है और दवा के तौर पर शराब पीने में यह यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मर्ज़ का इज़ाला ही हो जायेगा।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.6:– भूक से कम खाना चाहिए और पूरी भूक भर कर खाना खा लेना मुबाह है यअ्नी न स्वाब है न गुनाह। क्योंकि उस का भी सहीह मक़सद हो सकता है कि ताक़त ज़्यादा होगी और

भूक से ज़्यादा खा लेना हराम है। ज़्यादा का यह मतलब है कि इतना खा लिया जिस से पेट ख़राब होने का गुमान है मस्लन दस्त आयेंगे और तबीअ़त बद मज़ा होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– अगर भूक से कुछ ज़्यादा इस लिये खा लिया कि कल का रोज़ा अच्छी तरह रख सकेगा रोज़ा में कमज़ोरी नहीं पैदा होगी तो हरज नहीं जब कि इतनी ज़्यादती हो जिस से मेअ़्दा ख़राब होने का अन्देशा न हो और मअ़्लूम है कि ज़्यादा न खाया तो कमज़ोरी होगी दूसरे कामों में दिक़्क़त होगी। यूँही अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मअ़्लूम है कि यह हाथ रोक देगा तो मेहमान शरमा जायेगा और सैर होकर न खायेगा तो इस सूरत में भी कुछ ज़्यादा खालेने की इजाज़त है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– सैर होकर खाना इस लिए कि नवाफ़िल कसूरत से पढ़ सकेगा और पढ़ने पढ़ाने में कमज़ोरी पैदा न होगी अच्छी तरह उस काम को अन्जाम दे सकेगा यह मन्दूब है और सैरी से ज़्यादा खालिया या मगर इतना ज़्यादा नहीं कि शिकम ख़राब होजाये यह मकरूह है। इबादत गुज़ार शख़्स को यह इख़्तियार है कि ब'क़द्र मुबाह तनावुल करे या ब'क़द्र मन्दूब मगर उसे यह नियत करनी चाहिए कि इस लिए खाता हूँ कि इबादत की कुव्वत पैदा हो कि इस नियत से खाना भी एक क़िस्म की ताअ़त है। खाने से उस का मक़सूद तलज़्ज़ुज़ व तनाउ़म न हो (यानी लज्जत व ख्वाहिश को पूरा करना न हो) कि यह बुरी सिफ़त है। कुर्आन मजीद में कुफ़्फ़ार की सिफ़त यह बयान की गई कि खाने से उनका मक़सूद तमत्तोअ़ व तनाउ़म (सिर्फ़ लुत्फ़ व लज़्ज़त उठाना) बताई गई।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.9:– रियाज़त व मुजाहिदा में ऐसी तक़लीले ग़िज़ा (कम खाना खाना) कि इबादते मफ़रूज़ा की अदा में ज़ोअ़्फ़ (कमज़ोरी) पैदा हो जाये, मस्लन इतना कमज़ोर हो गया कि खड़ा होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा यह ना'जाइज़ है और अगर इस हद की कमज़ोरी न पैदा हो तो हरज नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– ज़्यादा खा लिया इस लिये कि क़ै कर डालेगा और यह सूरत उस के लिये मुफ़ीद हो तो हरज़ नहीं क्योंकि बाज़ लोगों के लिये यह तरीक़ा नाफ़ेअ़् होता है।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.11:– तरह तरह के मेवे खाने में हरज़ नहीं अगर्चे अफ़ज़ल यह है कि ऐसा न करे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:–जवान आदमी को यह अन्देशा है कि सैर होकर खायेगा तो गलबए शहवत होगा तो खाने में कमी करे कि ग़लबए शहवत न हो मगर इतनी कमी न करे कि इबादत में कुसूर (कमी) पैदा हो। (आलमगीरी) इसी तरह बाज़ लोगों को गोश्त खाने से ग़लबए शहवत होता है वह भी गोश्त में कमी करदें।

मसअ्ला.13:– एक क़िस्म का खाना होगा तो ब'क़द्र हाजत न खासकेगा तबीअ़त घबरा जायेगी लिहाज़ा कई क़िस्म के खाने तैयार कराता है कि सब में से कुछ कुछ खाकर ज़रूरत पूरी करलेगा। इस मक़सद के लिये मुतअ़द्दिद क़िस्म के खाने में हरज नहीं या इस लिये बहुत से खाने पकवाता है कि लोगों की ज़ियाफ़त करनी है वह सब खाने सर्फ़ हो जायेंगे तो उस में भी हरज नहीं और यह मक़सूद न हो तो इसराफ़ (फ़ुजूल ख़र्ची) है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– खाने के आदाब व सुनन यह हैं खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोकर पोंछे न जायें और खाने के बाद हाथ धोकर रूमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर बाक़ी न रहे।

मसअ्ला.15:– सुन्नत यह है कि क़ब्ले तआ़म और बादे तआ़म दोनों हाथ गट्टों तक धोये जायें बाज़ लोग सिर्फ़ एक हाथ या फ़क़त उंगलियाँ धो लेते हैं बल्कि सिर्फ़ चुटकी धोने पर किफ़ायत करते हैं उस से सुन्नत अदा नहीं होती।(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– मुस्तहब यह है कि हाथ धोते वक़्त ख़ुद अपने हाथ से पानी डाले दूसरे से उस में मदद ने ले यअ़्नी उस का वही हुक्म है जो वज़ू का है।(आलमगीरी) खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोये कि खाने का असर न रहे भूसी या आटे या बेसन से हाथ धोने में हरज नहीं। इस ज़माने में साबुन से हाथ धोने का रिवाज है उसमें भी हरज नहीं खाने के लिये मुँह धोना सुन्नत नहीं यअ़्नी अगर किसी ने न धोया तो यह नहीं कहा जायेगा कि उस ने सुन्नत तर्क करदी हाँ जुनुब ने अगर

मुँह न धोया तो मकरूह है और हैज़ वाली का बिग़ैर धोये खाना मकरूह नहीं। खाने से क़ब्ल जवानों के हाथ पहले धुलाये जायें और खाने के बाद बूढ़ों के हाथ धुलाये जायें, इस के बाद जवानों के। यही हुक्म उ़लमा व मशाइख़ का है कि खाने से क़ब्ल उन के हाथ आख़िर में धुलाये जायें और खाने के बाद उन के हाथ पहले धुलाये जायें। खाना बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरूअ़ किया जाये और ख़त्म कर के अल्हम्दु लिल्लाह पढ़ें अगर बिस्मिल्ला कहना भूल गया है तो जब याद आ जाये यह कहे बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आख़िरिही। बिस्मिल्लाह बलन्द आवाज़ से कहे कि साथ वालों को अगर याद न हो तो उससे सुनकर उन्हें याद आजाये और अल्हमदु लिल्लाह आहिस्ता कहे मगर जब सब लोग फ़ारिग़ हो चुके हों तो अल्हम्दु लिल्लाह भी ज़ोर से कहे कि दूसरे लोग सुनकर शुक्रे खुदा बजा लायें रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाये बाज़ लोग सालन का प्याला या चटनी की प्याली या नमक'दानी रख देते हैं ऐसा न करना चाहिए नमक अगर काग़ज़ में है तो उसे रोटी पर रख सकते हैं हाथ या छुरी को रोटी से न पोंछें तकिया लगाकर या नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है बायें हाथ को ज़मीन पर टेक देकर खाना भी मकरूह है रोटी का किनारा तोड़कर डालदेना और बीच की खालेना इस्राफ़ है बल्कि पूरी रोटी खाये हाँ अगर किनारे कच्चे रह गये हैं उस के खाने से ज़रर (नुक़सान) होगा तो तोड़ सकता है इसी त़रह़ अगर मअ़लूम है कि यह टूटे हुए दूसरे लोग खालेंगे ज़ाइअ़ न होंगे तो तोड़ने में ह़रज नहीं यही हुक्म उस का भी है कि रोटी में जो हिस्सा फूला हुआ है उसे खालेता है बाक़ी को छोड़ देता है रोटी जब दस्तर'ख़्वान पर आगई तो खाना शुरूअ़ करदे सालन का इन्तिज़ार न करे इसी लिए उ़मूमन दस्तरख़्वान पर रोटी सब से आख़िर में लाते हैं ताकि रोटी के बाद इन्तिज़ार न करना पढ़े दाहिने हाथ से खाना खाये हाथ से लुक़्मा छूटकर दस्तर'ख़्वान पर गिर गया उसे छोड़ देना इस्राफ़ है बल्कि पहले उस को उठाकर खाये। रकाबी या प्याले के बीच में से इब्तिदाअ़न न खाये बल्कि एक किनारे से खाये और जो किनारा उस के क़रीब है वहाँ से खाये जब खाना एक क़िस्म का हो तो एक जगह से खाये हर त़रफ़ हाथ न मारे हाँ अगर त़बाक़ में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की चीचें लाकर रखी गईं तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है कि यह एक चीज़ नहीं खाने के वक़्त बायाँ पाँव बिछादे और दाहिना खड़ा रखे या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे। गरम खाना न खाये और न खाने पर फूँके न खाने को सूँघे। खाने के वक़्त बातें करता जाये बिलकुल चुप रहना मजूसियों का त़रीक़ा है मगर बेहूदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करे खाने के बाद उंगलियाँ चाट ले उनमें झूटा न लगा रहने दे और बर्तन को उंगलियों से पोंछकर चाट ले ह़दीस में है खाने के बाद जो शख़्स बर्तन चाटता है तो वह बर्तन उसके लिये दुआ़ करता है कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस त़रह़ तूने मुझे शैत़ान से आज़ाद किया और एक रिवायत में है बर्तन उस के लिये इस्तिग़फ़ार करता है खाने की इब्तिदा नमक से की जाये और ख़त्म भी इसी पर करें इस से सत्तर बीमारियाँ दफ़अ़ हो जाती हैं।(बज़ाज़िया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– रास्ता और बाज़ार में खाना मकरूह है।

मसअ्ला.18:– दस्तर'ख़्वान पर रोटी के टुकड़े जमअ़ होगये अगर खाना है तो खाये वरना मुर्ग़ी, गाय, बकरी वग़ैरा को खिलादे या कहीं एह़तियात की जगह पर रखदे कि चींटियाँ या चिड़ियाँ खालेंगी रास्ते पर न फेंके। (बज़ाज़िया)

मसअ्ला.19:– खाने में ऐब बताना न चाहिए न यह कहना चाहिए कि बुरा है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने कभी खाने को ऐब न लगाया अगर पसन्द आया तनावुल फ़रमाया वरना न खाया।

मसअ्ला.20:– खाना खाते वक़्त जब कोई आजाता है तो हिन्दुस्तान का उ़र्फ़ यह है कि उसे खाने को पूछते हैं कहते हैं। आओ खाना खाओ अगर न पूछें तो त़अ़न करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं यह बात यअ़नी दूसरे मुसलमान को खाने के लिये बुलाना अच्छी बात है मगर बुलाने वाले को यह

चाहिए कि यह पूछना महज़ नुमाइश के लिये न हो बल्कि दिल से पूछे। यह भी रिवाज है जब पूछा जाता है तो वह कहता है बिस्मिल्लाह यह न कहना न चाहिए कि यहाँ बिस्मिल्लाह कहने के कोई मअ्ना नहीं उस मौक़ेअ् पर बिस्मिल्लाह कहने को उ़लमा ने बहुत सख़्त ममनूअ् फ़रमाया बल्कि ऐसे मौक़ेअ् पर दुआ़ईया अलफ़ाज़ कहना बेहतर है मस्लन अल्लाह तआ़ला बरकत दे, ज़्यादा दे।

मसअ्ला.21:– बाप को बेटे के माल की ह़ाजत है अगर एह़तियाज(ज़रूरत)उस वजह से है कि उस के पास दाम नहीं हैं कि उस चीज़ को ख़रीद सके तो बेटे की चीज़ बिला किसी मुआवज़ा के इस्तेअ्माल करना जाइज़ है और अगर दाम हैं मगर चीज़ नहीं मिलती तो मुआवज़ा देकर ले यह उस वक़्त है कि बेटा नालाइक़ है और अगर लाइक़ है तो बिग़ैर ह़ाजत भी उसकी चीज़ लेसकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– एक शख़्स भूक से इतना कमज़ोर होगया है कि घर से बाहर नहीं जा सकता कि लोगों से अपनी ह़ालत बयान करे तो जिस को उसकी यह ह़ालत मअ्लूम है, उस पर फ़र्ज़ है कि उसे खाने को दे ताकि घर से निकलने के क़ाबिल होजाये अगर ऐसा नहीं किया और वह भूक से मरगया तो जिन लोगों को उसका यह ह़ाल मअ्लूम था सब गुनहगार हुए अगर यह शख़्स जिसको उसका ह़ाल मअ्लूम था उसके पास भी कुछ नहीं है कि उसे खिलाये तो उस पर यह फ़र्ज़ है कि दूसरों से कहे और लोगों से कुछ मांग लाये और ऐसा न हुआ और वह मरगया तो यह सब लोग जिस को उस के ह़ाल की ख़बर थी गुनहगार हुए और अगर यह शख़्स घर से बाहर जा सकता है मगर कमाने पर क़ादिर नहीं तो जाकर लोगों से मांगे और जिस के पास स़दक़े की क़िस्म से कोई चीज़ हो उस पर देना वाजिब है। और अगर वह मोह़ताज शख़्स कमा सकता है तो काम कर के पैसे ह़ासिल करे उस के लिये मांगना ह़लाल नहीं। मोह़ताज शख़्स अगर कमाने पर क़ादिर नहीं है मगर यह कर सकता है कि दरवाज़ों पर जाकर सुवाल करे तो उस पर ऐसा करना फ़र्ज़ है ऐसा न किया और भूक से मरगया तो गुनहगार होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– खाने में पसीना टपक गया या राल टपक पड़ी या आंसू गिर गया वह खाना ह़राम नहीं है खाया जा सकता है उसी त़रह़ अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिलगई और उस से त़बीअ़त को नफ़रत पैदा होगई वह पिया जा सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– रोटी में अगर उपले का टुकड़ा मिला और वह सख़्त है तो इतना ह़िस्सा तोड़ कर फ़ेंकदे पूरी रोटी को नजिस नहीं कहा जायेगा और अगर उसमें नमी आगई है तो बिलकुल न खाये(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– नाली वग़ैरा किसी नापाक जगह में रोटी का टुकड़ा देखा तो उस पर यह लाज़िम नहीं कि उसे निकाल कर धोये और किसी दूसरी जगह डालदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– गेहूँ के साथ आदमी का दांत भी चक्की में पिस गया उस आटे को न खुद खा सकता है न जानवरों को खिला सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– गोश्त सड़गया तो उसका खाना ह़राम है।

मसअ्ला.28:– बाग़ में पहुँचा वहाँ फल गिरे हुए हैं तो जब तक मालिके बाग़ की इजाज़त न हो फल नहीं खा सकता और इजाज़त दोनों त़रह़ हो सकती है स़राह़तन इजाज़त हो मस्लन मालिक ने कह दिया हां कि गिरे हुऐ फलों को खा सकते हो या दलालतन इजाज़त हो यअ्नी वहाँ ऐसा उ़र्फ़ व आ़दत है बाग़ वाले गिरे हुऐ फलों से लोगों को मनअ् नहीं करते दरख़्तों मे फल तोड़ कर खाने की इजाज़त नहीं मगर जब कि फलों की कस़रत हो मअ्लूम हो कि तोड़कर खाने में भी मालिक को ना'गवारी नहीं होगी, तोड़कर भी खा सकता है मगर किसी सूरत में यह इजाज़त नहीं कि वहाँ से फल उठा लाये।(आलमगीरी) उन सब सूरतों में उ़र्फ़ व आ़दत का लिहाज़ है और अगर उ़र्फ़ व आ़दत न हो या मअ्लूम हो कि मालिक को नागवारी होगी तो खाना जाइज़ नहीं।

मसअ्ला.29:– ख़रीफ़ के मौसम में दरख़्तों के पत्ते गिर जाते हैं अगर वह पत्ते काम के हों तो उठा लाना ना'जाइज़ है और मालिक के लिये बेकार हों जैसा कि हमारे मुल्क में बाग़ात में पत्ते गिर

जाते हैं और मालिक उन को काम में नहीं लाता भाड़ जलाने वाले उठा लाते हैं ऐसे पत्तों को उठा लाने में हरज नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– दोस्त के घर गया जो चीज़ पकी हुई मिली खुद लेकर खाली या उस के बाग़ में गया और फल तोड़कर खा लिये अगर मअ्लूम है कि उसे ना'गवार न होगा तो खाना जाइज़ है मगर यहाँ अच्छी तरह ग़ौर कर लेने की ज़रूरत है बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि यह समझता है कि उसे ना'गवार न होगा हालांकि उसे नागवार है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– रोटी को छुरी से काटना नसारा का तरीक़ा है मुसलमानों को उससे बचना चाहिए हाँ अगर ज़रूरत हो मस्लन डबल रोटी कि छुरी से क़ाटकर उस के टुकड़े कर लिये जाते हैं तो हरज नहीं या दअ्वतों में बाज़ मरतबा हर शख़्स को निस्फ़ निस्फ़ शीरमाल दी जाती है ऐसे मौक़े पर छुरी से काटकर टुकड़े बनाने में हरज नहीं कि यहाँ मक़सूद दूसरा है। उसी तरह अगर मुसल्लम रान भुनी हुई हो और छुरी से काटकर खाई जाये तो हरज नहीं।

मसअ्ला.32:– मुसलमानों के खाने का तरीक़ा यह है कि फ़र्श वग़ैरा पर बैठकर खाना खाते हैं, मेज़ कुर्सी पर खाना नसारा का तरीक़ा है इस से इज्तिनाब(बचना)चाहिए बल्कि हर मुसलमान को हर काम सलफ़े सालेहीन के तरीक़े पर करना चाहिए ग़ैरों के तरीक़े को हरगिज़ इख़्तियार न करना चाहिए।

मसअ्ला.33:– ख़मीरी रोटी पकवाने में नानबाई से ख़मीर ले लेते हैं। फिर उस के आटे में से उसी अन्दाज़ से नानबाई ले लेता है उस में हरज नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– बहुत से लोगों ने चन्दा करके खाने की चीज़ तैयार की और सब मिलकर उसे खायेंगे चन्दा सब ने बराबर दिया है और खाना कोई कम खायेगा कोई ज़्यादा इस में हरज नहीं। इसी तरह मुसाफ़िरों ने अपने तोशे और खाने की चीजें एक साथ मिलकर खाई इस में भी हरज नहीं अगर्चे कोई कम खायेगा कोई ज़्यादा या बाज़ की चीजें अच्छी हैं और बाज़ की वैसी नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– खाना खाने के बाद ख़िलाल करने में जो कुछ दांतों में से रेशा वग़ैरा निकला बेहतर है कि उसे फ़ेंकदे और निगल गया तो उस में भी हरज नहीं और ख़िलाल का तिन्का या जो कुछ ख़िलाल से निकला उस को लोगों के सामने न फ़ेंके बल्कि उसे लिये रहे जब उस के सामने तश्त आये उस में डालदे फूल और मेवे के तिन्के से ख़िलाल न करे।(आलमगीरी) ख़िलाल के लिये नीम की सींक बहुत बेहतर है कि उस की तल्ख़ी से मुँह की सफ़ाई होती है और यह मसूड़ों के लिये भी मुफ़ीद है। झाडू की सींकें भी उस काम में ला सकते हैं जब कि वह कोरी हों मुस्तअ्मल न हों।

पानी पीने का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पानी पीने में तीन बार सांस लेते थे और मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि फ़रमाते थे कि "इस तरह पीने में ज़्यादा सैराबी होती है और सेहत के लिये मुफ़ीद और खुशगवार है"।

हदीस (2) तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "एक सांस में पानी न पियो जैसे ऊँट पीता है बल्कि दो और तीन मरतबा में पियो और जब पियो तो बिस्मिल्लाह कहलो और बर्तन को मुँह से हटाओ अल्लाह की हम्द करो"।

हदीस (3) अबू दाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस (4) तिर्मिज़ी ने अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पीने की चीज़ में फूंकने से मनअ् फ़रमाया एक शख़्स ने अर्ज़ की कि बर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है फ़रमाया उसे गिरादो उसने अर्ज़ की कि एक सांस में

सैराब नहीं होता हूँ फ़रमाया बर्तन को मुँह से जुदा करके सांस लो।

हदीस (5) अबूदाऊद ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने प्याले में जो जगह टूटी हुई है वहाँ से पीने की और पीने की चीज़ में फूंकने की मुमानअत फ़रमाई।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मश्क के दहाने से पीने को मनअ् फ़रमाया।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम व सुनन तिर्मिज़ी में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दहाने को मोड़कर उस से पानी पीने को मनअ् फ़रमाया इब्ने माजा ने इस हदीस को इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी रिवायत किया और उस रिवायत में यह भी है कि हुज़ूर के मनअ् फ़रमाने के बाद एक शख़्स रात में उठा और मश्क का दहाना पानी पीने कि लिये मोड़ा उस में से सांप निकला।

हदीस (8) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस (9) सहीह मुस्लिम व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "खड़े होकर हरगिज़ कोई शख़्स पानी न पिये और जो भूल कर ऐसा कर गुज़रे वह कै करदे"।

हदीस (10) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं मैं आबे ज़मज़म का एक डोल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाया हुज़ूर ने खड़े खड़े उसे पिया।

हदीस (11) सहीह बुख़ारी में है हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और लोगों की हाजात पूरी करने के लिये रहबए कूफ़ा (कूफ़े की जामा मस्जिद के सहन) में बैठ गये जब अस्र का वक़्त आया उनके पास पानी लाया गया उन्होंने न पिया और वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया और यह फ़रमाया कि लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह बताते हैं और जिस तरह कि लोग मुतलक़न खड़े होकर पानी पीने को मकरूह बताते हैं हालांकि वज़ू के पानी का यह हुक्म नहीं बल्कि उस को खड़े होकर पीना मुस्तहब है उसी तरह आबे ज़मज़म को भी खड़े होकर पीना सुन्नत है यह दोनों पानी उस हुक्म से मुस्तसना हैं और उस में हिकमत यह है कि खड़े होकर जब पानी पिया जाता है वह फ़ौरन तमाम अअ्ज़ा की तरफ़ सरायत कर जाता है और यह मुज़िर है मगर यह दोनों बरकत वाले हैं और उनसे मक़सूद ही तबर्रुक है लिहाज़ा उनका तमाम अअ्ज़ा में पहुँच जाना फ़ायदामन्द है बाज़ लोगों से सुना गया है कि मुस्लिम का झूटा पानी भी खड़े होकर पीना चाहिए मगर मैंने किसी किताब में उस को नहीं देखा सिर्फ़ दो ही पानियों का किताबों में इस्तिसना मज़कूर पाया। वल इल्मु इन्दल्लाह।

हदीस (12) तिर्मिज़ी ने कबशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मेरे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये मश्क लटकी हुई थी उसके दहाने से खड़े होकर पानी पिया (हुज़ूर के इस फ़ेअ्ल को उलमा ने बयाने जवाज़ पर महमूल किया है) मैंने मश्क के दहाना को काटकर रख लिया। उनका काटकर रख लेना बग़र्ज़े तबर्रुक था कि चूंकि उस से हुज़ूर का दहने अक़दस लगा है यह बरकत की चीज़ है और उस से बीमारों को शिफ़ा होगी।

हदीस (13) सहीह बुख़ारी में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु एक अन्सारी के पास तशरीफ़ ले गये वह अपने बाग़ में पेड़ों को पानी दे रहे थे इशारा फ़रमाया क्या तुम्हारे यहाँ बासी पानी पुरानी मश्क में है (अगर हो तो लाओ) वरना हम मुंह लगाकर पानी पीलें उन्होंने कहा मेरे यहाँ बासी

पानी पुरानी मश्क में है अपनी झोंपड़ी में गये और बर्तन में पानी उंडेल कर उस में बकरी का दूध दोहा हुज़ूर ने पिया फिर दोबारा उन्होंने पानी लेकर दूध दोहा हुज़ूर के साथी ने पिया।

हदीस (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिये बकरी का दूध दोहा गया और अनस के घर में जो कुआँ था उस का पानी उस में मिलाया गया यअ़नी लस्सी बनाई गई फिर हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किया गया। हुज़ूर ने नोश फ़रमाया हुज़ूर के बायें तरफ़ अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु थे और दाहिनी तरफ़ एक एअ़राबी थे हज़रत उमर ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह अबूबक्र को दीजिये हुज़ूर ने एअ़राबी को दिया क्योंकि यह दाहिनी जानिब थे और इरशाद फ़रमाया दाहिना मुस्तहक़ है फिर उस के बाद जो दाहिने हो, दाहिने को मुक़द्दम रखा करो।

हदीस (15) बुख़ारी व मुस्लिम में सहल इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में प्याला पेश किया गया हुज़ूर ने नोश फ़रमाया हुज़ूर की दाहिनी जानिब सब से छोटे एक शख़्स थे (अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) और बड़े बड़े असहाब बायीं जानिब थे हुज़ूर ने फ़रमाया लड़के अगर तुम इजाज़त दो तो बड़ों को देदूँ उन्होंने अ़र्ज़ की हुज़ूर के अव्वलश (तबर्रुक) में दूसरों को अपने पर तर्जीह नहीं दूंगा हुज़ूर ने उनको देदिया।

हदीस (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "हरीर और दीबाज न पहनो और न सोने और चाँदी के बर्तन में पानी पियो और न उन के बर्तनों में खाना खाओ कि यह चीज़ें दुनिया में काफ़िरों के लिये हैं और तुम्हारे लिये आख़िरत में हैं"।

हदीस (17) तिर्मिज़ी ने ज़ोहरी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को पीने की वह चीज़ ज़्यादा पसन्द थी जो शीरीं और ठंडी हो।

हदीस (18) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पेट के बल झुककर पानी में मुँह डालकर पीने से मनअ़ फ़रमाया और एक हाथ से चुल्लू लेकर पानी पीने से मनअ़ फ़रमाया और यह कि कुत्ते की तरह पानी में मुह न डाले और न एक हाथ से चुल्लू लेकर पिये जैसे वह लोग पीते हैं जिन पर ख़ुदा नाराज़ है और रात में जब किसी बर्तन में पानी पिये तो उसे हिलाले मगर जबकि वह बर्तन ढका हो तो हिलाने की ज़रूरत नहीं और जो शख़्स बर्तन से अपने पर क़ादिर है और तवाज़ोअ़ के तौर पर हाथ से पीता है अल्लाह तआ़ला उस के लिये नेकियाँ लिखता है जितनी उस के हाथ में उंगलियाँ हैं। हाथ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का बर्तन था कि उन्होंने अपना प्याला भी फेंक दिया और यह कहा कि यह भी दुनिया की चीज़ है।

हदीस (19) इब्ने माजा ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाथों को धोओ और उन में पानी पियो कि हाथ से ज़्यादा पाकीज़ा कोई बर्तन नहीं।

हदीस (20) मुस्लिम व अहमद व तिर्मिज़ी ने अबू क़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि साक़ी (जो लोगों को पानी पिला रहा है वह) सब के आख़िर में पियेगा।

हदीस (21) दैलमी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया पानी को चूस कर पियो कि यह ख़ुशगवार और ज़ूद हज़म है और बीमारी से बचाव है।

हदीस (22) इब्ने माजा ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की उन्होंने कहा या रसूलल्लाह किस चीज़ का मना करना हलाल नहीं। फ़रमाया "पानी और नमक और आग" कहती हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह पानी को तो हमने समझ लिया मगर नमक और आग का मना करना

क्यों ह़लाल नहीं। फ़रमाया ''ऐ हुमैरा जिस ने आग देदी गोया उसने उस पूरे को स़दक़ा किया जो आग से पकाया गया और जिस ने नमक देदिया गोया उस ने तमाम उस खाने को स़दक़ा किया जो उस नमक से दुरुस्त किया गया और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूँट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया (यानी ग़ुलाम आज़ाद किया) और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता है तो गोया उसे ज़िन्दा कर दिया''।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– पानी बिस्मिल्लाह कहकर दाहिने हाथ से पिये और तीन सांस में पिये हर मरतबा बर्तन को मुँह से हटाकर सांस ले पहली और दूसरी मरतबा एक एक घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले इस त़रह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी को चूस कर पिये ग़ट, ग़ट बड़े बड़े घूंट न पिये जब पी चुके अल्हम्दु'लिल्लाह कहे, इस ज़माने में बाज़ लोग बायें हाथ में कटोरा या गिलास लेकर पानी पीते हैं ख़ुसूसन खाने के वक़्त दाहिने हाथ से पीने को ख़िलाफ़े तहज़ीब जानते हैं उनकी यह तहज़ीब तहज़ीबे नस़ारा है इस्लामी तहज़ीब दाहिने हाथ से पीना है आज कल एक तहज़ीब यह भी है कि गिलास में पीने के बाद जो पानी बचा उसे फेंक देते हैं कि अब वह पानी झूटा होगया जो दूसरे को नहीं पिलाया जायेगा यह हिन्दुओं से सीखा है इस्लाम में छूत छात नहीं मुसलमान के झूटे से बचने के कोई मअ्ना नहीं और उस इल्लत से पानी को फेंकना इसराफ़ है।

मसअ्ला.2:– मश्क के दहाने में मुँह लगाकर पानी पीना मकरूह है क्या मअ्लूम कोई मुज़िर चीज़ उसके ह़लक़ में चली जाये।(आलमगीरी) इसी त़रह लोटे की टूंटी से पानी पीना मगर जबकि लोटे को देख लिया हो कि उस में कोई चीज़ नहीं है सुराही में मुँह लगाकर पानी पीने का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला.3:– सबील का पानी मालदार शख़्स़ भी पी सकता है मगर वहाँ से पानी कोई शख़्स़ घर नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पीने के लिये पानी रखा गया है न कि घर लेजाने के लिये। हाँ अगर सबील लगाने वाले की त़रफ़ से उसकी इजाज़त हो तो ले जा सकता है।(आलमगीरी) जाड़ों में अकस़र जगह मस्जिद के सक़ाया में पानी गर्म किया जाता है ताकि मस्जिद में जो नमाज़ी आयें उस से वज़ू व ग़ुस्ल करें यह पानी भी वहीं इस्तेअ्माल किया जा सकता है घर लेजाने की इजाज़त नहीं। इसी त़रह मस्जिद के लोटों को भी वहीं इस्तेअ्माल कर सकते हैं घर नहीं लेजा सकते बाज़ लोग ताज़ा पानी भर कर मस्जिद के लोटों में घर लेजाते हैं यह भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.4:–लोटों में वज़ू का पानी बचा हुआ होता है उसे बाज़ लोग फेंक देते हैं यह ना'जाइज़ व इसराफ़ है।

मसअ्ला.5:– वज़ू का पानी और आबे ज़मज़म को खड़े होकर पिया जाये बाक़ी दूसरे पानी को बैठकर।

वलीमा और ज़ियाफ़त का बयान

ह़दीस (1) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने औ़फ़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु पर ज़र्दी का अस़र देखा (यअ्नी ख़लूक़ का रंग उनके बदन या कपड़ों पर लगा हुआ देखा) फ़रमाया ''यह क्या है (यअ्नी मर्द के बदन पर उस रंग को न होना चाहिए यह क्योंकर लगा) अ़र्ज़ की मैंने एक औ़रत से निकाह़ किया है। (उस के बदन से यह ज़र्दी छुटकर लग गई) फ़रमाया अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिये मुबारक करे तुम वलीमा करो अगर्चे एक बकरी से या एक ही बकरी से''।

ह़दीस (2) बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जितना ह़ज़रत ज़ैनब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के निकाह़ पर वलीमा किया ऐसा वलीमा अज़्वाजे मुत़ह्हरात में से किसी का नहीं किया। एक बकरी से वलीमा किया यअ्नी तमाम वलीमों में यह बहुत बड़ा वलीमा था कि एक पूरी बकरी का गोश्त पका था। स़ह़ीह़ बुख़ारी

शरीफ़ की दूसरी रिवायत उन्हीं से है कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु तआला अन्हा के ज़िफ़ाफ़ के बाद जो वलीमा किया था लोगों को पेट भर रोटी गोश्त खिलाया था।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं ख़ैबर से वापसी में ख़ैबर व मदीना के माबैन सफ़िया रदियल्लाहु तआला अन्हा के ज़िफ़ाफ़ की वजह से तीन रातों तक हुज़ूर ने क़ियाम फ़रमाया, मैं मुसलमानों को वलीमा की दअ्वत में बुला लाया। वलीमा में न गोश्त था न रोटी थी। हुज़ूर ने हुक्म दिया, दस्तरख़्वान बिछा दिये गये उस पर खजूरें और पनीर और घी डाल दिया गया इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा की रिवायत में है कि हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु तआला अन्हा के वलीमे में सत्तू और खजूरें थीं।

हदीस (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब किसी शख़्स को वलीमे की दअ्वत दी जाये तो आना चाहिए"।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब किसी को खाने की दअ्वत दी जाये तो क़बूल करनी चाहिए फिर अगर चाहे खाले चाहे न खाये"।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला ने फ़रमाया "बुरा खाना वलीमे का खाना है जिस में मालदार लोग बुलाये जाते हैं और फ़ुक़रा छोड़ दिये जाते हैं और जिसने दअ्वत को तर्क किया (यअ्नी बिला सबब इन्कार कर दिया) उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की। मुस्लिम की एक रिवायत में है वलीमे का खाना बुरा खाना है जो उस में आता है उसे मना करता है और उस को बुलाया जाता है जो इन्कार करता है और जिसने दअ्वत क़बूल नहीं की उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की।

हदीस (7) अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्ललाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसको दअ्वत दी गई और उसने क़बूल न की उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़मानी की और जो बिग़ैर बुलाये गया वह चोर होकर घुसा और ग़ारतगरी करके निकला"।

हदीस (8) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया (शादियों में) पहले दिन का खाना हक़ है यअ्नी साबित है उसे करना ही चाहिए और दूसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना सुम्आ है (यअ्नी सुनाने और शोहरत के लिये है) जो सुनाने के लिये कोई काम करेगा अल्लाह तआला उस को सुनायेगा यअ्नी उस की सज़ा देगा।

हदीस (9) अबू दाऊद ने इकरमा से रिवायत की कि ऐसे दो शख़्स जो मुक़ाबला और तफ़ाख़ुर के तौर पर दअ्वत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ खाने से मना फ़रमाया।

हदीस (10) इमाम अहमद अबूदाऊद ने एक सहाबी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दो शख़्स दअ्वत देने बयक वक़्त आयें तो जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े से क़रीब हो उस की दअ्वत क़बूल करो और अगर एक पहले आया तो जो पहले आया उसकी क़बूल करो।

हदीस (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि एक अन्सारी जिनकी कुन्नियत अबू शुऐब थी उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि इतना खाना पकाओ जो पाँच शख़्सों के लिये किफ़ायत करे मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मअ् चार असहाब के दअ्वत करूँगा। थोड़ा सा खाना तैयार किया और हुज़ूर को बुलाने आये एक शख़्स हुज़ूर के साथ हो लिये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अबू शुऐब हमारे

साथ यह शख़्स चला आया अगर तुम चाहो उसे इजाज़त दो और चाहो तो न इजाज़त दो। उन्होंने अर्ज़ की मैंने उन को इजाज़त दी यअ़्नी अगर किसी की दअ़्वत हो और उसके साथ कोई दूसरा शख़्स बिग़ैर बुलाये चला आये तो ज़ाहिर करदे कि मैं नहीं लाया हूँ और साहिबे ख़ाना को इख़्तियार है उसे खाने की इजाज़त दे या न दे क्योंकि ज़ाहिर न करेगा तो साहिबे ख़ाना को यह ना'गवार होगा कि अपने साथ दूसरों को क्यों लाया।

हदीस् (12) बैहक़ी ने शोअ़्बुल'ईमान में इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़ासिक़ों की दअ़्वत क़बूल करने से मना फ़रमाया।

हदीस् (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे और जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह भली बात बोले या चुप रहे और एक रिवायत में यह है कि जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह सिला रहमी करे।

हदीस् (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू शुरैह कअ़्बी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स अल्लाह और क़ियमात के दिन पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे एक दिन रात उसका जाइज़ा है (यअ़्नी एक दिन रात उस की पूरी ख़ातिर'दारी करे अपने मक़दूर भर उस के लिये तकल्लुफ़ का खाना तैयार कराये) और ज़ियाफ़त तीन दिन है (यअ़्नी एक दिन के बाद मा'हज़र पेश करे) और तीन दिन के बाद सदक़ा है मेहमान के लिये यह हलाल नहीं कि उसके यहाँ ठहरा रहे कि उसे हरज में डालदे"।

हदीस् (15) तिर्मिज़ी अबिल'अहवस जश्मी से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये कि मैं एक शख़्स के यहाँ गया उसने मेरी मेहमानी नहीं की अब वह मेरे यहाँ आये तो उस की मेहमानी करूँगा या बदला दूँगा इरशाद फ़रमाया बल्कि तुम उस की मेहमानी करो।

हदीस (16) इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सुन्नत यह है कि मेहमान को दरवाज़ा तक रुख़्सत करने जाये।

मसाइले फ़िक़्हिया

दअ़्वते वलीमा सुन्नत है वलीमा यह है कि शबे ज़िफ़ाफ़ की सुबह को अपने दोस्त, अहबाब, अ़ज़ीज़ व अक़ारिब और महल्ले के लोगों की हसबे इस्तिताअ़त ज़ियाफ़त करे और उसके लिये जानवर ज़बह करना और खाना तैयार कराना जाइज़ है और जो लोग बुलाये जायें उनको जाना चाहिए कि उनका जाना उस के लिये मसर्रत का बाइस होगा वलीमा में जिस शख़्स को बुलाया जाये उसको जाना सुन्नत है या वाजिब उ़लमा के दोनों क़ौल हैं, ब'ज़ाहिर यह मा़लूम होता है कि इजाबत सुन्नते मुअक्कदा है। वलीमे के सिवा दूसरी दावतों में भी जाना अफ़ज़ल है। और यह शख़्स अगर रोज़ा'दार न हो तो खाना अफ़ज़ल है कि अपने मुस्लिम भाई की खुशी में शिरकत और उस का दिल खुश करना है और रोज़ा'दार हो जब भी जाये और साहिबे ख़ाना के लिये दुआ करे और वलीमा के सिवा दूसरी दअ़्वतों का भी यही हुक्म है कि रोज़ा'दार न हो तो खाये वरना उस के लिये दुआ करे।(आ़लमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– दअ़्वते वलीमा का यह हुक्म जो बयान किया गया है उस वक़्त है कि दअ़्वत करने वालों का मक़सूद अदाए सुन्नत हो और अगर मक़सूद तफ़ाख़ुर हो या यह कि मेरी वाह, वाह होगी जैसा कि इस ज़माने में अकसर यही देखा जाता है तो ऐसी दअ़्वतों में न शरीक होना बेहतर है ख़ुसूसन अहले इल्म को ऐसी जगह न जाना चाहिए।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– दअ़्वत में जाना उस वक़्त सुन्नत है जब मअ़्लूम हो कि वहाँ गाना, बजाना लहव व

लआ़िब नहीं है और अगर मअ़लूम है कि यह ख़ुराफ़ात वहाँ हैं तो न जाये जाने के बाद मअ़लूम हुआ कि यहाँ लग़्वियात हैं अगर वहाँ यह चीज़ें हों तो वापस आये और अगर मकान के दूसरे ह़िस्से में हैं जिस जगह खाना खिलाया जाता है वहाँ नहीं हैं तो वहाँ बैठ सकता है और खा सकता है फिर अगर यह शख़्स उन लोगों को रोक सकता है तो रोकदे और अगर उसकी क़ुदरत उसे न हो तो सब्र करे यह उस सूरत में है कि यह शख़्स मज़हबी पेशवा न हो और अगर मुक़्तदा व पेशवा हो मस्लन उ़लमा व मशाइख़ यह अगर न रोक सकते हों तो वहाँ से चले आयें न वहाँ बैठें न खाना खायें और पहले ही से मअ़लूम हो कि वहाँ यह चीज़ें हैं तो मुक़्तदा हो या न हो किसी को जाना जाइज़ नहीं अगर ख़ास़ उस ह़िस्सए मकान में यह चीज़ें न हों बल्कि दूसरे ह़िस्से में हों(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– अगर वहाँ लहव व लआ़िब हो और यह शख़्स जानता है कि मेरे जाने से यह चीज़ें बन्द हो जायेंगी तो उस को इस नियत से जाना चाहिए कि उस के जाने से मुन्किराते शरईया रोक दिये जायेंगे और अगर मअ़लूम है कि वहाँ न जाने से उन लोगों को नसीह़त होगी और ऐसे मौक़ेअ़ पर यह ह़रकतें न करेंगे क्योंकि वह लोग उस की शिरकत को ज़रूरी जानते हैं और जब यह मअ़लूम होगा कि अगर शादियों और तक़रीबों में यह चीज़ें होंगी तो वह शख़्स शरीक न होगा तो उस पर लाज़िम है कि वहाँ न जाये ताकि लोगों को इबरत हो और ऐसी ह़रकतें न करें।(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दअ़्वते वलीमा सिर्फ़ पहले दिन है या उसके बाद दूसरे दिन भी यअ़्नी दो ही दिन तक यह दावत होसकती है उसके बाद वलीमा और शादी ख़त्म।(आलमगीरी) हिन्दुस्तान में शादियों का सिल्सिला कई दिन तक क़ाइम रहता है सुन्नत से आगे बढ़ना रिया व सुमआ़ है उस से बचना ज़रूरी है।

मसअ्ला.5:– एक दस्तरख़्वान पर जो लोग खाना तनावुल करते हैं उनमें एक शख़्स कोई चीज़ उठाकर दूसरे को देदे यह जाइज़ है जबकि मअ़लूम हो कि स़ाह़िबे ख़ाना को यह देना ना'गवार न होगा और अगर मालूम है कि उसे ना'गवार होगा तो देना जाइज़ नहीं। बल्कि अगर मुश्तबह ह़ाल हो मअ़लूम न हो कि ना'गवार होगा या नहीं जब भी न दे।(आलमगीरी) बाज़ लोग एक ही दस्तर' ख़्वान पर मुअ़ज़्ज़िज़ीन के सामने उ़मदा खाने चुनते हैं और ग़रीबों के लिये मअ़मूली चीज़ें रख देते हैं अगर्चे ऐसा न करना चाहिए कि ग़रीबों की उस में दिल शिकनी होती है मगर उस सूरत में जिस के पास कोई अच्छी चीज़ है उसने ऐसे को देदी जिस के पास नहीं है तो ज़ाहिर यही है कि स़ाह़िबे ख़ाना को ना'गवार होगा क्योंकि अगर देना होता तो वह ख़ुद ही उस के सामने भी यह चीज़ें रखता या कम अज़ कम यह सूरते इश्तिबाह की है लिहाज़ा ऐसी ह़ालत में चीज़ देना ना'जाइज़ है और अगर एक ही क़िस्म का खाना है मस्लन रोटी, गोश्त और एक के पास रोटी ख़त्म होगई दूसरे ने अपने पास से उठा कर देदी तो ज़ाहिर यही है कि स़ाह़िब ख़ाना को ना'गवार न होगा।

मसअ्ला.6:–दूसरे के यहाँ खाना खा रहा है साइल ने मांगा इस को यह जाइज़ नहीं कि साइल को रोटी का टुकड़ा देदे क्योंकि उसके खाने के लिये रखा है उसको मालिक नहीं कर दिया है कि जिस को चाहे देदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– दो दस्तर'ख़्वान पर खाना खाया जा रहा है तो एक दस्तर'ख़्वान वाला दूसरे दस्तर' ख़्वान वाले को कोई चीज़ उस पर से उठाकर न दे मगर जब कि यक़ीन हो कि स़ाह़िबे ख़ाना को ऐसा करना ना'गवारा न होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– खाते वक़्त स़ाह़िबे ख़ाना का बच्चा आगया तो उस को या स़ाह़िबे ख़ाना के ख़ादिम को उस खाने में से नहीं दे सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– खाना नापाक हो गया तो यह जाइज़ नहीं कि किसी पागल या बच्चे को खिलाये या किसी ऐसे जानवर को खिलाये जिस का खाना ह़लाल है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मेहमान को चार बातें ज़रूरी हैं (1) जहाँ बिठाया जाये वहीं बैठे (2) जो कुछ उस के सामने पेश किया जाये उस पर ख़ुश हो यह न हो कि कहने लगे उस से अच्छा तो मैं अपने ही घर खाया

करता हूँ या इसी किस्म के दूसरे अलफ़ाज़ जैसा कि आज कल अकस्र दअ्वतों में लोग आपस में कहा करते हैं। (3)बिग़ैर इजाज़ते साहिबे ख़ाना वहाँ से न उठे। (4)और जब वहाँ से जाये तो उस के लिये दुआ करे। मेज़बान को चाहिए कि मेहमान से वक़्तन फ़'वक़्तन कहे कि और खाओ उस पर इसरार न करे कि कहीं इसरार की वजह से ज़्यादा न खा जाये और यह उस के लिये मुज़िर हो। मेज़बान को बिलकुल ख़ामोश न रहना चाहिए और यह भी न करना चाहिए कि खाना रखकर ग़ाइब होजाये बल्कि वहाँ हाज़िर रहे और मेहमानों के सामने ख़ादिम वग़ैरा पर नाराज़ न हो और अगर साहिबे वुस्अत हो तो मेहमान की वजह से घर वालों पर खाने में कमी न करे। मेज़बान को चाहिए कि मेहमान की ख़ातिर'दारी में ख़ुद मशग़ूल हो ख़ादिमों के ज़िम्मे उसको न छोड़े कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सुन्नत है अगर मेहमान थोड़े हों तो मेज़बान उन के साथ खाने पर बैठ जाये कि यही तक़ाज़ा–ए–मुरव्वत है और बहुत से मेहमान हों तो उनके साथ न बैठे बल्कि उनकी ख़िदमत और खिलाने में मशग़ूल हो। मेहमानों के साथ ऐसे को न बिठाये जिसका बैठना उन पर गिरां हो।

मसअ्ला.11:– जब खाकर फ़ारिग़ हों उनके हाथ धुलाये जायें और यह न करे कि हर शख़्स के हाथ धोने के बाद पानी फेंक कर दूसरे के सामने हाथ धोने के लिए तश्त पेश करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– जिसने हदया भेजा अगर उसके पास हलाल व हराम दोनों क़िस्म के अमवाल हों मगर ग़ालिब माल हलाल है तो उसके क़बूल करने में हरज नहीं। यही हुक्म उस के यहाँ दअ्वत खाने का है और अगर उसका ग़ालिब माल हराम है तो न हदिया क़बूल करे और न उस की दावत खाये जब तक यह न मअ्लूम हो कि यह चीज़ जो उसे पेश की गई है हलाल है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– जिस शख़्स पर उस का दैन है अगर उसने दअ्वत की और क़र्ज़ से पहले भी वह उसी तरह दअ्वत करता था तो क़बूल करने में हरज नहीं और अगर पहले बीस दिन में दावत करता था और अब दस दिन में करता है या अब उसने खाने में तकल्लुफ़ात बढ़ा दिये तो क़बूल न करे कि यह क़र्ज़ की वजह से है।(आलमगीरी)

ज़ुरूफ़ का बयान

मसअ्ला.1:– सोने, चाँदी के बर्तन में खाना, पीना और उन की प्यालियों से तेल लगाना या उन इत्रदान से इत्र लगाना या उनकी अंगीठी से बख़ोर (धूनी लेना,तापना) करना मना है और यह मुमानअ़त मर्द व औरत दोनों के लिये है औरतों को उन के ज़ेवर पहनने की इजाज़त है। जेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चाँदी का इस्तेअ्माल मर्द व औरत दोनों के लिये ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– सोने, चाँदी के चमचे से खाना उनकी सलाई या सुर्मा'दानी से सुर्मा लगाना उनके आईना में मुँह देखना उन की क़लम व दवात से लिखना उनके लोटे या तश्त से वज़ू करना या उनकी कुर्सी पर बैठना मर्द व औरत दोनों के लिये ममनूअ् है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– सोने चाँदी की आरसी पहनना औरत के लिये जाइज़ है मगर उस आरसी में मुँह देखना औरत के लिये भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.4:–सोने, चाँदी की चीज़ों के इस्तेअ्माल की मुमानअ़त उस सूरत में है कि उन को इस्तेअ्माल करना ही मक़सूद हो और अगर यह मक़सूद न हो तो मुमानअ़त नहीं मस्लन सोने चाँदी की प्लेट या कटोरे में खाना रखा हुआ है अगर यह खाना उसी में छोड़ दिया जाये तो इज़ाअ़ते माल है उस को उस में से निकाल कर दूसरे बर्तन में लेकर खाये या उस में से पानी चुल्लू में लेकर पिया या प्याली में तेल था सर पर प्याली से तेल नहीं डाला बल्कि किसी बर्तन में या हाथ पर तेल उस ग़र्ज़ से लिया कि उस से इस्तेअ्माल ना'जाइज़ है लिहाज़ा तेल को उस में से ले लिया जाये और अब इस्तेअ्माल किया जाये यह जाइज़ है और अगर हाथ में तेल का लेना बग़र्ज़ इस्तेअ्माल हो जिस तरह प्याली से तेल लेकर सर या दाढ़ी में लगाते हैं उस तरह करने से ना'जाइज़ इस्तेअ्माल से बचना नहीं है कि यह भी इस्तेअ्माल ही है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– चाय के बर्तन सोने, चाँदी के इस्तेअ्माल करना ना'जाइज़ है उसी त़रह़ सोने, चाँदी की घड़ी हाथ में बांधना बल्कि उस में वक़्त देखना भी ना'जाइज़ है कि घड़ी का इस्तेअ्माल यही है कि उस में वक़्त देखा जाये।(रद्दुल'मोह़तार)

मसअ्ला.6:– सोने चाँदी की चीजें मह़ज़ मकान की आराइश व ज़ीनत के लिये हों मस्लन क़रीना है यह बर्तन व क़लम दवात लगादे कि मकान आरास्ता होजाये उसमें ह़र्ज नहीं यूंही सोने, चाँदी की कुर्सियाँ या मेज़ या तख़्त वग़ैरा से मकान सजा रखा है उनपर बैठता नहीं है तो ह़रज नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के मौक़े पर चाँदी की दवात, क़लम, तख़्ती, लाकर रखते हैं यह चीज़ें इस्तेअ्माल में नहीं आतीं बल्कि पढ़ाने वाले को देदेते हैं इस में ह़रज नहीं।

मसअ्ला.8:– सोने, चाँदी के सिवा हर क़िस्म के बर्तन का इस्तेअ्माल जाइज़ है मस्लन तांबे, पीतल, सीसा, बिल्लौर वग़ैरहा मगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेअ्माल सबसे बेहतर कि ह़दीस में है कि जिसने अपने घर के बर्तन मिट्टी के बनवाये फ़िरिश्ते उसकी ज़ियारत को आयेंगे। तांबे और पीतल के बर्तनों पर क़लई होनी चाहिए बिग़ैर क़लई उनके बर्तन इस्तेअ्माल करना मकरूह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– जिस बर्तन में सोने चाँदी का काम बना हुआ है उस का इस्तेअ्माल जाइज़ है जबकि मोज़अ़े इस्तेअ्माल (इस्तेअ्माल की जगह) में सोना चाँदी न हो मस्लन कटोरे या गिलास में चाँदी का काम हो तो पानी पीने में उस जगह मुँह न लगे जहाँ सोना या चाँदी है और बाज़ का क़ौल यह है कि वहाँ हाथ भी न लगे और क़ौले अव्वल असह़ (ज़्यादा सह़ीह) है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.10:– छड़ी की मोठ, सोने चाँदी की हो तो उस का इस्तेअ्माल ना'जाइज़ है क्योंकि इस्तेअ्माल का त़रीक़ा यह है कि मोठ पर हाथ रखा जाता है लिहाज़ा मोज़अ़े इस्तिअ्माल में सोना चाँदी हुई। और अगर उस की शाम (छड़ी के सरों पर चढ़ाया जाने वाला किसी धात का खौल) सोने चाँदी की हो वुस्ता सोने चाँदी का न हो तो इस्तेअ्माल में ह़रज नहीं क्योंकि हाथ रखने की जगह पर सोना चाँदी नहीं है उसी त़रह़ क़लम की निब अगर सोने चाँदी की हो तो उससे लिखना ना'जाइज़ है कि वही मोज़अ़े इस्तेअ्माल है और अगर क़लम के बालाई ह़िस्सा में हो तो ना'जाइज़ नहीं।

मसअ्ला.11:– चाँदी सोने का कुर्सी या तख़्त में काम बना हुआ है या ज़ीन में काम बना हुआ है तो उस पर बैठना जाइज़ है जबकि सोने चाँदी की जगह से बचकर बैठे म'ह़स़ल यह है कि जो चीज़ ख़ालिस़ सोने चाँदी की है उस का इस्तेअ्माल मुत़लक़न ना'जाइज़ है और अगर उस में जगह जगह चाँदी, सोना है तो अगर मोज़अ़् इस्तेअ्माल में है तो ना'जाइज़ वरना जाइज़। मस्लन चाँदी की अंगीठी से बख़ोर करना मुत़लक़न ना'जाइज़ है अगर्चे धूनी लेते वक़्त उस को हाथ भी न लगाये इसी त़रह़ हुक़्क़े की फ़र्शी चाँदी की है तो उस से हुक़्क़ा पीना ना'जाइज़ है अगर्चे यह शख़्स़ फ़र्शी पर हाथ न लगाये। उसी त़रह़ हुक़्क़ा की मुँह नाल सोने, चाँदी की है तो उस से हुक़्क़ा पीना ना'जाइज़ है और अगर नेचा पर जगह जगह चाँदी सोने का तार हो तो उस से हुक़्क़ा पी सकता है और उस में जगह जगह चाँदी सोने का तार हो तो उस से हुक़्क़ा पी सकता है जबकि इस्तेअ्माल की जगह तार न हो। कुर्सी में इस्तेअ्माल की जगह बैठने की जगह है और उस का तकिया है जिससे पीठ लगाते हैं और उस के दस्ते हैं जिन पर हाथ रखते हैं तख़्त में मोज़अ़े इस्तेअ्माल बैठने की जगह है उसी त़रह़ ज़ीन में और रिकाब भी सोने चाँदी की ना'जाइज़ है और उस में काम बना हुआ हो तो मोज़अ़् इस्तेअ्माल में न हो यही हुक्म लगाम और दुम्ची का है।(हिदाया)

मसअ्ला.12:– बर्तन पर सोने चाँदी का मुलम्मअ़् हो तो उस के इस्तेअ्माल में ह़रज नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.13:– आईना का ह़ल्क़ा जो ब'वक़्ते इस्तेअ्माल पकड़ने में न आता हो उस में सोने चाँदी का काम हो उस का भी वही हुक्म है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– तलवार के क़ब्ज़े में और छुरी या पेश क़ब्ज़ (ख़न्जर) के दस्ते में चाँदी या सोने का काम है तो उन का भी वही हुक्म है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– कपड़े में सोने चाँदी के हुरूफ़ बनाये गये उसके इस्तेअ्माल का भी वही हुक्म है।(दुर्रेमुख़्तार) इसमें तफ़सील है जो लिबास के बयान में आयेगी।

मसअ्ला.16:–टूटे हुए बर्तन को चाँदी या सोने के तार से जोड़ना जाइज़ है और उस का इस्तेअ्माल भी जाइज़ है जबकि उस जगह से इस्तेअ्माल न करे जैसा कि ह़दीस में है कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का लकड़ी का प्याला था वह टूट गया तो चाँदी के तार से जोड़ा गया और यह प्याला ह़ज़रत अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास था।

ख़बर कहाँ मोअ्तबर है

अल्लाह अ़ज़्ज व जल्ल फ़रमाता है

﴿يٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوْۤا اَنْ تُصِیْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِیْنَ﴾

"ऐ ईमान वालो! अगर फ़ासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लाये तो उसे खूब जांच लो कहीं ऐसा न हो कि ना'वाकिफ़ी में किसी क़ौम को तकलीफ़ पहुँचादो फिर तुम्हें अपने किये पर शर्मिन्दा होना पडे"।

मसअ्ला.1:– अपने नौकर या ग़ुलाम को गोश्त लाने के लिये भेजा अगर्चे यह मजूसी या हिन्दू हो वह गोश्त लाया और कहता है कि मुसलमान या किताबी से ख़रीदकर लाया हूँ तो यह गोश्त खाया जा सकता है और अगर उसने आकर यह कहा कि मुश्रिक मस्लन मजूसी या हिन्दू से ख़रीदकर लाया हूँ तो उस गोश्त का खाना ह़राम है कि ख़रीदना बेचना मुआ़मलात में है और मुआ़मलात में काफ़िर की ख़बर मोअ्तबर है अगर्चे ह़िल्लत व हुरमत (हलाल व हराम होना) दियानात में से हैं और दियानात में काफ़िर की ख़बर ना'मक़बूल है मगर चूंकि अस्ल ख़बर ख़रीदने की है और ह़िल्लत व हुरमत उस मक़ाम पर ज़िमनी चीज़ है लिहाज़ा जब वह ख़बर मोअ्तबर हुई तो ज़िमनन यह भी साबित होजायेगी और अस्ल ख़बर ह़िल्लत व हुरमत की होती तो ना'मोअ्तबर होती।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मुआ़मलात में काफ़िर की ख़बर मोअ्तबर होना उस वक़्त है जब ग़ालिब गुमान यह हो कि सच कहता है और अगर ग़ालिब गुमान उसका झूटा होना हो तो उस पर अ़मल न करे।(जौहरा)

मसअ्ला.3:– गोश्त ख़रीदा फिर यह मअ्लूम हुआ कि जिससे ख़रीदा है वह मुश्रिक है फेरने को ले गया उसने कहा कि उस जानवर को मुस्लिम ने ज़बह किया है अब भी उस गोश्त को खाना ममनूअ् है।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– लौन्डी, ग़ुलाम और बच्चे की हदिया के मुतअ़ल्लिक़ ख़बर मोअ्तबर है मस्लन बच्चे ने किसी के पास कोई चीज़ लाकर यह कहा कि मेरे वालिद ने आप के पास यह हदिया भेजा है वह शख़्स चीज़ को ले सकता है और उस में तसर्रुफ़ कर सकता है खाने की चीज़ हो तो खा सकता है उसी त़रह लौन्डी, ग़ुलाम ने कोई चीज़ दी और यह कहा कि मेरे मौला ने यह चीज़ हदिया भेजी है बल्कि यह दोनों खुद अपने मुतअ़ल्लिक़ उस की ख़बर दें कि हमारे मौला ने खुद हमें हदिया किया है यह ख़बर भी मक़बूल है फ़र्ज़ करो लौन्डी ने यह ख़बर दी तो उससे यह शख़्स वती भी कर सकता है।(ज़ैलई)

मसअ्ला.5:– उन लोगों ने यह ख़बर दी कि हमारे वली या मौला ने हमें ख़रीदने की इजाज़त दी है यह ख़बर भी मोअ्तबर है जबकि ग़ालिब उन की सच्चाई हो लिहाज़ा बच्चे ने कोई चीज़ ख़रीदी मस्लन नमक, मिर्च, हलदी, धनिया और कहता है हम को उस की इजाज़त है तो उसके हाथ उस चीज को बेच सकते हैं और अगर ग़ालिब गुमान यह हो कि झूट कहता है तो उसकी बात का एअ्तिबार न किया जाये मस्लन उसे चन्द पैसों की मिठाई या फल वग़ैरा ख़रीदना है और यह बताता है कि मुझे इजाज़त है उस का एअ्तिबार न किया जाये जबकि उस सूरत में बज़ाहिर यह मअ्लूम होता हो कि उस को पैसे इस लिये नहीं मिले हैं कि मिठाई वग़ैरा ख़रीद कर खाले(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– यअ्नी जबकि गुमान ग़ालिब यह हो कि उसे ख़रीदने की इजाज़त नहीं है मस्लन यह गुमान है कि छुपाकर लाया है मिठाई ख़रीद रहा है उसके घर वाले ऐसे कहाँ हैं कि मिठाई

खाने को पैसे देदें इस सूरत में इस के हाथ मिठाई का बेचना भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.7:– काफिर फ़ासिक़ ने यह ख़बर दी कि मैं फुलां शख़्स का इस चीज़ के बेचने में वकील हूँ उसकी ख़बर एअ्तिबार की जा सकती है और उस चीज को ख़रीद सकते हैं उसी तरह दीगर मुआमलात में भी उन की ख़बरें मक़बूल हैं जबकि ज़न्ने ग़ालिब यह हो कि सच कहता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– दियानात में मुख़्बिर (ख़बर देने वाले) का आदिल होना ज़रूरी है दियानात से मुराद वह चीज़ें हैं जिनका तअ़ल्लुक़ बन्दा और रब के माबैन है मस्लन हिल्लत, हुरमत, नजासत, तहारत और अगर दियानात के साथ ज़वाले मिल्क भी हो मस्लन मियाँ बीवी के मुतअ़ल्लिक़ किसी ने यह ख़बर दी कि यह दोनों रज़ाई भाई बहन हैं तो उस के सुबूत के लिए फक़त अदालत काफ़ी नहीं बल्कि अदद और अदालत दोनों चीज़ें दरकार हैं यअ्नी ख़बर देने वाले दो मर्द या एक मर्द दो औरतें हों और यह सब आदिल हों।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– पानी के मुतअ़ल्लिक़ किसी मुस्लिम आदिल ने यह ख़बर दी कि यह नजिस है तो उस से वजू न करे बल्कि अगर दूसरा पानी न हो तो तयम्मुम करे और अगर फ़ासिक़ या मस्तूर ने ख़बर दी कि पानी नजिस है तो तहर्री (ग़ौर) करे अगर दिल पर यह बात जमती है कि सच कहता है तो पानी को फेंक दे और और तयम्मुम करे वजू न करे और अगर ग़ालिब गुमान यह है कि झूट कहता है तो वजू करे और एहतियात यह है कि वजू के बाद तयम्मुम भी कर ले और अगर काफ़िर ने निजासत की ख़बर दी और ग़ालिब गुमान यह है कि सच कहता है जब भी बेहतर यह है कि उसे फेंक दे फिर तयम्मुम करे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– एक आदिल ने यह ख़बर दी कि पाक है और दूसरे आदिल ने निजासत की ख़बर दी एक ने ख़बर दी कि यह मुस्लिम का ज़बीहा है और दूसरे ने यह कि मुश्रिक का ज़बीहा है उस में भी तहर्री करे जिधर ग़ालिब गुमान हो उस पर अमल करे। (रद्दुलमुहतार)

लिबास का बयान

हदीस (1) इमाम बुख़ारी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम "तू जो चाहे खा और तू जो चाहे पहन जब तक दो बातें न हों इसराफ़ व तकब्बुर"

हदीस (2) इमाम अहमद व निसाई व इब्ने माजा ब'रिवायत उमर इब्ने शुऐब अ़न अबीहि अ़न जद्दिहि रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "खाओ और पियो और सदक़ा करो और पहनो जब तक इसराफ़ व तकब्बुर की आमेज़िश न हो"।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को हिबरा बहुत पसन्द था यह एक क़िस्म की धारीदार चादर होती थी जो यमन में बनती थी।

हदीस (4) तिर्मिज़ी ने जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने चाँदनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को देखा हुज़ूर सुर्ख़ जुब्बा पहने हुए थे यअ्नी उस में सुर्ख़ धारियाँ थीं मैं कभी हुज़ूर को देखता और कभी चाँद को हुज़ूर मेरे नज़्दीक चाँद से ज़्यादा हसीन थे।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूबुर्दा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने पैवन्द लगी हुई कमली और मोटा तहबन्द निकाला और यह कहा कि हुज़ूर की वफ़ात उन्हीं में हुई। (यअ्नी ब'वक़्ते वफ़ात उसी क़िस्म के कपड़े पहने हुए थे)

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स तकब्बुर के तौर पर तहबन्द घसीटे (यअ्नी इतना नीचा करले कि ज़मीन से लग जाये) उस की तरफ़ अल्लाह तआ़ला नज़रे रहमत नहीं

फ़रमायेगा। इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा की रिवायत में है जो इतराने के तौर पर कपड़ा घसीटेगा उसकी तरफ़ अल्लाह नज़रे रहमत नहीं करेगा। सहीह बुख़ारी की उन्हीं से रिवायत है कि एक शख़्स इतराने के तौर पर तहबन्द घसीट रहा था ज़मीन में धंसा दिया गया अब वह क़ियामत तक ज़मीन में धंसता ही चला जायेगा।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि टख़नों से नीचे तहबन्द का जो हिस्सा है वह आग में है।

हदीस (8) अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मोमिन का तहबन्द आधी पिन्डलियों तक है और उसके और टख़नों के दर्मियान में हो उस में भी हरज नहीं और उस से जो नीचे हो आग में है और अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा जो तहबन्द को तकब्बुर की वजह से घसीटे।

हदीस (9) अबू दाऊद व निसाई व इब्ने माजा ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "इसबाल यअ़नी कपड़े के नीचा करने की मुमानअ़त तहबन्द व क़मीस व इमामा सब में है"। हज़रत सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने अ़र्ज़ की औ़रतों के लिये क्या हुक्म है फ़रमाया एक बालिश्त लटका लें (यअ़नी आधी पिन्डली के नीचे एक बालिश्त लटकायें) अ़र्ज़ की अब तो औ़रतों के क़दम खुल जायेंगे इरशाद फ़रमाया एक हाथ लटका लें इस से ज़्यादा नहीं।

हदीस (10) सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रा फिर फ़रमाया ज़्यादा ऊँचा करो मैंने ज़्यादा कर लिया उसके बाद मैं हमेशा कोशिश करता रहा किसी ने अ़ब्दुल्लाह से पूछा कहाँ तक ऊँचा किया जाये कहा निस्फ़ पिन्डली तक।

हदीस (11) सहीह बुख़ारी में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स अपना कपड़ा तकब्बुर से नीचा करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा। हज़रत अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा तहबन्द लटक जाता है मगर उस वक़्त कि मैं पूरा ख़्याल रखूँ (यअ़नी उन के शिकम पर तहबन्द रूकता नहीं सरक जाता था) हुज़ूर ने फ़रमाया तुम उन में से नहीं जो ब'राहे तकब्बुर लटकाते हैं (यअ़नी जो बिल'क़स्द तहबन्द को नीचा करते हैं उन के लिये वह वईद है)

हदीस (12) अबू दाऊद ने इकरमा से रिवायत की कहते हैं मैंने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा को देखा कि उन के तहबन्द का हाशिया पुश्ते क़दम पर था मैंने कहा आप इस तरह तहबन्द बांधते हैं उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इस तरह तहबन्द बांधे हुए देखा है।

हदीस (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की क़मीस की आस्तीन गट्टे तक थी।

हदीस (14) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा ने सुमरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सपेद कपड़े पहनो कि वह ज़्यादा पाक व सुथरे हैं और उन्हीं में अपने मुर्दे कफ़नाओ"।

हदीस (15) इब्ने माजा ने अबू दरदा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सब में अच्छे वह कपड़े जिन्हें पहनकर तुम खुदा की ज़्यारत क़ब्रों और मस्जिदों में करो सपेद हैं यअ़नी सपेद कपड़ों में नमाज़ पढ़ना और मुर्दे कफ़नाना अच्छा है।

हदीस् (16) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अ़ब्दुल्ला इब्ने अ़म्र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स सुर्ख़ कपड़े पहने हुए गुज़रे और उन्होंने हुज़ूर को सलाम किया हुज़ूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया।

हदीस् (17) अबूदाऊद ने आयशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि असमा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा बारीक कपड़े पहनकर हुज़ूर के सामने आईं हुज़ूर ने मुँह फेर लिया और यह फ़रमाया ऐ असमा जब औरत बालिग़ होजाये तो उसके बदन का कोई हिस्सा दिखाई न देना चाहिए सिवा मुँह और हथेलियों के।

हदीस् (18) इमाम मालिक अ़लक़मा इब्ने अबी अ़लक़मा से वह अपनी माँ से रिवायत करते हैं कि हफ़सा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान हज़रत आयशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के पास बारीक दोपट्टा ओढ़ कर आईं हज़रत आयशा ने उनका दो पट्टा फाड़दिया और मोटा दोपट्टा देदिया।

हदीस् (19) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इमामा बाँधते तो दोनों शानों के दरमियान शिमला लटकाते।

हदीस् (20) बैहक़ी ने शोअ़बुल'ईमान में उ़बादा बिन स़ामित रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमामा बान्धना इख़्तियार करो कि यह फ़रिश्तों का निशान है और उस को पीठ के पीछे लटका लो।

हदीस् (21) तिर्मिज़ी ने रुकाना रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि हमारे और मुश्रिकीन के माबैन यह फ़र्क़ है कि हमारे इमामा टोपियों पर होते हैं।

हदीस् (22) तिर्मिज़ी ने आयशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती हैं हुज़ूर ने मुझ से यह फ़रमाया "आयशा अगर तुम मुझ से मिलना चाहती हो तो दुनिया से इतने ही पर बस करो जितना सवार के पास तोशा होता है और मालदारों के पास बैठने से बचो और कपड़े को पुराना न समझों जब तक पेवन्द न लगाओ"।

हदीस् (23) अबू दाऊद अबू उमामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया "क्या सुनते नहीं हो क्या सुनते नहीं हो रदी हा़लत में होना ईमान से है रदी हा़लत में (यानी लिबास की सादगी) होना ईमान से है।

हदीस् (24) इमाम अह़मद व अबूदाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स शोहरत का कपड़ा पहने क़ियमात के दिन अल्लाह तआ़ला उसको ज़िल्लत का कपड़ा पहनायेगा"। लिबासे शोहरत से मुराद यह है कि तकब्बुर के तौ़र पर अच्छे कपड़े पहने या जो शख़्स दुरवेश न हो वह ऐसे कपड़े पहने जिससे लोग उसे दुरवेश समझें या आ़लिम न हो और उ़लमा के से कपड़े पहन कर लोगों के सामने अपना आ़लिम होना जताता है यअ़्नी कपड़े से मक़सूद किसी खूबी का इज़हार हो।

हदीस् (25) अबूदाऊद ने एक स़हा़बी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो बा'वजूद क़ुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ोअ़् के तौ़र पर छोड़दे अल्लाह तआ़ला उस को करामत का हुल्ला पहनायेगा।

हदीस् (26) इमाम अह़मद व निसाई जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये एक शख़्स को परागन्दा सर देखा जिस के बाल बिखरे हुए हैं फ़रमाया "उस को ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे बालों को इकठ्ठा करले और दूसरे शख़्स को मैले कपड़े पहने हुए देखा फ़रमाया क्या उसे ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिस से कपड़े धोले"।

हदीस् (27) तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़म्र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला को यह बात

पसन्द है कि उस की नेअ्मत का असर बन्दे पर ज़ाहिर हो"।

हदीस (28) इमाम अहमद व निसाई ने अबुल'अहवस से उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की कहते हैं मैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मेरे कपड़े घटिया थे हुज़ूर ने फ़रमाया "क्या तुम्हारे पास माल नहीं है" मैंने अर्ज़ की हाँ है फ़रमाया "किस क़िस्म का माल है" मैंने अर्ज़ की ख़ुदा का दिया हुआ हर क़िस्म का माल है ऊँट, गाय, बकरियाँ, घोड़े, ग़ुलाम, फ़रमाया "जब ख़ुदा ने तुम्हें माल दिया है तो उस की नेअ्मत व करामत का असर तुम पर दिखाई देना चाहिए"।

हदीस (29) स़हीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते उ़मर व अनस व इब्ने ज़ुबैर व अबू'उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से मरवी नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया "जो दुनिया में रेशम पहनेगा वह आख़िरत में नहीं पहनेगा"।

हदीस (30) स़हीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो दुनिया में रेशम पहनेगा उस के लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है"।

हदीस (31) स़हीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी स़ल्लल्लाहु तअ़ला अ़लैहि वसल्लम ने रेशम पहनने की मुमानअ़त फ़रमाई मगर इतना और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दो उंगलियाँ बीच वाली और कलिमे की उंगलियों को मिलाकर इशारा किया स़हीह़ मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रत उ़मर ने ख़ुतबा में फ़रमाया रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने रेशम की मुमानअ़त फ़रमाई है मगर दो या तीन या चार उंगलियों की बराबर यअ़नी किसी कपड़े में इतनी चौडी रेशम की गोट लगाई जा सकती है।

हदीस (32) स़हीह़ मुस्लिम में असमा बिन्ते अबी बक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है उन्होंने एक किस'रवानी जुब्बा निकाला जिसका गिरेबान दीबाज का था और दोनों चाकों में दीबाज की गोट लगी हुई थी और यह कहा कि यह रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का जुब्बा है जो हज़रत आ़यशा के पास था जब हज़रत आयशा का इन्तिक़ाल हो गया मैंने लेलिया हुज़ूर उसे पहना करते थे और हम उसे धोकर बीमारों को बग़र्ज़े शिफ़ा पिलाते हैं।

हदीस (33) तिर्मिज़ी व निसाई ने अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है और मर्दों पर हराम"।

हदीस (34) स़हीह़ मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़म्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे कुसुम के रंगे हुए कपड़े पहने हुए देखा फ़रमाया यह काफ़िरों के कपड़े हैं उन्हें तुम मत पहनों मैंने कहा उन्हें धो डालूँ फ़रमाया कि जलादो।

हदीस (35) तिर्मिज़ी अबुल'मलीह़ से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दरिन्दा की खाल बिछाने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस (36) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब क़मीस़ पहनते तो दाहिने से शुरूअ़ करते।

हदीस (37) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबू'सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते उसका नाम लेते इमामा या क़मीस़ या चादर फिर यह दुआ पढ़ते।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

तर्जमा:– ऐ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल! तेरा शुक्र है जैसे तूने मुझे यह (कपड़ा) पहनाया, वैसे ही मैं तुझ से उस की भलाई और जिस मकसद के लिये बनाया गया उसकी भलाई का सुवाल करता हूँ और उस के शर और जिस मकसद के लिये यह बनाया गया उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ"।

हदीस् (38) अबूदाऊद ने मआज़ इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स कपड़ा पहने और यह दुआ पढ़े तो उस के अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे"।

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ ھٰذَا وَ رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنِّیْ وَ لَا قُوَّۃَ

तर्जमा :– "तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये हैं जिसने मुझे यह (लिबास) पहनाया और मेरी ताक़त व कुव्वत के बिग़ैर यह अता फ़रमाया"

हदीस् (39) इमान अहमद ने अबू मुतिर से रिवायत की कि हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने तीन दिरहम में कपड़ा ख़रीदा उस को पहनते वक़्त यह पढ़ा।

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَزَقَنِیْ مِنَ الرِّیَاشِ مَااَتَجَمَّلُ بِهٖ فِی النَّاسِ وَ اُوَارِیْ بِهٖ عَوْرَتِیْ

तर्जमा :– "अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने मुझे वह लिबास पहनाया जिससे मैं अपना सत्र ढांपता हूँ और अपनी ज़िन्दगी में उससे ज़ीनत करता हूँ"

फ़िर यह कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यही पढ़ते हुए सुना।

हदीस् (40) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने नया कपड़ा पहना और यह पढ़ा।

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا اُوَارِیْ بِهٖ عَوْرَتِیْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِیْ حَیَاتِیْ

तर्जमा :– "तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये हैं जिसने मुझे वह लिबास अता फ़रमाया जिस से मैं लोगों में ज़ीनत करता हूँ और अपना सत्र ढांपता हूँ"

फ़िर यह कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि "ज़ो शख़्स नया कपड़ा पहनते वक़्त यह पढ़े और पुराने कपड़े को सदक़ा करदे, वह ज़िन्दगी में और मरने के बाद अल्लाह तआला के कनफ़ व हिफ़्ज़ व सित्र में रहेगा"। तीनों लफ़्ज़ के एक ही मअ़ना हैं यअ़नी अल्लाह तआला उस का हाफ़िज़ व निगेहबान है।

हदीस् (41) इमाम अहमद व अबूदाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स जिस क़ौम से तशब्बोह करे वह उन्हीं में से है" यह हदीस् एक अस्ले कुल्ली है लिबास व आदात व अतवार में किन लोगों से मुशाबहत करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए कुफ़्फ़ार व फ़ुस्साक़ व फ़ुज्जार से मुशाबहत बुरी है और अहले सलाह व तक़वा की मुशाबहत अच्छी है फिर उस तश्बीह के भी दरजात हैं। और उन्हीं के एअ़तिबार से अहकाम भी मुख़्तलिफ़ हैं कुफ़्फ़ार व फ़ुस्साक़ से तशबीह का अदना मरतबा कराहत है मुसलमान अपने को लोगों से मुमताज़ रखे कि पहचाना जा सके और ग़ैर मुस्लिम का शुबह उस पर न हो सके।

हदीस् (42) अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लअ़नत की जो मर्दों से तशबीह करें और उन मर्दों पर जो औरतों से तशबीह करें।

हदीस् (43) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लअ़नत की जो औरत का लिबास पहनता है और उस औरत पर लअ़नत की जो मर्दाना लिबास पहनती है।

हदीस् (44) अबूदाऊद व इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "न मैं सुर्ख़ ज़ीन'पोश पर सवार होता हूँ और न कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहनता हूँ और न वह क़मीज़ पहनता हूँ जिस में रेशम का कफ़ लगा हुआ हो"। (यअ़नी चार अंगुल से ज़ाइद) सुन लो मर्दों की ख़ुशबू वह है जिस में बू हो और रंग न हो और औरतों की ख़ुशबू वह है जिस में रंग हो बू न हो यअ़नी मर्दों में ख़ुशबू मक़सूद होती है उस का रंग नुमायाँ न होना चाहिए कि बदन या कपड़ा रंगीन होजाये और औरतें हलकी ख़ुशबू इस्तेअ़्माल करें कि यहाँ ज़ीनत मक़सूद होती है और यह रंगीन ख़ुशबू मसलन ख़लूक़ से हासिल होती है तेज़ ख़ुशबू से ख़्वाह म'ख़्वाह लोगों की निगाहें उठेंगी।

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत **(हिस्सा 11 से 20)** हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

हदीस् (45) तिर्मिज़ी ने अबू रिमसा तैमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ हुज़ूर दो सब्ज़ कपड़े पहने हुए थे।

हदीस् (46) अबू दाऊद ने दहया इब्ने ख़लीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में चन्द क़िब्ती कपड़े लाये गये हुज़ूर ने एक मुझे दिया और फ़रमाया कि उस के दो टुकड़े कर लो एक टुकड़े की क़मीस़ बनवालो और एक अपनी बीवी को देदेना वह ओढ़नी बनालेगी जब यह चले तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि "अपनी बीवी से कह देना कि उस के नीचे कोई दूसरा कपड़ा लगाले ताकि बदन न झलके"।

हदीस् (47) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बिछौना जिस पर आराम फ़रमाते थे चमड़े का था जिस में खजूर की छाल भरी थी।

हदीस् (48) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "एक बिछौना मर्द के लिये और एक उस की ज़ौजा के लिये और तीसरा मेहमान के लिये और चौथा शैतान के लिये" यअ्नी घर के आदमियों और मेहमानों के लिये बिछौने जाइज़ हैं और हाजत से ज़्यादा न चाहिए।

मसअ्ला.1:– इतना लिबास जिस से सत्रे औरत होजाये और गर्मी, सर्दी की तकलीफ़ से बचे फ़र्ज़ है और उस से ज़ाइद जिस से ज़ीनत मक़सूद हो और यह कि जब कि अल्लाह तआला ने दिया है तो उस की नेअ्मत का इज़हार किया जाये यह मुस्तहब है ख़ास मौक़ों पर मसलन जुमा या ईद के दिन उमदा कपड़ा पहनना मुबाह है इस क़िस्म के कपड़े रोज़ न पहने क्योंकि हो सकता है कि इतराने लगे और ग़रीबों को जिसके पास ऐसे कपडे नहीं हैं नज़रे हिक़ारत से देखे लिहाज़ा उससे बचना ही चाहिए और तकब्बुर के तौर पर जो लिबास हो वह ममनूअ़ है तकब्बुर है या नहीं उस की शनाख़्त यूं करे कि उन क़पड़ों के पहनने से पहले अपनी जो हालत पाता था और अगर पहनने के बाद भी वही हालत है तो मअ्लूम हुआ कि उन कपड़ों से तकब्बुर पैदा नहीं हुआ अगर वह हालत अब बाक़ी नहीं रही तो तकब्बुर आगया लिहाज़ा ऐसे कपड़े से बचे कि तकब्बुर बहुत बुरी सिफ़त है(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.2:– बेहतर यह है कि ऊनी या सूती या कितान के कपड़े बनवाये जायें जो सुन्नत के मुवाफ़िक़ हों न निहायत आला दर्जे के हों न बहुत घटिया बल्कि मुतवस्सित (दरम्याना) क़िस्म के हों कि जिसतरह बहुत आला दर्जे के कपड़ों से नुमूद होती है बहुत घटिया कपड़े पहनने से भी नुमाइंश होती है लोगों की नज़रें उठती हैं समझते हैं कि यह कोई साहिबे कमाल और तारिकुद्दुनिया शख़्स है सफ़ेद कपड़े बेहतर हैं कि हदीस में उस की तअ्रीफ़ आई है और स्याह कपड़े भी बेहतर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ लाये तो सरे अक़दस पर स्याह इमामा था सब्ज़ कपड़ों को बाज़ किताबों में सुन्नत लिखा है(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.3:– सुन्नत यह है कि दामन की लम्बाई आधी पिन्डली तक हो और आस्तीन की लम्बाई ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों के पोरों तक और चौड़ाई एक बालिश्त हो।(रद्दुल मुहतार) इस ज़माने में बहुत से मुसलमान पाजामा की जगह जांघिया पहनने लगे हैं इस के ना जाइज़ होने में क्या कलाम कि घुटने का खुला होना हराम है और बहुत लोगों के कुर्ते की आस्तीनें कोहनी के ऊपर होती हैं यह भी ख़िलाफ़े सुन्नत है। और यह दोनों कपड़े नसारा की तक़लीद में पहने जाते हैं उस चीज़ ने उन की क़बाहत में इज़ाफ़ा कर दिया। अल्लाह तआला मुसलमानों की आँखें खोले कि वह कुफ़्फ़ार की तक़लीद और उन की वज़अ् क़तअ् से बचें हज़रत अमीरूल मोमेनीन फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद जो अपने लश्करियों के लिये भेजा था जिन में पेश्तर हज़रात सहाबाए किराम थे उस को मुसलमान पेशे नज़र रखें और अमल की कोशिश करें और वह इरशाद यह है अ़जमियों के भेस से बचो उन जैसी वज़अ् क़तअ् न बना लेना।اِيَّاكُمْ وَزِيَّ الْاَعَاجِمِ

मसअ्ला.4:– रेशम के कपड़े मर्द के लिये ह़राम हैं बदन और कपड़ों के दरम्यान कोई दूसरा कपड़ा हाइल हो या न हो दोनों सूरतों में ह़राम हैं और जंग के मौके़ पर पहनना जाइज़ है और अगर ताना रेशम हो और बाना सूत हो तो हर शख़्स के लिये हर मौके़ पर जाइज़ है मुजाहिद और ग़ैर मुजाहिद दोनों पहन सकते हैं। लड़ाई के मौके़ पर ऐसा कपड़ा पहनना जिसका बाना रेशम हो उस वक़्त जाइज़ है जब कि कपड़ा मोटा हो और अगर बारीक हो तो ना'जाइज़ है कि उसका जो फ़ाइदा था उस सूरत में हासिल न होगा।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– ताना रेशम हो और बाना सूत मगर कपड़ा उस त़रह बनाया गया है कि रेशम ही रेशम दिखाई देता है तो उस का पहनना मकरूह है।(आलमगीरी) बाज़ क़िस्म की मख़मल ऐसी होती है कि उस के रूऐं रेशम के होते हैं उसके पहनने का भी यही हुक्म है उस की टोपी और स़दरी वग़ैरा न पहनी जायें।

मसअ्ला.6:– रेशम के बिछौने पर बैठना, लेटना और उस का तकिया लगाना भी ममनूअ़ है अगर्चे पहनने में ब'निस्बत उस के ज़्यादा बुराई है।(आलमगीरी) मगर दुर्रेमुख़्तार में उसे मशहूर के ख़िलाफ़ बताया है और ज़ाहिर यही है कि यह जाइज़ है।

मसअ्ला.7:– टसर कि एक क़िस्म के रेशम का नाम है भागलपुरी कपड़े टसर के कहलाते हैं। वह मोटा रेशम होता है उसका हुक्म भी वही है जो बारीक रेशम का है काशी सिल्क और चाइना सिल्क भी रेशम ही है उस के पहनने का भी वही हुक्म है सन और राम बांस के कपड़े जो ब'ज़ाहिर बिल'कुल रेशम मअ़लूम होते हों उनका पहनना अगर्चे रेशम का पहनना नहीं है मगर उससे बचना चाहिए ख़ुसूसन उलमा को कि लोगों को बदज़नी का मौक़ा मिलेगा या दूसरों को रेशम पहनने का ज़रिआ बनेगा इस ज़माने में कले का रेशम चला है यह रेशम नहीं है बल्कि किसी दरख़्त की छाल से उसको बनाते हैं और यह बहुत ज़ाहिर तौर पर शनाख़्त में आता है उसको पहनने में ह़रज नहीं।

मसअ्ला.8:– रेशम का लिहाफ़ ओढ़ना ना'जाइज़ है कि यह भी लुब्स (पहनने) में दाख़िल है रेशम के पर्दे दरवाज़ों पर लटकाना मकरूह है कपड़े बेचने वाले ने रेशम के कपड़े कंधे पर डाल लिये जैसा कि फेरी करने वाले कंधों पर डाल लिया करते हैं यह ना'जाइज़ नहीं कि यह पहनना नहीं है और अगर जुब्बा या कुर्ता रेशम का हो और उस की आस्तीनों में हाथ डाल लिये अगर्चे बेचने ही के लिये लेजा रहा है यह ममनूअ़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– औ़रतों को रेशम पहनना जाइज़ है अगर्चे ख़ालिस़ रेशम हो उस में सूत की बिलकुल आमेज़िश न हो।(आम्मा कुतुब)

मसअ्ला.10:– मर्दों के कपड़ों में रेशम की गोट चार अंगुल तक की जाइज़ है इस से ज़्यादा ना'जाइज़ यअ़नी उस की चौड़ाई चार अंगुल तक हो लम्बाई का शुमार नहीं उसी त़रह अगर कपड़े का किनारा रेशम से बुना हो जैसा कि बाज़ इमामा या चादरों या तहबन्द के किनारे इस त़रह के होते हैं उस का भी यही हुक्म है कि अगर चार अंगुल तक का किनारा हो तो जाइज़ है वरना ना'जाइज़ (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) यअ़नी जबकि उस किनारे की बनावट भी रेशम की हो और अगर सूत की बनावट हो तो चार अंगुल से ज़्यादा भी जाइज़ है इमामा या चादर के पल्लू रेशम से बुने हों तो चूंकि बाना रेशम का होना ना'जाइज़ है लिहाज़ा यह पल्लू भी चार अंगुल का ही होना चाहिए ज़्यादा न हो।

मसअ्ला.11:– आस्तीन या गिरेबान या दामन के किनारे पर रेशम का काम हो तो वह भी चार अंगुल ही तक हो स़दरी या जुब्बा का साज़ रेशम का हो तो चार अंगुल तक जाइज़ है और रेशम की घुंडियाँ भी जाइज़ हैं टोपी का तुर्रा भी चार अंगुल का जाइज़ है पाजामा का नेफ़ा भी चार अंगुल तक का जाइज़ है अचकन या जुब्बा में शानों और पीठ पर रेशम के पान या केरी चार अंगुल तक के जाइज़ हैं। (रद्दुलमुहतार) यह हुक्म उस वक़्त है कि पान वग़ैरा मुग़र्रक़ (यानी रेशम से बिल'कुल ढका

हुआ) हों कि कपड़ा दिखाई न दे और अगर मुग़र्रक़ न हों तो चार अंगुल से ज़्यादा भी जाइज़ है।

मसअ्ला.12:– रेशम के कपड़े का पैवन्द किसी कपड़े में लगाया अगर यह पैवन्द चार अंगुल तक का हो जाइज़ है और ज़्यादा हो तो ना'जाइज़ रेशम को रूई की त़रह़ कपड़े में भर दिया गया मगर अबरा और अस्तर दोनों सूती हों तो उसका पहनना जाइज़ है और अगर अबरा या अस्तर दोनों में से कोई भी रेशम हो तो ना'जाइज़ है उसी त़रह़ टोपी का अस्तर भी रेशम का ना'जाइज़ है और टोपी में रेशम का किनारा चार अंगुल तक जाइज़ है। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.13:– टोपी में लैस लगाई गई या इमामा में गोटा, लचका लगाया अगर यह चार अंगुल से कम चौड़ा है जाइज़ है वरना नहीं।

मसअ्ला.14:– मुतफ़र्रिक़ जगहों पर रेशम का काम है तो उस को जमअ़ नहीं किया जायेगा यअ़नी अगर एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा नहीं है मगर जमा़ करें तो ज़्यादा हो जायेगा यह ना'जाइज़ नहीं। लिहाज़ा कपड़े की बनावट में जगह जगह रेशम की धारियाँ हों तो जाइज़ है जब कि एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा चौड़ी कोई धारी न हो यही हुक्म नक़्श व निगार का है कि एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा न होना चाहिए और अगर फूल या काम इस त़रह़ बनाया है कि रेशम ही रेशम नज़र आता हो जिस को मुग़र्रक़ (रेशम से ढका हुआ) कहते हैं जिसमें कपड़ा नज़र ही नहीं आता तो उस काम को मुतफ़र्रिक़ नहीं कहा जा सकता उस क़िस्म का रेशम या ज़री का काम टोपी या अचकन या स़दरी या किसी कपड़े पर हो और चार अंगुल से ज़ाइद हो तो ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार) धारियों के लिए अंगुल से ज़्यादा न होना उस वक़्त ज़रूरी है कि बाने में धारियाँ हों और अगर ताने में हों और बाना सूत हो तो चार अंगुल से ज़्यादा होने की सूरत में भी जाइज़ है।

मसअ्ला.15:– कपड़ा इस त़रह़ बुना गया कि एक तागा सूत है और एक रेशम मगर देखने में बिल्कुल रेशम मअ़लूम होता है यअ़नी सूत नज़र नहीं आता यह ना'जाइज़ है।(रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.16:– सोने चाँदी से कपड़ा बुना जाये जैसा कि बनारसी कपड़े में ज़री बुनी जाती है कम'ख़्वाब और पोत में ज़री होती है और उसी बनारसी इमामा के किनारा और दोनों त़रफ़ के हाशिए ज़री के होते हैं उन का यह हुक्म है कि अगर एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा हो तो ना'जाइज़ है वरना जाइज़। मगर कमख़्वाब और पोत में चूंकि ताना, बाना दोनों रेशम होता है। लिहाज़ा ज़री अगर्चे चार उंगल से कम हो जब भी ना'जाइज़ है हाँ अगर सूती कपड़ा होता या ताना रेशम और बाना सूत होता और उस में ज़री बुनी जाती तो चार उंगल तक जाइज़ होता जैसा कि इमामा सूत का होता है और उस में ज़री बुनी जाती है उसका यही हुक्म है कि एक जगह चार उंगल से ज़्यादा ना'जाइज़ है यह हुक्म मर्दों के लिये है औ़रतों के लिए गोटे, लचके अगर्चे कितने ही जड़े हों जाइज़ हैं और मुग़र्रक़ और ग़ैर मुग़र्रक़ का फ़र्क़ भी मर्दों ही के लिये है औ़रतों के लिये मुत़लक़न जाइज़ है। (अल'मुस्तफ़ाद मिन रद्दिलमुह़तार)

मसअ्ला.17:– ज़री की बनावट का जो हुक्म है वही उसके नक़्श व निगार का भी है अब भी ज़री की टोपियाँ बा'ज़ लोग पहनते हैं अगर काम के दरम्यान से कपड़ा नज़र आता हो तो चूंकि एक जगह चार उंगल नहीं है जाइज़ है और मुग़र्रक हो कि बिल'कुल काम लिसा हुआ हो तो चार उंगल से ज़्यादा ना'जाइज़ है उसी त़रह़ कामदानी कि कपड़ा ज़री के काम से छुप गया हो तो चार उंगल से ज़्यादा जब एक जगह हो ना'जाइज़ है वरना जाइज़।

मसअ्ला.18:– कमर की पेटी रेशम की हो तो ना'जाइज़ है और अगर सूती हो उस में रेशम की धारी हो और चार उंगल तक हो तो जाइज़ है। (आ़लमगीरी) कलाबत्तू (चाँदी या सोने के तारों की डोर) की पेटी ना'जाइज़ है बा'ज़ रुऊसा अपने सिपाहियों और चपरासियों की पेटियाँ इस क़िस्म की बनवाते हैं उन को बेचना चाहिए।

मसअ्ला.19:– रेशम की मच्छर'दानी मर्दों के लिये भी जाइज़ है क्योंकि उसका इस्तेअ़माल पहनने

में दाख़िल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– रेशम के कपड़े में तअ्वीज़ सीकर गले में लटकाना या बाज़ू पर बान्धा ना'जाइज़ है कि यह पहनने में दाख़िल है इसी तरह सोने और चाँदी में रख कर पहनना भी ना'जाइज़ है और चाँदी या सोने ही पर तअ्वीज़ ख़ुदा हुआ हो यह बदरजा ऊला ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.21:– रेशम की टोपी अगर्चे इमामा के नीचे हो यह भी ना'जाइज़ है इसी तरह ज़री की टोपी भी ना'जाइज़ है अगर्चे इमामा के नीचे हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) ज़री कुलाह जो अफ़गानी और सरहदी और पंजाबी इमामा के नीचे पहनते हैं और वह मुग़र्रक़ होती है और उसका काम चार उंगल से ज़्यादा होता है यह ना'जाइज़ है हाँ अगर चार उंगल या कम हो तो जाइज़ है।

मसअ्ला.22:– रेशम का कमर'बन्द ममनूअ् है रेशम के डोरे में तस्बीह गूँधी जाये तो उस को गले में डालना मनअ् है इस तरह घड़ी का डोरा रेशम का हो तो उसको गले में डालना या रेशम की चैन काज में डालकर लटकाना भी ममनूअ् है रेशम का डोरा या फ़ीता कलाई पर बांधना भी मनअ् है उन सब में यह नहीं देखा जायेगा कि यह चार उंगल से कम है क्योंकि यह चीज़ पूरी रेशम की है सोने चाँदी की ज़न्जीर घड़ी में लगाकर उसको गले में पहनना या काज में लटकाना या कलाई पर बान्धना मनअ् है। (रद्दुलमुहतार) बल्कि दूसरी धात मस्लन तांबे, पीतल, लोहे वग़ैरा की चैनों का भी यही हुक्म है क्योंकि उन धातों का भी पहनना ना'जाइज़ है और अगर उन चीज़ों को लटकाया नहीं और कलाई पर बाँधा बल्कि जेब में पड़ी रहती है तो ना'जाइज़ नहीं कि उन के पहनने से मुमानअ्त है जब रखना मनअ् नहीं।

मसअ्ला.23:– क़ुर्आन मजीद का जुज़'दान ऐसे कपड़े का बनाया जिस का पहनना ममनूअ् है तो उस में क़ुर्आन मजीद रख सकता है मगर उस में फ़ीता लगाकर गले में डालना ममनूअ् है यअ्नी मुमानअ्त उसी सूरत में है कि जुज़'दान रेशम या ज़री का हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– रेशम की थैली में रूपया रखना मना नहीं हाँ उसको गले में लटकाना मना है(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.25:– रेशम का बटुआ गले में लटकाना मनअ् है और उसमें छालियाँ, तम्बाकू को रखकर उसे जेब में रखना और उसमें से खाना मनअ् नहीं कि उसका पहनना मनअ् है न कि मुतलक़न इस्तेअ्माल और ज़री के बटुए का मुतलक़न इस्तेअ्माल मनअ् है क्योंकि सोने, चाँदी का मुतलक़न इस्तेअ्माल मनअ् है उस में से छालियाँ, तम्बाकू को खाना भी मनअ् है।

मसअ्ला.26:– फ़स्साद फ़स्द लेते वक़्त (यानी फ़स्द खोलने वाला रग से खून निकालते वक़्त) पट्टी बाँधता है ताकि रगें ज़ाहिर होजायें यह पट्टी रेशम की हो तो मर्द को बाँधना ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– रेशम के मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ना हराम नहीं(रद्दुलमुहतार मगर उसपर पढ़ना न चाहिए।

मसअ्ला.28:– मकान को रेशम, चाँदी, सोने से आरास्ता करना मस्लन दीवारों, दरवाज़ों पर रेशम के पर्दे लटकाना और जगह जगह क़रीने से सोने चाँदी के ज़ुरूफ़ व आलात (यानी बर्तन और आलात) रखना जिस से मक़सूद महज़ आराइश व ज़ेबाइश (सजावट) हो तो कराहत है और अगर तकब्बुर व तफ़ाख़ुर से ऐसा करता है तो ना'जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार) ग़ालिबन कराहत की वजह यह होगी कि ऐसी चीज़ें अगर्चे इब्तिदाअन तकब्बुर से न हों मगर बिल'आख़िर उमूमन उनसे तकब्बुर पैदा होजाया करता है।

मसअ्ला.29:– फ़ुक़हा व उलमा को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि वह पहचाने जायें ताकि लोगों को उनसे इस्तिफ़ादा का मौक़ा मिले और इल्म की वक़अ्त लोगों के ज़हन नशीन हो। (रद्दुल'मुहतार) और अगर उसको अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस व इम्तियाज़ मक़सूद हो तो यह मज़मूम है।

मसअ्ला.30:– खाने के वक़्त बाज़ लोग घुटनों पर कपड़ा डाल लेते हैं ताकि अगर शोरबा टपके तो कपड़े ख़राब न हों जो कपड़ा घुटनों पर डाला गया अगर रेशम है तो ना'जाइज़ है। रेशम का रूमाल नाक वग़ैरा पोंछने या वज़ू के बाद हाथ मुँह पोंछने के लिये जाइज़ है यअ्नी जब कि उस से पोंछने का काम ले रूमाल की तरह उसे न रखे और तकब्बुर भी मक़सूद न हो। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.31:– सोने चाँदी के बटन कुर्ते या अचकन में लगाना जाइज़ है जिस तरह रेशम की घुन्डी

जाइज है। (दुर्रेमुख्तार) यअ्नी जब कि बटन बिगैर जंजीर हों और अगर जंजीर वाले बटन हों तो उनका इस्तेअ्माल ना'जाइज है कि यह जंजीर जेवर के हुक्म में है जिसका इस्तेअ्माल मर्द को ना'जाइज है।

मसअ्ला.32:– आशोबे चशम की वजह से मुँह पर स्याह रेशम का निकाब डालना जाइज है कि यह उज़्र की सूरत है। (दुर्रेमुख्तार) इस जमाने में रंगीन चश्मे बिकते हैं जो धूप और रौशनी के मौके पर लगाये जाते हैं ऐसा चश्मा होते हुए रेशम के इस्तेअ्माल की जरूरत नहीं रहती।

मसअ्ला.33:– नाबालिग लडकों को भी रेशम पहनना हराम है और गुनाह पहनाने वाले पर है

मसअ्ला.34:– कुसुम या जअफरान का रंगा हुआ कपडा पहनना मर्द को मनअ् है गहरा रंग हो कि सुर्ख होजाये या हलका हो कि जर्द रहे दोनों का एक हुक्म है। औरतों को यह दोनों किस्म के रंग जाइज हैं उन दोनों रंगों के सिवा बाकी हर किस्म के रंग जर्द, सुर्ख, धानी, बसन्ती, चमपई, नारंगी वगैरहा मर्दों को भी जाइज हैं। अगर्चे बेहतर यह है कि सुर्ख रंग या शोख़ रंग के कपडे मर्द न पहने खुसूसन जिन रंगों में जनाना'पन हो मर्द उसको बिल'कुल न पहने।(दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार) और यह मुमानअत रंग की वजह से नहीं बल्कि औरतों से तशब्बोह होता है इस वजह से मुमानअत है लिहाज़ा अगर यह इल्लत न हो तो मुमानअत भी न होगी मस्लन बाज रंग इस किस्म के हैं कि इमामा रंगा जा सकता है और कुर्ता, पाजामा उसी रंग से रंगा जाये या चादर रंग कर ओढें तो उस मे ज़नाना'पन ज़ाहिर होता है तो इमामा को जाइज़ कहा जायेगा और दूसरे कपडों को मकरूह।

मसअ्ला.35:– जिसके यहाँ मय्यित हुई उसे इजहारे गम में स्याह कपडे पहनना ना'जाइज है। (आलमगीरी) स्याह बेल लगाना भी ना'जाइज़ है कि अव्वलन तो वह सोग की सूरत है दोम यह कि नसारा का यह तरीका है। अय्यामे मुहर्रम में यानी पहली मुहर्रम से बारहवीं तक तीन किस्म के रंग न पहने जायें स्याह कि यह राफ़ज़ियों का तरीका है और सब्ज कि यह मुब्तदेईन यानी ताजिया'दारों का तरीका है और सुर्ख़ कि यह ख़ारिजियों का तरीका है कि वह मआजल्लाह इजहारे मसर्रत के लिये सुर्ख़ पहनते हैं।(आलाहजरत किब्ला कुद्दिस सिर्रुहू)

मसअ्ला.36:– ऊन और बालों के कपडे अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है सबसे पहले सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यह कपड़े पहने हदीस् में है कि ऊन के कपडे पहनकर अपने दिलों को मुनव्वर करो कि यह दुनिया में मुज़ल्लत है और आख़िरत में नूर हैं। (आलमगीरी) और सौफ़ यानी ऊन के कपड़े औलियाए कामिलीन और बुजुर्गाने दीन ने पहने और उन को सूफी कहने की एक वजह यह भी है कि वह सौफ़ यानी ऊन के कपड़े पहनते थे अगर्चे उनके जिस्म पर काली कमली होती मगर दिल मख़्ज़ने अन्वारे इलाही और मअ्दने असरारे ना'मुतनाही होता मगर इस जमाने में ऊन के कपड़े बहुत बेश क़ीमत होते हैं और उनका शुमार लिबासहाए फ़ाख़िरा में होता है यह चीजें फ़ुकरा व ग़ुरबा को कहाँ मिलें। उन्हें तो उमरा व रुऊसा इस्तेअ्माल करते हैं फ़ुकहा और हदीस का मक़सद ग़ालिबन उन बेश क़ीमत ऊनी कपड़ों से पूरा न होगा बल्कि मअ्मूली देसी कम्बल जो कम वक़अत समझे जाते हैं उन के इस्तेअ्माल से वह बात पूरी होगी।

मसअ्ला.37:– पाजामा पहनना सुन्नत है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सित्रे औरत है।(आलमगीरी) उसको सुन्नत बई मअ्ना कहा गया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे पसन्द फ़रमाया और सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने पहना खुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहबन्द पहना करते थे पाजामा पहनना साबित नहीं।

मसअ्ला.38:– मर्द को ऐसा पाजामा पहनना जिसके पाइंचे के अगले हिस्से पुश्ते क़दम पर रहते हों मकरूह है कपड़ों में इस्बाल यानी इतना नीचा कुर्ता, पाजामा, तहबन्द पहनना कि टख़ने छुप जायें ममनूअ् है यह कपडे आधी आधी पिन्डली से लेकर टख़ने तक हों यानी टख़ने न छुपने पायें (आलमगीरी) मगर पाजामा या तहबन्द बहुत ऊँचा पहनना आजकल वहाबियों का तरीक़ा है लिहाज़ा इतना ऊँचा भी न पहने कि देखने वाला वहाबी समझे। इस ज़माने में बाज़ लोगों ने पाजामे बहुत नीचे पहनने

शुरूअ् कर दिये हैं कि टख़ने तो क्या एड़ियाँ छुप जाती हैं ह़दीस् में इस की बहुत सख़्त मुमानअ़त आई है यहाँ तक कि इरशाद फ़रमाया कि "टख़ने से जो नीचा हो वह जहन्नम में है" और बाज़ लोग इतना ऊँचा पहनते हैं कि घुटने भी खुल जाते हैं जिसको नेकर कहते हैं यह नसरानियों से सीखा है ऊँचा पहनते हैं तो घुटने खोल देते हैं और नीचा पहनते हैं तो ऐड़ियाँ छुपा देते हैं इफ़रात़ व तफ़रीत़ से अ़लाह़िदा होकर मसनून त़रीक़ा नहीं इख़्तियार करते। बाज़ लोग चूड़ी'दार पाजामा पहनते हैं उसमें भी टख़ने छुपते हैं और अ़ज़ू की पूरी हैअ़त (जिस्म की पूरी बनावट) नज़र आती है औरतों को बिल'ख़ुसूस चूड़ी'दार पाजामा नहीं पहनना चाहिए औ़रतों के पाजामा ढीले ढाले हों और नीचा हों कि क़दम छुप जायें उनके लिये जहाँ तक पाँवों का ज़्यादा हिस्सा छुपे अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– मोटे कपडे पहनना और पुराना हो जायें तो पैवन्द लगाकर पहनना इस्लामी त़रीक़ा है (आलमगीरी) ह़दीस में फ़रमाया कि जब तक पैवन्द लगाकर पहन न लो कपड़े को पुराना न समझो और बहुत बारीक कपड़े न पहने जिससे बदन की रंगत झलके ख़ुसूसन तहबन्द कि अगर यह बारीक है तो सित्रे औ़रत न हो सकेगा। इस ज़माने में एक यह बला भी पैदा होगई है कि साड़ी का तहबन्द पहनते हैं जिससे बिलकुल सित्रे औ़रत नहीं होता और उसी को पहनकर बाज़ लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं उनकी नमाज़ भी नहीं होती कि सित्रे औ़रत नमाज़ में फ़र्ज़ है बाज़ लोग पाजामा और तहबन्द, धोती, बाँधते हैं धोती बाँधना हिन्दुओं का त़रीक़ा है और उससे सित्रे औ़रत भी नहीं होता चलने में रान का पिछला ह़िस्सा खुल जाता है और नज़र आता है।

मसअ्ला.40:– सद्ल यानी सर या शाने पर कपड़ा डालकर उसके किनारे लटकाये रखना नमाज़ में मकरूह है जिसका बयान गुज़र चुका मगर नमाज़ में न हो तो मकरूह है या नहीं उस में तफ़सील यह है कि अगर कुर्ता, पाजामा या तहबन्द पहने हुए है और चादर को सर या शानों से लटका दिया तो मकरूह नहीं और अगर कुर्ता नहीं पहने हुए है तो सद्ल मकरूह है। (आलमगीरी) पोस्तीन पहनना जाइज़ है बुजुर्गाने दीन उ़लमा व मशाइख़ ने पहनी है जो जानवर ह़लाल नहीं अगर उसको ज़बह़ करलिया हो या उसके चमड़े की दबाग़त करली हो तो उसकी पोस्तीन भी पहनी जा सकती है और उसकी टोपी ओढ़ी जा सकती है मस्लन लोमड़ी की पोस्तीन या सम्मूर की पोस्तीन कि बिल्ली की शक्ल का एक जानवर होता है जिसकी पोस्तीन बनाई जाती है उसी त़रह़ सन्जाब की पोस्तीन यह घूंस (यानी बड़ा चूहा) की शक्ल का जानवर होता है।

मसअ्ला.41:– दरिन्दा जानवर शेर, चीता वग़ैरा की पोस्तीन में भी ह़रज नहीं उस को पहन सकते हैं उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। (आलमगीरी) अगर्चे अफ़ज़ल इससे बचना है ह़दीस् में चीते की खाल पर सवार होने की मुमानअ़त आई है।

मसअ्ला.42:– एक मुँह पोंछने के लिये रूमाल रखना या वज़ू के बाद हाथ मुँह पोंछने के लिये रूमाल रखना जाइज़ है इसी त़रह़ पसीना पोंछने के लिये रूमाल रखना जाइज़ है और अगर ब'राहे तकब्बुर हो तो मनअ् है। (आलमगीरी)

इमामा का बयान

इमामा बाँधना सुन्नत है ख़ुसूसन नमाज़ में कि जो नमाज़ इमामा के साथ पढ़ी जाती है उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है इमामा के मुतअ़ल्लिक़ चन्द ह़दीसें ऊपर ज़िक्र की जाचुकी हैं।

मसअ्ला.1:– इमामा बाँधे तो उसका शिमला पीठ पर दोनों शानों के दरम्यान लटका ले। शिमला कितना होना चाहिए इसमें इख़्तिलाफ़ है ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो कि बैठने में न दबे।(आलमगीरी) बाज़ लोग शिमला बिल'कुल नहीं लटकाते यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है और बाज़ शिमला को ऊपर लाकर इमामा में घुरस देते हैं यह भी न चाहिए ख़ुसूसन ह़ालते नमाज़ में ऐसा है तो नमाज़ मकरूह होगी।

मसअ्ला.2:– इमामा को जब फिर से बाँधना हो तो उसे उतारकर ज़मीन पर फेंक न दे बल्कि जिस त़रह़ लिपटा है उसी त़रह़ उधेढ़ा जाये।(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:— टोपी पहनना खुद हुज़ूर अक्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से स़ाबित है (आलमगीरी) मगर हुज़ूर अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम इमामा भी बाँधते थे यानी इमामा के नीचे टोपी होती और यह फ़रमाया कि हम में और उनमें फ़र्क़ टोपी पर इमामा बाँधना है यअ्नी हम दोनों चीज़ें रखते हैं और वह सिर्फ़ इमामा ही बाँधते हैं उसके नीचे टोपी नहीं रखते चुनाँचे यहाँ के कुफ़्फ़ार भी अगर पगड़ी बाँधते हैं तो उसके नीचे टोपी नहीं पहनते बाज़ ने ह़दीस़ का यह मत़लब बयान किया कि सिर्फ़ टोपी पहनना मुश्रिकीन का त़रीक़ा है मगर यह क़ौल स़ही़ह नहीं क्योंकि मुश्रिकीने अ़रब भी इमामा बाँधा करते थे मिरक़ात शरह मिश्कात में मज़कूर है कि हुज़ूर अक्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का छोटा इमामा सात हाथ का और बड़ा इमामा बारह हाथ का था बस उसी सुन्नत के मुत़ाबिक़ इमामा रखे उस से ज़्यादा बड़ा न रखे बाज़ लोग बहुत बड़े इमामा बांधते हैं ऐसा न करे कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है मारवाड़ के इलाक़े में बहुत से लोग पगड़ियाँ बाँधते हैं जो बहुत कम चौड़ी होती हैं और चालीस पचास गज़ लम्बी होती हैं इस त़रह की पगड़ियाँ मुसलमान न बाँधें।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल :— बुजुर्गाने दीन औलिया व स़ालेहीन के मज़ाराते त़य्यिबा पर ग़िलाफ़ डालना जाइज़ है जब कि यह मक़्सूद हो कि स़ाहिबे मज़ार की वक़्अ़त नज़रे अ़वाम में पैदा हो उनका अदब करें उनके बरकात ह़ासिल करें।(रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.4:— याददाश्त के लिये यानी इस ग़र्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रूमाल या कमर'बन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरह पर डोरा बाँध लेते हैं यह जाइज़ है और बिला वजह डोरा बान्ध लेना मकरूह है।

मसअ्ला.5:— गले में तअ्वीज़ लटकाना जाइज़ है जबकि वह तअ्वीज़ जाइज़ हो यानी आयाते कुर्आनिया या असमा—ए—इलाहिया (अल्लाह के नामों) या अदईय्या (दुआओं) से तअ्वीज़ किया जाये और बाज़ ह़दीसों में जो मुमानअ़त आई है उससे मुराद वह तअ्वीज़ात हैं जो ना'जाइज़ अलफ़ाज़ पर मुश्तमिल हों जो ज़माना—ए—जाहिलयत में किये जाते थे उसी त़रह तअ्वीज़ात और आयात व अह़ादीस़ व अदईय्या को रकाबी में लिखकर मरीज़ को ब'नियते शिफ़ा पिलाना भी जाइज़ हैं। जुनुब व ह़ाइज़ व नुफ़सा भी तअ्वीज़ात को गले में पहन सकते हैं बाज़ू पर बाँध सकते हैं जब कि ग़िलाफ़ में हों। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:— बिछौने या मुस़ल्ला पर कुछ लिखा हुआ हो तो उस को इस्तेअ्माल करना ना'जाइज़ है यह इबारत उसकी बनावट में हो या काढ़ी गई हो या रोशनाई से लिखी हो अगर्चे हुरूफ़ मुफ़रदा(यानी जुदा,जुदा लिखे हुए हुरूफ़)लिखे हों क्योंकि हुरूफ़ मुफ़रदा का भी एह़तिराम है।(रद्दुलमुह़तार) अकस़र दस्तर'ख़्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्तर'ख़्वानों को इस्तेअ्माल में लाना उनपर खाना न चाहिए बाज़ लोगों के तकियों पर अशआ़र लिखे होते हैं उनका भी इस्तेअ्माल न किया जाये।

मसअ्ला.7:— बाज़ काश्तकार अपने खेतों में कपड़ा लपेट कर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं उस से मक़्सूद नज़रे बद से खेतों को बचाना होता हैं क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले इस पर पड़ेगी उसके बाद ज़राअ़त पर पड़ेगी और उस सूरत में ज़राअ़त को नज़र नहीं लगेगी ऐसा करना ना'जाइज़ नहीं क्यों कि नज़र का लगना स़ही़ह है, अह़ादीस से स़ाबित है। उस का इन्कार नहीं किया जा सकता ह़दीस़ में है कि जब अपनी या किसी मुसलमान भाई की चीज़ देखे और पसन्द आये तो बरकत की दुआ़ करे यह कहे। تبارك الله احسن الخالقين اللهم بارك فيه या उर्दू में यह कहदे कि ''अल्लाह बरकत करे'' इस त़रह कहने से नज़र नहीं लगेगी।(रद्दुलमुह़तार)

जूता पहनने का बयान

ह़दीस़ (1) स़ही़ह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि ''जूते ब'कस़रत इस्तेअ्माल करो कि आदमी जब तक जूते पहने हुए है गोया वह सवार है यानी कम थकता है''।

ह़दीस़ (2) स़ही़ह बुख़ारी में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसी नअ़लैन पहने देखा जिनमें बाल न थे।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि हुजूर की नअ़लैन में दो क़िबाल थे यानी उंगलियों के मा'बैन दो तस्मे थे।

हदीस (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब जूता पहने तो पहले दाहिने पाँव में पहने और जब उतारे तो पहले बायें पाँव का उतारे कि दाहिना पहनने में पहले हो और उतारने में पीछे"।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "एक जूता पहनकर न चले दोनों उतार दे या दोनों पहनले"।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जूते का तस्मा लोट जाये तो फ़क़त एक जूता पहनकर न चले बल्कि तस्मा को दुरुस्त करले और एक मोज़ा पहनकर न चले"।

हदीस (7) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदि़यल्लाहु तआला अन्हु से और इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने खड़ा होकर जूता पहनने से मनअ़ फ़रमाया यह हुक्म उन जूतों का है जिसको खड़ा होकर पहनने में दिक़्क़त होती है जिस में तस्मे बाँधने की ज़रूरत होती है उसी त़रह बूट जूता भी बैठ कर पहने कि उस में भी फ़ीता बाँधना पड़ता है और खड़े होकर बाँधने में दूश्वारी होती है और जो इस क़िस्म के न हों जैसे सलीम शाही या पम्प या वह चप्पल जिसमें तस्मा बाँधना नहीं होता उनको खडे होकर पहनने में मुज़ाइक़ा नहीं।

हदीस (8) तिर्मिज़ी ने आयशा रदि़यल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी एक नअ़ल पहनकर भी चले हैं यह बयाने जवाज़ के लिये होगा या दो एक क़दम चलना हुआ होगा मस्लन हुजरे का दरवाज़ा खोलने के लिये।

हदीस (9) अबूदाऊद ने इब्ने अबी मुलैका से रिवायत की कि किसी ने हज़रत आयशा रदि़यल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि एक औरत (मर्दों की तरह) जूते पहनती है। उनहोंने फ़रमाया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्दानी औरतों पर लअ़नत फ़रमाई यानी औरतों को मर्दाना जूता नहीं पहनना चाहिए बल्कि वह तमाम बातें जिनमें मर्दों और औरतों का इम्तियाज़ होता है उनमें हर एक को दूसरे की वज़अ़ इख़्तियार करने से मुमानअ़त है न मर्द औरत की वज़अ़ इख़्तियार करे न औरत मर्द की।

हदीस (10) अबूदाऊद ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने बुरैदा रदि़यल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि किसी ने फ़ज़ाला बिन उ़बैद रदि़यल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि क्या बात है कि आप को परागन्दा सर देखता हूँ उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम को कस्रते इरफ़ाह यानी बने संवरे रहने से मनअ़ फ़रमाते थे उसने कहा क्या बात है कि आप को नंगे पाँव देखता हूँ उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआल अलैहि वसल्लम हम को हुक्म फ़रमाते कि कभी कभी हम नंगे पाँव रहें।

मसअला.1:— बाल के चमड़े की जूतियाँ जाइज़ हैं बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाज़ मरतबा इस क़िस्म की नअ़लैन इस्तेअ़माल फ़रमाई हैं लोहे की कीलों से सिले हुए जूते जाइज़ हैं बल्कि इस ज़माने में ऐसे बहुत जूते बनते हैं जिनकी सिलाई कीलों से होती है।(आलमगीरी)

अंगूठी और ज़ेवर का बयान

हदीस (1) सहीह मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब यह इरादा फ़रमाया कि किसरा व क़ैसर व नजाशी को ख़ुतूत लिखे जायें तो किसी ने यह अ़र्ज़ की कि वह लोग बिग़ैर मुहर के ख़त को क़बूल नहीं करते हुज़ूर ने चाँदी की अंगूठी बनवाई जिसमें यह नक़्श था 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' इमाम बुख़ारी की रिवायत में है

कि अँगूठी का नक़्श तीन सतर में था एक सतर में मुहम्मद दूसरी सतर में रसूल तीसरी में अल्लाह
हदीस् (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई और एक रिवायत में है कि उसको दाहिने हाथ में पहना फिर उसको फेंक दिया और चाँदी की अँगूठी बनवाई जिसमें यह नक़्श था 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' और यह फ़रमाया कि कोई शख़्स मेरी अँगूठी के नक़्श के मुवाफ़िक़ अपनी अंगूठी में नक़्श कन्दा न कराये और हुज़ूर जब अँगूठी पहनते तो नगीना हथेली की तरफ़ होता।
हदीस् (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की अँगूठी चाँदी की थी और उसका नगीना भी था।
हदीस् (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उन्हीं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ में चाँदी की अँगूठी पहनी और उसका नगीना हब्शी साख़्त का था और नगीना हथेली की जानिब रखते।
हदीस् (5) मुस्लिम की रिवायत उन्हीं से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की अँगूठी उस उंगली में थी यअ़नी बायें हाथ की छंगुलियाँ में।
हदीस् (6) सहीह मुस्लिम में हज़रत अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने इसमें या इसमें यानी बीच वाली में या कलिमा की उंगली में अंगूठी पहनने से मुझे मनअ़ फ़रमाया।
हदीस् (7) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह बिन जअ़फ़र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से और अबू दाऊद व निसाई ने हज़रत अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अँगूठी पहनते थे और अबूदाऊद ने इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि बायें हाथ में पहनते थे इन दोनों हदीसों से मअ़लूम होता है कि कभी दाहिने में पहनी और कभी बायें में मगर बैहक़ी ने कहा कि दाहिने हाथ में अँगूठी पहनना मन्सूख़ है।
हदीस् (8) अबूदाऊद व निसाई ने हज़रत अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ में रेशम लिया और बायें हाथ में सोना फिर यह फ़रमाया कि "यह दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं"।
हदीस् (9) सहीह मुस्लिम में हज़रत अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने क़सी (यह एक क़िस्म का रेशमी कपड़ा है) और कुसुम के रंगे हुए कपड़े और सोने की अँगूठी पहनने से और रुकूअ़ में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मनअ़ फ़रमाया।
हदीस् (10) सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स के हाथ में सोने की अँगूठी देखी तो उसको उतारकर फेंकदिया और यह फ़रमाया कि क्या कोई अपने हाथ में अंगारा रखता है। जब हुज़ूर तशरीफ़ लेगये किसी ने उनसे कहा कि अपनी अँगूठी उठालो और किसी काम में लाना उन्होंने कहा ख़ुदा की क़सम मैं उसे कभी न लूँगा जब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम न उसे फेंकदिया।
हदीस् (11) अबूदाऊद व निसाई ने मुआ़विया रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने चीते की खाल पर सवार होने से और सोना पहनने से मुमानअ़त फ़रमाई मगर रेज़ा रेज़ा करके यानी अगर कपड़े में सोने के बारीक बारीक रेज़ा लगाये जायें तो ममनूअ़ नहीं।
हदीस् (12) इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अ़लैहि मोअत्ता में फ़रमाते हैं कि बच्चों को सोना पहनाना बुरा जानता हूँ क्योंकि मुझे यह हदीस् पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सोने की अँगूठी से मुमानअ़त फ़रमाई लिहाज़ा मर्दों के लिये बुरा है छोटे और बड़े दोनों के लिये।
हदीस् (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने बुरैदा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि

एक शख़्स पीतल की अंगूठी पहने हुए थे हुज़ूर ने फ़रमाया क्या बात है कि तुम से बुत की बू आती है उन्होंने वह अंगूठी फेंकदी फिर लोहे की अंगूठी पहनकर आये फ़रमाया क्या बात है कि तुम जहन्नमियों का ज़ेवर पहने हुए हो उसे भी फेंका और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ फ़रमाया चाँदी की बनाओ। और एक मिस्क़ाल पूरा न करो यानी चार माशे से कम की हो। तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि लोहे के बाद सोने की अंगूठी पहनकर आये। हुज़ूर ने फ़रमाया कि "क्या बात है तुम को जन्नतियों का ज़ेवर पहने देखता हूँ" यानी सोना तो अहले जन्नत जन्नत में पहनेंगे।

हदीस् (14) अबूदाऊद व निसाई ने अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम दस चीज़ों को बुरा बताते थे। (1)ज़र्दी यानी मर्द को खलूक़ इस्तेअ़्माल करना (2)सफेद बालों में स्याह ख़िज़ाब करना (3)तहबन्द लटकाना (4)सोने की अंगूठी पहनना (5)बे महल औरत का ज़ीनत को ज़ाहिर करना यानी शौहर और मुहारिम के सिवा दूसरों के सामने इज़हारे ज़ीनत (6)पांसा फेंकना यानी चैसर व शतरंज वग़ैरा खेलना (7)झाड़ फूंक करना मगर मऊ़ज़ात से यानी जिसमें ना'जाइज़ अलफ़ाज़ हों उनसे झाड़ फूंक मनअ़् है। और (8)तअ़्वीज़ बाँधना यानी वह तावीज़ बान्धना जिसमें ख़िलाफ़े शरअ़् अलफ़ज़ हों और (9)पानी को ग़ैर महल में गिराना यानी वती के बाद मनी को बाहर गिराना कि यह आज़ाद औ़रत में बिग़ैर इजाज़त ना'जाइज़ है और यह भी हो सकता है कि उस से मुराद लिवातत हो और (10)बच्चा को फ़ासिद करदेना मगर इस दसवें को हराम नहीं किया यानी बच्चे के दूध पीने के ज़माने में उसकी माँ से वती करना कि अगर वह हामिला होगई तो बच्चा खराब होजायेगा।

हदीस् (15) अबूदाऊद ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि हमारे यहाँ की लौन्डी हज़रत ज़ुबैर की लड़की को हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लाई और उसके पाँव में घुंगरू थे हज़रत उ़मर ने उन्हें काट दिया और फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि हर घुंगरू के साथ शैतान होता है।

हदीस् (16) अबूदाऊद ने रिवायत की कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के पास एक लड़की आई जिसके पाँव में घुंगरू बज रहे थे फ़रमाया कि उसे मेरे पास न लाना जब तक उसके घुंगरू काट न लेना मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में जर्स यानी घंटी या घुंगरू होते हैं उसमें फ़िरिश्ते नहीं आते।

मसअ्ला.17:– मर्द को ज़ेवर पहनना मुतलक़न हराम है सिर्फ़ चाँदी की एक अंगूठी जाइज़ है जो वज़न में एक मिस्क़ाल यानी साढ़े चार माशा से कम हो और सोने की अंगूठी भी हराम है तलवार का हिल्या चाँदी का जाइज़ है यानी उसके नियाम और क़ब्ज़ा या परतले (यानी वह पेटी या चौड़ा तस्मा जिसमें तलवार लटकी रहती है) में चाँदी लगाई जा सकती है ब'शर्ते कि वह चाँदी मौज़अ़् इस्तेअ़्माल (इस्तेअ़्माल की जगह) में न हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– अंगूठी सिर्फ़ चाँदी ही की पहनी जा सकती है दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्त वग़ैरहा इन धातों की अंगूठियाँ मर्द व औ़रत दोनों के लिये ना'जाइज़ हैं फ़र्क़ इतना है कि औ़रत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता हदीस् में है कि एक शख़्स हुज़ूर की ख़िदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाज़िर हुए फ़रमाया क्या बात है कि तुम से बुत की बू आती है उन्होंने वह अंगूठी फेंकदी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाज़िर हुए क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ उन्होंने उसको भी उतार दिया और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ फ़रमाया कि चाँदी की और उस को एक मिस्क़ाल पूरा न करना।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– बाज़ उ़लमा ने यश्ब और अ़क़ीक़ की अंगूठी जाइज़ बताई और बाज़ ने हर किस्म के पत्थर की अंगूठी की इजाज़त दी और बाज़ उस सब की मुमानअ़त करते हैं। लिहाज़ा एहतियात

का तक़ाज़ा यह है कि चाँदी के सिवा हर क़िस्म की अंगूठी से बचा जाये ख़ुसूसन जबकि साहिबे हिदाया जैसा जलीलुल क़द्र का मैलान उन सब के अदमे जवाज़ (यानी ना'जाइज होने) की तरफ़ है।

मसअ्ला.20:– अंगूठी से मुराद हल्क़ा है नगीना नहीं। नगीना हर क़िस्म के पत्थर का हो सकता है अक़ीक़, याक़ूत, ज़ुमुर्रुद, फ़ीरोज़ा वग़ैरहा सब का नगीना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– जब उन चीज़ों की अंगूठियाँ मर्द व औरत दोनों के लिये ना'जाइज़ हैं तो उनका बनाना और बेचना भी ममनूअ् हुआ कि यह ना'जाइज़ काम पर इआनत है। हाँ बैअ् की मुमानअत वैसी नहीं जैसी पहनने की मुमानअत है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– लोहे की अंगूठी पर चाँदी का ख़ौल चढ़ा दिया कि लोहा बिलकुल न दिखाई देता हो उस अंगूठी के पहनने की मुमानअत नहीं।(आलमगीरी) इससे मालूम हुआ कि सोने के ज़ेवरों में जो बहुत लोग अन्दर तांबे या लोहे की सलाख़ रखते हैं और ऊपर से सोने का पत्तर चढ़ा देते हैं उसका पहनना जाइज़ है।

मसअ्ला.23:– अंगूठी के नगीने में सूराख़ करके उसमें सोने की कील डालदेना जाइज़ है।(हिदाया)

मसअ्ला.24:– अंगूठी उन्हीं के लिये मसनून है जिनको मुहर करने की हाजत होती है जैसे सुल्तान व क़ाज़ी और उ़लमा जो फ़तावा पर मुहर करते हैं उनके सिवा दूसरों के लिये जिन को मुहर करने की हाजत न हो मसनून नहीं मगर पहनना जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– मर्द को चाहिए कि अगर अंगूठी पहने तो उसका नगीना हथेली की त़रफ़ रखे और औरतें नगीना हाथ की पुश्त की त़रफ़ रखें कि उनका पहनना ज़ीनत के लिये है और ज़ीनत उसी सूरत में ज़्यादा है कि नगीना बाहर की जानिब रहे।(हिदाया)

मसअ्ला.26:– दाहिने या बायें जिस हाथ में चाहें अंगूठी पहन सकते हैं और छंगुलिया में पहनी जाये।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– अंगूठी पर अपना नाम कन्दा करा सकता है और अल्लाह तआ़ला और हुज़ूर स़ल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का नामे पाक भी कन्दा करा सकता है मगर 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह यानी यह इबारत कन्दा न कराये कि यह हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की अंगुश्तरी पर तीन सत़रों में कन्दा थी पहली सत्र मुहम्मद दूसरी रसूल तीसरी इसमे जलालत और हुज़ूर ने फरमादिया था कि कोई दूसरा शख़्स अपनी अंगूठी पर यह नक़्श कन्दा न कराये। नगीने पर इन्सान या किसी जानवर की तस्वीर कन्दा न कराये।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– अंगूठी वही जाइज़ है जो मर्दों की अंगूठी की त़रह हो यानी एक नगीने की हो और अगर उसमें कई नगीने हों तो अगर्चे वह चाँदी ही की हो मर्द के लिये ना'जाइज़ है।(रद्दुलमुहतार) इसी त़रह मर्दों के लिये एक से ज़्यादा अंगूठी पहनना या छल्ले पहनना भी ना'जाइज़ है कि यह अंगूठी नहीं। औरतें छल्ले पहन सकती हैं।

मसअ्ला.29:– हिलते हुए दांतों को सोने के तार से बन्धवाना जाइज़ है। और अगर किसी की नाक कटगई तो सोने की नाक बनवाकर लगा सकता है उन दोनों स़ूरतों में ज़रूरत की वजह से सोने को जाइज़ कहा गया क्योंकि चाँदी के तार से दांत बांधे जायें या चाँदी की नाक लगाई जाये तो उसमें तअ़फ़्फ़ुन (बदबू) पैदा होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– दांत गिरगया उसी दांत को सोने या चाँदी के तार से बन्धवा सकता है दूसरे शख़्स का दांत अपने मुँह में नहीं लगा सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– लड़कों को सोने चाँदी के ज़ेवर पहनाना ह़राम हैं और जिसने पहनाया वह गुनहगार होगा उसी त़रह बच्चों के हाथ पाँवों में बिला ज़रूरत मेंहदी लगाना ना'जाइज़ है औ़रत ख़ुद अपने हाथ पाँवों में लगा सकती है मगर लड़के को लगायेगी तो गुनहगार होगी।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

बर्तन छुपाने और सोने के वक़्त के आदाब

ह़दीस (1) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब रात की इब्तिदाई तारीकी आजाये या यह फ़रमाया कि "जब शाम होजाये तो बच्चों को समेटलो कि उस वक़्त शयात़ीन मुन्तशिर होते हैं फिर जब एक घड़ी रात चली जाये अब उन्हें छोड़दो और बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़े बन्द करलो कि इस त़रह़ जब दरवाज़ा बन्द किया जाये तो शैत़ान नहीं खोल सकता और बिस्मिल्लाह कहकर मश्कों के दहाने बाँधो और बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तनों को ढांकदो, ढांकों नहीं तो यही करो कि उसपर कोई चीज़ आड़ी करके रखदो और चिराग़ों को बुझादो और सह़ीह़ बुख़ारी की एक रिवायत में है कि बर्तन छुपादो और मश्कों के मुंह बन्द करदो और दरवाज़े भेड़दो और बच्चों को समेटलो शाम के वक़्त क्योंकि उस वक़्त जिन्न मुन्तशिर होते हैं और उचक लेते हैं सोते वक़्त चिराग़ बुझादो कि कभी चूहा बत्ती घसीट लेजाता है और घर जल जाता है मुस्लिम की एक रिवायत में है बर्तन छुपादो और मश्क का मुँह बांधदो और दरवाजे बन्द करदो और चिराग़ बुझादो कि शैत़ान मश्क को नहीं खोलेगा और न दरवाज़ा और बर्तन खोलेगा अगर कुछ न मिले तो बिस्मिल्लाह कहकर एक लकड़ी आड़ी करके रखदे और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि साल में एक रात ऐसी आती है कि उसमें वबा उतरती है जो बर्तन छुपा हुआ नहीं है या मश्क का मुँह बंधा हुआ नहीं है अगर वहाँ से वह वबा गुज़रती है तो उस में उतरती है।

ह़दीस (2) इमाम अह़मद व मुस्लिम व अबूदाऊद ने जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब आफ़ताब डूब जाये तो जब तक इशा की स्याही जाती न रहे अपने चोपायों और बच्चों को न छोड़ो क्योंकि उस वक़्त शयात़ीन मुन्तशिर होते हैं।

ह़दीस (3) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सोते वक़्त अपने घरों में आग मत छोड़ा करो"।

ह़दीस (4) सह़ीह़ बुख़ारी में अबूमूसा अश्अ़री रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि मदीने में एक मकान रात में जल गया हुज़ूर ने फ़रमाया कि यह आग तुम्हारी दुश्मन है जब सोया करो तो बुझा दिया करो।

ह़दीस (5) शरहुस्सुन्ना में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब रात में कुत्ते का भोंकना और गधे की आवाज़ सुनों तो अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत़ानिर्रजीम पढ़ो कि वह उस चीज़ को देखते हैं जिसको तुम नहीं देखते और जब पहचल बन्द होजायें तो घर से कम निकलो कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल रात में अपनी मख़लूक़ात में से जिसको चाहता है ज़मीन पर मुन्तशिर करता है।

बैठने और सोने और चलने के आदाब

क़ुर्आन मजीद में इरशाद है

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

(लुक़्मान ने बेटे से कहा) "किसी से बात करने में अपना रूख़्सारा टेढ़ा न करो और ज़मीन में इतराता न चल बेशक अल्लाह को पसन्द नहीं है कोई इतराने वाला फ़ख़्र करने वाला और म्याना चाल चल और अपनी आवाज़ पस्त कर बेशक सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है"।

और फ़रमाता है

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

"और ज़मीन में इतराता न चल बेशक तू हरगिज़ न तो ज़मीन चीर डालेगा और न तो बलन्दी में पहाड़ों को पहुँचेगा"।

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾

"और रहमान के बन्दे वह हैं जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं जाहिल जब उनसे मुखातबा करते हैं तो कहते हैं सलाम और वह जो अपने रब के लिये सजदा और क़याम में रात गुजारते हैं"।

और फ़रमाता है

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ﴾

"ऐ ईमान वालों जब तुम से कहा जाये मज्लिसों में जगह देदो अल्लाह तुमको जगह देगा और जब कहा जाये उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हो अल्लाह तआला तुम में ईमान वालों और इल्म वालों को दर्जों बलन्द करेगा"।

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐसा न करे कि एक शख़्स दूसरे को उस की जगह से उठाकर खुद बैठ जाये व लेकिन हट जाया करो और जगह कुशादा करदिया करो"। यअ्नी बैठने वालों को यह चाहिए कि आने वाले के लिये सरक जायें और जगह देदें कि वह भी बैठ जायें या यह कि आने वाला किसी को न उठाये बल्कि उनसे कहे कि सरक जाओ मुझे भी जगह देदो। सहीह बुख़ारी में यह भी मज़कूर है कि इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इसे मकरूह जानते थे कि कोई शख़्स अपनी जगह से उठ जाये और यह उसकी जगह पर बैठें। हज़रत इब्ने उमर का यह फ़ेअ्ल कमाले वरअ् से था कि कहीं ऐसा न हो कि उसका जी न चाहता हो और महज़ उनकी ख़ातिर से जगह छोड़दी हो।

हदीस् (2) अबूदाऊद ने सईद अबिल'हसन से रिवायत की कहते हैं कि अबू'बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु हमारे पास एक शहादत में आये एक शख़्स उनके लिये अपनी जगह से उठ गया उन्होंने उस जगह बैठने से इन्कार किया और यह कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस से मनअ् फ़रमाया है और हुज़ूर ने उससे भी मनअ् फ़रमाया है कि कोई शख़्स ऐसे शख़्स के कपड़े से हाथ पोंछे जिसको यह कपड़ा पहनाया नहीं है। इस हदीस् में भी अगर्चे यह नहीं है कि अबू'बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख़्स को उसकी जगह से उठाया हो बल्कि वह शख़्स खुद उठ गया था और ब'ज़ाहिर यह सूरत मुमानअ़त की नहीं मगर यह कमाले एहतियात है कि उन्होंने उस सूरत में भी बैठना गवारा न किया कि अगर्चे उठने को कहा नहीं मगर उठना चूंकि उन्हीं के लिये हुआ लिहाज़ा यह ख़याल किया कि कहीं यह भी उठाने ही के हुक्म में न हो।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स अपनी जगह से उठकर गया फिर आगया तो उस जगह का वही हक़दार है" यानी ज़ल्द आजाये।

हदीस् (4) अबूदाऊद ने अबूदर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बैठते और हम लोग हुज़ूर के पास बैठते और उठकर तशरीफ़ लेजाते मगर वापसी का इरादा होता तो नअ्लैन मुबारक या कोई चीज़ वहाँ छोड़ जाते उस से सहाबा को यह पता चला कि हुज़ूर तशरीफ़ लायेंगे और सब लोग ठहरे रहते।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी को यह हलाल नहीं कि दो शख़्सों के दरम्यान जुदाई करदे (यानी दोनों के दरम्यान में बैठ जाये) मगर उनकी इजाज़त से।

हदीस् (6) बैहकी ने शोअ़बुल ईमान में वासिला इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे उस के लिये हुज़ूर अपनी जगह से सरक गये उसने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह जगह कुशादा मौजूद है। (हुज़ूर को सरकने और तकलीफ़ फ़रमाने की ज़रूरत नहीं) इरशाद फ़रमाया 'मुस्लिम का यह हक़ है कि जब उसका भाई उसे देखे उसके लिये सरक जाये'।

हदीस् (7) रज़ीन ने अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठते दोनों हाथों से एह्तिबा करते। **एह्तिबा** की सूरत यह है कि आदमी सुरीन को ज़मीन पर रखदे और घुटने खड़े करके दोनों हाथों से घेरले और एक हाथ को दूसरे से पकड़ ले इस क़िस्म का बैठना तवाज़ोअ़ और इन्किसार में शुमार होता है।

हदीस् (8) अबूदाऊद ने जाबिर इब्ने समुरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़े फ़ज्र पढ़ लेते चार ज़ानूं बैठे रहते यहाँ तक कि आफ़ताब अच्छी तरह तुलूअ़ होजाता।

हदीस् (9) अबू दाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स साये में हो और साया सिमट गया कुछ साया में होगया कुछ धूप में तो वहाँ से उठ जाये"।

हदीस् (10) अबूदाऊद ने अ़म्र बिन शरीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कहते हैं मैं इस तरह बैठा हुआ था कि बायें हाथ को पीठ के पीछे करलिया और दाहिने हाथ की हथेली की गद्दी लगाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और यह फ़रमाया "क्या तुम उन लोगों की तरह बैठते हो जिसपर ख़ुदा का ग़ज़ब है"।

हदीस् (11) अबूदाऊद ने जाबिर समुरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते तो वहाँ बैठ जाते जहाँ मज्लिस ख़त्म होती यानी मज्लिस के किनारे पर बैठते उसे चीर कर अन्दर नहीं घुसते।

हदीस् (12) तिबरानी ने अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स किसी क़ौम के पास आये और उसकी ख़ुश्नूदी के लिये वह लोग जगह में वुस्अ़त करें तो अल्लाह पर हक़ है कि उनको राज़ी करे"।

हदीस् (13) अबूदाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया चन्द कलिमात हैं कि जो शख़्स मज्लिस से फ़ारिग़ होकर उनको तीन मरतबा कह लेगा अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह मिटा देगा और जो शख़्स मज्लिसे ख़ैर व मज्लिसे ज़िक्र में उनको कहेगा तो अल्लाह तआ़ला उनको उस ख़ैर पर मुहर कर देगा जिस तरह कोई शख़्स अंगूठी से मुहर करता है वह यह हैं।

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ.

हदीस् (14) हाकिम ने मुस्तदरक में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो लोग देर तक किसी जगह बैठें और बिग़ैर ज़िक्रूल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े वहाँ से मुतफ़र्रिक़ होगये उन्होंने नुक़सान किया अगर अल्लाह चाहे अ़ज़ाब दे और चाहे तो बख़्शदे।

हदीस् (15) बज़ार ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब बैठो जूते उतारलो तुम्हारे क़दम आराम पायेंगे।

हदीस् (16) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पाँव पर पाँव रखने से मनअ़ फ़रमाया है जब कि चित लेटा हो।

हदीस् (17) सहीह बुख़ारी व मुस्लिन में इबाद बिन तमीम से रिवायत है वह अपने चचा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को मस्जिद में लेटे हुए मैंने देखा हुज़ूर ने एक पाँव को दूसरे पर रखा था। यह बयाने जवाज़ के लिये है और उस सूरत में कि सित्र खुलने का अन्देशा न हो और पहली हदीस् उस सूरत में है कि सित्र खुलने का अन्देशा हो मस्लन आदमी तहबन्द पहने हो और चित लेट कर एक पाँव खड़ा करके उसपर दूसरे को रखे तो सित्र खुलने का अन्देशा होता है और अगर पाँव फैलाकर एक को दूसरे पर रखे तो इस सूरत में खुलने का अन्देशा नहीं होता।

हदीस् (18) शरह सुन्ना में है कि अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रात में मन्ज़िल में उतरते तो दाहिनी करवट पर लेटते और जब सुबह से कुछ ही पहले उतरते तो दाहिने हाथ को खड़ा करते और उस की हथेली पर सर रख कर लेटते।

हदीस् (19) तिर्मिज़ी ने जाबिर इब्ने समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बायें करवट पर तकिया लगाये हुए देखा।

हदीस् (20) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को पेट के बल लेटे हुए देखा फ़रमाया इस तरह लेटने को अल्लाह पसन्द नहीं करता।

हदीस् (21) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने तुख़्फ़ा ग़फ़्फ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की (यह असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे) कहते हैं सीने की बीमारी की वजह से मैं पेट के बल लेटा हुआ था कि अचानक कोई शख़्स पाँव से मुझे हरकत देता है और यह कहता है कि इस तरह लेटने को अल्लाह तआला मबग़ूज़ रखता है मैंने देखा तो वह रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे।

हदीस् (22) इब्ने माजा ने अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैं पेट के बल लेटा हुआ था रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और पाँव से ठोकर मारी और फ़रमाया ऐ जुन्दुब (यह हज़रत अबूज़र का नाम है) यह जहन्नमियों के लेटने का तरीक़ा है यानी इस तरह काफ़िर लेटते हैं या यह कि जहन्नमी जहन्नम में इस तरह लेटेंगे।

हदीस् (23) अबूदाऊद ने अली इब्ने शैबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स ऐसी छत पर रात में रहे जिस पर रोक नहीं है दीवार या मुन्डेर नहीं है उससे ज़िम्मा बरी है" यानी अगर रात में छत से गिर जाये तो उसका ज़िम्मेदार वह खुद है।

हदीस् (24) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस छत पर सोने से मनअ़ फ़रमाया है जिस पर रोक न हो।

हदीस् (25) अबू'यअ़ला ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स अस्र के बाद सोये और उस की अक़्ल जाती रहे तो वह अपने ही को मलामत करे"।

हदीस् (26) इमाम अहमद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तन्हाई से मनअ़ फ़रमाया यानी उससे कि आदमी तन्हा सोये।

हदीस् (27) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक शख़्स दो चादर ओढ़े हुए इतराकर चल रहा था और घमन्ड में था वह ज़मीन में धंसा दिया गया वह क़ियामत तक धंसता ही जायेगा।

हदीस् (28) अबूदाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्द को दो औरतों के दरम्यान में चलने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस् (29) बैहक़ी ने शोअ़बुल'ईमान में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ज़ब तुम्हारे सामने औरतें आजायें तो उनके दरमियान में न गुज़रे दाहिने या बायें का रास्ता लेलो।

मसअ्ला.1:– क़ैलूला (दोपहर में थोड़ी देर आराम करना) करना जाइज़ बल्कि मुस्तहब है (आलमगीरी) ग़ालिबन यह उन लोगों के लिये होगा जो शब'बेदारी करते हैं रात में नमाज़ें पढ़ते ज़िक्रे इलाही करते हैं या कुतुब बीनी या मुतालअ़ में मशग़ूल रहते हैं कि शब'बेदारी में जो तकान हुआ क़ैलूला से दफ़अ़ होजायेगा।

मसअ्ला.2:– दिन के इब्तिदाई हिस्से में सोना या मग़्रिब व इशा के दरम्यान में सोना मकरूह है

सोने में मुस्तहब यह है कि बा'तहारत सोये और कुछ देर दहनी करवट पर दाहिने हाथ को रूख़सारा के नीचे रखकर क़िब्ला रू सोये फिर उसके बाद बाईं करवट पर और सोते वक़्त क़ब्र में सोने को याद करे कि वहाँ तन्हा सोना होगा सिवा अपने आमाल के कोई साथ न होगा। सोते वक़्त यादे ख़ुदा में मशग़ूल हो तहलील व तस्बीह व तहमीद पढ़े यहाँ तक कि सो जाये कि जिस हालत पर इन्सान होता है उसी पर उठता है जिस हालत पर मरता है क़ियामत के दिन उसी पर उठेगा सोकर सुबह से पहले ही उठ जाये और उठते ही यादे ख़ुदा करे यह पढ़े।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ

तर्जमा:–"तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये जिसने हमें मौत (नींद) के बाद जिन्दगी दी और (क़ियामत के दिन) उसी की तरफ़ उठना है"।

उसी वक़्त उसका पक्का इरादा करे कि परहेज़गारी व तक़वा करेगा किसी को सतायेगा नही आलमगीरी

मसअ्ला.2:– बाद नमाज़े इशा बातें करने की तीन सूरते हैं **अव्वल** इल्मी गुफ़्तगू किसी से मसअ्ला पूछना या उसका जवाब देना या उसकी तहक़ीक़ व तफ़तीश करना उसी क़िस्म की गुफ़्तगू सोने से अफ़ज़ल है **दोम** झूटे क़िस्से कहानी कहना मसख़रा'पन और हँसी, मज़ाक़ की बातें करना यह मकरूह है **सोम** मुवानिसत की बात चीत करना जैसे मियाँ बीवी में या मेहमान से उसके उन्स के लिये कलाम करना यह जाइज़ है इस क़िस्म की बातें करे तो आख़िर में ज़िक्रे इलाही में मशग़ूल हो जाये और तस्बीह व इस्तिग़फ़ार पर कलाम का ख़ातिमा होना चाहिए।

मसअ्ला.3:– दो मर्द बरहना एक ही कपड़े को ओढ़कर लेटें यह नाजाइज़ है अगर्चे बिछौने के एक किनारे पर एक लेटा हुआ हो और दूसरे किनारे पर दूसरा हो इसी तरह दो औरतों का बरहना होकर एक कपड़े को ओढ़कर लेटना भी ना'जाइज़ है। हदीस में उस की मुमानअ़त आई है।

मसअ्ला.4:– जब लड़के और लड़की की उ़म्र दस साल की होजाये तो उनको अलग अलग सुलाना चाहिए यअ्नी लड़का जब इतना बड़ा होजाये अपनी माँ या बहन या किसी औ़रत के साथ न सोये सिर्फ़ अपनी ज़ौजा या बाँदी के साथ सो सकता है बल्कि इस उ़म्र का लड़का इतने बड़े लड़कों या मर्दों के साथ भी न सोये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– मियाँ, बीवी जब एक चार'पाई पर सोयें तो दस बरस के बच्चे को अपने साथ न सुलायें लड़का जब हद्दे शहवत को पहुँच जाये तो वह मर्द के हुक्म में है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– रास्ता छोड़कर किसी की ज़मीन में चलने का हक़ नहीं। और अगर वहाँ रास्ता नहीं है तो चल सकता है। मगर जबकि मालिके ज़मीन मनअ् करे तो अब नहीं चल सकता यह हुक्म एक शख़्स के मुतअल्लिक़ है और जो बहुत से लोग हों तो जब तक मालिक ज़मीन राज़ी न हो नहीं चलना चाहिए। रास्ते में पानी है उसके किनारे किसी की ज़मीन है ऐसी सूरत में उस ज़मीन में चल सकता है। (आलमगीरी) बाज़ मरतबा खेत बोया होता है ज़ाहिर है कि उसमें चलना काश्तकार के नुक़सान का सबब है ऐसी सूरत में हरगिज़ उसमें चलना न चाहिए बल्कि बाज़ मरतबा काश्तकार खेत के किनारे पर जहाँ से चलने का एहतिमाल होता है काँटे रख देते हैं यह साफ़ उसकी दलील है कि उसकी जानिब से चलने की मुमानअ़त है मगर उसपर भी बाज़ लोग तवज्जोह नहीं करते उन को जानना चाहिए कि इस सूरत में चलना मनअ् है।

देखने और छूने का बयाना

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल इरशाद फ़रमाता है।

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰی لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌ بِمَا یَصْنَعُوْنَ ☆ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی جُیُوْبِهِنَّ وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِیْنَ غَیْرِ اُولِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ یَظْهَرُوْا عَلٰی عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْۤا اِلَی اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.﴾

"मुसलमान मर्दों से फ़रमादो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाजत करें यह उनके लिये बहुत सुथरा है बेशक अल्लाह को उनके कामों की ख़बर है और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव न दिखायें मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है और दोपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार ज़ाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटे या शौहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भान्जे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीजें जो अपने हाथ की मिल्क हों या नौकर बशर्ते कि शहवत वाले मर्द न हों या वह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की ख़बर नहीं और ज़मीन पर पाँव न मारें जिससे उनका छुपा हुआ श्रृंगार मअ़लूम होजाये और अल्लाह की तरफ़ तौबा करो ऐ मुसलमानो! सब के सब इस उम्मीद पर कि फ़लाह पाओ"।

और फ़रमाता है।

﴿يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

"ऐ नबी अपनी अज़वाज और साहबज़ादों और मोमिनों की औरतों से फ़रमादो कि अपने ऊपर अपनी ओढ़नियाँ लटकालें इस से वह पहचानी जायेंगी और उनको ईज़ा नहीं दीजायेगी और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"।

और फ़रमाता है।

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"और बूढ़ी ख़ाना नशीन औरतें जिन्हें निकाह की आरज़ू नहीं उनपर कुछ गुनाह नहीं कि अपने बालाई कपड़े उतार रखें जबकि श्रृंगार ज़ाहिर न करें। और उससे बचना उनके लिए बेहतर है अल्लाह सुनता जानता है"।

हदीस (1) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "औरत शैतान की सूरत में आगे आती है और शैतान की सूरत में पीछे जाती है जब किसी ने कोई औरत देखी और वह पसन्द आगई और उसके दिल में कुछ वाक़ेअ़ हो तो अपनी औरत से जिमाअ़ करे उससे वह बात जाती रहेगी जो दिल में पैदा होगई है"।

हदीस (2) दारमी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने किसी औरत को देखा और वह पसन्द आई तो अपनी ज़ौजा के पास चला जाये कि उसके पास भी वैसी ही चीज़ है जो उसके पास है"।

हदीस (3) सहीह मुस्लिम में जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने के मुतअ़ल्लिक दरयाफ़्त किया हुज़ूर ने हुक्म दिया कि अपनी निगाह फेरलो।

हदीस (4) इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व दारमी ने बरीदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से फ़रमाया कि एक नज़र के बाद दूसरी नज़र न करो (यानी अगर अचानक बिलाक़स्द किसी औरत पर नज़र पड़ जाये तो फ़ौरन नज़र हटाले और दोबारा नज़र न करे) कि पहली नज़र जाइज़ है दूसरी नज़र जाइज़ नहीं।

हदीस (5) तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "औरत औरत है यानी छुपाने की चीज़ है जब वह निकलती है तो उसे शैतान झांक कर देखता है" यानी उसे देखना शैतानी काम है।

हदीस (6) इमाम अहमद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मुसलमान किसी औरत की खूबियों की तरफ़ पहली दफ़आ़ नज़र करे यानी बिला क़स्द फिर अपनी आँख मीच ले अल्लाह तआ़ला उसके लिये ऐसी इबादत पैदा करदेगा जिसका मज़ा उसको मिलेगा"।

हदीस (7) बैहक़ी ने हसन बसरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मुझे यह ख़बर पहुँची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "देखने वाले पर और उस पर जिस की तरफ़ नज़र की गई अल्लाह की लअ़नत यानी देखने वाला जब बिलाउ़ज़्र क़स्दन देखे और दूसरा अपने को बिला उ़ज़्र क़स्दन दिखाये।

हदीस् (8) इब्ने माजा ने आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मैंने हुज़ूर की शर्मगाह की तरफ़ कभी नज़र नहीं की।

हदीस् (9) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा ब'रिवायत बहज़ बिन हकीम अन अबीहि अन जद्देही रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपनी औरत यानी सित्र की जगह को महफ़ूज़ रखो मगर बीवी से या उस बाँदी से जिसके तुम मालिक हो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये कि अगर मर्द तन्हाई में हो इरशाद फ़रमाया "अल्लाह तआला से शर्म करना ज़्यादा सज़ावार है"।

हदीस् (10) तिर्मिज़ी ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब मर्द औरत के साथ तन्हाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है"।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिन औरतों के शौहर ग़ाइब हैं उनके पास न जाओ कि शैतान तुम में ख़ून की तरह तैरता है यानी शैतान को बहकाते देर नहीं लगती" हमने अर्ज़ की और हुज़ूर से या रसूलल्लाह फ़रमाया "मुझ से भी मगर अल्लाह ने मेरी उस के मुक़ाबिल में मदद फ़रमाई वह मुसलमान होगया या मैं सलामत रहता हूँ"। हदीस् के लफ़्ज़ में दोनों मअ्ना होसकते हैं।

हदीस् (12) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उक़्बा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वल्लम ने फ़रमाया "औरतों के पास जाने से बचो! एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह देवर के मुतअल्लिक़ क्या हुक्म है फ़रमाया कि देवर मौत है यानी देवर के सामने होना गोया मौत का सामना है यहाँ फ़ितने का ज़्यादा एहतिमाल (शक) है"।

हदीस् (13) तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बरहना होने से बचो क्योंकि तुम्हारे साथ (फ़िरिश्ते) होते हैं जो जुदा नहीं होते मगर सिर्फ़ पाख़ाना के वक़्त और उस वक़्त जब मर्द अपनी औरत के पास जाता है लिहाज़ा उनसे हया करो और उनका इकराम करो"।

हदीस् (14) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने जरहद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क्या तुम्हें मअ्लूम नहीं कि रान औरत है" यानी छुपाने की चीज़ है।

हदीस् (15) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि 'ऐ अली रान को न खोलो और न ज़िन्दा की रान की तरफ़ नज़र करो न मुर्दा की'।

हदीस् (16) सहीह मुस्लिम में अबूसईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "एक मर्द दूसरे मर्द की सित्र की जगह न देखे और न औरत दूसरी औरत की सित्र की जगह देखे और न मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में बरहना सोये और न औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में बरहना सोये"।

हदीस् (17) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि यह और हज़रत मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थीं कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम रदियल्लाहु तआला अन्हु आये हुज़ूर ने उन दोनों से फ़रमाया कि पर्दा करलो कहती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वह नाबीना हैं हमें नहीं देखेंगे। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या तुम दोनों अन्धी हो क्या तुम उन्हें नहीं देखोगी।

हदीस् (18) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐसा न हो कि एक औरत दूसरी औरत के साथ रहे फिर अपने शौहर के साथ उसका हाल बयान करे गोया यह उसे देख रहा है"।

हदीस् (19) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ख़बरदार कोई मर्द सय्यिब औरत के यहाँ रात को न रहे मगर उस सूरत में कि उससे निकाह करने वाला हो या उस का ज़ी'महरम हो"।

हदीस् (20) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में यह अर्ज़ की कि अन्सारिया औरत से निकाह का मेरा इरादा है हुज़ूर ने फ़रमाया "उसे देखलो क्योंकि अन्सार की आँखों में कुछ है" यानी उनकी आँखें कुछ भूरी होती हैं।

हदीस् (21) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व दारमी ने मुग़ीरा इब्ने शोअ्बा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने एक औरत को निकाह का पैग़ाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया कि तुमने उसे देख लिया है अर्ज़ की नहीं फ़रमाया उसे देखलो कि उसकी वजह से तुम दोनों के दरम्यान मुवाफ़क़त होने का पहलू ग़ालिब है।

मसाइले फ़िक़्हिया

इस बाब के मसाइल चार क़िस्म के हैं मर्द का मर्द को देखना, औरत का औरत को देखना, औरत का मर्द को देखना, मर्द का औरत को देखना, मर्द मर्द के हर हिस्सा–ए–बदन की तरफ़ नजर कर सकता है सिवा उन अअ्ज़ा के जिनका सित्र ज़रूरी है वह नाफ़ के नीचे से घुटने के नीचे तक है कि उस हिस्सा–ए–बदन का छुपाना फ़र्ज़ है जिन अअ्ज़ा का छुपाना ज़रूरी है उनको औरत कहते हैं किसी को घुटना खोले हुए देखे तो उसे मनअ् करे और रान खोले हुए देखे तो सख़्ती से मनअ् करे और शर्मगाह खोले हुए हो तो उसे सज़ा दीजायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.1:– बहुत छोटे बच्चे के लिये औरत नहीं उसके बदन के किसी हिस्से का छुपाना फ़र्ज़ नहीं फिर जब कुछ बड़ा होगया तो उसके आगे पीछे का मक़ाम छुपाना ज़रूरी है फिर जब और बड़ा हो जाये दस बरस से ज़्यादा का होजाये तो उसके लिये बालिग़ का सा हुक्म है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– जिस हिस्सा–ए–बदन की तरफ़ नज़र कर सकता है उसको छू भी सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– लड़का जब मुराहिक़ (यानी बालिग़ होने के क़रीब) होजाये और वह ख़ुबसूरत न हो तो नज़र के बारे में उसका वही हुक्म है जो मर्द का है और ख़ुबसूरत हो तो औरत का जो हुक्म है वह उसके लिये है यानी शहवत के साथ उसकी तरफ़ नज़र करना हराम है और शहवत न हो तो उसकी तरफ़ भी नज़र कर सकता है। और उसके साथ तन्हाई भी जाइज़ है। शहवत न होने का मतलब यह है कि उसे यक़ीन हो कि नज़र करने से शहवत न होगी और अगर उसका शुबह भी हो तो हरगिज़ नज़र न करे। बोसे की ख़्वाहिश पैदा होना भी शहवत की हद्द में दाख़िल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– औरत का औरत को देखना उसका वही हुक्म है जो मर्द की तरफ़ नज़र करने का है यानी नाफ़ के नीचे से घुटने तक नहीं देख सकती बाक़ी अअ्ज़ा की तरफ़ नज़र कर सकती है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– औरत सालिहा को यह चाहिए कि अपने को बदकार औरत के देखने से बचाये यानी उसके सामने दोपट्टा वग़ैरा न उतारे क्योंकि वह उसे देखकर मर्दों के सामने उसकी शकल व सूरत का ज़िक्र करेगी मुसलमान औरत को यह भी हलाल नहीं कि काफ़िरा के सामने अपना सित्र खोले (आलमगीरी) घरों में काफ़िरा औरतें आती हैं और बीबियाँ उनके सामने उसी तरह मवाज़ेअ् सत्र खोले हुए होती हैं जिस तरह मुस्लिमा के सामने रहती हैं, उनको इससे इज्तिनाब लाज़िम है अकसर जगह दाईयाँ काफ़िरा होती हैं और वह बच्चा जनाने की ख़िदमत अन्जाम देती हैं अगर मुसलमान दाईयाँ मिल सकें तो काफ़िरा से हरगिज़ यह काम न कराया जाये कि काफ़िरा के सामने उन अअ्ज़ा के खोलने की इजाज़त नहीं।

मसअ्ला.6:– औरत का मर्द अजनबी की तरफ़ नज़र करने का वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ़

नज़र करने का है और यह उस वक़्त है कि औरत को यक़ीन के साथ मालूम हो कि उस की तरफ़ नज़र करने से शहवत नहीं पैदा होगी और अगर उसका शुबह भी हो तो हरगिज़ नज़र न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– औरत मर्द अजनबी के जिस्म को हरगिज़ न छूये जबकि दोनों में से कोई भी जवान हो. उसको शहवत होसकती हो अगर्चे इस बात का दोनों को इत्मिनान हो कि शहवत नहीं पैदा होगी।(आलमगीरी) बाज़ जवान औरतें अपने पीरों के हाथ पाँव दबाती हैं और बाज़ पीर अपनी मुरीदा से हाथ पाँव दबवाते हैं और उनमें अकसर दोनों या एक हद्दे शवहत में होता है ऐसा करना ना'जाइज़ है और दोनों गुनहगार हैं।

मसअ्ला.8:– मर्द का औरत को देखना उसकी कई सूरतें हैं मर्द का अपनी ज़ौजा या बाँदी को देखना, मर्द का अपने मुहारिम की तरफ़ नज़र करना, मर्द का आज़ाद औरत अजनबिया को देखना, मर्द का दूसरे की बाँदी को देखना पहली सूरत का हुक्म यह है कि औरत की एडी से चोटी तक हर अज़्व की तरफ़ नज़र कर सकता है शहवत और बिला शहवत दोनों सूरतों में देख सकता है उसी तरह यह दोनों क़िस्म की औरतें उस मर्द के हर अज़्व को देख सकती हैं हाँ बेहतर यह है कि मकामे मख़्सूस की तरफ़ नज़र न करे क्योंकि उससे निस्यान पैदा होता है नज़र में भी ज़ोअ्फ़ पैदा होता है। उस मसअ्ला में बाँदी से मुराद वह है जिससे वती जाइज़ है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– जिस बाँदी से वती न कर सकता हो मसलन वह मुश्रिका है या मुकातिबा या मुश्रिका या रज़ाअ़त या मुसाहिरत की वजह से उससे वती हराम हो वह अजनबिया के हुक्म में हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– ज़ौजा और उस बाँदी के हर अज़्व को भी छू सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– जिमाअ़ के वक़्त दोनों बिलकुल बरहना भी हो सकते हैं जबकि वह मकान बहुत छोटा दस पाँच हाथ का हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– मियाँ बीवी जब बिछौने पर हों मगर जिमाअ़ में मशगूल न हों उस हालत में उनके मुहारिम वहाँ इजाज़त लेकर आ सकते हैं बिग़ैर इजाज़त नहीं आ सकते इसी तरह ख़ादिम यानी ग़ुलाम और बाँदी भी आसकती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– बाँदी का हाथ पकड़कर मकान के अन्दर लेगया और दरवाज़ा बन्द करलिया और लोगों को मालूम होगया कि वती करने के लिये ऐसा किया है यह मकरूह है यूंही सौत के सामने बीवी से वती करना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– जो औरत उसके मुहारिम में हो उसके सर, सीना, पिन्डली, बाज़ू, कलाई, गर्दन, क़दम की तरफ़ नज़र कर सकता है जबकि दोनों में से किसी की शहवत का अन्देशा न हो मुहारिम के पेट, पीठ और रान की तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ है। (हिदाया) इसी तरह करवट और घुटने की तरफ़ नज़र करना भी ना'जाइज़ है।(रद्दुलमोहतार) कान और गर्दन और शाना और चेहरा की तरफ़ नज़र करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुहारिम से मुराद वह औरतें हैं जिससे हमेशा के लिये निकाह हराम है यह हुरमत नसब से हो या सबब से मसलन रज़ाअ़त या मुसाहिरत अगर ज़िना की वजह से हुरमते मुसाहिरत हो जैसे मुज़्निया के उसूल व फ़ुरूअ़ उनकी तरफ़ नज़र का भी वही हुक्म है। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– मुहारिम के जिन अअ्ज़ा की तरफ़ नज़र कर सकता है उन को छू भी सकता है जबकि दोनों में से किसी की शहवत का अन्देशा न हो। मर्द अपनी वालिदा के पाँव दबा सकता है मगर रान उस वक़्त दबा सकता है जब कपड़े से छुपी हो यानी कपड़े के ऊपर से और बिग़ैर हाइल छूना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– वालिदा के क़दम को बोसा भी दे सकता है हदीस में है "जिसने अपनी वालिदा का पाँव चूमा तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दिया"। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– मुहारिम के साथ सफ़र करना या ख़लवत में उसके साथ होना यानी मकान में दोनों

का तन्हा होना कि कोई दूसरा न हो जाइज़ है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (आलमगीरी)
मसअ्ला.19:– दूसरे की बाँदी की तरफ़ नज़र करने का वही हुक्म है जो मुहारिम का है। मुदब्बरा और मुकातबा का भी यही हुक्म है। (हिदाया)
मसअ्ला.20:– कनीज़ को ख़रीदने का इरादा हो तो उसकी कलाई और बाज़ू और पिन्डली और सीने की तरफ़ नज़र कर सकता है क्योंकि इस हालत में देखने की ज़रूरत है और उसके उन अअ्ज़ा को छू भी सकता है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (हिदाया)
मसअ्ला.21:– अजनबी औरत की तरफ़ नज़र करने का हुक्म यह है कि उसके चेहरे और हथेली की तरफ़ नज़र करना जाइज़ है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है कि कभी उसके मुवाफ़िक़ या मुख़ालिफ़ शहादत देनी होती है या फ़ैसला करना होता है अगर उसे न देखा हो तो क्योंकर गवाही दे सकता है कि उसने ऐसा किया है उसकी तरफ़ देखने में भी वही शर्त है कि शहवत का अन्देशा न हो और यूँ भी ज़रूरत है कि बहुतसी औरतें घर से बाहर आती जाती हैं लिहाज़ा इससे बचना बहुत दुश्वार है बाज़ उलमा ने क़दम की तरफ़ भी नज़र को जाइज़ कहा है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)
मसअ्ला.22:– अजनबी औरत के चेहरे और हथेली को देखना अगर्चे जाइज़ है मगर छूना जाइज़ नहीं अगर्चे शहवत का अन्देशा न हो क्योंकि नज़र के जवाज़ की वजह ज़रूरत और बलवा–ए–आम है छूने की ज़रूरत नहीं लिहाज़ा छूना हराम है इससे मालूम हुआ कि उनसे मुसाफ़ा जाइज़ नहीं इस लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ब'वक़्ते बैअ़त भी औरतों से मुसाफ़ा न फ़रमाते सिर्फ़ ज़बान से बैअ़त लेते हाँ अगर वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो कि महल्ले शहवत न हो तो उससे मुसाफ़ा में हरज नहीं यूँ अगर मर्द बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो कि फ़ितने का अन्देशा ही न हो तो मुसाफ़ा कर सकता है। (हिदाया)
मसअ्ला.23:– बहुत छोटी लड़की जो मुश्तहात न हो उसको देखना भी जाइज़ है और छूना भी जाइज़है। (हिदाया)
मसअ्ला.24:– अजनबिया औरत ने किसी के यहाँ काम काज करने, रोटी पकाने की नौकरी की है उस सूरत में उसकी कलाई की तरफ़ नज़र जाइज़ है कि वह काम काज के लिए आस्तीन चढ़ायेगी कलाईयाँ उसकी खुलेंगी और जब उसके मकान में है तो क्योंकर बच सकेगा उसी तरह उसके दाँतों की तरफ़ नज़र करना भी जाइज़ है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.25:– अजनबिया औरत के चेहरे की तरफ़ अगर्चे नज़र जाइज़ है जबकि शहवत का अन्देशा न हो मगर यह ज़माना फ़ितने का है इस ज़माने में वैसे लोग कहाँ जैसे अगले ज़माना में थे लिहाज़ा इस ज़माने में उसको देखने की मुमानअ़त की जायेगी मगर गवाह व क़ाज़ी के लिये कि ब'वजहे ज़रूरत उनके लिये नज़र करना जाइज़ है और एक सूरत और भी है वह यह कि उस औरत से निकाह करने का इरादा हो तो इस नियत से देखना जाइज़ है कि हदीस् में यह आया कि जिससे निकाह करना चाहते हो उसको देखलो कि यह बक़ाए महब्बत (महब्बत बाक़ी रहने) का ज़रिआ़ होगा। उसी तरह औरत उस मर्द को जिसने उसके पास पैग़ाम भेजा है देख सकती है अगर्चे अन्देशा–ए–शहवत हो मगर देखने में दोनों की यही नियत हो कि हदीस् पर अमल करना चाहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.26:– जिस औरत से निकाह करना चाहता है अगर उस को देखना ना'मुमकिन हो जैसा कि इस ज़माने का रिवाज़ यह है कि अगर किसी ने निकाह का पैग़ाम देदिया तो किसी तरह भी उसे लड़की को नहीं देखने देंगे यानी उससे इतना ज़बर'दस्त पर्दा किया जाता है कि दूसरे से इतना पर्दा नहीं होता इस सूरत में उस शख़्स को यह चाहिए कि किसी औरत को भेजकर दिखवाले और वह आकर उसके सामने सारा हुल्या व नक़्शा वग़ैरा बयान करदे ताकि उसे उसकी शक्ल व सूरत के मुतअ़ल्लिक़ इत्मिनान होजाये। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.27:– जिस औरत से निकाह करना चाहता है उसकी एक लड़की भी है और मालूम हुआ

कि यह लड़की बिलकुल अपनी माँ की शक्ल व सूरत की है उस मक़सद से कि उसकी माँ से निकाह करना है लड़की को देखना जाइज़ नहीं जबकि यह मुश्तहात हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– अजनबिया औरत की तरफ़ नज़र करने में ज़रूरत की एक सूरत यह भी है कि औरत बीमार है उसके इलाज में बाज़ अअ्ज़ा की तरफ़ नज़र करने की ज़रूरत पड़ती है बल्कि उसके जिस्म को छूना पड़ता है मस्लन नब्ज़ देखने में हाथ छूना होता है या पेट में वरम का ख़्याल हो तो टटोल कर देखना होता है या किसी जगह फोड़ा हो तो उसे देखना होता है बल्कि बाज़ मरतबा टटोलना भी पड़ता है इस सूरत में मोज़अ् मर्ज़ (मर्ज़ की जगह) की तरफ़ नज़र करना या उस ज़रूरत से बक़द्रे ज़रूरत उस जगह को छूना जाइज़ है।

यह उस सूरत में है कि कोई औरत इलाज करने वाली न हो वरना चाहिए यह कि औरत को भी इलाज करना सिखाया जाये ताकि ऐसे मवाक़ेअ् पर वह काम करें कि उनके देखने वग़ैरा में इतनी ख़राबी नहीं जो मर्द के देखने वग़ैरा में है अकस्र जगह दाईयाँ होती हैं जो पेट के वरम को देख सकती हैं। जहाँ दाईयाँ दस्तयाब हों मर्द को देखने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती। इलाज की ज़रूरत से नज़र करने में भी यह एहतियात ज़रूरी है कि सिर्फ़ उतना ही हिस्सा–ए–बदन खोला जाये जिसके देखने की ज़रूरत है बाक़ी हिस्सा–ए–बदन को अच्छी तरह छुपा दिया जाये कि उस पर नज़र न पड़े। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.29:– अमल देने (दवा की बत्ती या पिचकारी चढ़ाना) की ज़रूरत हो तो मर्द मर्द के मोज़अ् हुक़्ना (दवा की बत्ती या पिचकारी चढ़ाने की जगह यानी पीछे का मक़ाम) की तरफ़ भी नज़र कर सकता है यह भी ब'वजहे ज़रूरत जाइज़ है और ख़त्ना करने में मोज़अ् ख़त्ना की तरफ़ नज़र करना बल्कि उसका छूना भी जाइज़ है कि यह भी ब'वजहे ज़रूरत है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– औरत को फ़स्द कराने (रग से ख़ून निकलवाने) की ज़रूरत है और कोई औरत ऐसी नहीं है जो अच्छी तरह फ़स्द खोले तो मर्द से फ़स्द कराना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– अजनबिया औरत ने ख़ूब मोटे कपड़े पहन रखे हैं कि बदन की रंगत वग़ैरा नज़र नहीं आती तो उस सूरत में उसकी तरफ़ नज़र करना जाइज़ है कि यहाँ औरत को देखना नहीं हुआ बल्कि उन कपड़ों को देखना हुआ यह उस वक़्त है कि उसके कपड़े चुस्त न हों और अगर चुस्त कपड़े पहने हो कि जिस्म का नक़्शा खिंच जाता हो मस्लन चुस्त पायजामा में पिन्डली औरउनकी पूरी हैअ्त नज़र आती है तो इस सूरत में नज़र करना ना'जाइज़ है उसी तरह बाज़ औरतें बहुत बारीक कपड़े पहनती हैं मस्लन आबे रवाँ (एक क़िस्म का अच्छा और बारीक कपड़ा) या जाली या बारीक मल'मल ही का दो'पट्टा जिससे सर के बाल या बालों की स्याही या गर्दन या कान नज़र आते हैं और बाज़ बारीक तन्ज़ेब या जाली के कुर्ते पहनते हैं कि पेट और पीठ बिल्कुल नज़र आती है इस हालत में नज़र करना हराम है और ऐसे मौक़े पर उनको इस क़िस्म के कपड़े पहनना भी ना'जाइज़। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– ख़स्सी यानी जिसके उन्स्यैन निकाल लिये गये हों या मजबूब जिसका अ़ज़्वे तनासुल काट लिया गया जब उनकी उम्र पन्द्रह साल की हो तो उनके लिये भी अजनबियों की तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ है यही हुक्म ज़न्ख़ों (हिजड़ों) का भी है। (हिदाया)

मसअ्ला.33:– जिस अ़ज़्व की तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ है अगर वह बदन से जुदा होजाये तो अब भी उसकी तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ ही रहेगा। मस्लन पेढ़ू के बाल कि उनको जुदा करने के बाद भी दूसरा शख़्स देख नहीं सकता औरत के सर के बाल या उसके पाँव या कलाई की हड्डी कि उसके मरने के बाद भी अजनबी शख़्स उनको नहीं देख सकता औरत के पाँव के नाख़ुन कि उनको भी अजनबी शख़्स नहीं देख सकता और हाथ के नाख़ुन को देख सकता है। (दुर्रेमुख़्तार) अकस्र देखा गया है कि गुस्ल ख़ाना, पाख़ाना में मुए ज़ेरे नाफ़ मून्ड कर बाज़ लोग छोड़ देते हैं

ऐसा करना दुरूस्त नहीं बल्कि उनको ऐसी जगह डालदें कि किसी की नजर न पडे या जमीन में दफ्न करदें औरतों को भी लाजिम है कि कंघा करने में या सर धोने में जो बाल निकलें उन्हें कहीं छुपादे कि उनपर अजनबी की नज़र न पडे।

मसअ्ला.34:– औरत को दाढी या मूंछ के बाल निकल आयें तो उनका नोचना जाइज बल्कि मुस्तहब है कि कहीं उसके शौहर को उससे नफरत न पैदा हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.35:– अजनबिया औरत के साथ ख़लवत यानी दोनों का एक मकान में तन्हा होना हराम है हां अगर वह बिल कुल बूढी है कि शहवत के काबिल न हो तो ख़लवत हो सकती है औरत को तलाके बाइन देदी तो उसके साथ तन्हा मकान में रहना ना जाइज है और अगर दूसरा मकान न हो तो दोनो के मा बैन पर्दा लगा दिया जाये ताकि दोनों अपने अपने हिस्से में रहें यह उस वक़्त है कि शौहर फ़ासिक न हो और अगर फ़ासिक हो तो ज़रूरी है कि वहाँ कोई ऐसी औरत भी रहे जो शौहर को औरत से रोकने पर कादिर हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.36:– महारिम के साथ खलवत जाइज है यानी दोनों एक मकान में तन्हा हो सकते हैं मगर रजाई बहन और सास के साथ तन्हाई जाइज नहीं जब कि यह जवान हों यही हुक्म औरत की जवान लडकी का है जो दूसरे शौहर से है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मकान में जाने के लिये इजाज़त लेना

अल्लाह अज्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ﴾

ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल न हो जब तक इजाज़त न लेलो और घरवालों पर सलाम न करलो यह तुम्हारे लिये बेहतर है ताकि तुम नसीहत पकड़ो और अगर उन घरों में किसी को न पाओ तो अन्दर न जाओ जब तक तुम्हें इजाज़त न मिले और अगर तुम से कहा जाये कि लौट जाओ तो वापस चले आओ यह तुम्हारे लिये ज्यादा पाकीज़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि ऐसे घरों के अन्दर चले जाओ जिनमें कोई रहता नहीं है और उनमें तुम्हारा सामान है और अल्लाह जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जिसको छुपाते हो।

और फ़रमाता है।

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

ऐ ईमान वालो चाहिए कि तुमसे इज़्न ले वह जिनके तुम मालिक हो (गुलाम) और तुम में अभी जवानी को न पहुँचे तीन वक़्त नमाज सुब्ह से पहले और जब तुम अपने कपडे उतार रखते हो दोपहर को और नमाज इशा के बाद यह तीन वक़्त तुम्हारी शर्म के हैं उन तीन के इलावा कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उन पर, तुम्हारे पास आमद व रफ़्त रखते हैं बाज के पास। यूही अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें बयान करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है जब तुममें के लडके जवानी को पहुँच जायें तो वह भी इज़्न मांगे जैसे उनके अगलों ने इज़्न मांगा यूही अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतें बयान करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है।

हदीस (1) सहीह बुखारी व मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु हमारे पास आये और यह कहा कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे बुलाया था मैंने उनके दरवाजे पर जाकर तीन बार सलाम किया जब जवाब नहीं मिला तो मैं वापस चला आया अब हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि तुम क्यों नहीं आये मैंने कहा कि मैं आया था और दरवाज़े पर तीन बार सलाम किया जब जवाब नहीं मिला तो वापस गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि जब कोई शख़्स तीन बार इजाज़त मांगे और जवाब न मिले तो वापस जाये हज़रत उमर यह फ़रमाते हैं कि गवाह लाओ कि हुज़ूर ने ऐसा फ़रमाया है अबूसईद खुदरी कहते हैं मैंने जाकर गवाही दी।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मैं मकान में गया हुज़ूर को प्याले में दूध मिला और फ़रमाया "अबू हुरैरा असहाबे सुफ़्फ़ा के पास जाओ उन्हें बुला लाओ" (ताकि उन को दूध दिया जाये) मैं उन्हें बुला लाया वह आये और इजाज़त तलब की हुज़ूर ने इजाज़त दी तब वह मकान के अन्दर दाख़िल हुए।

हदीस (3) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स बुलाया जाये और उसी बुलाने वाले के साथ ही आये तो यही (बुलाना) उसके लिये इजाज़त है यानी उस सूरत में इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं है और एक रिवायत में है कि आदमी भेजना ही इजाज़त है यह हुक्म उस वक़्त है कि फ़ौरन आये और क़राइन से मालूम हो कि साहिबे ख़ाना इन्तिज़ार में है मकान में पर्दा होचुका है तो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं और अगर देर में आये तो इजाज़त हासिल करे जैसा कि असहाबे सुफ़्फ़ा ने किया था।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने कलदा बिन हम्बल से रिवायत की कहते हैं कि सफ़वान बिन उमय्या ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भेजा था मैं बिग़ैर सलाम किये और बिग़ैर इजाज़त अन्दर चलागया हुज़ूर ने फ़रमाया "बाहर जाओ और यह कहो अस्सलामुअलैकुम अ'अदख़ुलु क्या अन्दर आ जाऊँ।

हदीस (5) इमाम मालिक ने अ़ता इब्ने यसार से रिवायत की कहते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि क्या मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो उस से भी इजाज़त लूँ हुज़ूर ने फ़रमाया हाँ उन्होंने कहा मैं तो उसके साथ उसी मकान में रहता ही हूँ हुज़ूर ने फ़रमाया इजाज़त लेकर उसके पास जाओ उन्होंने कहा मैं उसकी ख़िदमत करता हूँ यानी बार बार आना जाना होता है फिर इजाज़त की क्या ज़रूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "इजाज़त लेकर जाओ क्या तुम यह पसन्द करते हो कि उसे बरहना देखो" अर्ज़ की नहीं फ़रमाया "इजाज़त हासिल करो"।

हदीस (6) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स इजाज़त तलब करने से पहले सलाम न करे उसे इजाज़त न दो"।

हदीस (7) अबूदाऊद ने अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी के दरवाज़े पर तशरीफ़ लेजाते तो दरवाज़े के सामने नहीं खड़े होत थे बल्कि दाहिने या बायें हटकर खड़े होते और यह फ़रमाते "अस्सलामु अ़लैकुम, अस्सलामुअ़लैकुम" और इसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में दरवाज़ों पर पर्दे नहीं होते थे।

हदीस (8) तिर्मिज़ी ने सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "किसी शख़्स को यह हलाल नहीं कि दूसरे के घर में बिग़ैर इजाज़त हासिल किये नज़र करे और अगर नज़र करली तो दाख़िल ही हो गाया और यह न करे कि कि किसी क़ौम की इमामत करे और ख़ास अपने लिये दुआ करे, उनके लिये न करे और ऐसा किया तो उन की ख़्यानत की"।

हदीस (9) इमाम अहमद व नसाई ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो किसी घर में बिग़ैर इजाज़त लिये झांके और उन्होंने उसकी आँख फोड़ दी तो न दियत है न क़िसास में"। (यानी आँख फोड़ने के एवज़ न माल दिया जायेगा न आँख फोड़ी जायेगी)

हदीस (10) तिर्मिज़ी ने अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने इजाज़त से पहले पर्दा हटाकर मकान के अन्दर

नज़र की उसने ऐसा काम किया जो उसके लिये हलाल न था और अगर किसी ने उसकी आँख फोड़दी तो उसपर कुछ नहीं और अगर कोइ शख़्स ऐसे दरवाज़े पर गया जिस पर पर्दा नहीं और उसकी नज़र घर वाले की औरत पर पड़गई (यानी बिग़ैर इरादा) तो उसकी ख़ता नहीं ख़ता घरवालों की है"। (कि उन्होंने दरवाज़े पर पर्दा क्यों नहीं लटकया)

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– जब कोई शख़्स दूसरे के मकान पर जाये तो पहले अन्दर आने की इजाज़त हासिल करे फिर जब अन्दर जाये तो पहले सलाम करे उसके बाद बात'चीत शरूअ् करे और अगर जिसके पास गया है वह बाहर है तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं सलाम करे उसके बाद कलाम शुरूअ् करे।

मसअ्ला.2:– किसी के दरवाज़े पर जाकर आवाज़ दी उसने कहा कौन तो उसके जवाब में यह न कह कि 'मैं' जैसाकि बहुत से लोग मैं कहकर जवाब देते हैं इस जवाब को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने ना'पसन्द फ़रमाया बल्कि जवाब में अपना नाम ज़िक्र करे क्योंकि मैं का लफ़्ज़ तो हर शख़्स अपने को कह सकता है यह जवाब ही कब हुआ।

मसअ्ला.3:– अगर तुमने इजाज़त मांगी और साहिबे ख़ाना ने इजाज़त न दी तो उससे नाराज़ न हो अपने दिल में कदूरत (नाराज़गी) न लाओ ख़ुशी ख़ुशी वहाँ से वापस आओ हो सकता है उसको इस वक़्त तुमसे मिलने की फ़ुर्सत न हो किसी ज़रूरी काम में मशग़ूल हो।

मसअ्ला.4:– अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई न हो तो यह कहो अस्सलामु अ़लैना व अ़ला इबादिल्लाहिस्सालेहीन फ़िरिश्ते इस सलाम का जवाब देंगे।(रद्दुलमुहतार) या इस तरह कहे अस्सलामुअ़लै'क अय्युहन्नबियु क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की रूह मुबारक मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ फ़रमा है।

मसअ्ला.5:– आने वाले ने सलाम नहीं किया और बात'चीत शुरूअ् करदी तो उसे इख़्तियार है कि इसकी बात का जवाब न दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिस ने सलाम से पहले कलाम किया उसकी बात का जवाब न दो"। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– आने के वक़्त भी सलाम करे और जाते वक़्त भी यहाँ तक कि दोनों के दरम्यान में अगर दीवार या दरख़्त हाइल होजाये जब भी सलाम करे। (रद्दुलमुहतार)

सलाम का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

﴿وَ اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَسِيْبًا﴾

"जब तुमको कोई किसी लफ़्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ़्ज़ जवाब में कहो या वही कहदो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है"

और फ़रमाता है

﴿فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً﴾

"जब तुम घरों में जाओ तो अपनों को सलाम करो अल्लाह की तरफ़ से तहिय्यत है मुबारक पाकीज़ा"।

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सल्लाम को उनकी सूरत पर पैदा फ़रमाया उनका क़द साठ हाथ का था जब पैदा किया यह फ़रमाया कि उन फ़िरिश्तों के पास जाओ और सलाम करो और सुनो कि वह तुम्हें क्या जवाब देते हैं। जो कुछ वह तहिय्यत करें वही तुम्हारी और तुम्हारी ज़ुर्रियत की तहिय्यत है हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने उनके पास जाकर अस्सलामुअ़लैकुम कहा उन्होंने जवाब में कहा अस्सलामुअ़लै'क व'रह़महतुल्लाह हुज़ूर ने फ़रमाया कि जवाब में मलाइका ने व रहमतुल्लाह ज़्यादा कहा हुज़ूर ने फ़रमाया जो शख़्स जन्नत में जायेगा वह आदम अ़लैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और साठ हाथ लम्बा होगा आदम अ़लैहिस्सलाम के बाद लोगों की ख़लक़त कम होती गई यहाँ तक कि अब। (बहुत छोटे क़द का इन्सान होता है)

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि इस्लाम की कौनसी चीज़ सब से अच्छी है हुज़ूर ने फ़रमाया "खाना खिलाओ और जिसको पहचानते हो और नहीं पहचानते सब को सलाम करो"।

हदीस (3) निसाई ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायात की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर छः हक़ हैं (1)जब वह बीमार हो तो अ़यादत करे और (2)जब वह मरजाये तो उसके जनाज़े में हाज़िर हो और (3)जब वह बुलाये तो इजाबत करे यानी हाज़िर हो और (4)जब उससे मिले तो सलाम करे और (5)जब छींके तो जवाब दे और (6)हाज़िर व ग़ाइब उसकी ख़ैर ख़्वाही करे।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व दारमी ने ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुस्लिम पर छः हुक़ूक़ हैं मअ़रूफ़ के साथ जब उनसे मिले तो सलाम करे और जब वह बुलाये इजाबत करे और जब छींके यह जवाब दे और जब बीमार हो अ़यादत करे और जब वह मरजाये उसके जनाज़े के साथ जाये और जो चीज़ अपने लिये पसन्द करे, उसके लिये पसन्द करे।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जन्नत में तुम नहीं जाओगे जब तक ईमान न लाओ और तुम मोमिन नहीं होगे जब तक आपस में मह़ब्बत न करो क्या तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊँ कि जब तुम उसे करो तो आपस में मह़ब्बत करने लगोगे वह यह है कि आपस में सलाम को फैलाओ"

हदीस (6) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स पहले सलाम करे वह रह़मते इलाही का ज़्यादा मुस्तह़क़ है।

हदीस (7) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो पहले सलाम करता है वह तकब्बुर से बरी है।

हदीस (8) अबू दाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स अपने भाई से मिले तो उसे सलाम करे फिर उन दोनों के दरमियान दरख़्त या दीवार या पत्थर ह़ाइल होजाये और फिर मुलाक़ात हो तो फिर सलाम करे।

हदीस (9) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बेटे जब घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो तुम पर और तुम्हारे घरवालों पर उसकी बरकत होगी"।

हदीस (10) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सलाम बात चीत करने से पहले है"।

हदीस (11) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सलाम को कलाम से पहले होना चाहिए और किसी को खाने के लिये न बुलाओ जब तक वह सलाम न करले"।

हदीस (12) इब्नुन्नज्जार ने ह़ज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सवाल से पहले सलाम है जो शख़्स सलाम से पहले सवाल करे उसे जवाब न दो"।

हदीस (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब किसी मज्लिस तक कोई पहुँचे तो सलाम करे

फिर अगर वहाँ बैठना हो तो बैठ जाये फिर जब वहाँ से उठे सलाम करे क्योंकि पहली मरतबा का सलाम पिछली मरतबा के सलाम से ज़्यादा बेहतर नहीं है यानी जैसे वह सुन्नत है यह भी सुन्नत है।

हदीस (14) इमाम मालिक व बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में तुफ़ैल बिन उबयी बिन कअ़ब से रिवायत की कि वह सुबह को इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास जाते तो वह उनको अपने साथ बाज़ार लेजाते वह घटिया चीज़ों के बेचने वाले और किसी बेचने वाले और मिस्कीन या किसी के सामने से गुजरते सब को सलाम करते तुफ़ैल कहते हैं कि एक दिन मैं अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास आया उन्होंने बाज़ार चलने को कहा मैंने कहा आप बाज़ार जाकर क्या करेंगे न तो आप वहाँ खड़े होते हैं न सौदे के मुतअ़ल्लिक़ कुछ दरयाफ़्त करते हैं न किसी चीज का नर्ख़ चुकाते हैं और न बाज़ार की मज्लिसों मैं बैठते हैं। यहीं बैठे बातें कीजिये यानी हदीसें सुनाईये उन्होंने फरमाया हम सलाम करने के लिये बाज़ार जाते हैं जो मिलेगा उसे सलाम करेंगे।

हदीस (15) इमाम अह़मद व बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक दिन नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स़ हाज़िर हुआ और यह अ़र्ज़ की कि फुलाँ शख़्स़ के मेरे बाग़ में कुछ फल हैं उनकी वजह से मुझे तकलीफ़ है हुज़ूर ने आदमी भेजकर उसे बुलाया और यह फ़रमाया कि अपने फलों को बेच डालो उसने कहा नहीं बेचूँगा हुज़ूर ने फ़रमाया हिबा करदो उसने कहा नहीं। हुज़ूर ने फ़रमाया "उसको जन्नत के फल के एवज़ बेचदो उसने कहा नहीं हुज़ूर ने फ़रमाया "तुझ से बढ़कर बख़ील मैंने नहीं देखा मगर वह शख़्स़ जो सलाम करने में बुख़्ल करता है"।

हदीस (16) बैहकी ने ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की फ़रमाया जमाअ़त कहीं से गुज़री और उसमें एक ने सलाम कर लिया यह काफ़ी है और जो लोग बैठे हैं उन में से एक ने जवाब देदिया यह काफ़ी है" यानी सब पर जवाब देना ज़रूरी नहीं।

हदीस (17) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सवार पैदल को सलाम करे, और चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करें" यानी एक त़रफ़ ज़्यादा हों और दूसरी त़रफ़ कम तो सलाम वह लोग करें जो कम हैं बुख़ारी की दूसरी रिवायत उन्हीं से यह है कि छोटा बड़े को सलाम करे और गुज़रने वाला बैठे हुए को और थोड़े ज़्यादा को।

हदीस (18) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बच्चों के सामने से गुज़रे और बच्चों को सलाम किया।

हदीस (19) सहीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यहूद व नसारा को इब्तिदाअ़न सलाम न करो और जब तुम उनसे रास्ते में मिलो तो उनको तंग रास्ते की त़रफ़ मुज़्तर करो।

हदीस (20) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक मज्लिस पर गुज़रे जिसमें मुसलमान और मुश्रिकीन, बुंत परस्त और यहूद सब ही थे हुज़ूर ने सलाम किया यानी मुसलमान की नियत से।

हदीस (21) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब यहूद तुम को सलाम करते हैं तो यह कहते हैं 'अस्सामुअ़लैका' तो तुम उसके जवाब में व'अ़लैका कहो" यानी व अ़लैकस्सलाम न कहो। साम के मअ़्ना मौत हैं वह लोग ह़क़ीक़तन सलाम नहीं करते बल्कि मुस्लिम के जल्द मरजाने की दुआ़ करते हैं उसी की मिस्ल अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी है कि "अहले किताब सलाम करें तो उनके जवाब में व अ़लैकुम कहदो"।

हदीस (22) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़नहु से मरवी कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रास्तों में बैठने से बचो लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हमें रास्ते में बैठने से चारा नहीं हम वहाँ आपस में बात चीत करते हैं फ़रमाया जब तुम नहीं मानते और बैठना ही चाहते हो तो रास्ते का हक़ अदा करो लोगों ने अ़र्ज़ की रास्ते का हक़ क्या है फ़रमाया नज़र नीची रखना और अज़ियत को दूर करना और सलाम का जवाब देना और अच्छी बात का हुक्म करना और बुरी बातों से मनअ़ करना।

दूसरी रिवायत में है और रास्ता बताना। एक और रिवायत में है फ़रयाद करने वाले की फ़रयाद सुनना और भूले हुए को हिदायत करना।

हदीस (23) शरह सुन्ना में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रास्तों के बैठने में भलाई नहीं है मगर उसके लिये जो रास्ता बताये और सलाम का जवाब दे और नज़र नीची रखे और बोझ लादने पर मदद करे।

हदीस (24) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और अस्सलामु अ़लैकुम कहा हुज़ूर ने उसे जवाब दिया वह बैठ गया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया इसके लिये दस, यानी दस नेकियाँ हैं फिर दूसरा आया और अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाह कहा हुज़ूर ने जवाब दिया और यह भी बैठ गया हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिये बीस, फिर तीसरा शख़्स आया और अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा उसको जवाब दिया और यह भी बैठ गया हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिये तीस और मआ़ज़ इब्ने अनस की रिवायत में है कि फिर एक शख़्स आया उसने कहा अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिये चालीस और फ़ज़ाइल इसी तरह होते हैं यानी जितना काम ज़्यादा होगा स़वाब भी बढ़ता जायेगा।

हदीस (25) तिर्मिज़ी में ब रिवायत उ़मर बिन शुऐब अ़न अबीहि अ़न जद्देही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स हमारे ग़ैर के साथ तशब्बोह करे वह हममें से नहीं यहूद व नसा़रा के साथ तशब्बोह न करो यहूदियों का सलाम उंगलियों के इशारे से है और नसा़रा का सलाम हथेलियों के इशारे से है।

हदीस (26) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने अबू जुरैय रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की-कहते हैं मैंने हुज़ूर की ख़िदमत में हा़ज़िर होकर यह कहा अ़लैकस्सलामु या रसूलल्लाह मैंने दो मरतबा कहा हुज़ूर ने फ़रमाया अ़लैकस्सलामु न कहो अ़लैकस्सलाम मुर्दों की तहिय्यत है अस्सलामु अ़लैका कहा करो।

मसाइले फ़िक़्हिया

सलाम करने में यह नियत हो कि उसकी इ़ज़्ज़त व आबरू और माल सब कुछ उसकी हिफ़ाज़त में है उन चीज़ों से तआ़रुज़ करना ह़राम है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– सिर्फ़ उसी को सलाम न करे जिसको पहचानता हो बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे चाहे पहचानता हो या न पहचानता हो बल्कि बाज़ स़हाबा किराम इसी इरादे से बाज़ार जाते थे कि कस़रत से लोग मिलेंगे और ज़्यादा सलाम करने का मौक़ा मिलेगा।

मसअ्ला.2:– इसमें इख़्तिलाफ़ है कि अफ़ज़ल क्या है सलाम करना या जवाब देना किसी ने कहा जवाब देना अफ़ज़ल है क्योंकि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। बाज़ ने कहा कि सलाम करना अफ़ज़ल है कि उसमें तवाज़ोअ़ है जवाब तो सभी देदेते हैं। मगर सलाम करने में बाज़ मरतबा लोग कसरे शान समझते हैं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स को सलाम करे तो उसके लिये भी लफ़्ज़ जमअ़ होना चाहिए यानी अस्सलामु अ़लैकुम कहे और जवाब देने वाला भी व अ़लैकुमुस्सलाम कहे बजाये अ़लैकुम, अ़लैका न कहे और दो या दो से ज़्यादा को सलाम करे जब भी अ़लैकुम कहे और बेहतर यह है कि सलाम में रहमत व बरकत का भी ज़िक्र करे यानी अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे और

जवाब देने वाला भी वही कहे बरकातुहू सलाम का ख़ात्मा होता है इसके बाद और अल्फ़ाज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– जवाब में 'वाव' होना यानी व'अ़लैकुमुस्सलाम कहना बेहतर है और अगर सिर्फ़ अ़लैकुमुस्सलाम बिग़ैर 'वाव' कहा यह भी होसकता है और अगर जवाब में उसने भी वही अस्सलामु अ़लैकुम कहदिया तो उससे भी जवाब होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– अगर्चे सलामुन अ़लैकुम भी सलाम है मगर यह लफ़्ज़ शियों में इस तरह जारी है कि उसके कहने से सुनने वाले का ज़हन फ़ौरन उसकी तरफ़ मुन्तक़िल होता है कि यह शख़्स शीई (शिया) है। लिहाज़ा उससे बचना ज़रूरी है।

मसअ्ला.6:– सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है बिला उज़्र ताख़ीर की तो गुनहगार हुआ और यह गुनाह जवाब देने से दफ़अ् न होगा बल्कि तौबा करनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– जिन लोगों को उसने सलाम किया उनमें से किसी ने जवाब न दिया बल्कि किसी और ने जो उससे ख़ारिज था जवाब दिया तो यह जवाब अहले मज्लिस की तरफ़ से नहीं हुआ। यानी वह लोग बरियुज़्ज़िम्मा न हुए। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.8:– एक जमाअ़त दूसरी जमाअ़त के पास आई और किसी ने सलाम न किया तो सबने सुन्नत को तर्क किया सब पर इलज़ाम है (यानी सब गुनाहगार होंगे) और अगर उनमें से एक ने सलाम करलिया तो सब बरी होगये और अफ़ज़ल यह है कि सब ही सलाम करें यूहीं अगर उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो सब गुनहगार हुए और अगर एक ने जवाब देदिया तो सब बरी होगये और अफ़ज़ल यह है कि सब जवाब दें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स मज्लिस में आया और उसने सलाम किया अहले मज्लिस पर जवाब देना वाजिब है और दोबारा फिर सलाम किया तो जवाब देना वाजिब नहीं मज्लिस में आकर किसी ने अस्सलामु अ़लैका कहा यानी सेग़ाए वाहिद बोला और किसी एक शख़्स ने जवाब देदिया तो जवाब होगया ख़ास उसको जवाब देना वाजिब नहीं जिसकी तरफ़ उसने इशारा किया है हाँ अगर उसने किसी शख़्स का नाम लेकर सलाम किया कि फुलाँ साहब अस्सलामुअ़लैका तो ख़ास उस शख़्स को जवाब देना होगा। दूसरे का जवाब उसके जवाब के क़ाइम मक़ाम नहीं होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.10:– अहले मज्लिस पर सलाम किया उनमें से किसी ना'बालिग़, आ़क़िल ने जवाब देदिया तो यह जवाब काफ़ी है और बुढ़िया ने जवाब दिया यह जवाब भी होगया जवान औ़रत या मजनून या ना'समझ बच्चे ने जवाब दिया यह ना'काफ़ी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– साइल ने दरवाज़े पर आकर सलाम किया उसका जवाब देना वाजिब नहीं कचहरी में क़ाज़ी जब इजलास कर रहा हो उसको सलाम किया गया क़ाज़ी पर जवाब देना वाजिब नहीं लोग खाना खा रहे हों उस वक़्त कोई आया तो सलाम न करे हाँ अगर यह भूका है और जानता है कि उसे वह लोग खाने में शरीक करलेंगे तो सलाम कर ले। (ख़ानिया बज़ाज़िया) यह उस वक़्त है कि खाने वाले के मुँह में लुक़्मा है वह चबा रहा है कि उस वक़्त वह जवाब देने से आ़जिज़ है और अभी खाने के लिये बैठा ही है या खाचुका है तो सलाम कर सकता कि अब वह आ़जिज़ नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स शहर से आरहा है दूसरा देहात से दोनों में कौन सलाम करे बाज़ ने कहा शहरी देहाती को सलाम करे और बाज़ उ़लमा फ़रमाते हैं देहाती शहरी को सलाम करे एक शख़्स, बैठा हुआ है दूसरा यहाँ से गुज़रा तो यह गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और छोटा बड़े को सलाम करे, और सवार पैदल को सलाम करे और थोड़े ज़्यादा को सलाम करें। एक शख़्स पीछे से आया यह आगे वाले को सलाम करे। (बज़ाज़िया, आ़लमगीरी)

मसअ्ला.13:– मर्द और औ़रत की मुलाक़ात हो तो मर्द औ़रत को सलाम करे और अगर औ़रत अजनबिया ने मर्द को सलाम किया और वह बूढ़ी हो तो इस तरह जवाब दे कि वह भी सुने और

वह जवान हो तो उस तरह जवाब दे कि वह न सुने। (ख़ानिया)

मसअ्ला.14:– जब अपने घर में जाये तो घर वालों को सलाम करे बच्चों के सामने गुज़रे तो उन बच्चों को सलाम करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– कुफ़्फ़ार को सलाम न करे और वह सलाम करें तो जवाब दे सकता है मगर जवाब में सिर्फ़ अ़लैकुम कहे। अगर ऐसी जगह गुज़रना हो जहाँ मुस्लिम व काफ़िर दोनों हों तो अस्सलामु अ़लैकुम कहे और मुसलमानों पर सलाम का इरादा करे और यह भी हो सकता है कि अस्सलामु अ़ला मनित्तबअ़ल'हुदा कहे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– काफ़िर को अगर ह़ाजत की वजह से सलाम किया मस्लन सलाम न करने में उससे अंदेशा है तो हरज नहीं और ब'क़स्दे तअ्ज़ीम (ताज़ीम के इरादे से) काफ़िर को हरगिज़, हरगिज़ सलाम न करे कि काफ़िर की तअ्ज़ीम कुफ़्र है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– सलाम इस लिये है कि मुलाक़ात करने को जो शख़्स आये वह सलाम करे कि ज़ाइर और मुलाक़ात करने वाले की यह तहिय्यत है लिहाज़ा जो शख़्स मस्जिद में आया और हाज़िरीने मस्जिद तिलावते कुर्आन व तस्बीह व दुरूद में मशग़ूल हैं या इन्तिज़ारे नमाज़ में बैठे हैं तो सलाम न करे कि यह सलाम का वक़्त नहीं इसी वास्ते फ़ुक़हा यह फ़रमाते हैं कि उनको इख़्तियार है कि जवाब दें या न दें हाँ अगर कोई शख़्स मस्जिद में इस लिये बैठा है कि लोग उसके पास मुलाक़ात को आयें तो आने वाले सलाम करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– कोई शख़्स तिलावत में मशग़ूल है या दर्स व तदरीस या इल्मी गुफ़्तगू या सबक़ की तकरार में है तो उसको सलाम न करे उसी तरह आज़ान व इक़ामत व ख़ुत्बए जुमआ़ व ईदैन के वक़्त सलाम न करे सब लोग इल्मी गुफ़्तगु कर रहे हों या एक शख़्स बोल रहा है बाक़ी सुन रहे हों दोनों सूरतों में सलाम न करे मस्लन आ़लिम वअ्ज़ कह रहा है या दीनी मसअ्ला पर तक़रीर कर रहा है और हाज़ेरीन सुन रहे हैं आने वाला शख़्स चुपके से आकर बैठ जाये सलाम न करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– आ़लिमे दीन तअ्लीमे इल्मे दीन में मशग़ूल है तालिबे इल्म आया तो सलाम न करे और सलाम किया तो उसपर जवाब देना वाजिब नहीं।(आलमगीरी) और यह भी हो सकता है कि अगर्चे वह पढ़ा न रहा हो सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं क्योंकि यह उसकी मुलाक़ात को नहीं आया है कि उसके लिये सलाम करना मसनून हो बल्कि पढ़ने के लिये आया है, जिस तरह क़ाज़ी के पास जो लोग इजलास में जाते हैं वह मिलने को नहीं जाते बल्कि अपने मुक़दमा के लिये जाते हैं।

मसअ्ला.20:– जो शख़्स ज़िक्र में मशग़ूल हो उसके पास कोई शख़्स आया तो सलाम न करे और किया तो ज़ाकिर पर जवाब वाजिब नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.21:– जो शख़्स पेशाब, पाख़ाना फिर रहा है या कबूतर उड़ा रहा है या गा रहा है या हम्माम या गुस्ल'ख़ाना में नंगा नहा रहा है उसको सलाम न किया जाये और उस पर जवाब देना वाजिब नहीं। (आलमगीरी) पेशाब के बाद ढेला लेकर इस्तिन्जा सुखाने के लिये टहलते हैं यह भी उसी हुक्म में है कि पेशाब कर रहा है।

मसअ्ला.22:– जो शख़्स एलानिया फ़िस्क़ करता हो उसे सलाम न करे किसी के पड़ोस में फ़ुस्साक़ रहते हैं मगर उनसे यह अगर सख़्ती बरतता है तो वह उसको ज़्यादा परेशान करेंगे और नर्मी करता है उनसे सलाम, कलाम जारी रखता है तो वह ईज़ा पहुँचाने से बाज़ रहते हैं तो उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर मेल, जोल रखने में यह मअ्ज़ूर है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.23:– जो लोग शतरंज खेल रहे हों उनको सलाम किया जाये या न किया जाये, जो उलमा सलाम करने को जाइज़ फ़रमाते हैं वह यह कहते हैं कि सलाम उस मक़सद से करे कि उतनी देर तक कि वह जवाब देंगे खेल से बाज रहेंगे यह सलाम उनको मअ्सियत से बचाने के लिये है अगर्चे इतनी ही देर तक सही जो फ़रमाते हैं कि सलाम करना ना'जाइज़ है उनका मक़सद

ज़ज्र व तौबीख़ (झिडकना) है कि उसमें उनकी तज़लील है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:— किसी से कहदिया कि फुलाँ को मेरा सलाम कह देना उस पर सलाम पहुँचाना वाजिब है और जब उसने सलाम पहुँचाया तो जवाब यूँ दे कि पहले उस पहुँचाने वाले को उसके बाद उसको जिसने सलाम भेजा है यानी यह कहे व'अलैका व अलैहिस्सलाम (आलमगीरी) यह सलाम पहुँचाना उस वक़्त वाजिब है जब उसने इस का इल्तिज़ाम कर लिया हो। यानी कहदिया हो कि हाँ तुम्हारा सलाम कहदूँगा कि इस वक़्त यह सलाम इसके पास अमानत है जो इस का हक़दार है उसको देना ही होगा वरना यह ब'मन्ज़िला वदीअत है कि उसपर यह लाज़िम नहीं कि सलाम पहुँचाने वहाँ जाये उसी तरह हाजियों से लोग यह कह देते हैं कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मेरा सलाम अर्ज़ करदेना यह सलाम भी पहुँचाना वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.25:— ख़त में सलाम लिखा होता है उसका भी जवाब देना वाजिब है और यहाँ जवाब दो तरह होता है एक यह कि ज़बान से जवाब दे दूसरी सूरत यह है कि सलाम का जवाब लिखकर भेजे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार) मगर चूंकि जवाबे सलाम फ़ौरन देना वाजिब है जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ तो अगर फ़ौरन तहरीरी जवाब न हो जैसा कि उमूमन होता है कि ख़त का जवाब फ़ौरन ही नहीं लिखा जाता ख़्वाह म'ख़्वाह कुछ देर होती है तो ज़बान से जवाब फ़ौरन देदे ताकि ताख़ीर से गुनाह न हो उसी वजह से अल्लामा सय्यद अहमद तहतावी ने इस जगह फ़रमाया 'वन्नासु गाफ़िलून' यानी लोग इससे ग़ाफ़िल हैं आलाहज़रत क़िब्ला कुद्दिस सिर्रुहू जब ख़त पढा करते तो ख़त में जो अस्सलामु अ़लैकुम लिखा होता है उसका जवाब ज़बान से देकर बाद का मज़मून पढते।

मसअ्ला.26:— सलाम की मीम को साकिन कहा यानी सलाम अ़लैकुम जैसा कि अकस़र जाहिल उसी तरह कहते हैं या सलामु अ़लैकुम मीम के पेश के साथ कहा उन दोनों सूरतों में जवाब वाजिब नहीं कि यह मसनून सलाम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:— इब्तिदाअन किसी ने यह कहा अ़लैकस्सलाम या अलैकुमुस्सलाम तो उस का जवाब नहीं हदीस् में फ़रमाया कि "यह मुर्दों की तहिय्यत है"।

मसअ्ला.28:— सलाम इतनी आवाज़ से कहो कि जिसको सलाम किया है वह सुनले और अगर इतनी आवाज़ न हो तो जवाब देना वाजिब नहीं। जवाबे सलाम में भी इतनी आवाज़ हो कि सलाम करने वाला सुनले और इतना आहिस्ता कहा कि वह सुन न सका तो वाजिब साकित न हुआ और अगर वह बहरा है तो उसके सामने होंट को जुम्बिश दे कि उसकी समझ में आजाये कि जवाब देदिया छींक के जवाब का भी यही हुक्म है। (बज़ाज़िया)

मसअ्ला.29:— उंगली या हथेली से सलाम करना ममनूअ् है हदीस में फ़रमाया उंगलियों से सलाम करना यहूदियों का तरीक़ा है और हथेली से इशारा करना नसारा का।

मसअ्ला.30:— बाज़ लोग सलाम के जवाब में हाथ या सर से इशारा कर देते हैं बल्कि बाज़ सिर्फ़ आँखों के इशारे से जवाब देते हैं यूँ जवाब नहीं हुआ उनको मुँह से जवाब देना वाजिब है।

मसअ्ला.31:— बाज़ लोग सलाम करते वक़्त झुक भी जाते हैं यह झुकना अगर हद्दे रुकूअ् तक हो तो हराम है और इससे कम हो तो मकरूह है।

मसअ्ला.32:— इस ज़माने में कई तरह के सलाम लोगों ने ईजाद कर लिये हैं उनमें सबसे बुरा यह है जो बाज़ लोग कहते हैं **"बन्दगी अ़र्ज़"** यह लफ़्ज़ हरगिज़ न कहा जाये बाज़ लोग **"आदाब अ़र्ज़"** कहते हैं अगरचे इसमें इतनी बुराई नहीं मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है बाज़ लोग **तस्लीम** या **तस्लीमात अ़र्ज़** कहते हैं उस को सलाम कहा जासकता है कि यह सलाम ही के माना में है।

बाज़ कहते हैं सलाम, उसको भी सलाम कहा जा सकता है कुर्आन मजीद में है कि मलाइका जब इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए 'فَقَالُوْا سَلٰمًا' उन्होंने आकर सलाम कहा इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा यानी अगर किसी ने कहा सलाम तो

सलाम कह देने से जवाब होजायेगा बाज़ लोग इस किस्म के हैं कि वह खुद तो क्या सलाम करेंगे अगर उनको सलाम किया जाता है तो बिगड़ते हैं कहते हैं कि क्या हमें बराबर का समझ लिया है यानी कोई ग़रीब आदमी सलाम मसनून करे तो वह अपनी कसरे शान (अपनी बेइज्जती) समझते हैं और बाज़ यहाँ तक बेबाक हैं कि यह कहते हैं क्या हमें धुना, जुलाहा मुकर्रर कर रखा है अल्लाह तआला उनको हिदायत दे और उनकी आँखें खोले।

मसअ्ला.33:– किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहना यह अम्बिया व मलाइका अलैहिमुस्सलाम के साथ ख़ास है मस्लन मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिबरील अलैहिस्सलाम, नबी और फ़िरिश्ते के सिवा किसी दूसरे के नाम के साथ यूँ न कहा जाये।

मसअ्ला.34:– अकस्र जगह यह तरीका है कि छोटा जब बड़े को सलाम करता है तो वह जवाब में कहता है **'जीते रहो'** यह सलाम का जवाब नहीं है बल्कि यह जवाब जाहिलियत में कुफ़्फ़ार दिया करते थे वह कहते थे हय्य'कल्लाह इस्लाम ने यह बताया कि जवाब में व'अलैकुमुस्सलाम कहा जाये

मुसाफ़ा व मुआनका व बोसा व क़याम का बयान

हदीस् (1) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने बराअ् बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दो मुसलमान मिलकर मुसाफ़ा करते हैं तो जुदा होने से पहले ही उन की मग्फ़िरत होजाती है।

और अबू दाऊद की रिवायत में है जब दो मुसलमान मिलें और मुसाफ़ा करें और अल्लाह की हम्द करें और इस्तिग़फ़ार करें तो दोनों की मग़फ़िरत होजायेगी।

हदीस् (2) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में बर्राअ् बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स दोपहर से पहले चार रकअ्तें (नमाज़े चाश्त) पढ़े तो गोया उसने शबे क़द्र में पढ़ीं और दो मुसलमान मुसाफ़ा करें तो कोई गुनाह बाक़ी न रहेगा मगर झड़ जायेगा"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी में क़तादा से रिवायत है कहते हैं मैंने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से दरयाफ़्त किया क्या अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुसाफ़ा का दस्तूर था कहा हाँ।

हदीस् (4) इमाम मालिक ने अता ख़ुरासानी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आपस में मुसाफ़ा करो दिल की कपट जाती रहेगी और बाहम हदिया करो महब्बत पैदा होगी और अदावत निकल जायेगी"।

हदीस् (5) इमाम अहमद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब दो मुसलमानों ने मुलाक़ात की और एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया (मुसाफ़ा किया) तो अल्लाह तआला के ज़िम्मे में यह हक़ है कि उनकी दुआ को हाज़िर करदे और हाथ जुदा न होने पायेंगे कि उनकी मग्फ़िरत होजायेगी और जो लोग जमअ् होकर अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हैं और सिवाए रज़ा–ए–इलाही के उनका कोई मक़सद नहीं है तो आसमान से मुनादी निदा देता है कि खड़े होजाओ तुम्हारी मग्फ़िरत होगई तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया"।

हदीस् (6) तिबरानी ने सुलैमान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआलाअ अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिले और हाथ पकड़ले (मुसाफ़ा करे) तो उन दोनों के गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे तेज़ आँधी के दिन में खुश्क दरख़्त के पत्ते और उनके गुनाह बख़्श दिये जाते हैं अगर्चे समन्दर की झाग बराबर हों"।

हदीस् (7) इब्नुन्नज्जार ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफ़ा करे और किसी के दिल में दूसरे से अदावत न हो तो जुदा होने से पहले अल्लाह तआला दोनों के गुज़श्ता

गुनाहों को बख़्शदेगा। और जो शख़्स अपने भाई की त़रफ़ नज़रे मह़ब्बत से देखे उसके दिल या सीने में अदावत न हो तो निगाह लौटने से पहले दोनों के गुज़श्ता गुनाह बख़्श दिये जायेंगे"।

ह़दीस़ (8) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी ने अबूउमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मरीज़ की पूरी अयादत यह है कि उसकी पेशानी या हाथ पर हाथ देकर पूछे कि मिज़ाज कैसा है और पूरी तह़िय्यत यह है कि मुसाफ़ा किया जाये"।

ह़दीस़ (9) तिर्मिज़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह कोई शख़्स अपने भाई या दोस्त से मुलाक़ात करे तो क्या उसके लिये झुक जाये फ़रमाया "नहीं" उसने कहा तो क्या उससे चिपट जाये और बोसा ले फ़रमाया "नहीं" उसने कहा तो क्या उसका हाथ पकड़कर मुस़ाफ़ा करे फ़रमाया "हाँ"।

ह़दीस़ (10) अबूदाऊद ने रिवायत की कि एक शख़्स ने अबू'ज़र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से पूछा क्या तुम लोग जब हुज़ूर से मिलते थे तो हुज़ूर तुमसे मुस़ाफ़ा करते थे उन्होंने कहा मैंने जब कभी मुलाक़ात की हुज़ूर ने मुस़ाफ़ा किया। एक दिन हुज़ूर ने आदमी भेजा मैं घर पर मौजूद न था जब आया तो मुझे मुत्तलअ़ किया गया मैं ह़ाज़िर हुआ उस वक़्त हुज़ूर तख़्त पर थे मुझे चिपटा लिया तो यह ख़ूब ही अच्छा था ख़ूब अच्छा।

ह़दीस़ (11) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के साथ ह़ज़रत फ़ात़िमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के घर गया हुज़ूर ने ह़ज़रत ह़सन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को दरयाफ़्त किया कि वह यहाँ हैं थोड़ी देर बाद वह दौड़ते हुए आये और हुज़ूर ने उन्हें गले लगाया और वह भी चिपट गये फिर फ़रमाया ऐ अल्लाह मैं उसे मह़बूब रखता हूँ तू भी उसे मह़बूब रख और उसे मह़बूब बनाले जो इसे मह़बूब रखे।

ह़दीस़ (12) इमाम अह़मद ने यअ़ला रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं ह़ज़रत ह़सन व हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा दौड़कर रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये हुज़ूर ने उन्हें चिपटा लिया और फ़रमाया "औलाद बुख़्ल और बुज़दिली का सबब होती है"।

ह़दीस़ (13) तिर्मिज़ी ने उम्मुलमोमिनीन आ़यशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि ज़ैद इब्ने ह़ारिस़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु जब मदीने में आये हुज़ूर मेरे मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे उन्होंने आकर दरवाज़ा खट'खटाया हुज़ूर कपड़ा घसीटते हुए बरहना यानी बिग़ैर चादर ओढ़े हुए चलदिये वल्लाह मैंने कभी इसके पहले हुज़ूर को बरहना यानी बिग़ैर चादर ओढ़े किसी के पास जाते नहीं देखा और न उसके बाद कभी इस त़रह़ देखा हुज़ूर ने उन्हें गले लगाया और बोसा दिया।

ह़दीस़ (14) अबूदाऊद ने उसैद बिन हुज़ैर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक अन्स़ारी शख़्स जिनकी त़बीअ़त में मिज़ाह़ था वह बातें कर रहे थे और लोगों को हंसा रहे थे नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक लकड़ी से उनकी कमर में कूंचा दिया उन्होंने हुज़ूर से अ़र्ज़ की मुझे उसका बदला दीजिये हुज़ूर ने फ़रमाया बदला लेलो उन्होंने कहा हुज़ूर क़मीस़ पहने हुए हैं मेरे बदन पर क़मीस़ नहीं है। हुज़ूर ने क़मीस़ हटादी वह चिपट गये। और पहलू को बोसा दिया और यह कहा कि मेरा मक़स़द यही था। (बदला लेना मक़स़द न था)

ह़दीस़ (15) अबूदाऊद व बैहक़ी ने आ़मिर शअ़बी से मुरसलन रिवायत की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जाफ़र बिन अबी त़ालिब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का इस्तिक़बाल किया और उनसे मुआ़नक़ा फ़रमाया और दोनों आँखों के दरम्यान में बोसा दिया।

ह़दीस़ (16) अबूदाऊद ने ज़ारेअ़'रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि जब क़बीलए अ़ब्दुलक़ैस का वफ़्द हुज़ूर की ख़िदमत में आया था यह भी उस वफ़्द में थे यह कहते हैं जब हम मदीना में पहुँचे अपनी मन्ज़िलों से जल्दी जल्दी हुज़ूर की ख़िदमत में ह़ाज़िर होते और हुज़ूर के

दस्ते मुबारक और पाये मुबारक को बोसा देते।

हदीस् (17) अबूदाऊद ने उम्मुलमोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा जब हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होतीं तो हुज़ूर उनकी तरफ़ खड़े होजाते और उनका हाथ पकड़ते और उनको बोसा देते फिर अपनी जगह बिठाते और जब हुज़ूर उनके यहाँ तशरीफ़ लेजाते तो वह खड़ी हो जातीं और हुज़ूर का हाथ पकड़ लेतीं और बोसा देतीं और अपनी जगह पर बिठातीं।

हदीस् (18) अबूदाऊद ने बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि जब अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु शुरूअ् शुरूअ् मदीना में आये थे मैं उनके साथ उनके यहाँ गया। हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा बुख़ार में लेटी हुई थीं हज़रत अबूबक्र उनके पास गये और पूछा बेटी कैसी हो और उनके रुख़सारा पर बोसा दिया।

हदीस् (19) तिर्मिज़ी ने सुफ़यान इब्ने अस्साल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि दो यहूदी हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुए और यह सुवाल किया कि खुली हुई नौ निशानियाँ क्या हैं हुज़ूर ने फ़रमाया "(1)अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो (2)और चोरी न करो (3)और ज़िना न करो (4)और जिस जान को अल्लाह ने हराम किया है उसे ना'हक़ क़त्ल न करो (5)और जो जुर्म से बरी हो उसे बादशाह के पास क़त्ल के लिये न ले जाओ (6)और जादू न करो (7)और सूद न खाओ (8)और अफ़ीफ़ा (पाक दामन औरत) पर ज़िना की तोहमत न धरो (9)और लड़ाई के दिन मुँह फेरकर न भागो और ख़ास तुम यहूदी हफ़्ते के मुतअल्लिक़ हद से तजावुज़ न करो जब हुज़ूर ने यह फ़रमाया तो उन्होंने हुज़ूर के हाथों और क़दमों को बोसा दिया।

हदीस् (20) अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि हम हुज़ूर के क़रीब गये और हाथ को बोसा दिया।

हदीस् (21) अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवागत की कहते हैं कि हम हुज़ूर के क़रीब गये और हाथ को बोसा दिया।

हदीस् (21) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि जब बनी कुरैज़ा (यहूदियों के एक क़बीले का नाम) अपने क़िले से सअ्द इब्ने मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर उतरे हुज़ूर ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आदमी भेजा और वहाँ से क़रीब में थे जब मस्जिद के क़रीब आगये हुज़ूर ने अन्सार से फ़रमाया अपने सरदार के पास उठ कर जाओ।

हदीस् (22) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठकर हमसे बातें करते जब हुज़ूर खड़े होते हम भी खड़े होजाते और इतनी देर खड़े रहते कि हुज़ूर को देख लेते कि बाज़ अज़्वाज मुतहहरात के मकान में तशरीफ़ लेगये।

हदीस् (23) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी यह खुशी हो कि लोग मेरी तअ्ज़ीम के लिये खड़े रहें वह अपना ठिकाना जहन्नम में बनाये।

हदीस् (24) अबूदाऊद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असा पर टेक लगाकर बाहर तशरीफ़ लाये हम हुज़ूर के लिये खड़े होगये। इरशाद फ़रमाया "इस तरह न खड़े हुआ करो जैसे अजमी खड़े हुआ करते हैं कि उनमें का बाज़ बाज़ दूसरे की तअ्ज़ीम किया करता है" यानी अज्मियों का खड़े होने में जो तरीक़ा है वह क़बीह व मज़मूम है उस तरह खड़े होने की मुमानअत है वह यह है कि उमरा बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग तअ्ज़ीम की वजह से उनके क़रीब खड़े रहते हैं। दूसरी सूरत अदमे

जवाज़ की यह है कि वह ख़ुद पसन्द करता हो कि मेरे लिये लोग खड़े हुआ करें और कोई खड़ा न हो तो बुरा माने जैसाकि हिन्दुस्तान में अब भी बहुत जगह रिवाज है कि अमीरों, रईसों, जमीनदारों के लिये उनकी रिआया खड़ी होती है न खड़ी हो तो ज़द व कोब (मार पिटाई) तक नोबत आती है ऐसे ही मुतकब्बिरीन व मुतजब्बिरीन के मुतअल्लिक़ मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस में वईद आई है और अगर उनकी तरफ़ से यह न हो बल्कि यह खड़ा होने वाला उसको मुस्तहक़ तअ्ज़ीम समझकर सवाब के लिये खड़ा होता है या तवाज़ोअ् के तौर पर किसी के लिये खड़ा होता है तो यह ना'जाइज़ नहीं बल्कि मुस्तहब है।

मसअ्ला.1:— मुसाफ़ा सुन्नत है और उसका सवाब तवातुर से है और अहादीस में इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है एक हदीस यह है कि जिसने अपने मुसलमान भाई से मुसाफ़ा किया और हाथ को हरकत दी उसके तमाम गुनाह गिरजायेंगे जितनी बार मुलाक़ात हो हर बार मुसाफ़ा करना मुस्तहब है मुतलक़न मुसाफ़े का जवाज़ यह बताता है कि नमाज़े फ़ज्र व अस्र के बाद जो अकसर जगह मुसाफ़ा करने का मुसलमानों में रिवाज है यह भी जाइज़ है और बाज़ किताबों में जो इसको बिदअत कहा गया उससे मुराद बिदअते हसना है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:— जिस तरह फ़ज्र व अस्र के बाद मुसाफ़ा करना जाइज़ है दूसरी नमाज़ों के बाद भी मुसाफ़ा करना जाइज़ है क्योंकि अस्ल मुसाफ़ा करना जाइज़ है तो किसी वक़्त भी किया जाये जाइज़ ही है जब तक शरअ् मुतह्हर से मुमानअत साबित न हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:— मुसाफ़ा यह है कि एक शख़्स अपनी हथेली दूसरे की हथेली से मिलाये फ़क़त उंगलियों के छूने का नाम मुसाफ़ा नहीं है। सुन्नत यह है कि दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया जाये और दोनों के हाथों के मा'बैन कपड़ा वग़ैरा कोई चीज़ हाइल न हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:— मुसाफ़े का एक तरीक़ा वह है जो बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरा में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक उनके दोनों हाथों के दरमियान में था यानी हर एक का एक हाथ दूसरे के दोनों हाथों के दरमियान में हो, दूसरा तरीक़ा जिस को बाज फुक़हा ने बयान किया और उसकी निस्बत भी वह कहते हैं कि हदीस से साबित है वह यह कि हर एक अपना दाहिना हाथ दूसरे के दाहिने से और बायाँ बायें से मिलाये और अंगूठे को दबाये कि अंगूठे में एक रग है कि उसके पकड़ने से महब्बत पैदा होती है।

मसअ्ला.5:— मुसाफ़ा मसनून यह है कि जब दो मुसलमान बाहम मिलें तो पहले सलाम किया जाये इसके बाद मुसाफ़ा करें रुख़्सत के वक़्त भी उमूमन मुसाफ़ा करते हैं उसके मसनून होने की तस्रीह नज़रे फ़क़ीर से नहीं गुज़री मगर अस्ल मुसाफ़ा का जवाज़ हदीस से साबित है तो इसको भी जाइज़ ही समझा जायेगा।

मसअ्ला.6:— मुआनक़ा करना (गले मिलना) भी जाइज़ है जबकि ख़ौफ़े फ़ितना और अन्देशाए शहवत न हो। चाहिए कि जिससे मुआनक़ा किया जाये वह सिर्फ़ तहबन्द या फ़क़त पाजामा पहने हुए न हो बल्कि कुर्ता या अचकन भी पहने हो या चादर ओढ़े हो यानी कपड़ा हाइल हो। (जैलई) हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुआनक़ा किया।

मसअ्ला.7:— बाद नमाज़े ईदैन मुसलमानों में मुआनक़ा का रिवाज है और यह भी इज़हारे ख़ुशी का एक तरीक़ा है। यह मुआनक़ा भी जाइज़ है जबकि महल्ले फ़ितना न हो मसलन अमरद ख़ुबसूरत से मुआनक़ा करना कि यह महल्ले फ़ितना है।

मसअ्ला.8:— बोसा देना अगर शहवत के साथ हो तो ना'जाइज़ है और इकराम व तअ्ज़ीम के लिये हो तो हो सकता है। पेशानी पर बोसा भी इन्हीं शराइत के साथ जाइज़ है हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों के दरम्यान को बोसा दिया और सहाबा व ताबेईन रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से भी बोसा देना साबित है।

मसअ्ला.9:– बाज़ लोग मुसाफ़ा करने के बाद खुद अपना हाथ चूम लिया करते हैं यह मकरूह है ऐसा नहीं करना चाहिए। (जैलई)

मसअ्ला.10:– आ़लिमे दीन और बादशाहे आदिल (इन्साफ करने वाला मुसलमान बादशाह) के हाथ को बोसा देना जाइज़ है बल्कि उसके क़दम चूमना भी जाइज़ है बल्कि अगर किसी ने आ़लिमे दीन से यह ख़्वाहिश की कि आप अपना हाथ या क़दम मुझे दीजिये कि मैं बोसा दूँ तो उसके कहने के मुताबिक़ वह आ़लिम अपना हाथ पाँव बोसा के लिये उसकी तरफ़ बढ़ा सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– औ़रत ने औ़रत के मुँह या रुख़्सारा को ब'वक़्ते मुलाक़ात या ब'वक़्ते रुख़्सत बोसा दिया यह मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– आ़लिम या किसी बड़े के सामने ज़मीन को बोसा देना ह़राम है जिसने ऐसा किया और जो उस पर राज़ी हुआ दोनों गुनाहगार हुए। (ज़ैलई)

मसअ्ला.13:– बोसे की छः क़िस्में हैं (1)बोसाए रह़मत जैसे वालिदैन का औलाद को बोसा देना (2)बोसाए शफ़क़त जैसे औलाद का वालिदैन को बोसा देना (3)बोसाए मह़ब्बत जैसे एक शख़्स अपने भाई की पेशानी को बोसा दे (4)बोसाए तह़िय्यत जैसे ब'वक़्ते मुलाक़ात एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को बोसा दे (5)बोसाए शहवत जैसे मर्द औ़रत को बोसा दे और (6)एक क़िस्म बोसाए दियानत है जैसे हजरे असवद को बोसा। (ज़ैलई)

मसअ्ला.14:– मुसह़फ़ या'नी कुर्आन मजीद को बोसा देना भी स़ह़ाबाए'किराम के फ़ेअ्ल से स़ाबित है ह़ज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रोज़ाना सुबह़ को बोसा देते थे और कहते यह मेरे रब का अ़हद और उसकी किताब है और ह़ज़रत उ़स्मान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु भी मुसह़फ़ को बोसा देते और चेहरे से मस करते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– सजदए तह़िय्यत या'नी मुलाक़ात के वक़्त बतौर इकराम (ताज़ीम के लिये) किसी को सजदा करना ह़राम है और अगर ब'क़स्दे इ़बादत हो तो सजदा करने वाला काफ़िर है कि ग़ैर खुदा की इ़बादत कुफ़्र है। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.16:– बादशाह को तह़िय्यत की वजह से सजदा करना या उसके सामने ज़मीन को बोसा देना कुफ़्र नहीं मगर यह शख़्स गुनहगार हुआ और अगर इ़बादत के तौर पर सजदा किया तो कुफ़्र है आ़लिम के पास आने वाला भी अगर ज़मीन को बोसा दे यह भी ना'जाइज़ व गुनाह है करने वाला और उस पर राज़ी होने वाला दोनों गुनहगार हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– मुलाक़ात के वक़्त झुकना मनअ् है(आलमगीरी)या'नी इतना झुकना कि रुकूअ् की ह़द तक होजाये।

मसअ्ला.18:– आने वाले की तअ्ज़ीम के लिये खड़ा होना जाइज़ बल्कि मन्दूब है जब कि ऐसे की तअ्ज़ीम के लिये खड़ा हो जो मुस्तह़क़े तअ्ज़ीम है मस्लन आ़लिमे दीन की तअ्ज़ीम को खड़ा होना। कोई शख़्स मस्जिद में बैठा है या कुर्आन मजीद पढ़ रहा है और ऐसा शख़्स आगया जिस की तअ्ज़ीम करनी चाहिए तो इस हालत में भी तअ्ज़ीम को खड़ा हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.19:– जो शख़्स यह पसन्द करता हो कि लोग मेरे लिये खड़े हों उसकी यह बात ना'पसन्द व मज़्मूम है। (रद्दुल'मुह़तार) अह़ादीस़ में उसी क़याम की मज़म्मत है या उस क़याम को बुरा बताया गया है जिसका अ़जम में रिवाज है आने वाले के लिये खड़ा होना उस क़यामे ममनूअ् में दाख़िल नहीं। क़यामे मीलाद शरीफ़ की मुमानअ़त पर इन अह़ादीस़ से दलील लाना जिहालत है।

मसअ्ला.10:– जहाँ यह अन्देशा हो कि तअ्ज़ीम के लिये अगर खड़ा न हो तो उसके दिल में बुग़्ज़ व अ़दावत पैदा होगा खुसूसन ऐसी जगह जहाँ क़याम का रिवाज है तो क़याम करना चाहिए ताकि एक मुस्लिम को बुग़्ज़ व अ़दावत से बचाया जाये। (रद्दुल'मुह़तार)

छींक और जमाही का बयान

ह़दीस़ (1) स़ह़ीह़ बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्ललाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला को छींक पसन्द है और जमाही ना'पसन्द है जब कोई शख़्स छींके और अल्ह़म्दु लिल्लाह कहे तो जो मुसलमान उसको सुने उस पर यह ह़क़ है कि यर'ह़मुकल्लाह कहे और जमाही शैत़ान की त़रफ़ से है जब किसी को जमाही आये तो जहाँ तक

होसके उसे दफ़अ़ करे क्यूं के जब जमाही लेता है तो शैतान हँसता है यानी खुश होता है क्योंकि यह कस्ल (सुस्ती) और ग़फ़लत की दलील है ऐसी चीज़ को शैतान पसन्द करता है और सहीह मुस्लिम की रिवायत में है कि जब वह (हा) कहता है शैतान हँसता है।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब किसी को छींक आये तो अल्हम्दु लिल्लाह कहे और उस का भाई या साथ वाला यरहमु'कल्लाह कहे जब यह यरहमु'कल्लाह कहले तो छींकने वाला या उस के जवाब में यह कहे यहदीकुमुल्लाहु व युसलिहु बा लकुम"

तिर्मिज़ी और दारमी की रिवायत में अबू'अय्यूब रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि जब छींक आये तो यह कहे अल्हम्दु लिल्लाह अला कुल्लि हालिन।

हदीस (3) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी को छींक आये तो 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिलआलमीन' कहे।

हदीस (4) तिबरानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जब किसी को छींक आये और वह अल्हम्दु लिल्लाह कहे तो फ़िरिश्ते कहते हैं रब्बिलआलमीन और अगर वह रब्बिलआलमीन कहता है तो फ़िरिश्ते कहते हैं रहिमा'कल्लाह।

हदीस (5) तिर्मिज़ी ने नाफ़ेअ़ से रिवायत की कि एक शख़्स को इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास छींक आई उसने कहा अल्हम्दु लिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इब्ने उमर ने फ़रमाया यह तो मैं भी कहता हूँ कि अल्हम्दु लिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मगर उसके कहने की यह जगह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह तअ़लीम नहीं दी, हमें यह तअ़लीम दी है कि इस मौके पर अल्हम्दु लिल्लाह अला कुल्लि हाल कहें।

हदीस (6) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने बिलाल बिन यसाफ़ से रिवायत की कहते हैं हम सालिम बिन उबैद के पास थे एक शख़्स को छींक आई उसने कहा अस्सलामु अलैकुम सालिम ने कहा व अलैका व अला उम्मिका उसे इसका रंज हुआ (कि मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया) अबू दाऊद की रिवायत में है कि उसने कहा मेरी माँ का आपने ज़िक्र न किया होता, न अच्छा न बुरा, तो अच्छा होता सालिम ने कहा मैंने वही कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स को छींक आई उसने कहा अस्सलामु अलैकुम हुज़ूर ने फ़रमाया व अलैका व अला उम्मिका जब किसी को छींक आये तो कहे अल्लहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन और जवाब देने वाला कहे यरहमु'कल्लाह और वह कहे यग़फ़िरुल्लाहु ली व लकुम।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास दो शख़्सों को छींक आई आपने एक को जवाब दिया और दूसरे को नहीं दिया उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर ने उसको जवाब दिया और मुझे नहीं दिया इरशाद फ़रमाया उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा और तूने नहीं कहा।

हदीस (8) सहीह मुस्लिम में अबू'मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जब कोई छींके और अलहम्दु लिल्लाह कहे तो उसे जवाब दो और अल्हम्दु लिल्लाह न कहे तो उसे जवाब मत दो।

हदीस (9) सहीह मुस्लिम में सलमा बिन अकवअ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स को छींक आई हुज़ूर ने उसके जवाब में यरहमु'कल्लाह कहा फिर दोबारा छींक आई तो हुज़ूर ने फ़रमाया उसे ज़ुकाम होगया है और तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि तीसरी मरतबा छींक आई तब हुज़ूर ने ऐसा फ़रमाया यानी जब बार बार छींक आये तो जवाब की हाजत नहीं।

हदीस (10) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छींक आती तो मुँह को हाथ या कपड़े से छुपालेते और आवाज़ को परस्त करते।

हदीस (11) सहीह मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि जब किसी को जमाही आये तो मुँह पर हाथ रखले क्योंकि शैतान मुँह में घुस जाता है।

हदीस (12) तिबरानी औसत में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सच्ची बात वह है कि उस वक़्त छींक आजाये और हकीम की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से यह है कि जब कोई बात की जाये और छींक आजाये तो वह हक़ है और अबू नईम की रिवायत उन्हीं से है कि दुआ के वक़्त छींक आजाना सच्चा गवाह है।

हदीस (13) बैहक़ी ने शोअबुल ईमान में उबादा बिन सामित व शद्दाद बिन औस व वासिला रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब किसी को डकार या छींक आई तो आवाज को बलन्द न करे कि शैतान को यह बात पसन्द है कि उनमें आवाज़ बलन्द की जाये"।

मसअला.1:– छींक का जवाब देना वाजिब है जबकि छींकने वाला अल्हम्दु लिल्लाह कहे और उस का जवाब भी फ़ौरन देना और इस तरह जवाब देना कि वह सुनले वाजिब है जिस तरह सलाम के जवाब में है यहाँ भी है। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला.2:– छींक का जवाब एक मरतबा वाजिब है दोबारा छींक आई और उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो दो बारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। (आलमगीरी)

मसअला.3:– जिसको छींक आये उसे अल्हम्दु लिल्लाह कहना चाहिए और बेहतर यह है कि अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे जब उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो सुनने वाले पर उसका जवाब देना वाजिब होगया और हम्द न करे तो जवाब नहीं। एक मज्लिस में कई मरतबा किसी को छींक आई तो सिर्फ़ तीन बार तक जवाब देना है उसके बाद उसे इख़्तियार है कि जवाब दे या न दे। (बज़ाज़िया)

मसअला.4:– जिसको छींक आये वह यह कहे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अल्हम्दु लिल्लाहि अला कुल्लि हालिन और उसके जवाब में दूसरा शख़्स यूँ कहे यरहमुकल्लाह फिर छींकने वाला यह कहे यग़्फ़िरुल्लाहु लना व लकुम (अल्लाह तआला हमारी और तुम्हारी मग़्फ़िरत फरमाये)) या यह कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बा लकुम (अल्लाह तआला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी इस्लाह फरमाये) इसके सिवा दूसरी बात न कहे। (आलमगीरी)

मसअला.5:– औरत को छींक आई अगर वह बूढ़ी है तो मर्द उसका जवाब दे। अगर जवान है तो इस तरह जवाब दे कि वह न सुने। मर्द को छींक आई और औरत ने जवाब दिया अगर जवान है तो मर्द उसका जवाब अपने दिल में दे और बूढ़ी है तो ज़ोर से जवाब दे सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.6:– खुतबे के वक़्त किसी को छींक आई तो सुनने वाला उसको जवाब न दे। (खानिया)

मसअला.7:– काफ़िर को छींक आई और उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो जवाब में यहदीकल्लाह कहा जाये। (रद्दुल मुहतार)

मसअला.8:– छींकने वाले को चाहिए कि ज़ोर से हम्द कहे ताकि कोई सुने और जवाब दे। छींक का जवाब बाज़ हाज़ेरीन ने देदिया तो सब की तरफ़ से होगया और बेहतर यह है कि सब हाज़ेरीन जवाब दें। (रद्दुल मुहतार)

मसअला.9:– दीवार के पीछे किसी को छींक आई और उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो सुनने वाला उसका जवाब दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला.10:– छींकने वाले से पहले ही सुनने वाले ने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो एक हदीस में आया है कि यह शख़्स दांतों और कानों के दर्द और तुख़्मा (बदहज़मी) से महफूज़ रहेगा। और एक

हदीस में है कि कमर के दर्द से महफ़ूज़ रहेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.11:– छींक के वक़्त सर झुकाले और मुँह छुपाले और आवाज़ को पस्त करे। छींक की आवाज़ बलन्द करना हिमाक़त है। (रद्दुल मुहतार)

फ़ायदा :– हदीस में है कि बात के वक़्त छींक आजाना शाहिदे अद्ल है।

मसअ्ला.12:– बहुत लोग छींक को बदफ़ाली ख़याल करते हैं मसलन किसी काम के लिये जा रहा है और किसी को छींक आगई तो समझते हैं कि अब वह काम अन्जाम नहीं पायेगा यह जिहालत है कि बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और ऐसी चीज़ को बदफ़ाली कहना जिसको हदीस में शाहिदे अद्ल फ़रमाया सख़्त ग़लती है।

ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

ख़रीद व फ़रोख़्त का तफ़सीली बयान ग्यारहवें हिस्से में गुज़र चुका है

मसअ्ला.1:– जब तक ख़रीद व फ़रोख़्त के मसाइल मअ्लूम न हों कि कौनसी बैअ् जाइज़ है और कौन नाजाइज़ उस वक़्त तक तिजारत न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– इन्सान के पाख़ाने की बैअ् करना ममनूअ् है गोबर का बेचना ममनूअ् नहीं। इन्सान के पाख़ाना में मिट्टी या राख मिलकर ग़ालिब होजाये जैसे खाद में मिट्टी का ग़लबा होजाता है तो बैअ् भी जाइज़ है और उसको काम में लाना मसलन खेत में डालना भी जाइज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– यह मअ्लूम है कि यह फ़ुलाँ शख़्स की कनीज़ है और दूसरा शख़्स उसे बैअ् कर रहा है यह बाइअ् (बेचने वाला) कहता है कि उसने मुझे बैअ् का वकील किया है या उससे मैंने ख़रीद ली है या उसने मुझे हिबा करदी है तो उसको ख़रीदना और उससे वती करना जाइज़ है जबकि यह शख़्स सिक़ह हो या ग़ालिब गुमान यह हो कि सच कहता है और अगर ग़ालिबे गुमान यह है कि यह इस ख़बर में झूटा है तो उसके लिये ऐसा करना जाइज़ नहीं और अगर उसको ख़ुद इसका इल्म नहीं कि यह फ़ुलाँ की है मगर उस बाइअ् ही ने बताया कि यह फ़ुलाँ की है और मुझे उसने बैअ् का वकील किया है और यह बाइअ् सिक़ह है या ग़ालिब गुमान यह है कि सच कहता है तो उसको ख़रीदना वग़ैरा जाइज़ है। (हिदाया) इसी तरह दूसरी अशया (चीज़ों) के मुतअल्लिक़ यह इल्म है कि फ़ुलाँ की है और बेचने वाला कहता है कि उसने मुझे बैअ् का वकील किया है मैंने ख़रीदली है या उसने हिबा करदी है तो उसको ख़रीदना और उस चीज़ से नफ़अ् उठाना इन्हीं शराइत के साथ जाइज़ है।

मसअ्ला.4:– जो शख़्स चीज़ को बैअ् कर रहा है उसने यह नहीं बताया कि यह चीज़ मेरे पास उस तरह आई और मुश्तरी (ख़रीदने वाले) को मअ्लूम है कि यह चीज़ फ़ुलां की है तो जब तक मालूम न होजाये कि यह चीज़ उसको यूँ मिली है उसे न ख़रीदे। मुश्तरी को यह नहीं मालूम है कि चीज़ किसी दूसरे शख़्स की है तो बेचने वाले से ख़रीदना जाइज़ है कि उसके क़ब्ज़े में होना उसकी मिल्क की दलील है और उसका मुआरिज़ पाया नहीं गया फिर उसकी कोई वजह नहीं कि ख़्वाह म'ख़्वाह दूसरे की मिल्क का तवह्हुम किया जाये।

हाँ अगर वह चीज़ ऐसी है कि उस जैसे शख़्स की नहीं होसकती मसलन वह चीज़ बेश क़ीमत है और यह शख़्स ऐसा नहीं मअ्लूम होता कि वह उसकी होगी या जाहिल के पास किताब है और उसके बा'वजूद उसने ख़रीदली है तो ख़रीदना जाइज़ है क्योंकि ख़रीदार ने दलीले शरई पर एअ्तिमाद करके ख़रीदा है यानी क़ब्ज़ा को मिल्क की दलील क़रार दिया है। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– मुश्तरक चीज़ में जो उसका हिस्सा है उसे न बेचे जब तक शरीक को मुत्तलअ् न करदे अगर वह शरीक ख़रीदले फ़बिहा (तो ठीक) वरना जिसके हाथ चाहे बेच डाले इसका मतलब यह है कि शरीक को मुत्तलअ् करना मुस्तहब है और बिग़ैर मुत्तलअ् किये बेचना मकरूह है यह मतलब नहीं कि बिग़ैर इत्तिलाअ् बैअ् ही ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– अगर बाज़ार वाले ऐसे लोगों से माल ख़रीदते हैं जिनका ग़ालिब माल हराम है और

उनमें सूद और उक़ूदे फ़ासिदा जारी हैं उनसे ख़रीदने में तीन सूरतें हैं जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ गुमान ग़ालिब यह है कि जुल्म के तौर पर किसी की चीज़ बाज़ार में लाकर बेच गया ऐसी चीज़ ख़रीदी न जाये। **दूसरी सूरत** यह है कि माले हराम बिऐनिही मौजूद है मगर माले हलाल में इस तरह मिल गया कि जुदा करना ना'मुम्किन है इस तरह मिलजाने से उसकी मिल्क होगई मगर उस को भी ख़रीदना न चाहिए जब तक बाइअ् उस मालिक को एवज़ देकर राज़ी न करले और अगर ख़रीद ही ली तो मुश्तरी की मिल्क होजायेगी और कराहत रहेगी **तीसरी सूरत** यह है कि मअ्लूम है कि जिसको ग़सब किया था या चोरी वग़ैरा का माल था वह बिऐनिही बाक़ी न रहा तो दुकानदार से चीज़ ख़रीदनी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.7:– ताजिर अपनी तिजारत में इस तरह मशग़ूल न हो कि फ़राइज़ फ़ौत होजायें बल्कि जब नमाज़ का वक़्त आजाये तो तिजारत छोड़कर नमाज़ को चला जाये। (आलमगीरी)

मसअला.8:– नजिस कपड़े को बेच सकता है मगर जब यह गुमान हो कि ख़रीदार इसमें नमाज़ पढ़ेगा तो उसको ज़ाहिर करदे कि यह कपड़ा नापाक है। (आलमगीरी)

मसअला.9:– जितने में चीज़ ख़रीदी बाइअ् को उससे कुछ ज़्यादा दिया तो जब तक यह न कहदे कि यह ज़्यादती तुम्हारे लिये हलाल है यह कि मैंने तुम्हें मालिक करदिया इस ज़्यादती को लेना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी) ख़रीदने के बाद बहुत से लोग रूख लेते हैं कि मबीअ् जितनी तै हुई है उससे कुछ ज़्यादा लेते हैं बिग़ैर बाइअ् की रज़ा'मन्दी के यह ना'जाइज़ है और रूख मांगना भी न चाहिए कि यह एक क़िस्म का सुवाल है और बिग़ैर हाजत सुवाल की इजाज़त नहीं।

मसअला.10:– गोश्त या मछली या फल वग़ैरा ऐसी चीज़ जो जल्द ख़राब होजाने वाली के लिये किसी के हाथ बेची और मुश्तरी ग़ाइब होगया और बाइअ् को अन्देशा है कि उसके इन्तिज़ार में चीज़ ख़राब होजायेगी ऐसी सूरत में उसको दूसरे के हाथ बेच सकता है और जिसको ऐसा मअ्लूम है वह ख़रीद सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.11:– जो शख़्स बीमार है उसका बाप या बेटा बिग़ैर उसकी इजाज़त के ऐसी चीज़ें ख़रीद सकता है जिसकी मरीज़ को हाजत है मसलन दवा वग़ैरा। (आलमगीरी)

मसअला.12:– अच्छे साफ़ गेहूँ में ख़ाक, धूल मिलाकर बेचना ना'जाइज़ है। अगर्चे वहाँ मिलाने की आदत हो। (आलमगीरी) इसी तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना ना'जाइज़ है।

मसअला.13:– जिस जगह बाज़ार में रोटी गोश्त का नर्ख़ मुक़र्रर है कि हिसाब से फ़रोख़्त होती है किसी ने ख़रीदी बाइअ् ने कम दी मगर ख़रीदार को उस वक़्त यह नहीं मअ्लूम हुआ कि कम है बाद को मअ्लूम हुआ तो जो कुछ कमी है वसूल कर सकता है जबकि मुश्तरी को भी नर्ख़ मअ्लूम है और अगर ख़रीदार परदेसी है वहाँ का नहीं है तो रोटी में जो कमी है वसूल कर सकता है गोश्त में जो कमी है वसूल नहीं कर सकता क्योंकि रोटी का नर्ख़ क़रीब सब शहरों में यकसाँ होता है और गोश्त में यह बात नहीं। (ज़ैलई)

मसअला.14:– लोहे, पीतल वग़ैरा की अंगूठी जिसका पहनना मर्द व औरत दोनों के लिये ना'जाइज़ है उसका बेचना मकरूह है। (आलमगीरी) इसी तरह अफ़ीम वग़ैरा जिसका खाना ना'जाइज़ है ऐसों के हाथ फ़रोख़्त करना जो खाते हों ना'जाइज़ है कि उसमें गुनाह पर इआनत (मदद) है।

मसअला.15:– मुसलमान का काफ़िर पर दैन है उसने शराब बेचकर उसके समन से दैन अदा किया मुस्लिम के इल्म में है कि यह रुपया शराब का समन है उसका लेना जाइज़ है क्योंकि काफ़िर का काफ़िर के हाथ शराब बेचना जाइज़ है और समन में जो रूपया उसे मिला वह जाइज़ है लिहाज़ा मुस्लिम अपने दैन में ले सकता है और मुस्लिम ने शराब बेची तो चूंकि यह बैअ् ना'जाइज़ है उसका समन भी ना'जाइज़ है उस रूपये को दैन में लेना ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) यही हुक्म हर ऐसी सूरत में है जहाँ यह मअ्लूम है कि यह माल बिऐनिही ख़बीस् व हराम है तो उसको

लेना ना'जाइज़ है मसलन मअ़लूम है कि चोरी या गसब का माल है।
मसअ्ला.16:– रन्डियों को नाच, गाने की जो उजरत मिली है यह भी ख़बीस है जिस किसी के दैन या किसी मुतालबे में दे उसका लेना ना'जाइज है जिस शख़्स ने ज़ुल्म या रिश्वत के ज़रिये माल हासिल किया हो मरने के बाद उसका माल वुरसा को न लेना चाहिए कि यह माल हराम है बल्कि वुरसा यह करें कि अगर मअ़लूम है कि यह माल फुलाँ का है तो जिससे मूरिस ने हासिल किया है उसे वापस देदें और मअ़लूम न हो कि किससे लिया है तो फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ करदें ऐसे माल का यही हुक्म है। (रद्दुल'मुहतार)
मसअ्ला.17:– पन्सारी को रूपया देते हैं और यह कह देते हैं कि यह रूपया सौदे में कटता रहेगा या देते वक़्त यह शर्त न हो कि सौदे में कट जायेगा मगर मअ़लूम है कि यूँही किया जायेगा तो इस तरह रूपये देना मम्नूअ़ है कि इस क़र्ज़ से यह नफ़अ़ हुआ कि इसके पास रहने में उसके ज़ाइअ़ होने का एहतिमाल था अब यह एहतिमाल जाता रहा और क़र्ज़ से नफ़अ़ उठाना ना'जाइज़ है।
मसअ्ला.18:– एह़तिकार ममनूअ़ है एह़तिकार के यह मअ़ना हैं कि खाने की चीज़ को इस लिए रोकना कि गिराँ होने पर फ़रोख़्त करेगा अहादीस़ में इस बारे में सख़्त वईदें आई हैं एक हदीस में यह है "जो चालीस रोज़ तक एह़तिकार करेगा अल्लाह तआ़ला उसको जुज़ाम व अफ़लास में मुब्तला करेगा"। दूसरी ह़दीस में यह है कि "वह अल्लाह से बरी और अल्लाह उससे बरी" तीसरी ह़दीस यह है कि "उस पर अल्लाह और फ़िरिश्तों और तमाम आदमियों की लअ़नत अल्लाह तआ़ला "न उसके नफ़्ल क़बूल करेगा न फ़र्ज़" एह़तिकार इन्सान के खाने की चीज़ों में भी होता है मसलन अनाज और अंगूर, बादाम वग़ैरा और जानवरों के चारे में भी होता है जैसे घास भूसा। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.19:– एह़तिकार वही कहलायेगा जबकि उसका ग़ल्ला रोकना वहाँ वालों के लिए मुज़िर हो यानी उसकी वजह से गिरानी होजाये या यह सूरत हो कि सारा ग़ल्ला उसी के कब्ज़े में है इस के रोकने से क़ह़त पड़ने का अन्देशा है दूसरी जगह ग़ल्ला दस्तयाब न होगा। (हिदाया)
मसअ्ला.20:– एह़तिकार करने वाले को क़ाज़ी यह हुक्म देगा कि अपने घरवालों के ख़र्च के लाइक़ ग़ल्ला रखले बाक़ी फ़रोख़्त कर डाले अगर वह शख़्स क़ाज़ी के इस हुक्म के ख़िलाफ़ करे यानी ज़ाइद ग़ल्ला न बेचे तो क़ाज़ी उसको मुनासिब सज़ा देगा और उसकी ह़ाजत से ज़्यादा जितना ग़ल्ला है क़ाज़ी ख़ुद बैअ़ कर देगा क्योंकि ज़रर आम से बचने की यही सूरत है। (हिदाया)
मसअ्ला.21:– बादशाह को रिआ़या की हलाकत का अन्देशा हो तो एह़तिकार करने वालों से ग़ल्ला लेकर रिआ़या पर तक़सीम करदे फिर जब उनके पास ग़ल्ला होजाये तो जितना लिया है वापस देदें।
मसअ्ला.22:– अपनी ज़मीन का ग़ल्ला रोक लेना एह़तिकार नहीं हाँ अगर यह शख़्स गिरानी या क़ह़त का मुन्तज़िर है तो इस बुरी नियत की वजह से गुनहगार होगा और इस सूरत में भी अगर आ़म लोगों को ग़ल्ला की ह़ाजत हो और ग़ल्ला दस्तयाब न होता हो तो क़ाज़ी उसे बैअ़ करने पर मजबूर करेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)
मसअ्ला.23:– दूसरी जगह से ग़ल्ला ख़रीदकर लाया अगर वहाँ से उमूमन यहाँ ग़ल्ला आता है तो उसका रोकना भी एह़तिकार है और अगर वहाँ से यहाँ ग़ल्ला लाने की आ़दत जारी न हो तो रोकना एह़तिकार नहीं। मगर इस सूरत में भी बेचडालना मुस्तह़ब है कि रोकने में यहाँ भी एक क़िस्म की कराहत है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.24:– ह़ाकिम को यह न चाहिए कि अश्या का निर्ख़ मुक़र्रर करदे हदीस़ में है कि लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह निर्ख़ गिराँ होगया हुज़ूर निर्ख़ मुक़र्रर फ़रमादें इरशाद फ़रमाया "निर्ख़ मुक़र्रर करने वाला, तन्गी कुशादगी करने वाला, रोज़ी देना वाला अल्लाह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़ुदा से इस हालत में मिलूँ कि कोई शख़्स ख़ून या माल के मुआ़मले में मुझसे किसी ह़क़ का मुतालबा न करे"।
मसअ्ला.25:– ताजिरों ने अगर चीज़ों का निर्ख़ बहुत ज़्यादा करदिया है और बिग़ैर निर्ख़ मुक़र्रर

किये काम चलता नज़र न आता हो तो अहलुर्राए से मशवरा लेकर क़ाज़ी निर्ख़ मुक़र्रर कर सकता है और मुक़र्रर'शुदा निर्ख़ के मुवाफ़िक़ जो बैअ़ हुई यह बैअ़ जाइज़ है यह नहीं कहा जा सकता कि यह बैअ़ मकरूह है क्योंकि यहाँ बैअ़ पर इकराह नहीं क़ाज़ी ने उसे बेचने पर मजबूर नहीं किया उसे इख़्तियार है कि अपनी चीज़ बेचे या न बेचे सिर्फ़ यह किया है कि अगर बेचे तो जो निर्ख़ मुक़र्रर हुआ है उससे गिराँ न बेचे। (हिदाया)

मसअ्ला.26:– इन्सान के खाने और जानवरों के चारे में निर्ख़ मुक़र्रर करना ज़िक्र की हुई सूरत में जाइज़ है और दूसरी चीज़ों में भी हुक्म यह है कि अगर ताजिरों ने बहुत ज़्यादा गिराँ करदी हों तो उनमें भी निर्ख़ मुक़र्रर (भाव फ़िक्स) किया जा सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

क़ुर्आन मजीद पढ़ने के फ़ज़ाइल

क़ुर्आन मजीद पढ़ने और पढ़ाने के बहुत फ़ज़ाइल हैं इजमाली तौर पर इतना समझलेना काफ़ी है कि यह अल्लाह तआ़ला का कलाम है उसपर इस्लाम और अहकामे इस्लाम का मदार है उसकी तिलावत करना उसमें तदब्बुर आदमी को खुदा तक पहुँचाता है इस मौक़े पर इसके मुतअ़ल्लिक़ चन्द हदीसें ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में हज़रत उ़समान ग़नी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम में बेहतर वह शख़्स है जो क़ुर्आन सीखे और सिखाये"।

हदीस (2) सहीह मुस्लिम में उ़क़्बा इब्ने आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या तुम में कोई शख़्स इसको पसन्द करता है कि बतहान या अक़ीक़ में सुबह को जाये और वहाँ से दो ऊँटनियाँ कोहान वाली लाये इसतरह कि गुनाह और क़तअ़े रहम न हो यानी जाइज़ तौर पर हमने अ़र्ज़ की कि यह बात हम सबको पसन्द है फ़रमाया फिर क्यों नहीं सुबह को मस्जिद जाकर किताबुल्लाह की दो आयतों को सिखाता कि यह दो ऊंटनियों से बेहतर हैं और तीन तीन से बेहतर और चार चार से बेहतर व अ़ला हाज़ल'क़ियास।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मोमिन क़ुर्आन पढ़ता है उसकी मिसाल तुरन्ज की सी है कि ख़ुश्बू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा है और जो मोमिन क़ुर्आन नहीं पढ़ता वह ख़जूर की मिस्ल है कि उसमें ख़ुश्बू नहीं मगर मज़ा शीरीं है और जो मुनाफ़िक़ क़ुर्आन पढ़ता है वह फूल की मिस्ल है कि उसमें ख़ुश्बू है मगर मज़ा कड़वा"।

हदीस (4) सहीह मुस्लिम में हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला इस किताब से बहुत लोगों को बलन्द करता है और बहुतों को पस्त करता है यानी जो इस पर ईमान लाते और अ़मल करते हैं उनके लिये बलन्दी है और दूसरों के लिये पस्ती है"।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो क़ुर्आन पढ़ने में माहिर है वह किरामन, कातिबीन के साथ है और जो शख़्स रुक रुक कर क़ुर्आन पढ़ता है और वह उसपर शाक़ है यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती तकलीफ़ के साथ अदा करता है उसके लिये दो अज्र हैं"।

हदीस (6) शरह सुन्ना में अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तीन चीज़ें क़ियामत के दिन अ़र्श के नीचे होंगी (1)एक क़ुर्आन कि यह बन्दों के लिये झगड़ा करेगा। इसके लिये ज़ाहिर व बातिन है (2)और अमानत (3)और रिश्ता पुकारेगा कि जिसने मुझे मिलाया उसे अल्लाह मिलायेगा और जिसने मुझे काटा अल्लाह उसे काटेगा।

हदीस (7) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''साहिबे कुर्आन से कहा जायेगा कि पढ़ और चढ़ और तर्तील(अच्छी तरह ठहर ठहर के पढ़ना)के साथ पढ़ जिस तरह दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था तेरी मन्ज़िल आख़िर आयत जो तू पढ़ेगा वहाँ है''।

हदीस (8) तिर्मिज़ी व दारमी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जिसके जौफ़ में कुछ कुर्आन नहीं है वह वीरान मकान की मिस्ल है''।

हदीस (9) तिर्मिज़ी व दारमी ने अबूसईद रदियल्ललाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''अल्लाह तआला फ़रमाता है ''जिसको कुर्आन ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सुवाल करने से मश्गूल रखा उसे मैं उससे बेहतर दूँगा जो मांगने वालों को देता हूँ और कलामुल्लाह की फ़ज़ीलत दूसरे कलामों पर वैसी ही है जैसी अल्लाह की फ़ज़ीलत उस की मख़्लूक़ पर है''।

हदीस (10) तिर्मिज़ी व दारमी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जो शख़्स किताबुल्लाह का एक हर्फ़ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो दस के बराबर होगी मैं यह नहीं कहता الم एक हर्फ़ है बल्कि **अलिफ़** एक हर्फ़ है **लाम** दूसरा हर्फ़ है **मीम** तीसरा हर्फ़''

हदीस (11) अबूदाऊद ने मआज़ जोहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जिसने कुर्आन पढ़ा और जो कुछ उसमें है उसपर अमल किया उसके वालिदैन को क़ियामत के दिन ताज पहनाया जायेगा जिसकी रौशनी सूरज से अच्छी है अगर वह तुम्हारे घरों में होता तो अब खुद उस अमल करने वाले के मुतअल्लिक़ तुम्हारा क्या गुमान है''।

हदीस (12) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व दारिमी ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जिसने कुर्आन पढ़ा और उसको याद कर लिया उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना उसके घर वालों में से दस शख़्सों के बारे में अल्लाह तआला उसकी शफ़ाअत क़बूल फ़रमायेगा जिनपर जहन्नम वाजिब होचुका था''।

हदीस (13) तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''कुर्आन सीखो और पढ़ो कि जिसने कुर्आन सीखा और पढ़ा और उसके साथ क़ियाम किया उसकी मिसाल यह है जैसे मुश्क से थैली भरी हुई है जिसकी खुश्बू हर जगह फैली हुई है और जिसने सीखा और सो गया यानी क़यामुल्लैल नहीं किया उसकी मिसाल वह थैली है जिसमें मुश्क भरी हुई है और उसका मुँह बाँध दिया गया है''।

हदीस (14) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''इन दिलों में भी ज़ंग लग जाती है जिस तरह लोहे में पानी लगने से जंग लगती है'' अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसकी जिला किस चीज़ से होगी फ़रमाया ''कस्रत से मौत को याद करने और तिलावते कुर्आन से''।

हदीस (15) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जुन्दुब इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''कुर्आन को उस वक़्त तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल को उल्फ़त और लगाओ हो और जब दिल उचाट होजाये खड़े होजाओ यानी तेलावत बन्द करदो''।

हदीस (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह को जितनी तवज्जोह उस नबी की तरफ़ है जो खुश आवाज़ी से कुर्आन पढ़ता है किसी की तरफ़ इतनी तवज्जोह नहीं"।

हदीस (17) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स कुर्आन को तग़न्नी यानी खुश'आवाज़ी से न पढ़े वह हम में से नहीं" इस हदीस के मुतअ़ल्लिक़ यह भी कहा जाता है कि तग़न्नी से मुराद इस्तिग़ना है यानी कुर्आन पढ़ने के एवज़ में किसी से कुछ लेना न चाहिए।

हदीस (18) इमाम अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी ने बर्रा इब्ने आ़ज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "कुर्आन को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो" और दारमी की रिवायत में है कि "अपनी आवाज़ों से कुर्आन को खुबसूरत करो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुर्आन का हुस्न बढ़ा देती है"।

हदीस (19) बैहक़ी ने उ़बैदा मुलैकी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ कुर्आन वालों कुर्आन को तकिया न बनाओ यानी सुस्ती और तग़ाफ़ुल न बरतो और रात और दिन में उसकी तिलावत करो जैसा तिलावत का हक़ है और उसको फैलाओ और तग़न्नी करो यानी अच्छी आवाज़ से पढ़ो या उसका मुआवज़ा न लो और जो कुछ उसमें है उसे ग़ौर करो ताकि तुमको फ़लाह मिले उसके सवाब में जल्दी न करो क्योंकि इसका सवाब बहुत बड़ा है"। (जो आख़िरत में मिलने वाला है)

हदीस (20) अबूदाऊद व बैहक़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि हम कुर्आन पढ़ रहे थे और हमारे साथ एअ्राबी और अ़ज्मी भी थे इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि "कुर्आन पढ़ो तुम सब अच्छे हो बाद में क़ौमें आयेंगी जो कुर्आन को इस तरह सीधा करेंगी जैसा तीर सीधा होता है उसका बदला जल्दी लेना चाहेंगी देर में लेना नहीं चाहेंगी"। (यानी दुनिया में बदला लेना चाहेंगी)

हदीस (21) बैहक़ी ने हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल्लम ने फ़रमाया कि "कुर्आन को अ़रब के लहन और आवाज़ से पढ़ो अहले इश्क़ और यहूद व नसारा के लहन से बचो यानी क़वाइदे मौसीक़ी के मुताबिक़ गाने से बचो और मेरे बाद एक क़ौम आयेगी जो कुर्आन को तर्जीअ़ के साथ पढ़ेगी जैसे गाने और नोहा में तर्जीअ़ होती है कुर्आन उनके दिलों से तजावुज़ नहीं करेगा उनके दिल फ़ितने में मुब्तला हैं और उनके भी जिनको उनकी यह बात पसन्द है"।

हदीस (22) अबूसईद बिन मुअ़ल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु से सहीह बुख़ारी में रिवायत है कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहा था और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया मैंने जवाब नहीं दिया (जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ) हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था इरशाद फ़रमाया क्या अल्लाह तआला ने नहीं फ़रमाया है

﴿اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُم﴾ "अल्लाह व रसूल के पास हाज़िर होजाओ जब वह तुम्हें बुलायें।"

फिर फ़रमया मस्जिद से बाहर जाने से पहले कुर्आन में जो सबसे बड़ी सूरत है वह बतादूंगा और हुज़ूर ने मेरा हाथ पकड़ लिया जब निकलने का इरादा हुआ मैंने अ़र्ज़ की हुज़ूर ने यह फ़रमाया था कि "मस्जिद से बाहर जाने से पहले कुर्आन की सबसे बड़ी सूरत की तालीम करूँगा फ़रमाया कि الحمد لله رب العلمين वही सब्ए मसानी है और कुर्आन अ़ज़ीम है जो मुझे मिला है"।

हदीस (23) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कअ़ब से फ़रमाया कि "नमाज़ में तुम किस तरह पढ़ते हो" उन्होंने उम्मुलकुर्आन यानी सूरह फ़ातिहा को पढ़ा हुज़ूर ने फ़रमाया "क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है न उसकी मिस्ल तौरात में कोई सूरत उतारी गई, न इन्जील में, न ज़बूर में न

कुर्आन में वह 'सबअ् मसानी' और कुर्आने अज़ीम है जो मुझे मिला''।

हदीस् (24) सूरए फ़ातिहा हर बीमारी से शिफ़ा है। (दारमी बैहकी)

हदीस् (25) सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थे ऊपर से एक आवाज़ आई उन्होंने सर उठालिया और यह कहा कि आसमान का यह दरवाज़ा आज ही खोला गया आज से पहले कभी नहीं खुला एक फ़िरिश्ता उतरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यह फ़िरिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था उसने सलाम किया और यह कहा कि हुज़ूर को बशारत हो कि दो नूर हुज़ूर को दिये गये और हुज़ूर से पहले किसी नबी को नहीं मिले वह दोनों नूर यह हैं सूरए फ़ातिहा और सूरए बक़रा का ख़ात्मा, जो हर्फ़ आप पढ़ेंगे वह दिया जायेगा।

हदीस् (26) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''अपने घरों को मक़ाबिर (कब्रें) न बनाओ शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरए बक़रा पढ़ी जाती है''।

हदीस् (27) सहीह मुस्लिम में अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने यह फ़रमाते सुना कि ''कुर्आन पढ़ो क्योंकि वह क़ियामत के दिन अपने असहाब के लिये शफ़ी होकर आयेगा 'दो चमकदार सूरतें बक़रा व आलेइमरान को पढ़ो' कि यह दोनों क़ियामत के दिन इस तरह आयेंगी गोया दो अब्र हैं या दो साइबान हैं या सफ़ बस्ता परन्दों की दो जमाअतें, वह दोनों अपने असहाब की तरफ़ से झगड़ा करेंगी यानी उनकी शफ़ाअत करेंगी सूरए बक़रा को पढ़ो कि उसका लेना बरकत है और उसका छोड़ना हसरत है और अहले बातिल-उसकी इस्तिताअत नहीं रखते।

हदीस् (28) सहीह मुस्लिम में अबी इब्ने कअ्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''ऐ अबुल मुन्ज़िर (यह अबी इब्ने कअ्ब की कुन्नियत है) तुम्हारे पास कुर्आन की सबसे बड़ी आयत कौनसी है मैंने कहा अल्लाह व रसूल अअ्लम (अल्लाह व रसूल ज़्यादा जानने वाले) हैं हुज़ूर ने फ़रमाया ऐ अबुल मुन्ज़िर तुम्हें मअ्लूम है कि कुर्आन की कौनसी आयत तुम्हारे पास सब में बड़ी है मैंने अर्ज़ की اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ (यानी आयतुलकुर्सी) हुज़ूर ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फ़रमाया अबुल मुन्ज़िर तुमको इल्म मुबारक हो।

हदीस् (29) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़काते रमज़ान यानी सदक़ए फ़ित्र की हिफ़ाज़त मुझे सिपुर्द फ़रमाई थी एक आने वाला आया और ग़ल्ला भरने लगा मैंने उसे पकड़ लिया और यह कहा कि तुझे हुज़ूर की ख़िदमत में पेश करूँगा कहने लगा मैं मोहताज अयालदार हूँ, सख़्त हाजतमन्द हूँ, मैंने उसे छोड़ दिया जब सुबह हुई हुज़ूर ने फ़रमाया अबूहुरैरा तुम्हारा रात का क़ैदी क्या हुआ मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसने शदीद हाजत और अयाल की शिकायत की मुझे रहम आगया छोड़ दिया इरशाद फ़रमाया वह तुमसे झूट बोला और वह फिर आयेगा। मैंने समझ लिया वह फिर आयेगा क्योंकि हुज़ूर ने फ़रमादिया है मैं उसके इन्तिज़ार में था वह आया और ग़ल्ला भरने लगा मैंने उसे पकड़ लिया और यह कहा तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पेश करूँगा उसने कहा मुझे छोड़ दो मैं मोहताज हूँ अयालदार हूँ अब नहीं अऊँगा मुझे रहम आगया उसे छोड़ दिया सुबह हुई तो हुज़ूर ने फ़रमाया अबूहुरैरा तुम्हारा क़ैदी क्या हुआ मैंने अर्ज़ की उसने हाजते शदीदा और अयालदारी की शिकायत की मुझे रहम आया उसे छोड़दिया हुज़ूर ने फ़रमाया वह तुमसे झूट बोला और फ़िर आयेगा मैं उसके इन्तिज़ार में था वह आया और ग़ल्ला भरने लगा मैंने पकड़ा और कहा तुझे हुज़ूर के पास पेश करूँगा तीन मरतबा होचुका तू कहता है नहीं आयेगा फिर आता है उसने कहा मुझे छोड़दो मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुमको नफ़ा देगा जब

तुम बिछौने पर जाओ आयतुल कुर्सी "اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" आख़िर आयत तक पढलो सुबह तक अल्लाह की तरफ़ से तुम पर निगेहबान होगा और शैतान तुम्हारे क़रीब नहीं आयेगा मैंने उसे छोड़दिया जब सुबह हुई हुज़ूर ने फ़रमाया तुम्हारा क़ैदी क्या हुआ मैंने अर्ज़ की उसने कहा चन्द कलिमात तुम को सिखाता हूँ अल्लाह तआला तुम्हें उनसे नफ़अ़ देगा हुज़ूर ने फ़रमाया यह बात उसने सच कही और वह बड़ा झूटा है और तुम्हें मअ़लूम है कि तीन रातों से तुम्हारा मुख़ातब कौन है मैंने अर्ज़ की नहीं हुज़ूर ने फ़रमाया कि वह शैतान है।

हदीस् (30) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सूरए बक़रा की आख़िरी दो आयतें जो शख़्स रात में पढ़ले वह उसके लिये काफ़ी हैं"।

हदीस् (31) अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन के पैदा करने से दो हज़ार बरस पहले एक किताब लिखी उसमें से दो आयतें जो सूरए बक़रा के ख़त्म पर हैं नाज़िल फ़रमाईं जिस घर में तीन रातों तक पढ़ी जायें शैतान उसके क़रीब नहीं जायेगा। (तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस् (32) सूरए बक़रा के ख़ातिमा की दो आयतें अल्लाह तआला के उस ख़ज़ाने में से हैं जो अ़र्श के नीचे है अल्लाह ने मुझे यह दोनों आयतें दीं उन्हें सीखो और अपनी औ़रतों को सिखाओ कि वह रहमत हैं और अल्लाह से नज़्दीक और दुआ हैं। (दारमी)

हदीस् (33) सहीह मुस्लिम में अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सूरए कहफ़ की पहली दस आयतें जो शख़्स याद करले वह दज्जाल से महफ़ूज़ रहेगा"।

हदीस् (34) जो शख़्स सूरए कहफ़ जुमा के दिन पढ़ेगा उसके लिये दो जुमा के मा'बैन नूर रौशन होगा। (बैहक़ी)

हदीस् (35) हर चीज़ के लिये दिल है और क़ुर्आन का दिल यासीन है जिसने यासीन पढ़ी दस मरतबा क़ुर्आन पढ़ना अल्लाह तआला उसके लिये लिखेगा। (तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस् (36) अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान के पैदा करने से हज़ार बरस पहले ता'हा व 'यासीन' पढ़ा जब फ़िरिश्तों ने सुना यह कहा मुबारक हो उस उम्मत के लिये जिस पर यह उतारा जाये और मुबारक हो उन जोफ़ों के लिये जो उसके हामिल हों और मुबारक हो उन ज़बानों के लिये जो उसको पढ़ें। (दारमी)

हदीस् (37) जो शख़्स अल्लाह तआला की रज़ा के लिये यासीन पढ़ेगा उसके अगले गुनाहों की मग़्फ़िरत होजायेगी लिहाज़ा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। (बैहक़ी)

हदीस् (38) जो शख़्स 'हा' 'मीम' अल'मोमिन को 'इलैहिल'मसीर' तक और आयतुल'कुर्सी सुबह को पढ़ लेगा शाम तक महफ़ूज़ रहेगा और जो शाम को पढ़लेगा सुबह तक महफ़ूज़ रहेगा। (तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस् (39) जो शख़्स 'हा''मीम' अद्दुख़्ख़ान शबे जुमा में पढ़े उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (40) नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक 'अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील' और 'तबारकल्लज़ी बियदिहिलमुल्कु' न पढ़ लेते सोते न थे। (अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस् (41) ख़ालिद बिन मअ़दान ने कहा निजात देनी वाली सूरत को पढ़ो वह 'अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील' है मुझे ख़बर पहुँची है कि एक शख़्स इसको पढ़ता था इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ता था और वह बहुत गुनहगार था इस सूरत ने अपना बाज़ू उसपर बिछा दिया और कहा ऐ रब! इसकी मग़्फ़िरत फ़रमादे कि यह मुझको कस्रत (ज़्यादा) से पढ़ता था। रब तआला ने उसकी शफ़ाअ़त क़बूल फ़रमाई और फ़िरिश्तों से फ़रमाया कि उसकी हर ख़ता के बदले में एक नेकी लिखो और एक दर्जा बलन्द करो और ख़ालिद ने यह भी कहा कि शफ़ाअ़त क़बूल फ़रमा और तेरी किताब में से नहीं हूँ तो उसमें से मुझे मिटादे और वह परिन्द की तरह अपने बाज़ू उसपर बिछा देगी और शफ़ाअ़त

करेगी और अज़ाबे क़ब्र से बचायेगी और ख़ालिद ने तबारक के मुतअ़ल्लिक़ भी ऐसा ही कहा और जब तक उन दोनों को पढ़ न लेते ख़ालिद सोते न थे और ताऊस ने कहा कि यह दोनों सूरतें कुर्आन की हर एक सूरत पर साठ ह़सना के साथ फ़ज़ीलत रखती हैं। (दारमी)

ह़दीस (42) कुर्आन में तीस आयत की एक सूरत है आदमी के लिये शफ़ाअ़त करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी वह तबारकल्लज़ी बियदिहिलमुल्क है। (अह़मद, व तिर्मिज़ी, व अबूदाऊद व निसाई)

ह़दीस (43) बाज़ सहाबा ने क़ब्र पर ख़ेमा गाड़ दिया उन्हें यह मअ़लूम न था कि यहाँ क़ब्र है उस में किसी शख़्स ने तबारकल्लज़ी बियदिहलमुल्क ख़त्म सूरत तक पढ़ा जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर यह वाक़िआ़ सुनाया तो हुज़ूर ने फ़रमाया "वह मानिआ़ है वह मुन्जिया है, अज़ाबे इलाही से निजात देती है"। (तिर्मिज़ी)

ह़दीस (44) जो शख़्स सूरए वाक़िआ़ हर रात में पढ़ लेगा उसको कभी फ़ाक़ा नहीं पहुँचेगा इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु अपनी साहबज़ादियों को हुक्म फ़रमाते थे कि हर रात में इसको पढ़ा करें। (बैहक़ी)

ह़दीस (45) क्या तुम इसकी इस्तिताअ़त नहीं रखते कि हर रोज़ एक हज़ार आयतें पढ़ा करो लोगों ने अ़र्ज़ की उसकी कौन इस्तिताअ़त रखता है कि हर रोज़ हज़ार आयतें पढ़ा करे फ़रमाया क्या इस की इस्तितअ़ात नहीं कि الهٰكم التكاثر पढ़ लिया करो।

ह़दीस (46) क्या तुम इससे आजिज़ हो कि रात में तिहाई कुर्आन पढ़ लिया करो लोगों ने अ़र्ज़ की तिहाई कुर्आन क्योंकर कोई पढ़ लेगा फ़रमाया قل هو الله احد तिहाई की बराबर है"। (बुख़ारी, मुस्लिम)

ह़दीस (47) اِذَا زُلْزِلَت निस्फ़ कुर्आन की बराबर है और قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ तिहाई कुर्आन की बराबर है और قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ चौथाई की बराबर। (तिर्मिज़ी)

ह़दीस (48) जो एक दिन में दो सौ मरतबा قُلْ هُوَ اللّٰه احد पढ़ेगा उसके पचास बरस के गुनाह मिटा दिये जायेंगे मगर यह कि उस पर दैन हो। (तिर्मिज़ी, दारमी)

ह़दीस (49) जो शख़्स सोते वक़्त बिछौने पर दाहिने करवट लेट कर सौ मरतबा قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढे क़ियामत के दिन रब तबारक व तआ़ला उससे फ़रमायेगा "ऐ मेरे बन्दे अपनी दाहिनी जानिब जन्नत में चला जा"। (तिर्मिज़ी)

ह़दीस (50) नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ते सुना फ़रमाया कि "जन्नत वाजिब होगई। (इमाम मालिक, तिर्मिज़ी, निसाई)

ह़दीस (51) किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कुर्आन में सबसे बड़ी सूरत कौनसी है फ़रमाया قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد उसने अ़र्ज़ की कुर्आन में सबसे बड़ी आयत कौनसी है फ़रमाया आयतुलकुर्सी اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ उसने कहा या रसूलल्लाह कौनसी आयत आपको और आप की उम्मत को पहुँचना महबूब है यानी उसका फ़ायदा व सवाब। फ़रमाया सूरए बक़रा के ख़ात्मा की आयत कि वह रहमते इलाही के ख़ज़ाने से अ़र्शे इलाही के नीचे से है अल्लाह तआ़ला ने वह आयत इस उम्मत को दी दुनिया व आख़िरत की कोई ख़ैर नहीं मगर यह उस पर मुश्तमिल है। (दारमी)

ह़दीस (52) जो शख़्स اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ तीन मरतबा पढ़कर सूरह ह़श्र की पिछली तीन आयतें पढ़े अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार फ़िरिश्ते मुक़र्रर फ़रमायेगा जो शाम तक उसके लिये दुआ करेंगे और अगर वह शख़्स उस रोज़ मरजाये तो शहीद मरेगा और शाम को पढ़ली तो उसके लिये भी यही है। (तिर्मिज़ी)

ह़दीस (53) जो कुर्आन पढ़े उसको अल्लाह से सवाल करना चाहिए अ़नक़रीब ऐसे लोग आयेंगे जो कुर्आन पढ़कर आदमियों से सुवाल करेंगे। (अह़मद, तिर्मिज़ी)

ह़दीस (54) जो कुर्आन पढ़कर आदमियों से खाना मांगेगा क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त न होगा, निरी हड्डियाँ होंगी। (बैहक़ी)

हदीस (55) इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मुस्हफ़ लिखने की उजरत से सवाल हुआ उन्होंने फ़रमाया इसमें हरज नहीं वह लोग नक़्श बनाते हैं और अपनी दस्तकारी से खाते हैं यानी यह एक क़िस्म की दस्तकारी है उसका मुआवज़ा लेना जाइज़ है। (रज़ीन)

कुर्आन मजीद की तिलावत वग़ैरा के मसाइल हिस्सा सोम में मज़कूर हो चुके हैं वहाँ से मअ्लूम किये जायें मुस्हफ़ शरीफ़ के मुतअल्लिक़ बाज़ बातें यहाँ ज़िक्र की जाती हैं।

कुर्आन मजीद और किताबों के आदाब

मसअ्ला.1:– कुर्आन मजीद पर सोने चाँदी का पानी चढ़ाना जाइज़ है कि उससे नज़रे अवाम में अज़मत पैदा होती है उसमें एअ्राब व नुक़ते लगाना भी मुस्तहसन है क्योंकि अगर ऐसा न किया जाये तो अकस्र लोग उसे सहीह न पढ़ सकेंगे इसतरह आयते सजदा पर सजदा लिखना और वक़्फ़ की अलामतें लिखना और रूकूअ् की अलामत लिखना और तअ्शीर यानी दस दस आयतों पर निशान लगाना जाइज़ है उसी तरह सूरतों के नाम लिखना और यह लिखना कि इसमें इतनी आयतें हैं यह भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) इस ज़माने में कुर्आन मजीद के तराजिम भी छापने का रिवाज है अगर तर्जमा सहीह हो तो कुर्आन मजीद के साथ तबअ् करने में हरज नहीं इस लिये कि उससे आयत का तर्जमा जानने में सुहूलत होती है मगर तन्हा तर्जमा न छापा जाये।

मसअ्ला.2:– तारीख़ के औराक़ कुर्आन मजीद की जिल्द या तफ़सीर व फ़िक़्ह की किताबों पर बतौर गिलाफ़ चढ़ाना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– कुर्आन मजीद की किताबत निहायत ख़ुश ख़त और वाज़ेह हरफ़ों में की जाये। काग़ज़ भी बहुत अच्छा, रोशनाई भी ख़ूब अच्छी हो कि देखने वाले को भला मअ्लूम हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) बाज़ छापने वाले निहायत मअ्मूली कागज़ पर बहुत ख़राब काग़ज़ व रोशनाई से छपवाते हैं यह हरगिज़ न होना चाहिए।

मसअ्ला.4:– कुर्आन मजीद का हजम छोटा करना मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार) बाज़ अहले मताबेअ् ने तअ्वीज़ी कुर्आन मजीद छपवाये हैं जिनका क़लम इतना बारीक है कि पढ़ने में भी नहीं आता बल्कि हमाइल भी न छपवाई जाये कि उसका हजम भी बहुत कम होता है।

मसअ्ला.5:– कुर्आन मजीद पुराना, बोसीदा होगया इस क़ाबिल न रहा कि उसमें तिलावत की जाये और यह अन्देशा है कि उसके औराक़ मुन्तशिर होकर ज़ाइअ् (बर्बाद) होंगे तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफ़न करदिया जाये और दफ़न करने में उसके लिये लहद बनाई जाये ताकि उसपर मिट्टी न पड़े या उस पर तख़्ता लगाकर छत बनाकर मिट्टी डालें कि उसपर मिट्टी न पड़े। मुसहफ़ शरीफ़ बोसीदा होजाये तो उसको जलाया न जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– लुग़त व नहव व सर्फ़ का एक मरतबा है उनमें हर एक की किताब को दूसरे की किताब पर रख सकते हैं और उनसे ऊपर इल्मे कलाम की किताबें रखी जायें इनके ऊपर फ़िक़्ह और अहादीस व मवाइज़ व दअ्वाते मासूरा फ़िक़्ह से ऊपर और तफ़सीर को उनके ऊपर और कुर्आन मजीद को सबके ऊपर रखें कुर्आन मजीद जिस सन्दूक़ में हों उसपर कपड़ा वग़ैरा न रखा जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– किसी ने महज़ ख़ैर व बरकत के लिये अपने मकान में कुर्आन मजीद रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं बल्कि उसकी यह नियत बाइसे सवाब है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.8:– कुर्आन मजीद पर अगर्चे बक़स्दे तौहीन(तौहीन के इरादे से)पाँव रखा काफ़िर होजायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– जिस घर में कुर्आन मजीद रखा हो उसमें बीवी से सोहबत करना जाइज़ है जबकि कुर्आन मजीद पर पर्दा पड़ा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– कुर्आन मजीद को निहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए अगर आवाज़ अच्छी न हो तो अच्छी आवाज़ बनाने की कोशिश करे। लहन के साथ पढ़ना कि हुरूफ़ में कमी बेशी होजाये जैसे गाने वाले किया करते हैं यह ना जाइज़ है उसी तरह अज़ान कहने में ख़ुश गुलू से काम ले यानी

है बल्कि पढ़ने में क़वाइदे तजवीद की मुराआत करे (किरात के कायदे के मुताबिक पढ़े)। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअला.11:– क़ुर्आन मजीद को मअ़रूफ़ व शाज़ दोनों किरातों (मशहूर किरात और गैर मशहूर किरात) के साथ एक साथ पढ़ना मकरूह है तो फ़क़त किराते शाज़्ज़ा (जो मशहूर न हो और कम पढ़ी जाती हो) के साथ पढ़ना बदरजाए औला मकरूह है। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुल मुहतार) बल्कि अवाम के सामने वही किरात पढ़ी जाये जो वहाँ राइज है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी नावाकिफी की वजह से इन्कार कर बैठे।
मसअला.12:– मुसलमानों में यह दस्तूर है कि क़ुर्आन मजीद पढ़ते वक्त अगर उठकर कहीं जाते हैं तो बन्द कर देते हैं खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते यह अदब की बात है मगर बाज़ लोगों में यह मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जायेगा तो शैतान पढ़ेगा इसकी अस्ल नहीं मुम्किन है कि बच्चों को इस अदब की तरफ़ तवज्जोह दिलाने के लिये ऐसा इख़्तिरा किया हो (बात बनाई हो)।
मसअला.13:– क़ुर्आन मजीद के आदाब में यह भी है कि उसकी तरफ़ पीठ न की जाये, न पाँव फैलाए जायें, न पाँव को उससे ऊँचा करें, न यह कि खुद ऊँची जगह पर हो, और क़ुर्आन मजीद नीचे हो।
मसअला.14:– क़ुर्आन मजीद को जुज़्दान व ग़िलाफ़ में रखना अदब है सहाबा व ताबेईन रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के ज़माने से उस पर मुसलमानों का अमल है।
मसअला.15:– नये क़लम का तराशा इधर उधर फेंक सकते हैं मगर मुस्तअ़मल कलम का तराशा एहतियात की जगह में रखा जाये फेंका न जाये। उसी तरह मस्जिद का घास, कूड़ा मोजअे एहतियात में डाला जाये ऐसी जगह न फेंका जाये कि एहतिराम के खिलाफ़ हो। (आलमगीरी)
मसअला.16:– जिस काग़ज़ पर अल्लाह तआला का नाम लिखा हो उसमें कोई चीज़ रखना मकरूह है और थैली पर असमाए इलाही लिखे हों उसमें रूपया पैसा रखना मकरूह नहीं खाने के बाद उंगलियों को काग़ज़ से पोंछना मकरूह है। (आलमगीरी)

आदाबे मस्जिद व क़िब्ला

"मस्जिद के मुतअल्लिक़ मसाइल हिस्सा सोम में मुफ़स्सल ज़िक्र किये गये हैं"

मस्जिद को चूने और गच से मुनक़्क़श करना जाइज़ है सोने चाँदी के पानी से नक़्श व निगार करना भी जाइज़ है जबकि कोई शख़्स अपने माल से ऐसा करे माले वक़्फ़ से ऐसा नहीं कर सकता बल्कि मुतवल्ली मस्जिद ने अगर माले वक़्फ़ से सोने चाँदी का नक़्श कराया तो उसे तावान देना होगा। हाँ अगर बानी मस्जिद ने नक़्श कराया था जो ख़राब होगया तो मुतवल्ली मस्जिद माले मस्जिद से भी नक़्श व निगार करा सकता है। बाज़ मशाइख़ दीवारे क़िबला में नक़्श व निगार करने को मकरूह बताते हैं कि नमाज़ी का दिल उधर मुतवज्जेह होगा। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअला.1:– मस्जिद की दीवारों में गच और पलास्तर कराना जाइज़ है कि उसकी वजह से इमारत महफ़ूज़ रहेगी। मस्जिद में प्लास्तर कराने या क़लई या कहगल कराने में नापाक पानी इस्तेअ़माल न किया जाये। (आलमगीरी)
मसअला.2:– मस्जिद में दर्स देना जाइज़ है अगर्चे ब'वक़्ते दर्स मस्जिद की जा'नमाज़ों और चटाईयों को इस्तेअ़माल करता हो मस्जिद में खाना और सोना मोअ़तकिफ़ को जाइज़ है ग़ैर मोअ़तकिफ़ के लिये मकरूह है अगर कोई शख़्स मस्जिद में खाना या सोना चाहता हो तो वह ब'नियते एअ़तिकाफ़ मस्जिद में दाख़िल हो और ज़िक्र करे या नमाज़ पढ़े उसके बाद वह काम कर सकता है। (आलमगीरी) हिन्दुस्तान में तक़रीबन हर जगह यह रिवाज है कि माहे रमज़ान में आम तौर पर मस्जिद में रोज़ा इफ़तार करते हैं अगर ख़ारिजे मस्जिद कोई जगह ऐसी हो कि वहाँ इफ़्तार करें जब तो मस्जिद में इफ़तार न करें वरना दाख़िल होते वक़्त एअ़तिकाफ़ की नियत कर लिया करें अब इफ़तार करने में हरज नहीं मगर इस बात का अब भी लिहाज़ करना होगा कि मस्जिद का फ़र्श या चटाईयाँ आलूदा न करें।
मसअला.3:– मस्जिद को रास्ता न बनाया जाये मस्लन मस्जिद के दो दरवाज़े हैं और उसको कहीं

जाना है आसानी इसमें है कि एक दरवाज़े से दाख़िल होकर दूसरे से निकल जाये ऐसा न करे अगर कोई शख़्स इस नियत से गया कि इस दरवाज़े से दाख़िल होकर दूसरे से निकल जायेगा अन्दर जाने के बाद अपने इस फ़ेअ्ल पर नादिम हुआ तो जिस दरवाज़े से निकलने का इरादा किया था उसके सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले और बाज़ उलमा ने फ़रमाया है कि यह शख़्स पहले नमाज पढे फिर निकले और बाज़ ने फ़रमाया कि अगर बे वज़ू है तो जिस दरवाज़े से गया है उसी से निकले मस्जिद में जूते पहनकर जाना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– जामेअ् मस्जिद में तअ्वीज़ बेचना ना'जाइज़ है जैसा कि तअ्वीज़ वाले किया करते हैं कि इस तअ्वीज़ का यह हदिया है इतना दो और तअ्वीज़ लेजाओ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मस्जिद में अक़्दे निकाह करना मुस्तहब है (आलमगीरी) मगर यह ज़रूरी है कि व'वक़्ते निकाह शोर गुल और ऐसी बातें जो एहतिरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ हैं न होने पायें लिहाज़ा अगर मअ्लूम हो कि मस्जिद के आदाब का लिहाज़ न रहेगा तो मस्जिद में निकाह न पढ़वायें।

मसअ्ला.6:– जिस के बदन या कपड़े पर नजासत लगी हो वह मस्जिद में न जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मस्जिद में इन आदाब का लिहाज़ रखे (1)जब मस्जिद में दाख़िल हो तो सलाम करे ब'शर्ते कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं ज़िक्र व दर्स में मशग़ूल न हों और अगर वहाँ कोई न हो या जो लोग हैं वह मशग़ूल हैं तो यूँ कहे। اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَّبِّنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْن (2)वक़्ते मकरूह न हो तो दो रकअ्त तहिय्यतुलमस्जिद अदा करे। (3)ख़रीद व फ़रोख़्त न करे (4)नंगी तलवार मस्जिद में न लेजाये (5)गुमी हुई चीज़ मस्जिद में न ढूंडे (6)ज़िक्र के सिवा आवाज़ बलन्द न करे। (7)दुनिया की बातें न करे। (8)लोगों की गर्दनें न फलांगे (9)जगह के मुतअ़ल्लिक़ किसी से झगड़ा न करे। (10)इस तरह न बैठे कि दूसरों के लिये जगह में तंगी हो। (11)नमाज़ी के आगे से न गुज़रे (12)मस्जिद में थूक खंकार न डाले (13)उंगलियाँ न चटकाये। (14)निजासत और बच्चों और पगलों से मस्जिद को बचाये (15)ज़िक्रे इलाही की कस्रत करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मस्जिद में जगह तंग होगई तो जो नमाज़ पढ़ना चाहता है वह बैठे हुए को कह सकता है कि सरक जाओ नमाज़ पढ़ने की जगह देदो अगर्चे वह शख़्स ज़िक्र व दर्स या तिलावते क़ुर्आन में मशग़ूल हो या मोअ्तकिफ़ हो। (आमलगीरी)

मसअ्ला.9:– मस्जिद के साइल को देना मना है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना मकरूह है। मस्जिद में कलाम करना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। यह जाइज़ कलाम के मुतअ़ल्लिक़ है नाजाइज़ कलाम के गुनाह का क्या पूछना। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– नमाज़ पढ़ने के बाद मुसल्ले को लपेटकर रख देते हैं यह अच्छी बात है कि इस में ज़्यादा एहतियात है मगर बाज़ लोग जाए'नमाज़ का सिर्फ़ कोना लौट देते हैं और यह कहते हैं कि ऐसा न करने में उसपर शैतान नमाज़ पढ़ेगा यह बे अस्ल है।

मसअ्ला.11:– मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है गर्मी की वजह से मस्जिद की छत पर जमाअ़त करना मकरूह है हाँ अगर मस्जिद में तंगी हो नमाज़ियों की कस्रत हो तो छत पर नमाज़ पढ सकते हैं जैसा बम्बई और कलकत्ता में मस्जिद की तंगी की वजह से छत पर भी जमाअ़त होती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– तालिब इल्म ने मस्जिद की चटाई का तिन्का निशानी के लिये किताब में रख लिया यह मुआफ़ है। (आलमगीरी) इस का यह मतलब नहीं कि अच्छी चटाई से तिन्का तोड़कर निशानी बनाये कि इस तरह बार बार करने से चटाई ख़राब होजायेगी।

मसअ्ला.13:– क़िब्ले की जानिब हदफ़ यानी निशाना बनाकर उसपर तीर मारना या उसपर गोली मारना मकरूह है यानी क़िब्ले की तरफ़ चाँद मारी करना मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार)

इयादत व इलाज का बयान

इयादत के फ़ज़ाइल के मुतअल्लिक़ चन्द अहादीस हिस्सा–ए–चहारुम किताबुल'जनाइज़ में ज़िक्र की गई हैं इलाज के मुतअल्लिक़ कुछ हदीसें यहाँ लिखी जाती हैं।

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके लिये शिफ़ा भी उतारी।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर बीमारी के लिये दवा है जब बीमारी को दवा पहुँच जायेगी अल्लाह के हुक्म से अच्छा होजायेगा।

हदीस् (3) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने उसामा बिन शरीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम दवा करें फ़रमाया हाँ ऐ अल्लाह के बन्दो! दवा करो क्योंकि अल्लाह ने बीमारी नहीं रखी मगर उसके लिये शिफ़ा भी रखी है सिवा एक बीमारी के वह बुढ़ापा है।

हदीस् (4) अबूदाऊद ने अबूद्दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बीमारी और दवा दोनों को अल्लाह तआला ने उतारा उसने हर बीमारी के लिये दवा मुक़र्रर की बस तुम दवा करो मगर हराम से दवा मत करो।

हदीस् (5) इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दवा–ए–ख़बीस् से मुमानअत फ़रमाई।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मरीज़ों को खाने पर मजबूर न करो कि उनको अल्लाह तआला खिलाता, पिलाता है।

हदीस् (7) इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब मरीज़ खाने की ख़्वाहिश करे तो उसे खिलादो। यह हुक्म उस वक़्त है कि खाने का इश्तिहाए सादिक़ हो। (यानी खाने की सच्ची ख़्वाहिश हो)

हदीस् (8) अबूदाऊद ने उम्मे मुन्ज़िर बिन्ते क़ैस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये हज़रत अली को निक़ाहत (कमज़ोरी) थी यानी बीमारी से अभी अच्छे हुए थे मकान में खजूर के खोशे लटक रहे थे। हुज़ूर ने उनमें से खजूरें तनावुल फ़रमाईं हज़रत अली ने खाना चाहा हुज़ूर ने उनको मनअ् किया और फ़रमाया कि तुम नक़ीह (कमज़ोर) हो कहती हैं कि जौ और चुक़न्दर पकाकर हाज़िर लाई हुज़ूर ने हज़रत अली से फ़रमाया इसमें से लो कि यह तुम्हारे लिए नाफ़ेअ् (फ़ायदा देने वाली) है इस हदीस् से मअ्लूम हुआ कि मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए जो चीज़ें उसके लिये मुज़िर हैं उनसे बचना चाहिए।

हदीस् (9) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इमरान बिन हुसैन और इब्ने माजा ने बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 'झाड़ फूंक नहीं मगर नज़रे बद और ज़हरीले जानवर के काटने से यानी उन दोनों में ज़्यादा मुफ़ीद है।

हदीस् (10) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने असमा बिन्ते उमैस रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह औलादे जअ्फ़र को जल्द नज़र लग जाया करती है क्या झाड़ फूंक कराऊँ फ़रमाया "हाँ क्योंकि अगर कोई चीज़ तक़दीर से सबक़त लेजाने वाली होती तो नज़रे बद सबक़त लेजाती"।

हदीस् (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नज़रे बद से झाड़ फूंक कराने का हुक्म फ़रमाया है।

हदीस् (12) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि उनके घर में एक लड़की थी जिसके चेहरे में ज़र्दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उसे झाड़ फूंक कराओ क्योंकि उसे नज़र लग गई है।

हदीस् (13) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक से मनअ़ फ़रमाया और हमारे पास बिच्छू का झाड़ है और उसको हुज़ूर के सामने पेश किया इरशाद फ़रमाया उसमें कुछ हरज नहीं जो शख़्स अपने भाई को नफ़अ़ पहुँचा सके नफ़अ़ पहुँचाये।

हदीस् (14) सहीह मुस्लिम में औफ़ बिन मालिक अशजई से रिवायत है कहते हैं कि हम जाहिलियत में झाड़ा करते थे हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर का इसके मुतअ़ल्लिक़ क्या इरशाद है फ़रमाया कि "मेरे सामने पेश करो झाड़ फूंक में हरज नहीं जब तक उसमें शिर्क न हो"।

हदीस् (15) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "उदवा नहीं यानी मर्ज़ लगना और मुतअ़द्दी होना नहीं है और न बद फ़ाली है और न हामा (लू) है न सफ़र और मजज़ूम से भागो जैसे शेर से भागते हो"(यानी सफर के महीने को लोग मन्हूस समझते हैं हदीस् में फरमाया गया यह कोई चीज़ नहीं, मजजूम जिसे जुजाम का मर्ज हो)

दूसरी रिवायत में है कि एक एअराबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसकी क्या वजह है कि रेगिस्तान में ऊँट हिरन की तरह (साफ़ सुथरा) होता है और ख़ारिश्ती ऊँट (खुजली वाला ऊँट) जब उसके साथ मिलजाता है तो उसे भी ख़ारिश्ती कर देता है हुज़ूर ने फ़रमाया 'पहले को किसने मर्ज़ लगा दिया' यानी जिस तरह पहला ऊँट ख़ारिश्ती होगया दूसरा भी होगया मर्ज़ का मुतअ़द्दी होना (एक मर्ज़ का दूसरे को लग जाना) ग़लत है और मजज़ूम से भागने का हुक्म सद्दे ज़राइअ़ के क़बील (ज़राइअ़ रोकने के क़बील) से है कि अगर उससे मेल जोल में दूसरे को जुज़ाम पैदा होजाये तो यह ख़याल होगा कि मेल जोल से पैदा हुआ इस ख़याले फ़ासिद (बुरे ख़याल) से बचने के लिये यह हुक्म हुआ कि उससे अलाहिदा रहो।

हदीस् (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि 'बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और फ़ाल अच्छी चीज़ है' लोगों ने अर्ज़ की फ़ाल क्या चीज़ है फ़रमाया अच्छा कलिमा जो किसी से सुने यानी कहीं जाते वक़्त या किसी काम का इरादा करते वक़्त किसी की ज़बान से अगर अच्छा कलिमा निकल गया यह फ़ाले हसन है।

हदीस् (17) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तय्यरा (बदफाली) शिर्क है उसको तीन मरतबा फ़रमाया (यानी मुश्रिकीन का तरीक़ा है) जो कोई हममें से हो यानी मुसलमान हो वह अल्लाह पर तवक्कुल करके चला जाये"।

हदीस् (18) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी काम के लिये निकलते तो यह बात हुज़ूर को पसन्द थी कि या राशिद, या नजीह, सुनें यानी उस वक़्त अगर कोई शख़्स उन नामों के साथ किसी को पुकारता यह हुज़ूर को अच्छा मअ़लूम होता कि यह कामयाबी और फ़लाह की फ़ाले नेक है।

हदीस् (19) अबू दाऊद ने बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से बद शगुनी (बद फ़ाली) नहीं लेते जब किसी आमिल को भेजते उसका नाम दरयाफ़्त करते अगर उसका नाम पसन्द होता तो खुश होते और खशी के आसार चेहरे

बाल या हड्डी या किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेअ्माल करना हराम है। दूसरे जानवरों की हड्डियाँ दवा में इस्तेअ्माल की जा सकती हैं बशर्ते कि ज़बीहा की हड्डियाँ हों या खुश्क हों कि उसमें रतूबत (गीलापन) बाक़ी न हो हड्डियाँ अगर ऐसी दवा में डाली गई हों जो खाई जायेंगी तो यह ज़रूरी है कि ऐसे जानवर की हड्डी हो जिसका खाना हलाल है और ज़बह भी कर दिया हो मुर्दार की हड्डी खाने में इस्तेअ्माल नहीं की-जासकती। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– हराम चीज़ों को दवा के तौर पर भी इस्तेअ्माल करना ना'जाइज़ है कि हदीस में इरशाद फ़रमाया जो चीज़ें हराम हैं उनमें अल्लाह तआला ने शिफ़ा नहीं रखी है। बाज़ कुतुब में यह मज़कूर है कि अगर चीज़ के मुतअ़ल्लिक यह इल्म हो कि उसी में शिफ़ा है तो उस सूरत में वह चीज़ हराम नहीं इसका हासिल भी वही है क्योंकि किसी चीज़ की निस्बत हरगिज़ यह यक़ीन नहीं किया जासकता कि इससे मर्ज़ ज़ाइल ही हो जायेगा ज़्यादा से ज़्यादा ज़न और गुमान हो सकता है न कि इल्म व यक़ीन खुद इल्मे तिब के क़वाइद व उसूल ही ज़न्नी हैं लिहाज़ा यक़ीन हासिल होने की कोई सूरत नहीं यहाँ वैसा यक़ीन भी नहीं हो सकता जैसा भूके को हराम लुक़्मा, खाने से या प्यासे को शराब पीने से जान बच जाने में होता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

अंग्रेज़ी दवायें बकस्रत ऐसी हैं जिनमें स्प्रिट और शराब की आमेज़िश (मिलावट) होती है ऐसी दवायें हरगिज़ इस्तेअ्माल न की जायें।

मसअ्ला.5:– बीमारी के मुतअ़ल्लिक़ तबीब ने यह कहा कि ख़ून का ग़लबा है फ़स्द वग़ैरा के ज़रीए से ख़ून निकाला जाये मरीज़ ने ऐसा न किया और मरगया तो इस इलाज के न करने से गुनहगार नहीं हुआ क्योंकि यह यक़ीन नहीं है कि इस इलाज से शिफ़ा हो ही जायेगी। (ख़ानिया)

मसअ्ला.6:– दस्त आते हैं या आँखें दुख्ती हैं या कोई दूसरी बीमारी है उसमें इलाज नहीं किया और मरगया गुनहगार नहीं है। (आलमगीरी) यानी इलाज कराना ज़रूरी नहीं कि अगर दवा न करे और मर जाये तो गुनहगार हुआ और भूक, प्यास में खाने, पीने की चीज़ दस्तयाब हो और न खाये पिये यहाँ तक कि मरजाये तो गुनहगार है कि यहाँ यक़ीनन मअ्लूम है कि खाने, पीने से वह बात जाती रहेगी।

मसअ्ला.7:– औरत को हमल है तो जब तक शिकम में बच्चा हरकत न करे न फ़स्द खुलवाये न पुछन्ने लगवायें और बच्चा हरकत करने लगे तो फ़स्द वग़ैरा करा सकते हैं मगर जब विलादत का ज़माना क़रीब आजाये तो न कराये क्योंकि बच्चे को ज़रर (नुक़सान) पहुँच जाने का अन्देशा है हाँ अगर फ़स्द न कराने में खुद औरत ही को सख़्त नुक़सान पहुँचेगा तो करा सकती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– महीने की पहली से पन्द्रह तारीख़ों तक पछन्ने न लगवाये जायें पन्द्रहवीं के बाद पछन्ने करायें खुसूसन हफ़्ते का दिन उसके लिये ज़्यादा अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– शराब से ख़ारिजी इलाज भी ना'जाइज़ है मस्लन ज़ख़्म में शराब लगाई या किसी जानवर को ज़ख़्म है उसपर शराब लगाई या बच्चे के इलाज में शराब का इस्तेअ्माल, इन सब में वह गुनहगार होगा जिसने इसको इस्तेअ्माल कराया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– उंगली में एक क़िस्म का फोड़ा निकलता है और उसका इलाज इस तरह किया जाता है कि जानवर का पित्ता उस उंगली में बाँध दिया जाता है फ़तवा इस पर है कि ऐसा करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– बाज़ औराम (सूजन) में आटा गूँधकर बाँधा जाता है या लेई पकाकर बाँधते हैं या कच्ची, पक्की रोटी बाँधते हैं यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– इलाज के लिए हुक़्ना करने यानी अमल देने में हर्ज नहीं जबकि हुक़्ना ऐसी चीज़ का न हो जो हराम है मस्लन शराब। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– बाज़ अमराज़ में मरीज़ को बे'होश करना पड़ता है ताकि गोश्त काटा जा सके या हड्डी वग़ैरा को जोड़ा जासके या ज़ख़्म में टांके लगाये जायें इस ज़रूरत से दवा से बेहोश करना जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.14:– हुक्ना देने में बा'ज़ मरतबा उस जगह की तरफ़ नज़र करने या छूने की नोबत आती है ब'वजहे ज़रूरत ऐसा करना जाइज़ है। (ज़ैलई)

मसअ्ला.15:– इस्क़ाते हमल के लिये दवा इस्तेअ्माल करना या दाई से हमल साक़ित कराना मनअ् है बच्चे की सूरत बनी हो या न बनी हो दोनों का एक हुक्म है हाँ अगर उ़ज्र हो मसलन औरत के शीर ख़्वार बच्चा (दूध पीने वाला बच्चा) है और बाप के पास इतना नहीं कि दाया मुक़र्रर करे, या दाया दस्तयाब नहीं होती और हमल से दूध ख़ुश्क होजायेगा और बच्चे के हलाक होने का अन्देशा है तो इस मजबूरी से हमल साक़ित किया जा सकता है बशर्ते कि उसके आज़ा (जिस्म के हिस्से) न बने हों और उसकी मुद्दत एक सौ बीस दिन है। (रद्दुल'मुहतार)

लहव व लइ़ब का बयान

'खेल कूद का बयान'

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

"और कुछ लोग खेल की बात खरीदते है कि अल्लाह की राह से बहकादें। बे'समझे और उसे हसी बनालें उनके लिये जिल्लत का अजाब है"।

हदीस् (1) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद और इब्ने माजा ने उ़क़बा इब्ने आ़मिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जितनी चीज़ों से आदमी लहव करता है सब बात़िल हैं मगर कमान से तीर चलाना और घोड़े को अदब देना और ज़ौजा के साथ मलाइ़बत कि यह तीनों ह़क़ हैं"।

हदीस् (2) इमाम अह़मद व मुस्लिम व अबूदाऊद व इब्ने माजा ने बरीदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने नर्द'शेर खेला गोया सुअर के गोश्त व ख़ून में अपना हाथ डालदिया"।

दूसरी रिवायत अबू'मूसा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की।

हदीस् (3) इमाम अह़मद ने अबू अ़ब्दुर्रह़मान ख़त़मी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स़ नर्द खेलता है फिर नमाज़ पढ़ने उठता है उसकी मिस़ाल उस शख़्स़ की त़रह़ है जो पीप और सुअर के ख़ून से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है"।

हदीस् (4) दैलमी ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अस़हाबे शाह जहन्नम में हैं जो यह कहते हैं कि मैंने तेरे बादशाह को मार डाला इससे मुराद शत़रंज खेलने वाले हैं जो बादशाह पर शह दिया करते हैं और मात करते हैं।

हदीस् (5) बैहक़ी ने ह़ज़रत अ़ली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की वह फ़रमाते हैं शत़रंज अ़ज्मियों का जुआ है और इब्ने शहाब ने अबू मूसा अशअ़री रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की वह कहते हैं कि शत़रंज नहीं खेलेगा मगर ख़त़ाकार और उन्हीं से दूसरी रिवायत यह है कि वह बात़िल से है और अल्लाह तआ़ला बात़िल को दोस्त नहीं रखता।

हदीस् (6) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से और इब्ने माजा ने अनस व उ़स्मान रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स़ को कबूतरी के पीछे भागते देखा फ़रमाया "शैत़ाना के पीछे पीछे शैत़ान जा रहा है"।

हदीस् (7) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने चौपायों को लड़ाने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस् (8) बज़्ज़ार ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो आवाज़ें दुनिया व आख़िरत में मलऊ़न हैं नग़्मे के वक़्त

बाजे की आवाज़ और मुसीबत के वक़्त रोने की आवाज़"।

हदीस (9) बैहक़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गाने से दिल में निफ़ाक़ उगता है जिस तरह पानी से खेती उगती है।

हदीस (10) तिबरानी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गाने से और गाना सुनने से और ग़ीबत से और ग़ीबत सुनने से और चुग़ली करने और चुग़ली सुनने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस (11) बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआला ने शराब और जुवा और कूबा (ढोल) हराम किया और फ़रमाया हर नशा वाली चीज़ हराम है"।

हदीस (12) अबू दाऊद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मैं गुड़ियाँ खेला करती थी और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे वक़्त तशरीफ़ लाते कि लड़कियाँ मेरे पास होतीं जब हुज़ूर तशरीफ़ लाते लड़कियाँ चली जातीं और जब हुज़ूर चले जाते लड़कियाँ आजातीं।

हदीस (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों से खेला करती थी और मेरे साथ चन्द दूसरी लड़कियाँ भी खेलतीं जब हुज़ूर तशरीफ़ लाते वह छुप जातीं हुज़ूर उनको मेरे पास भेज देते वह मेरे पास आकर खेलने लगतीं।

हदीस (14) अबू दाऊद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक या ख़ैबर से तशरीफ़ लाये और उन के ताक़ पर गुड़ियाँ थीं और पर्दा पड़ा हुआ था हवा चली और पर्दे का किनारा हट गया हज़रत आइशा की गुड़ियाँ दिखाई दीं हुज़ूर ने फ़रमाया आइशा यह क्या हैं अ़र्ज़ की मेरी गुड़ियाँ हैं उन गुड़ियों के दरम्यान में कपड़े का एक घोड़ा था जिसके दो बाज़ू थे। हुज़ूर ने उस घोड़े की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया कि गुड़ियों के बीच में यह क्या है अ़र्ज़ की यह घोड़ा है। इरशाद फ़रमाया "घोड़े के यह क्या हैं अ़र्ज़ की यह घोड़े के बाज़ू हैं इरशाद फ़रमाया घोड़े के लिये बाज़ू! हज़रत आइशा ने अ़र्ज़ किया आपने नहीं सुना है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के घोड़ों के बाज़ू थे हुज़ूर ने सुनकर तबस्सुम फ़रमाया"।

मसअ्ला.1:– नोबत बजाना अगर तफ़ाख़ुर के लिये हो तो नाजाइज़ है और अगर लोगों को इससे मुतनब्बेह करना मक़सूद हो और नफ़ख़ाते सूर याद दिलाने के लिये हो तो तीन वक़्तों में नोबत बजाने की इजाज़त है बादे अ़स्र और बादे इशा और बादे निस्फ़ शब कि उन औक़ात में नोबत को नफ़ख़े सूर से मुशाबहत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– यह नियत बहुत अच्छी है अगर नोबत बजवाने वालों को भी इस का ध्यान हो और काश सुनने वालों को भी नोबत की आवाज़ सुनकर नफ़ख़ाते सूर याद आयें मगर इस ज़माने में ऐसे लोग कहाँ यहाँ तो नोबत से मक़सूद धूम–धाम और शादी ब्याह की रौनक़ व ज़ीनत है।

मसअ्ला.3:– ईद के दिन और शादियों में दफ़ बजाना जाइज़ है जब कि सादे दफ़ हों उसमें झांज न हों और क़वाइदे मैसीक़ी पर न बजाये जायें यानी महज़ ढप ढप की बे सुरी आवाज़ से निकाह का एअ़लान मक़सूद हो। (रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– लोगों को बेदार करने और ख़बरदार करने के इरादे से बुगल बजाना जाइज़ है जैसे हम्माम में बुगल इस लिये बजाते हैं कि लोगों को इत्तिला होजाये कि हम्माम खुल गया, रमज़ान शरीफ़ में सहरी खाने के वक़्त बाज़ शहरों में नक़्क़ारे बजते हैं जिनसे यह मक़सूद होता है कि लोग सहरी खाने के लिये बेदार होजायें और उन्हें मअ़लूम होजाये कि अभी सहरी का वक़्त बाक़ी है यह

जाइज़ है कि यह सूरत लहव व लइब में दाखि़ल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) उसी त़रह कारखानों में काम शुरूअ़ होने के वक़्त और ख़त्म के वक़्त सीटी बजा करती है यह जाइज़ है कि लहव मकसूद नहीं बल्कि इत्तिला देने के लिये यह सीटी बजाई जाती है इसी त़रह रेल गाड़ी की सीटी से भी मकसूद यही होता है कि लोगों को मअ़लूम होजाये कि गाड़ी छूट रही है या इसी क़िस्म के दूसरे स़हीह मकसद के लिये सीटी बजती है यह भी जाइज़ है।

मसअ्ला.5:– गन्जफ़ा, चौसर खेलना ना'जाइज़ है शतरंज का भी यही हुक्म है उसी त़रह लहव व लइब की जितनी क़िस्में हैं सब बातिल हैं सिर्फ़ तीन क़िस्म के लहव (खेल) की हदीस में इजाज़त है बीवी से मुलाअ़बत और घोड़े की सवारी और तीर अन्दाजी करना। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.6:– नाचना, ताली बजाना, सितारा, एक तारा, दो तारा, हारमूनियम, चंग, तम्बूरा बजाना उसी तरह दूसरे क़िस्म के बाजे सब ना'जाइज़ हैं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– मुतसव्विफ़ा–ए–ज़माना (इस ज़माने के कुछ सूफ़ी) कि मज़ामीर के साथ कव्वाली सुनते हैं और कभी उछलते, कूदते और नाचने लगते हैं इस क़िस्म का गाना बजाना ना'जाइज़ है ऐसी महफ़िल में जाना और वहाँ बैठना ना'जाइज़ है मशाइख़ से इस क़िस्म के गाने का कोई सुबूत नहीं। जो चीज़ मशाइख़ से स़ाबित है वह फ़क़त यह है कि अगर कभी किसी ने उनके सामने कोई ऐसा शेअ़र पढ़ दिया जो उनके ह़ाल व कैफ़ के मुवाफ़िक़ है तो उनपर कैफ़ियत व रिक्क़त त़ारी होगई और बे'खुद होकर खड़े होगये और इस ह़ाले वारफ़्तगी में उनसे ह़रकाते ग़ैर इख़्तियारिया स़ादिर हुए इसमें कोई ह़रज नहीं।

मशाइख़ व बुज़ुर्गाने दीन के अह़वाल और उन मुतसव्विफ़ा के ह़ाल व क़ाल में ज़मीन, आसमान का फ़र्क़ है यहाँ मज़ामीर के साथ मह़फ़िलें मुन्अ़किद की जाती हैं जिनमें फ़ुस्साक़ व फ़ुज्जार का इज्तिमाअ़ होता है ना'अहलों का मजमअ़ होता है। गाने वालों में अकसर बे शरअ़ होते हैं तालियाँ बजाते और मज़ामीर के साथ गाते हैं और खूब उछलते, कूदते, नाचते, थिरकते हैं और उसका नाम ह़ाल रखते हैं उन ह़रकात को सूफ़िया–ए–किराम के अह़वाल से क्या निस्बत यहाँ सब चीजें इख़्तियारी हैं वहाँ बे इख़्तियारी थीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– कबूतर पालना अगर उड़ाने के लिये न हो तो जाइज़ है और अगर कबूतरों को उड़ाता है तो ना'जाइज़ कि यह भी एक क़िस्म का लहव (खेल) है और अगर कबूतर उड़ाने के लिये छत पर चढ़ता है जिससे लोगों की बे'पर्दगी होती है या उड़ाने में कंकरियाँ फेंकता है जिनसे लोगों के बर्तन टूटने का अन्देशा है तो उसको सख़्ती से मना किया जायेगा और सज़ा दीजायेगी और उस पर भी न माने तो हुकूमत की जानिब से उसके कबूतर ज़बह करके उसी को देदिये जायें ताकि उड़ाने का सिल्सिला ही मुनक़तअ़ (ख़त्म) होजाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– जानवरों को लड़ाना मस्लन मुर्ग़, बटेर, तीतर, मेंढे, भैंसे वग़ैरा कि उन जानवरों को बाज़ लोग लड़ाते हैं यह ह़राम है और इसमें शिरकत करना या उसका तमाशा देखना भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.10:– आम के ज़माने में नो रोज़ (यानी खुशी का दिन) करने नोजवान लड़के बाग़ों में जाते हैं और बाद में छिलके गुठली से खेलते हैं इसमें ह़रज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– कुश्ती लड़ना अगर लहव व लइब (खेल'कूद) के त़ौर पर न हो बल्कि इस लिये हो कि जिस्म में कुव्वत आये और कुफ़्फ़ार से लड़ने में काम दे यह जाइज़ व मुस्तह़सन व कारे सवाब है बशर्ते कि सित्र'पोशी के साथ हो आजकल बरहना होकर सिर्फ़ एक लंगोट या जांगिया पहनकर लड़ते हैं कि सारी रानें खुली होती हैं यह ना'जाइज़ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने रुकाना से कुश्ती लड़ी और तीन मरतबा पछाड़ा क्योंकि रुकाना ने यह कहा था कि अगर आप मुझे पछाड़दें तो ईमान लाऊँगा फिर यह मुसलमान होगये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.12:– हंसी, मज़ाक़ में अगर बेहूदा बातें गाली, गलोज और किसी मुस्लिम की ईज़ा रसानी

(तकलीफ़ पहुँचाना) न हो महज़ पुर'लुत्फ़ और दिल ख़ुश कुन बातें हों जिनसे अहले मज्लिस को हंसी आये और ख़ुश हों इस में हरज नहीं। (आलमगीरी)

अशआर का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

"और शाइरों की पैरवी गुमराह करते हैं क्या तूने न देखा कि वह हर नाले में भटकते फिरते हैं और कहते हैं जो नही करते मगर वह जो ईमान लाये और अच्छे काम किये और बकसरत अल्लाह की याद की और बदला लिया इसके बाद कि उन पर ज़ुल्म हुआ"। यानी उनके लिये यह हुक्म नहीं।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में उबई बिन कअ्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बाज़ अशआर हिकमत हैं"।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया कि "मुश्रिकीन की हिजो (बुराई) करो जिब्रील तुम्हारे साथ हैं" और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हस्सान से फ़रमाते "तुम मेरी तरफ़ से जवाब दो। इलाही तू रूहुल कुदस से हस्सान की ताईद फ़रमा"।

हदीस (3) सहीह मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हस्सान से यह फ़रमाते सुना कि रूहुल'कुदस हमेशा तुम्हारी ताईद में है जब तक तुम अल्लाह व रसूल की तरफ़ से मुदाफ़अत करते रहोगे।

हदीस (4) दारे कुत्नी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास शेअ्र का ज़िक्र आया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "वह एक कलाम है अच्छा है तो अच्छा है और बुरा है तो बुरा"।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आदमी का पेट पीप से भरजाये जो उसे फ़ासिद करदे यह बेहतर है उससे कि शेअ्र से भरा हो"।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमराह अर्ज में जारहे थे एक शाइर शेअ्र पढ़ता हुआ सामने आया हुज़ूर ने फ़रमाया "शैतान को पकड़ो आदमी का जौफ़ पीप से भरा हो यह उससे बेहतर है कि शेअ्र से भरा हो"।

हदीस (7) इमाम अहमद ने सअ्द बिन अबी वक्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क़ियामत क़ाइम न होगी जब तक ऐसे लोग ज़ाहिर न हों जो अपनी ज़बानों के ज़रीआ से खायेंगे जिस तरह गाय अपनी ज़बान से खाती है"। यानी उनका ज़रीआ–ए–रिज़्क़ लोगों की तअ्रीफ़ व मज़म्मत करना है और उसमें हक़ व नाहक़ का बिल'कुल ख़याल न करेंगे जिस तरह गाय इसका ख़याल नहीं करती है कि यह चीज़ मुफ़ीद है या मुज़िर जो चीज़ ज़बान के सामने आगई खागई।

इन अहादीस से यह मालूम हुआ कि अश्आर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी अगर अल्लाह व रसूल की तअ्रीफ़ के अश्आर हों या उनमें हिकमत की बातें हों अच्छे अख़लाक़ की तअ्लीम हो तो अच्छे हैं और अगर लग्व व बातिल पर मुश्तमिल हों तो बुरे हैं और चूंकि अकसर शोअ्रा ऐसे ही बे'तुकी हांकते हैं इस वजह से उनकी मज़म्मत की जाती है।

मसअ्ला.1:– जो अश्आर मुबाह हों उनके पढ़ने में हरज नहीं। अश्आर में अगर किसी मख़सूस औरत के औसाफ़ का ज़िक्र हो और वह ज़िन्दा हो तो पढ़ना मकरूह है और मरचुकी हो या ख़ास औरत का ज़िक्र न हो तो पढ़ना जाइज़ है शेअ्र में लड़के का ज़िक्र हो तो वही हुक्म है जो औरत

के मुतअ़ल्लिक़ अश्आर का है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– अश्आर के पढ़ने से अगर यह मक़सूद हो कि उनके ज़रीआ़ से तफ़सीर व ह़दीस् में मदद मिले यानी अरब के मुहावरात और उस्लूबे कलाम पर मुत्तलअ़ हो जैसा कि शोअ़रा ए जाहिलियत के कलाम से इस्तिदलाल किया जाता है उसमें कोई ह़रज नहीं। (आलमगीरी)

झूट का बयान

झूट ऐसी बुरी चीज़ है कि हर मज़हब वाले उसकी बुराई करते हैं तमाम अदयान (धर्मों) में यह ह़राम है इस्लाम ने इससे बचने की बहुत ताकीद की क़ुर्आन मजीद में बहुत मवाक़ेअ़ पर इसकी मज़म्मत फ़रमाई और झूट बोलने वालों पर ख़ुदा की लअ़नत आई ह़दीसों में भी इसकी बुराई ज़िक्र की गई इसके मुतअ़ल्लिक़ बाज़ अह़ादीस् ज़िक्र की जाती हैं।

ह़दीस् (1) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "सि़द्क़ (सच) को लाज़िम करलो क्योंकि सच्चाई नेकी की त़रफ़ लेजाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के नज़्दीक सि़द्दीक़ लिख दिया जाता है और झूट से बचो क्योंकि झूट फुजूर की त़रफ़ ले जाता है और फुजूर जहन्नम का रास्ता दिखाता है और आदमी बराबर झूट बोलता रहता है और झूट बोलने की कोशिश करता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़्दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है।

ह़दीस् (2) तिर्मिज़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स् झूट बोलना छोड़दे और वह बात़िल है (यानी झूट छोड़ने की चीज़ ही है) उसके लिये जन्नत के किनारे में मकान बनाया जायेगा और जिसने झगड़ा करना छोड़ा और वह ह़क़ पर है यानी बा'वजूद ह़क़ पर होने के झगड़ा नहीं करता उसके लिये वस्त जन्नत (जन्नत के दरम्यान) में मकान बनाया जायेगा और जिसने अपने अख़लाक़ अच्छे किये उस के लिये जन्नत के आ़ला दर्जे में मकान बनाया जायेगा।

ह़दीस् (3) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब बन्दा झूट बोलता है उसकी बदबू से फ़िरिश्ता एक मील दूर होजाता है"।

ह़दीस् (4) अबू'दाऊद ने सुफ़यान बिन असीद ह़ज़रमी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "बड़ी ख़्यानत की यह बात है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वह तुझे उस बात में सच्चा जान रहा है और तू उससे झूट बोल रहा है"।

ह़दीस् (5) इमाम अह़मद व बैहक़ी ने अबू'उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मोमिन की त़बअ़ (फ़ित़रत) में तमाम ख़सलतें होसकती हैं मगर ख़्यानत और झूट" यानी यह दोनों चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ हैं मोमिन को उनसे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।

ह़दीस् (6) इमाम मालिक व बैहक़ी ने स़फ़वान इब्ने सुलैम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल होता है फ़रमाया 'हाँ' फिर अ़र्ज़ की गई क्या मोमिन बख़ील होता है फ़रमाया 'हाँ' फिर कहा गया क्या मोमिन कज़्ज़ाब होता है फ़रमाया 'नहीं'।

ह़दीस् (7) इमाम अह़मद ने ह़ज़रत अबू'बक्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "झूट से बचो क्योंकि ईमान से मुख़ालिफ़ है"।

ह़दीस् (8) इमाम अह़मद ने अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बन्दा पूरा मोमिन नहीं होता जब तक मज़ाक़ में भी

झूट को न छोड़दे और झगड़ा करना न छोड़ दे अगर्चे सच्चा हो"।

हदीस (9) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व दारमी ने ब'रिवायत बहज़ बिन हकीम अन अबीहि अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हलाकत है उसके लिये जो बात करता है और लोगों को हंसाने के लिये झूट बोलता है उसके लिये हलाकत है, उसके लिये हलाकत है"।

हदीस (10) बैहक़ी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बन्दा बात करता है और महज़ इस लिये करता है कि लोगों को हंसाये इसकी वजह से जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान व ज़मीन के दरम्यान के फ़ासिले से ज़्यादा है और ज़बान की वजह से जितनी लग़्ज़िश होती है वह उ से कहीं ज़्यादा है जितनी क़दम से लग़्ज़िश होती है"।

हदीस (11) अबूदाऊद व बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमारे मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि आओ! तुम्हें दूंगी। हुज़ूर ने फ़रमाया "क्या चीज़ देने का इरादा है" उन्होंने कहा खजूर दूंगी इरशाद फ़रमाया "अगर तू कुछ नहीं देती तो यह तेरे ज़िम्मे झूट लिखा जाता"।

हदीस (12) बैहक़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया झूट से मुँह काला होता है और चुग़ली से क़ब्र का अ़ज़ाब है।

हदीस (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया वह शख़्स झूटा नहीं है जो लोगों के दरम्यान में इस्लाह करता है, अच्छी बात कहता है और अच्छी बात पहुँचाता है यानी एक की तरफ़ से दूसरे के पास अच्छी बात कहता है जो बात उसने नहीं कही है वह कहता है मसलन उसने तुम्हें सलाम कहा है तुम्हारी तअ़रीफ़ करता था।

हदीस (14) तिर्मिज़ी ने अस्मा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "झूट कहीं ठीक नहीं मगर तीन जगहों में मर्द अपनी औरत को राज़ी करने के लिये बात करे और लड़ाई में झूट बोलना और लोगों के दरम्यान में सुलह कराने के लिये झूट बोलना"।

मसअ्ला.1:– तीन सूरतों में झूट बोलना जाइज़ है यानी उसमें गुनाह नहीं **एक** जंग की सूरत में कि यहाँ अपने मक़ाबिल को धोका देना जाइज़ है उसी तरह जब ज़ालिम ज़ुल्म करना चाहता हो उसके ज़ुल्म से बचने के लिये भी जाइज़ है **दूसरी** सूरत यह है कि दो मुसलमानों में इख़्तिलाफ़ है और यह उन दोनों में सुलह कराना चाहता है मसलन एक के सामने यह कहदे कि वह तुम्हें अच्छा जानता है तुम्हारी तअ़रीफ़ करता था या उसने तुम्हें सलाम कहला भेजा है और दूसरे के पास भी उसी क़िस्म की बातें करे ताकि दोनों में अ़दावत कम होजाये और सुलह होजाये **तीसरी** सूरत यह है कि बीवी को खुश करने के लिये कोई बात ख़िलाफ़े वाक़िआ़ कहदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– तौरिया यानी लफ़्ज़ के जो ज़ाहिरी मअ़ना हैं वह ग़लत हैं मगर उसने दूसरे मअ़ना मुराद लिये जो सहीह हैं ऐसा करना बिला'हाजत जाइज़ नहीं और हाजत हो तो जाइज़ है तौरिया की मिसाल यह है कि तुमने किसी को खाने के लिये बुलाया, वह कहता है मैंने खाना खालिया इस के ज़ाहिर मअ़ना यह हैं कि उस वक़्त का खाना खालिया है मगर वह यह मुराद लेता है कि कल खाया है यह भी झूट में दाख़िल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– एहयाए हक़ (हक़ को ज़िन्दा करने के लिये) के लिये तौरिया जाइज़ है मसलन शफ़ीअ़ को रास्ते में जायदादे मश्फ़ूआ़ की बैअ़ का इ़ल्म हुआ और उस वक़्त लोगों को गवाह न बना सकता हो तो सुबह को गवाहों के सामने यह कह सकता है कि मुझे बैअ़ का इस वक़्त इ़ल्म हुआ। दूसरी

मिसाल यह है कि लड़की को रात को हैज़ आया और उसने ख़्यारे बुलूग़ के तौर पर अपने नफ़्स को इख़्तियार किया मगर गवाह कोई नहीं है तो सुबह को लोगों के सामने यह कह सकती है कि मैंने इस वक़्त खून देखा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– जिस अच्छे मक़सद को सच बोलकर भी हासिल किया जा सकता हो और झूट बोलकर भी हासिल कर सकता हो उसके हासिल करने के लिये झूट बोलना हराम है और अगर झूट से हासिल कर सकता हो सच बोलने में हासिल न होसकता हो तो बाज़ सूरतों में किज़्ब भी मुबाह है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है जैसे किसी बे'गुनाह को ज़ालिम शख़्स क़त्ल करना चाहता है या ईज़ा देना चाहता है वह डर से छुपा हुआ है ज़ालिम ने किसी से दरयाफ़्त किया कि वह कहाँ है यह कह सकता है मुझे मालूम नहीं अगर्चे जानता हो। या किसी की अमानत इसके पास है कोई उसे छीनना चाहता है पूछता है कि अमानत कहाँ है यह इन्कार कर सकता है कह सकता है कि मेरे पास उसकी अमानत नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.5:– किसी ने छुपकर बे'हयाई का काम किया है उससे दरयाफ़्त किया गया कि तूने यह काम किया वह इन्कार कर सकता है क्योंकि ऐसे काम को लोगों के सामने ज़ाहिर कर देना यह दूसरा गुनाह होगा इसी तरह अगर अपने मुस्लिम भाई के भेद पर मुत्तलअ् हो तो उसके बयान करने से भी इन्कार कर सकता है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.6:– अगर सच बोलने में फ़साद पैदा होता हो तो इस सूरत में भी झूट बोलना जाइज़ है और अगर झूट बोलने में फ़साद होता हो तो हराम है और अगर शक हो मालूम नहीं कि सच बोलने में फ़साद होगा या झूट बोलने में जब भी झूट बोलना हराम है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– जिस क़िस्म के मुबालग़ा का आदतन रिवाज है लोग उसे मुबालग़ा ही पर महमूल करते हैं उसके हक़ीक़ी मअ्ना मुराद नहीं लेते वह झूट में दाख़िल नहीं मसलन यह कहा कि मैं तुम्हारे पास हज़ार मरतबा आया, हज़ार मरतबा मैंने तुमसे यह कहा यहाँ हज़ार का अदद मुराद नहीं बल्कि कई मरतबा आना और कहना मुराद है यह लफ़्ज़ ऐसे मौक़े पर नहीं बोला जायेगा कि एक ही मरतबा आया हो या एक ही मरतबा कहा हो और अगर एक मरतबा आया और यह कह दिया कि हज़ार मरतबा आया तो झूटा है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– तअ्रीज़ की बाज़ सूरतें जिनमें लोगों का दिल खुश करना और मिज़ाह (हंसी की बात) मक़सूद हो जाइज़ है जैसाकि हदीस में फ़रमाया कि "जन्नत में बुढ़िया नहीं जायेगी या मैं तुझे ऊँटनी पर सवार करूँगा"। (रद्दुल'मुहतार)

ज़बान को रोकना और गाली गलोज, ग़ीबत और चुग़ली से परहेज़ करना

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स मेरे लिये उस चीज़ का ज़ामिन होजाये जो उसके जबड़ों की दरम्यान में है यानी ज़बान का और उसका जो उसके दोनों पाँव के दरम्यान है यानी शर्मगाह का मैं उसके लिये जन्नत का ज़ामिन हूँ"। यानी ज़बान और शर्मगाह को ममनूआ़त से बचाने पर जन्नत का वअ्दा है।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दा अल्लाह तआ़ला की खुश्नूदी की बात बोलता है और उसकी तरफ़ तवज्जोह भी नहीं करता यानी यह ख़्याल भी नहीं करता कि अल्लाह तआ़ला इतना खुश होगा अल्लाह तआ़ला उसको दर्जों बलन्द करता है। और बन्दा अल्लाह तआ़ला की नाखुशी की बात बोलता है और उसकी तरफ़ धयान नहीं धरता यानी उसके ज़हिन मे यह बात नहीं होती कि अल्लाह तआ़ला उससे इतना नाराज़ होगा इस कलिमा की वजह से जहन्नम में गिरता है

और बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो

मुश्रिक व मग़रिब के फ़ासिला से भी ज़्यादा है।

हदीस् (3) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो चीज़ इन्सान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेजाने वाली है व दो जौफ़दार (खुक्कल) चीज़ें हैं मुँह और शर्मगाह"।

हदीस् (4) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व दारमी व बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो चुप रहा उसे निजात है"।

हदीस् (5) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने उ़क़्बा बिन आमिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की निजात क्या है इरशाद फ़रमाया "अपनी ज़बान पर क़ाबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुन्जाइश रखे (यानी बेकार इधर, उधर न जाओ) और अपनी ख़ता पर गिरया करो यानी रोओ।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी ने अबूसईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि "इब्ने आदम जब सुबह करता है तमाम अअ़्ज़ा ज़बान के सामने आजिज़ाना यह कहते हैं कि तू खुदा से डर कि हम सब तेरे साथ वाबस्ता हैं अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे और टेढ़ी होगई तो हम सब टेढ़े होजायेंगे"।

हदीस् (7) इमाम मालिक व अहमद ने हज़रत अ़ली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से और इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से और तिर्मिज़ी व बैहक़ी ने दोनों से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि लायानी (बेकार) चीज़ छोड़दे" यानी जो चीज़ कारआमद न हो उसमें न पड़े ज़बान व दिल व जवारेह को बेकार बातों की तरफ़ मुतवज्जेह न करे।

हदीस् (8) तिर्मिज़ी ने सुफ़यान बिन अ़ब्दुल्लाह सक़फ़ी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मुझ पर ख़ौफ़ है यानी किस चीज़ के ज़रर (नुकसान) का ज़्यादा अन्देशा है, हुज़ूर ने अपनी ज़बान पकड़कर फ़रमाया 'यह है'।

हदीस् (9) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में इमरान इब्ने हित्तान से रिवायत की कहते हैं मैं अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास गया उन्हें काली कमली ओढ़े हुए मस्जिद में तन्हा बैठा हुआ देखा मैंने कहा अबूज़र यह तन्हाई कैसी उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "तन्हाई अच्छी है बुरे हमनशीन से और हमनशीन सालेह तन्हाई से बेहतर है और अच्छी बात बोलना, ख़ामोशी से बेहतर है, और बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है"।

हदीस् (10) बैहक़ी ने इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सुकूत (ख़ामोशी) पर क़ाइम रहना साठ बरस की इबादत से अफ़ज़ल है।

हदीस् (11) बैहक़ी ने अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह मुझे वसियत फ़रमाईये इरशाद फ़रमाया "मैं तुमको तक़वा की वसियत करता हूँ कि इससे तुम्हारे सब काम आरास्ता होजायेंगे मैंने अ़र्ज़ की और वसियत फ़रमाईये फ़रमाया तिलावते क़ुर्आन और ज़िकरुल्लाह को लाज़िम करलो कि इसकी वजह से तुम्हारा ज़िक्र आसमान में होगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा मैंने कहा और वसियत फ़रमाईये इरशाद फ़रमाया ज़्यादती–ए–ख़ामोशी को लाज़िम करलो कि इससे शैतान दफ़अ़ होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद देगी। मैंने अ़र्ज़ की और वसियत कीजिये फ़रमाया कि ज़्यादा हँसने से बचो कि यह दिल मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को दूर करता है मैंने कहा और वसियत कीजिये फ़रमाया हक़ बोलो अगर्चे कड़वा हो मैंने कहा और वसियत कीजिये फ़रमाया कि अल्लाह के बारे में मलामत करने वाले की मलामत

से न डरो मैंने कहा और वसियत कीजिये फ़रमाया तुमको दूसरे लोगों से रोके वह चीज़ जो तुम अपने नफ़्स से जानते हो यानी जो अपने उ़यूब की त़रफ़ नज़र रखेगा दूसरों के उ़यूब में न पडेगा और काम की बात यह है कि अपने ऐब पर नज़र की जाये ताकि उसके ज़ाइल करने की कोशिश की जाये।

ह़दीस् (12) बैहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ अबूज़र क्या मैं तुमको ऐसी दो बातें न बतादूँ जो पीठ पर हलकी हैं और मीज़ान में भारी हैं उन्होंने कहा हाँ इरशाद फ़रमाया ज़्यादा ख़ामोश रहना और ख़ूबीए अख़लाक़। क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है तमाम मख़्लूक़ात ने उनकी मिस्ल पर अ़मल नहीं किया यानी उनकी मिस्ल कोई चीज़ नहीं जिस पर अ़मल किया जाये।

ह़दीस् (13) इमाम मालिक ने असलम से रिवायत की कि एक दिन ह़ज़रत उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास गये और ह़ज़रत सिद्दीक़े अकबर अपनी ज़बान पकड़कर खींच रहे थे ह़ज़रत उ़मर ने अ़र्ज़ की क्या बात है अल्लाह आप की मग़्फ़िरत करे ह़ज़रत सिद्दीक़ ने फ़रमाया इसने मुझे मुहालिक (यानी हलाकतों) में डाला है।

ह़दीस् (14) इमाम अह़मद व बैहक़ी ने उ़बादा इब्ने स़ामित रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरे लिए छः चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़िम्मेदार होता हूँ (1)जब बात करो सच बोलो और (2)जब वअ़दा करो उसे पूरा करो और (3)जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाये उसे अदा करो और (4)अपनी शर्मगाहों की ह़िफ़ाज़त करो और (5)अपनी निगाहें नीची रखो और (6)अपने हाथों को रोको" यानी हाथ से किसी को ईज़ा न पहुँचाओ।

ह़दीस् (15) तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मोमिन न त़अ़न करने वाला होता है, न लअ़नत करने वाला न फ़ह़श बकने वाला बेहूदा होता है"।

ह़दीस् (16) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन को यह न चाहिए कि लअ़नत करने वाला हो।

ह़दीस् (17) स़ह़ीह़ मुस्लिम में अबूदरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "जो लोग लअ़नत करते हैं वह क़ियामत के दिन न गवाह होंगे न किसी के सिफ़ारिशी"।

ह़दीस् (18) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने समुरा बिन जुन्दुब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह की लअ़नत व ग़ज़ब और जहन्नम के साथ आपस में लअ़नत न करो"।

ह़दीस् (19) अबूदाऊद ने अबूदरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "जब बन्दा किसी चीज़ पर लअ़नत करता है तो वह लअ़नत आसमान को जाती है आसमान के दरवाज़े बन्द करदिये जाते हैं फिर ज़मीन पर उतारी जाती है उसके दरवाज़े भी बन्द कर दिये जाते हैं फिर दहिने, बायें जाती है जब कहीं रास्ता नहीं पाती तो उसकी त़रफ़ आती है जिसपर लअ़नत भेजी गई अगर उसे इस का अहल पाती है तो उसपर पड़ती है वरना भेजने वाले पर आजाती है"।

ह़दीस् (20) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स की चादर को हवा के तेज़ झोंके लगे उसने हवा पर लअ़नत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हवा पर लअ़नत न करो कि वह ख़ुदा की त़रफ़ से मामूर है और जो शख़्स ऐसी चीज़ पर लअ़नत करता है जो लअ़नत की अहल न हो तो लअ़नत उसी पर लौट आती है"।

ह़दीस् (21) तिर्मिज़ी ने उबई रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हवा को गाली न दो और जब देखो कि तुम्हें बुरी लगती है तो यह कहो कि इलाही मैं उसके ख़ैर का सुवाल करता हूँ और जो कुछ इस में ख़ैर है और जिस ख़ैर का उसे हुक्म हुआ और मैं उसके शर से पनाह मांगता हूँ और जो कुछ इस में शर है और उस के शर से जिसका उसे हुक्म हआ"।

हदीस (22) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी सवारी के जानवर पर लअ्नत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "इस से उतर जाओ हमारे साथ में मलऊन चीज़ को लेकर न चलो। अपने ऊपर और अपनी औलाद व अम्वाल पर बद'दुआ न करो कहीं ऐसा न हो कि यह बद'दुआ उस साअत में हो जिस में जो दुआ खुदा से की जाये क़बूल होती है"।

हदीस (23) तिबरानी ने साबित इब्ने ज़हाक अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मोमिन पर लअ्नत करना उसके क़त्ल की मिस्ल है और जो शख़्स मोमिन मर्द या औरत पर कुफ़्र की तोहमत लगाये तो यह उसके क़त्ल की मिस्ल है"।

हदीस (24) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने भाई को काफ़िर कहे तो उस कलिमे के साथ दोनों में से एक लौटेगा यानी यह कलिमा दोनों में से एक पर पड़ेगा।

हदीस (25) सहीह बुख़ारी में अबू'ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स दूसरे को फ़िस्क़ और कुफ़्र की तोहमत लगाये और वह ऐसा न हो तो इस कहने वाले पर लौटता है।

हदीस (26) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स किसी को काफ़िर कहकर बुलाये या दुश्मने खुदा कहे और वह ऐसा नहीं है तो उसी कहने वाले पर लौटेगा।

हदीस (27) बुख़ारी व मुस्लिम व अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहीह मुस्लिम में अनस व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमााया "मुस्लिम से गाली गलोज करना फ़िस्क़ है और उससे क़िताल कुफ़्र है"।

हदीस (28) सहीह मुस्लिम में अनस व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो शख़्स गाली गलोज करने वाले उन्होंने जो कुछ कहा सबका वबाल उसके ज़िम्मे है जिसने शुरूअ् किया है जब तक मज़लूम तजावुज़ न करे" यानी जितना पहले ने कहा उससे ज़्यादा न कहे।

हदीस (29) तिबरानी ने समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अगर कोई किसी को बुरा भला कहना ही चाहता है तो न उस पर इफ़्तिरा करे न उसके वालिदैन को गाली दे, न उस की क़ौम को गाली दे, हाँ अगर उसमें ऐसी बात है जो उसके इल्म में है तो यह कहे कि तू बख़ील है, या तू बुज़दिल है, या तू झूटा है या बहुत सोने वाला है"।

हदीस (30) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़हश जिस चीज़ में होगा उसे ऐब'दार करदेगा और हया जिसमें होगी उसे आरास्ता करदेगी"।

हदीस (31) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "अल्लाह तआला के नज़्दीक क़ियामत के दिन सब लोगों में बद'तर मरतबा उसका है कि उसके शर से बचने के लिये लोगों ने उसे

छोड़दिया हो" और एक रिवायत में है कि "उसके फ़हश से बचने के लिये छोड़ दिया हो"।
हदीस् (32) बुख़ारी व मुस्लिम व अहमद व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि "अल्लाह तआला ने फ़रमाया इब्ने आदम मुझे ईज़ा देता है कि दहर को बुरा कहता है दहर तो मैं हूँ मेरे हाथ में सब काम हैं रात और दिन को मैं बदलता हूँ यानी ज़माना को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है कि ज़माना में जो कुछ होता है वह सब अल्लाह तआला की तरफ़ से होता है।
हदीस् (33) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स यह कहे कि सब लोग हलाक होगये तो सबसे ज़्यादा हलाक होने वाला यह है" यानी जो शख़्स तमाम लोगों को गुनहगार और मुस्तहके नार बताये तो सबसे बढ़कर गुनहगार वह ख़ुद है।
हदीस् (34) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे ज़्यादा बुरा क़ियामत के दिन उसको पाओगे जो ज़ुल वजहैन हो" यानी दोरुख़ा आदमी कि उनके पास एक मुंह से आता है और इनके पास दूसरे मुँह से आता है यानी मुनाफ़िक़ों की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ कहता है यह नहीं कि एक तरह की बात सब जगह कहे।
हदीस् (35) दारमी ने अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स दुनिया में दोरुख़ा होगा क़ियामत के दिन आग की ज़बान उसके लिये होगी"। अबूदाऊद की रिवायत में है कि "उसके लिये दो ज़बानें आग की होंगी"।
हदीस् (36) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने यह फ़रमाते सुना कि "जन्नत में चुग़लख़ोर नहीं जायेगा"।
हदीस् (37) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में अब्दुर्रहमान इब्ने ग़नम व असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं कि उनके देखने से ख़ुदा याद आये और अल्लाह के बुरे बन्दे वह हैं जो चुग़ली खाते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते हैं और जो शख़्स जुर्म से बरी है उस पर तकलीफ़ डालना चाहते हैं।
हदीस (38) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हें मालूम है ग़ीबत क्या है" लोगों ने अर्ज़ की अल्लाह व रसूल ख़ूब जानते हैं इरशाद फ़रमाया "ग़ीबत यह है कि तू अपने भाई का उस चीज़ के साथ ज़िक्र करे जो उसे बुरी लगे" किसी ने अर्ज़ की अगर मेरे भाई में वह मौजूद हो जो मैं कहता हूँ (जब तो ग़ीबत नहीं होगी) फ़रमाया "जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है जब ही तो ग़ीबत है और जब तुम ऐसी बात कहो जो उसमें हो नहीं यह बोहतान है"।
हदीस् (39) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा सफ़िय्या रदियल्लाहु तआला अन्हा के लिये यह काफ़ी है कि वह ऐसी हैं, ऐसी हैं यानी पस्त क़द हैं। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि "तुमने ऐसा कलिमा कहा कि अगर समन्दर में मिलाया जाये तो उसपर ग़ालिब आजाये यानी किसी पस्त क़द को नाटा, ठिगना कहना भी ग़ीबत में दाख़िल है जब कि बिला ज़रूरत हो।
हदीस् (40) बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की दो शख़्सों ने ज़ोहर या अस्र की नमाज़ पढ़ी और वह दोनों रोज़ादार थे जब नमाज़ पढ़चुके नबी करीम सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 'तुम दोनों वज़ू करो और नमाज़ का इआदा करो और रोज़ा पूरा करो और दूसरे दिन इस रोज़ा की क़ज़ा करना' उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह हुक्म किस लिये। इरशाद फ़रमाया 'तुमने फुलाँ शख़्स की ग़ीबत की है'।

हदीस (41) तिर्मिज़ी ने हज़रत आइशा रदियल्ललाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं उसको पसन्द नहीं करता कि किसी की नक़्ल करूँ अगर्चे मेरे लिये इतना इतना हो यानी नक़्ल करना दुनिया की किसी चीज के मुक़ाबिल में दुरुस्त नहीं होसकता।

हदीस (42) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में अबूसईद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा सख़्त चीज़ है लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ज़िना से ज़्यादा सख़्त ग़ीबत क्योंकर है फ़रमाया कि मर्द ज़िना करता है फिर तौबा करता है अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़रमाता है ग़ीबत करने वाले की मग़फ़िरत न होगी जब तक वह न मुआफ़ करदे जिसकी ग़ीबत की है और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत में है कि ज़िना करने वाला तौबा करता है और ग़ीबत करने वाले की तौबा नहीं है।

हदीस (43) बैहक़ी ने दअ्वाते कबीर में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ग़ीबत के कफ़्फ़ारे में यह है कि जिसकी ग़ीबत की है उसके लिये इस्तिग़फ़ार करे यह कहे अल्लाहुम्मग़्फ़िर'लना व'लहू 'इलाही हमें और उसे बख़्शदे'

हदीस (44) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि माइज़ असलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु को जब रज्म किया गया था दो शख़्स आपस में बातें करने लगे एक ने दूसरे से कहा तुम देखो कि अल्लाह ने उसकी पर्दा पोशी की थी मगर उसको नफ़्स ने न छोड़ा कुत्ते की तरह रज्म किया गया हुज़ूर ने सुनकर सुकूत फ़रमाया कुछ देर तक चलते रहे रास्ते में मरा हुआ गधा मिला जो पाँव फैलाये हुए था हुज़ूर ने उन दोनों शख़्सों से फ़रमाया जाओ इस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ उन्होंने अर्ज़ की या नबीयल्लाह उसे कौन खायेगा इरशाद फ़रमाया वह जो तुमने अपने भाई की आबरू'रेज़ी की वह इस गधे के खाने से भी ज़्यादा सख़्त है क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है वह (माइज़) इस वक़्त जन्नत की नहरों में ग़ोते लगा रहा है।

हदीस (45) इमाम अहमद व निसाई व इब्ने माजा व हाकिम ने उसामा बिन शरीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ अल्लाह के बन्दो अल्लाह ने हरज उठा लिया जो शख़्स किसी मर्दे मुस्लिम की बतौर ज़ुल्म आबरू'रेज़ी करे वह हरज में है और हलाक हुआ"।

हदीस (46) इमाम अहमद व अबूदाऊद व हाकिम ने मुस्तौरिद बिन शद्दाद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस शख़्स को किसी मर्दे मुस्लिम की बुराई करने की वजह से खाने को मिला अल्लाह तआला उसको उतना ही जहन्नम से खिलायेगा और जिसको मर्दे मुस्लिम की बुराई की वजह से कपड़ा पहनने को मिला अल्लाह तआला उसको जहन्नम का उतना ही कपड़ा पहनायेगा"।

हदीस (47) इमाम अहमद व अबूदाऊद ने अबू'बर्ज़ा असलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ वह लोग जो ज़बान से ईमान लाये और ईमान उनके दिलों में दाख़िल नहीं हुआ मुसलमान की ग़ीबत न करो और उनकी छुपी हुई बातों की टटोल न करो इसलिये कि जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की छुपी हुई चीज़ की टटोल करेगा अल्लाह तआला उसकी पोशीदा चीज़ की टटोल करेगा और जिसकी अल्लाह टटोल करेगा उसको रुसवा करदेगा अगर्चे वह अपने मकान के अन्दर हो।

हदीस (48) इमाम अहमद व अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि

तब मुझे मेअ्राज हुई एक कौम पर गुज़रा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कहा जिब्रील यह कौन लोग
जिनके नाखुन तांबे के थे वह अपने मुँह और सीने को नोचते थे और उन की आबरू रेज़ी करते थे
है जिब्रील ने कहा यह वह हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उन की [illegible] कि रसूलुल्लाह

हदीस (49) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान की सब चीज़ें मुसलमान पर हराम हैं उसका माल और उसकी आबरू और उसका खून। आदमी को बुराई से इतना ही काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने।

हदीस (50) अबूदाऊद ने मआज़ इब्ने अनस जोहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुसलमान पर कोई बात कहे उससे मकसद ऐब लगाना हो अल्लाह तआला उसको जहन्नम के पुल पर रोकेगा जब तक उस चीज़ से न निकले जो उसने कही"।

हदीस (51) अबूदाऊद ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह और अबू तल्हा इब्ने सहल रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ मर्दे मुस्लिम की हतके हुर्मत (बेइज़्ज़ती) की जाती हो और उसकी आबरू रेज़ी की जाती हो ऐसी जगह जिसने उनकी मदद न की यानी यह खामोश सुनता रहा और उनको मनअ् न किया तो अल्लाह तआला उसकी मदद नहीं करेगा जहाँ उसे पसन्द हो कि मदद की जाये और जो शख्स मर्दे मुस्लिम की मदद करेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसकी हतके हुर्मत और आबरू रेज़ी की जारही हो अल्लाह तआला उसकी मदद फरमायेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसे महबूब है कि मदद की जाये।

हदीस (52) शरह सुन्ना में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "जिसके सामने उसके मुसलमान भाई की गीबत की जाए और वह उसकी मदद पर कादिर हो और मदद की अल्लाह तआला दुनिया और आखिरत में उस की मदद करेगा और अगर बावजूदे कुदरत उसकी मदद नहीं की तो अल्लाह तआला दुनिया और आखिरत में उसे पकड़ेगा"।

हदीस (53) बैहकी ने असमा बिन्ते यजीद रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जो शख्स अपने भाई के गोश्त से उसकी गीबत में रोके यानी मुसलमान की गीबत की जा रही थी उसने रोका तो अल्लाह पर हक है कि उसे जहन्नम से आज़ाद करदे"।

हदीस (54) शरह सुन्ना में अबूदाऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान अपने भाई की आबरू से रोके यानी किसी मुस्लिम की आबरू रेज़ी होती थी उसने मनअ् किया तो अल्लाह पर हक है कि कियामत के दिन उसको जहन्नम की आग से बचाये इसके बाद इस आयत की तिलावत की

'मुसलमानों की मदद करना हम पर हक है।' وكان حقا علينا نصر المؤمنين

हदीस (55) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है उसकी चीज़ों को हलाक होने से बचाये और गीबत मे उसकी हिफाज़त करे।

हदीस (56) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जो शख्स ऐसी चीज़ देखे जिसको छुपाना चाहिए और उसने पर्दा डालदिया यानी छुपादी तो ऐसा है जैसे मौऊदा (यानी ज़िन्दा दरगोर) को ज़िन्दा किया"।

हदीस (57) अबूनईम ने मअ्रिफा में सबीब बिन सअ्द बलवी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बन्दे को कियामत के दिन उसका दफ़्तर खुला हुआ मिलेगा वह उसमें ऐसी नेकियाँ भी देखेगा जिनको किया नहीं है अर्ज़ करेगा ऐ रब यह मेरे लिये कहाँ से आईं मैंने तो उन्हें किया नहीं उससे कहा जायेगा कि यह वह हैं जो तेरी ला'इल्मी में लोगों ने तेरी ग़ीबत की थी"।

हदीस (58) तिर्मिज़ी ने मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर आर दिलाया जिस से वह तौबा कर चुका है तो मरने से पहले वह ख़ुद उस गुनाह में मुब्तला होजायेगा"।

हदीस (59) तिर्मिज़ी ने वासिला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अपने भाई की शमातत न कर यानी उसकी मुसीबत पर इज़हारे मसर्रत न कर कि अल्लाह तआला उसपर रहम करेगा और तुझे उसमें मुब्तला करदेगा"।

हदीस (60) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरी सारी उम्मत आफ़ियत में है मगर मुजाहिरीन यानी जो लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं यह आफ़ियत में नहीं उनकी ग़ीबत और बुराई की जायेगी और आदमी की बे'बाकी से यह है कि रात में उसने कोई काम किया यानी गुनाह का काम और ख़ुदा ने उसको छुपाया और यह सुबह को ख़ुद कहता है कि आज रात में मैंने यह किया ख़ुदा ने उसपर पर्दा डाला था और यह शख़्स परदए इलाही को हटा देता है"।

हदीस (61) तिबरानी व बैहक़ी ने ब'रिवायत बहज़ बिन हकीम अन अबीहि अन जद्दिही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या फ़ाजिर के ज़िक्र से बचते हो उसको लोग कब पहचानेंगे फ़ाजिर का ज़िक्र उस चीज़ के साथ करो जो उसमें है ताकि लोग उस से बचें"।

हदीस (62) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने हया की चादर डालदी उसकी ग़ीबत नहीं यानी ऐसों की बुराई बयान करना ग़ीबत में दाख़िल नहीं"।

हदीस (63) तिबरानी ने फ़रमाया मुआविया इब्ने हैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "फ़ासिक़ की ग़ीबत नहीं है"।

हदीस (64) सहीह मुस्लिम में मिक़दाद बिन असवद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुबालग़ा के साथ मदह करने वालों को जब तुम देखो तो उनके मुँह में ख़ाक डालदो"।

हदीस (65) सहीह बुख़ारी में अबूमूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को सुना कि दूसरे की तअ्रीफ़ करता है और तअ्रीफ़ में मुबालग़ा करता है इरशाद फ़रमाया "तुमने उसे हलाक करदिया या उसकी पीठ तोड़दी"।

हदीस (66) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तुझे हलाकत हो तूने अपने भाई की गर्दन काटदी" उसको तीन मरतबा फ़रमाया। जिस शख़्स को किसी की तअ्रीफ़ करनी ज़रूरी ही हो तो यह कहे कि मेरे गुमान में फ़ुलाँ ऐसा है अगर उसके इल्म में यह हो कि वह ऐसा है और अल्लाह उसको ख़ूब जानता है और अल्लाह पर किसी का तज़्किया न करे यानी जज़्म और यक़ीन के साथ किसी की तअ्रीफ़ न करे"।

हदीस (67) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब फ़ासिक़ की मदह की जाती है रब तआला ग़ज़ब फ़रमाता है और अर्शे इलाही जुम्बिश करने लगता है"।

मसाइले फ़िक़्हिया:– ग़ीबत के यह मअ्ना हैं कि किसी शख़्स के पोशीदा ऐब को (जिस को वह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसन्दा न करता हो) उसकी बुराई करने के तौर पर ज़िक्र करना और अगर

उसमें वह बात ही न हो तो यह ग़ीबत नहीं बल्कि बोहतान है''।

क़ुर्आन मजीद में फ़रमाया।

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

तुम आपस में एक दूसर की गीबत न करो क्या तुममें कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाये उसको तो तुम बुरा समझते हो।

अह़ादीस में भी ग़ीबत की बहुत बुराई आई है चन्द ह़दीसें ज़िक्र करदी गईं उन्हें ग़ौर से पढ़ो। इस ह़राम से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल मुसलमानों में यह बला बहुत फैली हुई है इससे बचने की त़रफ़ बिल्कुल तवज्जोह नहीं करते बहुत कम मज्लिस ऐसी होती हैं जो चुग़ली और ग़ीबत से मह़फ़ूज़ हों।

मसअ्ला.1:– एक शख़्स नमाज़ पढ़ता है और रोज़े रखता है मगर अपनी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को ज़रर पहुँचाता है उसकी इस ईज़ा रसानी को लोगों के सामने बयान करना ग़ीबत नहीं क्योंकि इस ज़िक्र का मक़सद यह है कि लोग उसकी इस ह़रकत से वाक़िफ़ होजायें और उससे बचते रहें कहीं ऐसा न हो कि उसकी नमाज़ और रोज़े से धोका खाजायें और मुसीबत में मुब्तला होजायें ह़दीस में इरशाद फ़रमाया कि ''क्या तुम फ़ाजिर के ज़िक्र से डरते हो जो ख़राबी की बात उसमें है बयान करदो ताकि लोग उससे परहेज़ करें और बचें''।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.2:– ऐसे शख़्स का ह़ाल जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़रा अगर बादशाह या क़ाज़ी से कहा ताकि उसे सज़ा मिले और अपनी ह़रकत से बाज़ आजाये यह चुग़ली और ग़ीबत में दाख़िल नहीं(दुर्रेमुख़्तार) यह हुक्म फ़ासिक़ व फ़ाजिर का है जिसके शर से बचाने के लिये लोगों पर उसकी बुराई खोलदेना जाइज़ है और ग़ीबत नहीं अब समझना चाहिए कि बद अ़क़ीदा लोगों का ज़रर फ़ासिक़ के ज़रर से बहुत ज़ाइद है फ़ासिक़ से जो ज़रर पहुँचेगा वह उससे बहुत कम है जो बद'अ़क़ीदा लोगों से पहुँचता है फ़ासिक़ से अकस्र दुनियवी ज़रर होता है और बद'मज़हब से तो दीन व ईमान की बर्बादी का ज़रर है और बद'मज़हब अपनी बद'मज़हबी फैलाने के लिये नमाज़, रोज़ा की बज़ाहिर ख़ूब पाबन्दी करते हैं ताकि उनका वक़ार लोगों में क़ाइम हो फिर जो गुमराही की बात करेंगे उनका पूरा अस्र होगा लिहाज़ा ऐसों की बद'मज़हबी का इज़्हार फ़ासिक़ के फ़िस्क़ के इज़्हार से ज़्यादा अहम है उसके बयान करने में हरगिज़ दरेग़ न करे आज कल के बाज़ सूफ़ी अपना तक़द्दुस यूँ ज़ाहिर करते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए यह शैत़ानी धोका है मख़्लूक़े ख़ुदा को गुमराहों से बचाना यह कोई मअ्मूली बात नहीं बल्कि यह अम्बियाए किराम अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है जिसको नाकारा तावीलात से छोड़ना चाहता है और उसका मक़्सूद यह होता है कि मैं हर दिल अ़ज़ीज़ बनूं क्यों किसी को अपना मुख़ालिफ़ करूँ।

मसअ्ला.3:– यह मअ्लूम है कि जिसमें बुराई पाई जाती है अगर उसके वालिद को ख़बर होजायेगी तो वह इस ह़रकत से रोक देगा तो उसके बाप को ख़बर करदे ज़बानी कह सकता हो तो ज़बानी क़हे या तह़रीर के ज़रीआ़ मुत्तलअ् करदे और अगर मअ्लूम है कि अपने बाप का कहा भी नहीं मानेगा और बाज़ नहीं आयेगा तो न कहे कि बिला वजह अ़दावत पैदा होगी इस त़रह बीवी की शिकायत उसके शौहर से की जा सकती है और रिआ़या की बादशाह से की जा सकती है (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुह़तार) मगर यह ज़रूर है कि ज़ाहिर करने से उसकी बुराई करना मक़्सूद न हो बल्कि अस़ली मक़सद यह हो कि वह लोग इस बुराई का इन्सिदाद(रोक थाम)करें और उसकी यह आदत छूट जाये।

मसअ्ला.4:– किसी ने अपने मुसलमान भाई की बुराई अफ़सोस के तौर पर की कि मुझे निहायत अफ़सोस है कि वह ऐसे काम करता है यह ग़ीबत नहीं क्योंकि जिसकी बुराई की अगर उसे ख़बर भी होगई तो इस सूरत में वह बुरा न मानेगा बुरा उस वक़्त मानेगा जब उसे मअ्लूम हो कि उस कहने वाले का मक़सूद ही बुराई करना है मगर यह ज़रूर हैं कि उस चीज़ का इज़्हार उसने ह़सरत व अफ़सोस ही की वजह से किया हो वरना ग़ीबत है बल्कि एक क़िस्म का निफ़ाक़ और

रिया और अपनी मदह सराई है क्योंकि उसने मुसलमान भाई की बुराई की और ज़ाहिर यह किया कि बुराई मक़सद नहीं यह निफ़ाक़ हुआ और लोगों पर यह ज़ाहिर किया कि यह काम मैं अपने लिये और दूसरों के लिये बुरा जानता हूँ यह रिया है और ग़ीबत को ग़ीबत के तौर पर नहीं किया लिहाज़ा अपने को नेकों में से होना बताया यह तज़कियाए नफ़्स और खुद सताई हुई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– किसी बस्ती, शहर वालों की बुराई की मसलन यह कहा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं यह ग़ीबत नहीं क्योंकि ऐसे कलाम का यह मक़सद नहीं होता कि वहाँ के सब ही लोग ऐसे हैं बल्कि बाज़ लोग मुराद होते हैं और जिन बाज़ को कहा गया वह मअ्लूम नहीं, ग़ीबत उस सूरत में होती है जब मोअय्यन व मअ्लूम अशख़ास की बुराई ज़िक्र की जाये और उसका मक़सद वहाँ के तमाम लोगों की बुराई करना है तो यह ग़ीबत है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.6:– फ़क़ीह अबुल्लैस ने फ़रमाया कि ग़ीबत चार क़िस्म की है **एक कुफ्र** उसकी सूरत यह है कि एक शख़्स ग़ीबत कर रहा है उससे कहा गया कि ग़ीबत न करो कहने लगा यह ग़ीबत नहीं मैं सच्चा हूँ इस शख़्स ने एक हरामे क़तई को हलाल बताया **दूसरी सूरत निफ़ाक़** है कि एक शख़्स की बुराई करता है और उसका नाम नहीं लेता मगर जिसके सामने बुराई करता है वह उसको जानता, पहचानता है लिहाज़ा यह ग़ीबत करता है और अपने को परहेजगार ज़ाहिर करता है यह एक क़िस्म का निफ़ाक़ है **तीसरी सूरत मअ्सियत** है वह यह है कि ग़ीबत करता है और यह जानता है कि यह हराम काम है ऐसा शख़्स तौबा करे। **चौथी सूरत मुबाह** है वह यह कि फ़ासिके मोअ्लिन या बद मज़हब की बुराई बयान करे बल्कि लोगों को इसके शर से बचाना मक़सूद हो तो सवाब मिलने की उम्मीद है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.7:– जो शख़्स एलानिया बुरा काम करता है और उसको उसकी कोई परवाह नहीं कि लोग उसे क्या कहेंगे उसकी उस बुरी हरकत का बयान करना ग़ीबत नहीं मगर उसकी दूसरी बातें जो ज़ाहिर नहीं हैं उनको ज़िक्र करना ग़ीबत में दाख़िल है हदीस में है कि जिसने हया का हिजाब अपने चेहरे से हटा दिया उसकी ग़ीबत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.8:– जिससे किसी बात का मशवरा लिया गया वह अगर उस शख़्स का ऐब व बुराई ज़ाहिर करे जिसके मुतअ़ल्लिक़ मशवरा है यह ग़ीबत नहीं हदीस में है "जिससे मशवरा लिया जाये वह अमीन है" लिहाज़ा उसकी बुराई ज़ाहिर न करना ख़्यानत है मसलन किसी के यहाँ अपना या अपनी औलाद वग़ैरा का निकाह करना चाहता है दूसरे से उसके मुतअ़ल्लिक़ तज़्किरा किया कि मेरा इरादा ऐसा है तुम्हारी क्या राय है उस शख़्स को जो कुछ मअ्लूमात हैं बयान करदेना ग़ीबत नहीं इसी तरह किसी के साथ तिजारत वग़ैरा में शिरकत करना चाहता है या उसके पास कोई चीज़ अमानत रखना चाहता है या किसी के पड़ोस में सुकूनत करना चाहता है और उसके मुतअ़ल्लिक़ दूसरे से मशवरा लेता है यह शख़्स उसकी बुराई बयान करे ग़ीबत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.9:– जो बद मज़हब अपनी बद मज़हबी छुपाये हुए है जैसा कि रवाफ़िज़ के यहाँ तक़िया है या आज कल के बहुत से वहाबी भी अपनी वहाबियत छुपाते और खुद को सुन्नी ज़ाहिर करते हैं और जब मौक़ा पाते हैं तो बद मज़हबी की आहिस्ता आहिस्ता तबलीग़ करते हैं उनकी बद मज़हबी का इज़हार ग़ीबत नहीं कि लोगों को उनके मकर व शर (धोका व बुराई) से बचाना है और अगर अपनी बद मज़हबी को छुपाता नहीं बल्कि एलानिया ज़ाहिर करता है जब भी ग़ीबत नहीं कि वह एलानिया बुराई करने वालों में दाख़िल हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.10:– किसी के ज़ुल्म की शिकायत हाकिम के पास करना भी ग़ीबत नहीं मसलन यह कि फ़ुलाँ शख़्स ने मुझपर यह ज़ुल्म व ज़्यादती की है ताकि हाकिम उसका इन्साफ़ व दाद रसी करे। इसी तरह मुफ़्ती के सामने इस्तिफ़ता पेश करने में किसी की बुराई की कि फ़ुलाँ शख़्स ने मेरे साथ यह किया है उससे बचने की क्या सूरत है मगर इस सूरत में बेहतर यह है कि नाम न ले बल्कि यूँ

कहे कि एक शख़्स ने एक शख़्स के साथ यह किया बल्कि ज़ैद व अम्र से तअ्बीर करे जैसाकि इस ज़माने में इस्तिफ़ता की उमूमन यही सूरत होती है फिर भी अगर नाम ले दिया जब भी जाइज़ है इसमें भी क़बाहत नहीं। जैसाकि हदीसे सहीह में आया कि हिन्द ने अबू सुफ़यान रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुतअल्लिक़ हुज़ूर की ख़िदमत में शिकायत की कि वह बख़ील हैं इतना नफ़्क़ा नहीं देते जो मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी हो मगर जबकि मैं उनकी लाइल्मी में कुछ लेलूँ इरशाद फ़रमाया कि "तुम इतना ले सकती हो जो मअ्रूफ़ के साथ तुम्हारे और बच्चों के लिये काफ़ी हो"। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.11:– एक सूरत इसके जवाज़ की यह है कि उससे मक़सद मबीअ् का ऐब बयान करना हो मसलन गुलाम को बेचना चाहता है और उस गुलाम में कोई ऐब है चोर या ज़ानी है उसका ऐब मुश्तरी के सामने बयान कर देना जाइज़ है। यूहीं किसी ने देखा कि मुश्तरी बाइअ् को ख़राब रूपया देता है उससे इसकी हरकत को ज़ाहिर कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.12:– एक सूरत जवाज़ की यह भी है कि उस ऐब के ज़िक्र से मक़सूद उसकी बुराई नहीं है बल्कि उस शख़्स की मअ्रिफ़त व शनाख़्त मक़सूद है मसलन जो शख़्स उन उयूब के साथ मुलक़्क़ब है तो मक़सूद मअ्रिफ़त है न बयाने ऐब जैसे अअ्मा, अअ्मश, अअ्रज, अहवल, सहाबए किराम में अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम ना'बीना थे और रिवायतों में उनके नाम के साथ अअ्मा आता है मुहद्दिसीन में बड़े ज़बर'दस्त पाया के सुलैमान अअ्मश हैं, अअ्मश के'मअ्ना चुन्धे के हैं यह लफ़्ज़ उनके नाम के साथ ज़िक्र किया जाता है इसी तरह यहाँ भी बाज़ मरतबा महज़ पहचानने के लिये किसी को अंधा या काना या ठिगना या लम्बा कहा जाता है यह ग़ीबत में दाख़िल नहीं(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.13:– हदीस के रावियों और मुक़द्दमा के गवाहों और मुसन्निफ़ीन पर जिरह करना और उनके उयूब बयान करना जाइज़ है अगर रावियों की ख़राबियाँ बयान न की जायें तो हदीसे सहीह और ग़ैर सहीह में इम्तियाज़ न होसकेगा। इस तरह मुसन्निफ़ीन के हालात न बयान किये जायें तो कुतुबे मोअ्तमदा, वग़ैर'मोअ्तमदा (यानी किस किताब को भरोसे के लायक़ समझें और किस को भरोसे के लायक़ न समझें (अमीनुल क़ादरी)) में फ़र्क़ न रहेगा गवाहों पर जिरह न की जाये तो हुक़ूक़े मुस्लिमीन की निगह दाश्त न होसकेगी अव्वल से आख़िर तक ग्यारह सूरतें वह हैं जो ब'ज़ाहिर ग़ीबत हैं और हक़ीक़त में ग़ीबत नहीं और उनमें उयूब का बयान करना जाइज़ है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.14:– ग़ीबत जिस तरह ज़बान से होती है फ़ेअ्ल से भी होती है सराहत के साथ बुराई की जाये या तअ्रीज़ व किनाया के साथ हो सब सूरतें हराम हैं बुराई को जिस नोईयत से समझायेगा सब ग़ीबत में दाख़िल है। तअ्रीज़ की यह सूरत है कि किसी के ज़िक्र के वक़्त यह कहा कि अल्हम्दु लिल्लाह मैं ऐसा नहीं जिसका यह मतलब हुआ कि वह ऐसा है किसी की बुराई लिखदी यह भी ग़ीबत है। सर वग़ैरा की हरकत भी ग़ीबत होसकती है मसलन किसी की ख़ूबियों का तज़किरा था उसे सर के इशारे से यह बताना चाहा कि उसमें जो कुछ बुराईयाँ हैं उनसे तुम वाक़िफ़ नहीं। होंटों और आँखों और भवों और ज़बान या हाथ के इशारे से भी ग़ीबत होसकती है एक हदीस में है हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं एक औरत हमारे पास आई जब वह चली गई तो मैंने हाथ के इशारे से बताया कि वह ठिगनी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि "तुमने उसकी ग़ीबत की" (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– एक सूरत ग़ीबत की नक़्ल है मसलन किसी लंगड़े की नक़्ल करे और लंगड़ाकर चले या जिस चाल से कोई चलता है उसकी नक़ल उतारी जाये यह भी ग़ीबत है बल्कि ज़बान से कह देने से यह ज़्यादा बुरा है क्योंकि नक़्ल करने में पूरी तस्वीर'कशी और बात को समझाना पाया जाता है कि कहने में वह बात नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ग़ीबत की एक सूरत यह भी है कि यही कहा कि एक शख़्स हमारे पास इस क़िस्म का आया था या मैं एक शख़्स के पास गया जो ऐसा है और मुख़ातब को मअ्लूम है कि फ़ुलाँ शख़्स का ज़िक्र करता है अगर्चे मुतकल्लिम ने किसी का नाम नहीं लिया मगर जब मुख़ातब को उन लफ़्ज़ों से

समझा दिया तो ग़ीबत होगई क्योंकि जब मुख़ातब को यह मालूम है कि इसके पास फुलाँ आया था या यह फुलाँ के पास गया था तो अब नाम लेना न लेना दोनों का एक हुक्म है। हाँ अगर मुख़ातब ने शख़्से मुअय्यन को नहीं समझा मस्लन उसके पास बहुत से लोग आये या यह बहुतों के यहाँ गया था मुख़ातब को यह पता न चला कि यह किसके मुतअ़ल्लिक़ कह रहा है तो ग़ीबत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– जिस त़रह ज़िन्दा आदमी की ग़ीबत होसकती है मरे हुए मुसलमान को बुराई के साथ याद करना भी ग़ीबत है जब कि वह सूरतें न हों जिनमें उ़यूब का बयान करना ग़ीबत में दाख़िल नहीं। मुस्लिम की ग़ीबत जिस त़रह ह़राम है काफ़िर ज़िम्मी की भी ना'जाइज़ है कि उनके हुक़ूक़ भी मुस्लिम की त़रह हैं। काफ़िर ह़र्बी की बुराई करना ग़ीबत नहीं। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.18:– किसी की बुराई उसके सामने करना अगर ग़ीबत में दाख़िल न भी हो जबकि ग़ीबत में पीठ पीछे बुराई करना मोअ़्तबर हो मगर यह उससे बढ़कर ह़राम है क्योंकि ग़ीबत में जो वजह है वह यह कि ईज़ा–ए–मुस्लिम है वह यहाँ ब'दर्जाए औला पाई जाती है ग़ीबत में तो यह एह़तिमाल है कि उसे इत्तिलाअ़ मिले या न मिले अगर उसे इत्तिलाअ़ न हुई तो ईज़ा भी न हुई मगर एह़तिमाले ईज़ा को यहाँ ईज़ा क़रार देकर शरीअ़त ने ह़राम किया और मुँह पर उसकी मज़म्मत करना तो हक़ीक़तन ईज़ा है फिर यह क्यों ह़राम न हो। (रद्दुल'मुह़तार) बाज़ लोगों से जब कहा जाता है कि तुम फ़ुलाँ की ग़ीबत क्यों करते हो वह निहायत दिलैरी के साथ यह कहते हैं मुझे उसका डर पड़ा है चलो मैं उसके मुँह पर यह बातें कहदूँगा उनको यह मा़लूम होना चाहिए के पीठ पीछे उसकी बुराई करना ग़ीबत व ह़राम है और मुँह पर कहोगे तो यह दूसरा ह़राम होगा। अगर तुम उसके सामने कहने की जुर्अत रखते हो तो उसकी वजह से ग़ीबत ह़लाल नहीं होगी।

मसअ्ला.19:– ग़ीबत के तौ़र पर जो उ़यूब बयान किये जायें वह कई क़िस्म के हैं उसके **बदन में उ़यूब** हों मस्लन अंधा, काना, लंगड़ा, लूला, होंट'कटा, नक'चपटा वग़ैरा **नसब के एअ़्तिबार से** वह ऐब समझा जाता हो मस्लन उसके नसब में यह ख़राबी है उसकी दादी, नानी, चमारी थी हिन्दुस्तान वालों ने पेशा को भी नसब ही का हुक्म दे रखा है लिहाज़ा बतौ़र ऐब किसी को धुना, जुलाहा कहना भी ग़ीबत व ह़राम है अख़लाक़ व अफ़्आ़ल की बुराई या उसकी बात चीत में ख़राबी मस्लन हकलाया तुतलाया दीनदारी में वह ठीक न हो यह सब सूरतें ग़ीबत में दाख़िल हैं यहाँ तक कि उस के कपड़े अच्छे न हों या मकान अच्छा न हो उन चीज़ों को भी इस त़रह ज़िक्र करना जो उसे बुरा मा़लूम हो ना'जाइज़ है। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.20:– जिसके सामने किसी की ग़ीबत की जाये उसे लाज़िम है कि ज़बान से इन्कार करदे मस्लन कहदे कि मेरे सामने उसकी बुराई न करो। अगर ज़बान से इन्कार करने में उसको ख़ौफ़ व अन्देशा है तो दिल से उसे बुरा जाने और अगर मुम्किन हो तो यह शख़्स जिसके सामने बुराई की जारही है वहाँ से उठ जाये या उस बात को काटकर कोई दूसरी शुरूअ़ करदे ऐसा न करने में सुनने वाला भी गुनहगार होगा। ग़ीबत का सुनने वाला भी ग़ीबत करने वाले के हुक्म में है। ह़दीस़ में है "जिसने अपने मुस्लिम भाई की आबरू ग़ीबत से बचाई अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मए करम पर यह है कि वह उसे जहन्नम से आज़ाद करदे"। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.21:– जिसकी ग़ीबत की अगर उसको इसकी ख़बर होगई तो उससे मुआ़फ़ी मांगनी ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि उसके सामने यह कहे मैंने तुम्हारी इस इस त़रह ग़ीबत या बुराई की तुम मुआ़फ़ करदो उससे मुआ़फ़ कराये और तौबा करे तब इससे बरीयुज़्ज़िम्मा होगा और अगर उसको ख़बर न हुई हो तो तौबा और नदामत काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– जिसकी ग़ीबत की है उसे ख़बर न हुई और उसने तौबा करली उसके बा़द उसे ख़बर मिली कि फ़ुलाँ ने मेरी ग़ीबत की है आया उसकी तौबा स़ह़ीह़ है या नहीं उसमें उ़लमा के दो क़ौल हैं एक क़ौल यह है कि वह तौबा स़ह़ीह़ है अल्लाह तआ़ला दोनों की मग़्फ़िरत फ़रमादेगा जिसने ग़ीबत की उसकी मग़्फ़िरत तौबा से हुई और जिसकी ग़ीबत की गई उसको जो तकलीफ़ पहुँची और उसने दरगुज़र किया इस वजह से उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी।

और बाज़ उ़लमा यह फ़रमाते हैं कि उसकी तौबा मुअ़ल्लक़ रहेगी अगर वह शख़्स जिसकी

ग़ीबत हुई ख़बर पहुँचने से पहले ही मरगया तो तौबा सहीह है और तौबा के बाद उसे ख़बर पहुँच गई तो सहीह नहीं जब तक उससे मुआफ़ न कराये। बोहतान की सूरत में तौबा करना और मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है बल्कि जिसके सामने बोहतान बांधा है उनके पास जाकर यह कहना ज़रूरी है कि मैंने झूट कहा था जो फ़ुलाँ पर मैंने बोहतान बाँधा था। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला.23:– मुआफ़ी मांगने में यह ज़रूर है कि ग़ीबत के मुक़ाबिल में उसकी सना–ए–हसन (अच्छी तारीफ़) करे और उसके साथ इज़हारे महब्बत करे कि उसके दिल से यह बात जाती रहे और फ़र्ज़ करो उसने ज़बान से मुआफ़ कर दिया मगर उसका दिल इससे ख़ुश न हुआ तो उसका मुआफ़ी मांगना और इज़हारे महब्बत करना ग़ीबत की बुराई के मुक़ाबिल होजायेगा और आख़िरत में मुवाख़िज़ा न होगा। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला.24:– इसने मुआफ़ी मांगी और उसने मुआफ़ करदिया मगर इसने सच्चाई और ख़ुलूस दिल से मुआफ़ी नहीं मांगी थी महज़ ज़ाहिरी और नुमाइशी यह मुआफ़ी थी तो होसकता है कि आख़िरत में मुवाख़ज़ा हो क्योंकि उसने यह समझकर मुआफ़ किया था कि यह ख़ुलूस के साथ मुआफ़ी मांग रहा है। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला.25:– इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि जिसकी ग़ीबत की वह मरगया या कहीं ग़ाइब होगया उस्से क्योंकर मुआफ़ी मांगे यह मुआमला बहुत दुशवार होगया उसको चाहिए कि नेक काम की कस्रत करे ताकि अगर उसकी नेकियाँ ग़ीबत के बदले में उसे देदी जायें जब भी उसके पास नेकियाँ बाक़ी रह जायें। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला.26:– अगर उसकी ऐसी बुराईयाँ बयान की हैं जिनको वह छुपाता था यानी यह नहीं चाहता था कि लोग उनपर मुत्तलअ् हों तो मुआफ़ी मांगने में उन उयूब की तफ़सील न करे बल्कि मुब्हम तौर पर (पोशीदा तौर पर) यह कहदे कि मैंने तुम्हारे उयूब लोगों के सामने ज़िक्र किये हैं तो मुआफ़ करदो और अगर ऐसे उयूब न हों तो तफ़सील के साथ बयान करे। इसी तरह अगर वह बातें ऐसी हों जिनके ज़ाहिर करने में फ़ितना पैदा होने का अन्देशा है तो ज़ाहिर न करे बाज़ उलमा का यह क़ौल है कि हुक़ूक़े मजहूला (ऐसे हुक़ूक़ जो जानते न हों) को मुआफ़ कर देना भी सहीह है और इस तरह भी मुआफ़ी होसकती है लिहाज़ा इस क़ौल पर बिना की जाये और ऐसी ख़ास सूरतों में तफ़सील न की जाये। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला.27:– दो शख़्सों में झगड़ा था दोनों ने मअ्ज़िरत के साथ मुसाफ़ा किया यह भी मुआफ़ी का एक तरीक़ा है जिसकी ग़ीबत की है वह मरगया तो वुरसा को यह हक़ नहीं कि मुआफ़ करें उनके मुआफ़ करने का एअ्तिबार नहीं। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला.28:– किसी के मुँह पर उसकी तअ्रीफ़ करना मनअ् है और पीठ पीछे तअ्रीफ़ की मगर यह जानता है कि मेरे इस तअ्रीफ़ करने की ख़बर पहुँच जायेगी यह भी मनअ् है तीसरी सूरत यह है कि पसे पुश्त (पीठ पीछे) तअ्रीफ़ करता है उसका ख़याल भी नहीं करता कि उसे ख़बर पहुँच जायेगी या न पहुँचेगी यह जाइज़ है, मगर यह ज़रूर है कि तअ्रीफ़ में जो बयान करे वह उसमें हों शोअ्रा की तरह अनहुई बातों के साथ तअ्रीफ़ न करे कि यह निहायत दर्जा क़बीह(बुरा)है (आलमगीरी)

बुग्ज़ व हसद का बयान

क़ुर्आन मजीद में इरशाद हुआ:–

﴿وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۔ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۔ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۔ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا﴾

"और उसकी आरज़ू मत करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर बड़ाई दी मर्दों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा और अल्लाह से उसका फ़ज़्ल मांगो बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है"

और फ़रमाता है

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ "तुम कहो मैं पनाह मांगता हूँ हासिद के शर से जब वह हसद करता है"।

हदीस (1) इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी

को खाती है और सदका ख़ता को बुझाता है जिस तरह पानी आग को बुझाता है'' इसी की मिस्ल अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस (2) दैलमी ने मुस्नदुल फ़िरदौस में मुआविया इब्ने उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''हसद ईमान को ऐसा बिगाड़ता है जिस तरह एलुवा शहद को बिगाड़ता है''।

हदीस (3) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने जुबैर इब्ने अवाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''अगली उम्मत की बीमारी तुम्हारी तरफ़ भी आई वह बीमारी हसद व बुग्ज़ है वह मूंडने वाला है दीन को मूंडता है बालों को नहीं मूंडता, क़सम है उसकी जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) की जान है जन्नत में नहीं जाओगे। जब तक ईमान न लाओ और मोमिन नहीं होगे जब तक आपस में महब्बत न करो, तुम्हें ऐसी चीज़ न बतादूँ कि जब उसे करोगे आपस में महब्बत करने लगोगे, आपस में सलाम को फैलाओ''।

हदीस (4) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''हसद और चुग़ली और कहानत न मुझ से हैं और न मैं उनसे हूँ'' यानी मुसलमान को उन चीज़ों से बिल्कुल तअल्लुक़ न होना चाहिए।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''आपस में न हसद करो न बुग्ज़ करो न पीठ पीछे बराई करो और अल्लाह के बन्दे भाई भाई होकर रहो''।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि ''हसद नहीं है मगर दो पर एक वह शख़्स जिसे ख़ुदा ने किताब दी यानी क़ुर्आन का इल्म अता फ़रमाया वह उसके साथ रात में क़ियाम करता है और दूसरा वह कि ख़ुदा ने उसे माल दिया वह दिन और रात के औक़ात में सदक़ा करता है''।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''हसद है मगर दो शख़्सों पर एक वह शख़्स जिसे ख़ुदा ने क़ुर्आन सिखाया वह रात और दिन के औक़ाफ़ में उसकी तिलावत करता है उसके पड़ोसी ने सुना तो कहने लगा काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जो फुलाँ शख़्स को दिया गया तो मैं भी उसकी तरह अमल करता दूसरा वह शख़्स कि ख़ुदा ने उसे माल दिया वह हक़ में माल को ख़र्च करता है किसी ने कहा काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जैसा फुलाँ शख़्स को दिया गया तो मैं भी उसी की तरह अमल करता'' इन दोनों हदीसों में हसद से मुराद ग़िब्ता है जिसको लोग रश्क कहते हैं जिसके यह मअ्ना हैं कि दूसरे को जो नेअ्मत मिली वैसी मुझे भी मिल जाये और यह आरज़ू न हो कि उसे न मिलती या उससे जाती रहे और हसद में यह आरज़ू होती है उसी वजह से हसद मज़मूम है और ग़िब्ता बुरा नहीं। इमाम बुख़ारी के तर्जमतुल बाब से भी यही मालूम होता है कि उन हदीसों में ग़िब्ता मुराद है लिहाज़ा उन हदीसों के यह मअ्ना हुए कि यही दो चीज़ें ग़िब्ता करने की हैं कि यह दोनों ख़ुदा की बहुत बड़ी नेअ्मतें हैं ग़िब्ता इनपर करना चाहिए न कि दूसरी नेअ्मतों पर। वल्लाहु तआला अअ्लमु बिस्सवाब

हदीस (8) बैहक़ी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''अल्लाह तआला शअ्बान की पन्द्रहवीं शब में अपने बन्दों पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है जो इस्तिग़फार करते हैं उनकी मग़्फ़िरत करता है और जो रहम की दरख़्वास्त करते हैं उनपर रहम करता है और अदावत वालों को उनकी हालत पर छोड़ देता है''।

हदीस (9) इमाम अहमद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 'हर हफ़्ते में दो बार दो'शम्बा और पंज'शम्बा को

लोगों के अअ्माल नामे पेश होते हैं हर बन्दे की मग़्फ़िरत होती है मगर वह शख़्स कि उसके और उसके भाई के दरम्यान अ़दावत हो उनके मुतअ़ल्लिक़ यह फ़रमाता है उन्हें छोड़दो उस वक़्त तक कि बाज़ आजायें"।

ह़दीस् (10) तिब्रानी ने उसामा बिन ज़ैद रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दोशम्बा और पंजशम्बा को अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर लोगों के अअ्माल पेश होते हैं सबकी मग़्फ़िरत फ़रमादेता है मगर जो दो शख़्स़ बाहम अ़दावत रखते हैं और वह शख़्स़ जो क़तअ़ रहम करता है"।

ह़दीस् (11) इमाम अह़मद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दोशम्बा और पंजशम्बा के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं जिस बन्दे ने शर्र नहीं किया है उसकी मग़्फ़िरत की जाती है। मगर जो शख़्स़ ऐसा है कि उसके और उसके भाई के दरम्यान अ़दावत है उनके मुतअ़ल्लिक़ कहा जाता है उन्हें मोहलत दो यहाँ तक कि यह दोनों सुलह करलें"।

मसाइले फ़िक़्हिया

ह़सद ह़राम है अह़ादीस् में उसकी बहुत मज़म्मत वारिद हुई ह़सद के यह मअ्ना हैं कि किसी शख़्स़ में ख़ूबी देखी उसको अच्छी ह़ालत में पाया इसके दिल में यह आरज़ू है कि यह नेअ्मत उससे जाती रहे और मुझे मिलजाये और अगर यह तमन्ना है कि मैं भी वैसा होजाऊँ मुझे भी वह नेअ्मत मिलजाये यह ह़सद नहीं इसको ग़िब्ता कहते हैं जिसको लोग रश्क से तअ्बीर करते हैं।

मसअ्ला.1:– यह आरज़ू कि जो नेअ्मत फुलाँ के पास है वह बिऐनिही मुझे मिलजाये यह ह़सद है क्योंकि बिऐनिही वही चीज़ उसको जब मिलेगी कि उससे जाती रहे और अगर यह आरज़ू है कि उसकी मिस्ल मुझे मिले यह ग़िब्ता है क्योंकि उससे ज़ाइल होने की आरज़ू नहीं पाई गई। (आलमगीरी)

ह़दीस् में फ़रमाया है कि "ह़सद नहीं है मगर दो चीज़ों में एक वह शख़्स़ जिसको ख़ुदा ने माल दिया है और वह राहे ह़क़ में स़र्फ़ करता है दूसरा वह शख़्स़ जिसको ख़ुदा ने इल्म दिया है वह लोगों को सिखाता है और इल्म के मुवाफ़िक़ फ़ैस़ला करता है" इस ह़दीस् से ब'ज़ाहिर ऐसा मा़लूम होता है कि उन दो चीज़ों में ह़सद जाइज़ है मगर बिग़ौर देखने से यह मा़लूम होता है कि यहाँ भी ह़सद ह़राम है बाज़ उ़लमा ने यह बताया कि उस ह़दीस में ह़सद ब'मअ्ना ग़िब्ता है। इमाम बुख़ारी अ़लैहिर्रह़मा के तर्जमतुल'बाब से भी यही पता चलता है और बाज़ ने कहा कि ह़दीस् का यह मत़लब है कि अगर ह़सद ज़ाइज़ होता तो उनमें जाइज़ होता मगर उनमें भी ना'जाइज़ है जैसाकि ह़दीस् ला शुअ्मा इल्ला फ़िद्दार لاشؤم الا فی الدار (अलहदीस) में इसी क़िस्म की तावील की जाती है और बाज़ उ़लमा ने फ़रमाया कि मअ्ना ह़दीस् का यह है कि ह़सद उन्हीं दोनों में होसकता है और चीज़ें तो इस क़ाबिल ही नहीं कि उनमें ह़सद पाया जासके कि ह़सद के मअ्ना यह हैं कि दूसरे में कोई नेअ्मत देखे और यह आरज़ू करे कि वह मुझे मिलजाये और दुनिया की चीज़ें नेअ्मत नहीं कि जिनकी तह़सील की फ़िक्र हो दुनिया की चीज़ों का मआल अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी है और यह चीज़ें वह हैं कि उनका मआल अल्लाह तआ़ला की ख़ुशनूदी व रज़ा है लिहाज़ा नेअ्मत जिसका नाम है वह यही हैं उनमें ह़सद होसकता है। (आलमगीरी वग़ैरा)

ज़ुल्म की मज़म्मत

क़ुर्आन मजीद में बहुत से मवाक़ेअ् पर इसकी बुराई ज़िक्र की गई और अह़ादीस् उसके मुतअ़ल्लिक़ बहुत हैं बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

ह़दीस् (1) ज़ुल्म क़ियामत के दिन तारीकियाँ हैं यानी ज़ुल्म करने वाला क़ियामत के दिन सख़्त मुस़ीबतों और तारीकियों में घिरा हुआ होगा। (बुख़ारी, मुस्लिम)

ह़दीस् (2) अल्लाह तआ़ला ज़ालिम को ढील देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं

उसके बाद यह आयत तिलावत की
وَ كَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى وَ هِىَ ظَالِمَةٌ ''ऐसी ही तेरे रब की पकड है जब वह ज़ुल्म करने वाली बस्तियों को पकड़ता है''।

हदीस् (3) जिसके ज़िम्मे उसके भाई का कोई हक़ हो वह आज उससे मुआफ़ कराले इससे पहले कि न अशर्फ़ी होगी, न रूपये बल्कि उसके अ़मले सालेह़ (नेक अ़मल) को बक़द्रे हक़ लेकर दूसरे को देदिये जायेंगे और अगर उसके पास नेकियाँ नहीं होंगी तो दूसरे के गुनाह उसपर लाद दिये जायेंगे। (बुख़ारी)

हदीस् (4) तुम्हें मा़लूम है मुफ़्लिस कौन है लोगों ने अ़र्ज़ की हम में मुफ़्लिस वह है कि न उसके पास रुपये हैं न मताअ़् (सामान) फ़रमाया ''मेरी उम्मत में मुफ़्लिस वह है कि क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़ा, ज़कात लेकर आयेगा और इस त़रह़ आयेगा कि किसी को गाली दी है किसी पर तोहमत लगाई है, किसी का माल खालिया है, किसी का ख़ून बहाया है, किसी को मारा है, लिहाज़ा इसकी नेकियाँ उसको देदी जायेंगी। अगर लोगों के हुकूक़ पूरे होने से पहले नेकियाँ ख़त्म होगईं तो उन की ख़तायें इसपर डालदी जायेंगी फिर उसे जहन्नम में डालदिया जायेगा''। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस् (5) इम्अ़ा न बनो कि यह कहने लगो कि लोग अगर हमारे साथ एहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे और अगर हमपर ज़ुल्म करेंगे तो हम भी उनपर ज़ुल्म करेंगे बल्कि अपने नफ़्स को इस पर जमाओ कि लोग एहसान करें तो तुम भी एहसान करो और अगर बुराई करें तो तुम ज़ुल्म न करो(तिर्मिज़ी)

हदीस् (6) जो शख़्स अल्लाह की ख़ुश्नूदी का ता़लिब हो लोगों की नाराज़ी के साथ या़नी अल्लाह राज़ी हो चाहे लोग नाराज़ हों हुआ करें इसकी कोई परवा न करे अल्लाह तआ़ला लोगों के शर से उसकी किफ़ायत करेगा और जो शख़्स लोगों को ख़ुश रखना चाहे अल्लाह की नाराज़ी के साथ अल्लाह तआ़ला उसको आदमियों के सिपुर्द करदेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (7) सबसे बुरा क़ियामत के दिन वह बन्दा है जिसने दूसरे की दुनिया के बदले में अपनी आख़िरत बर्बाद करदी। (इब्ने माजा)

हदीस् (8) मज़्लूम की बद्दुआ से बच कि वह अल्लाह तआ़ला से अपना ह़क़ मांगेगा और किसी ह़क़ वाले के ह़क़ से अल्लाह मनअ़् नहीं करेगा। (बैहक़ी)

गु़स्सा और तकब्बुर का बयान

हदीस् (1) एक शख़्स ने अ़र्ज़ की मुझे वसि़यत कीजिये फ़रमाया ''गुस्सा न करो'' उसने बार बार वही सवाल किया जवाब यही मिला कि 'गु़स्सा न करो'। (बुख़ारी)

हदीस् (2) क़वी (ताक़तवर) वह नहीं जो पहलवान हो दूसरे को पछाड़ दे बल्कि क़वी वह है जो गु़स्सा के वक़्त अपने को क़ाबू में रखे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (3) अल्लाह तआ़ला की ख़ुश्नूदी के लिये बन्दे ने गु़स्से का घूँट पिया इससे बढ़कर अल्लाह के नज़्दीक कोई घूँट नहीं। (अहमद)

हदीस् (4) कु़र्आन मजीद की आयत है
﴿اِدۡفَعۡ بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِىۡ بَيۡنَكَ وَ بَيۡنَهٗ عَدَاوَةٌ وَلِىٌّ حَمِيۡمٌ﴾ और उसमें अदावत है ऐसा होजायेगा गोया ख़ालिस दोस्त है''।
''उसके साथ दफ़अ़् कर जो अहसन (ज़्यादा अच्छा) है फिर वह शख़्स कि तुझमें फ़रमाते हैं कि गु़स्से
इसकी तफ़्सीर में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा
के वक़्त सब्र करे और दूसरा उसके साथ बुराई करे तो यह मुआफ़ करदे जब ऐसा करेंगे अल्लाह
उनको मह़फ़ूज़ रखेगा और उनका दुश्मन झुक जायेगा गोया वह ख़ालिस दोस्त क़रीब है। (बुख़ारी)
हदीस् (5) गु़स्सा ईमान को ऐसा ख़राब करता है जिसत़रह़ एलुवा शहद को ख़राब कर देता है(बैहक़ी)
हदीस् (6) ह़ज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अ़र्ज़ की ऐ रब कौन बन्दा तेरे नज़्दीक इ़ज़्ज़त वाला है
फ़रमाया वह जो बावजूदे कुदरत मुआफ़ करदे। (बैहक़ी)
हदीस् (7) जो शख़्स अपनी ज़बान को मह़फ़ूज़ रखेगा अल्लाह उसकी पर्दापोशी फ़रमायेगा और
जो अपने गु़स्से को रोकेगा क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला अपना अ़ज़ाब उससे रोक देगा और

जो अल्ला से उज़्र करेगा अल्लाह उसके उज़्र को क़बूल फ़रमायेगा। (बैहक़ी)

हदीस (8) गुस्सा शैतान की तरफ़ से है और शैतान आग से पैदा होता है और आग पानी ही से बुझाई जाती है लिहाज़ा जब किसी को गुस्सा आजाये तो वज़ू करे। (अबूदाऊद)

हदीस (9) जब किसी को गुस्सा आये और वह खड़ा हो तो वह बैठजाये अगर गुस्सा चला जाये फ़बिहा वरना लेट जाये। (अहमद तिर्मिज़ी)

हदीस (10) बाज़ लोगों को गुस्सा जल्दी आजाता है और जल्द जाता रहता है एक के बदले में दूसरा है बाज़ को देर में आता है और देर में जाता है यहाँ भी एक के बदले में दूसरा है यानी एक बात अच्छी है और एक बुरी अदला बदला होगया और तुम में बेहतर वह है कि देर में उन्हें गुस्सा आये और जल्द चला जाये और बद'तर वह है जिन्हें जल्द आये और देर में जाये गुस्से से बचो कि वह आदमी के दिल पर एक अंगारा है देखते नहीं हो कि गले की रगें फूल जाती हैं और आँखें सुर्ख़ होजाती हैं जो शख़्स गुस्सा महसूस करे लेट जाये और ज़मीन से चिपट जाये।

हदीस (11) मैं तुमको जन्नत वालों की ख़बर न दूँ, वह ज़ईफ़ हैं जिनको लोग ज़ईफ़ व हक़ीर जानते हैं (मगर है यह कि) अगर अल्लाह पर क़सम खा बैठें तो अल्लाह उसको सच्चा करदे और क्या जहन्नम वालों की ख़बर न दूँ वह सख़्त गो, सख़्त ख़ू, तकब्बुर करने वाले हैं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस (12) जिस किसी के दिल में राई बराबर ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं जायेगा और जिस किसी के दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जायेगा। (मुस्लिम) दोनों जुम्लों की वही तावील है जो उस मक़ाम में मशहूर है।

हदीस (13) तीन शख़्स हैं जिनसे क़ियामत के दिन न तो अल्लाह तआला कलाम करेगा न उनको पाक करेगा न उनकी तरफ़ नज़र फ़रमायेगा और उनके लिये दर्द'नाक अज़ाब है 1बूढ़ा ज़िनाकार 2बादशाह कज़्ज़ाब (झूटा बादशाह) और 3मोहताज मुतकब्बिर। (तकब्बुर करने वाला मोहताज) (मुस्लिम)

हदीस (14) अल्लाह तआला फ़रमाता है कि "किब्रिया और अज़मत मेरी सिफ़तें हैं जो शख़्स उनमें से किसी एकमें मुझसे मुनाज़अत (झगड़ा) करेगा उसे जहन्नम में डाल दूँगा। (मुस्लिम)

हदीस (15) आदमी अपने को (अपने मरतबा से ऊँचे मरतबा की तरफ़) लेजाता रहता है यहाँ तक कि जब्बारीन में लिख दिया जाता है फिर जो उन्हें पहुँचेगा उसे भी पहुँचेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस (16) मुतकब्बेरीन का हश्र क़ियामत के दिन चींटियों की बराबर जिस्मों में होगा और उनकी सूरतें आदमियों की होंगी हर तरफ़ से उनपर ज़िल्लत छाये हुए होगी, उनको खींचकर जहन्नम के क़ैद ख़ाने की तरफ़ लेजायेंगे जिसका नाम बूलिस है उनके ऊपर आगों की आग होगी जहन्नमियों का निचोड़ उन्हें पिलाया जायेगा जिसको 'तीनतुलख़बाल' कहते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस (17) जो अल्लाह के लिये तवाज़ोअ़ करता है अल्लाह उसको बलन्द करता है वह अपने नफ़्स में छोटा मगर लोगों की नज़रों में बड़ा है। और जो बड़ाई करता है अल्लाह उसको पस्त करता है वह लोगों की नज़र में ज़लील है और अपने नफ़्स में बड़ा है वह लोगों के नज़्दीक कुत्ता या सुअर से भी ज़्यादा हक़ीर है। (बैहक़ी)

हदीस (18) तीन चीज़ें निजात देने वाली हैं और तीन हलाक करने वाली हैं निजात वाली चीज़ें यह हैं 1पोशीदा और ज़ाहिर में अल्लाह से तक़वा, 2ख़ुशी व ना ख़ुशी में हक़ बात बोलना, 3मालदारी और एहतियाज की हालत में दरमियानी चाल चलना हलाक करने वाली यह हैं 1ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी करना और 2बुख़्ल की इताअ़त और 3अपने नफ़्स के साथ घमन्ड करना यह सब में सख़्त है (बैहक़ी)

हिज्र और क़तअ़ तअ़ल्लुक़ की मुमानअ़त

"जुदाई और तअ़ल्लुक़ ख़त्म करने के इन्कार का हुक्म"

हदीस (1) सहीह मुस्लिम व बुख़ारी में अबू अय्यूब अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आदमी के लिये यह हलाल नहीं कि अपने

भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे कि दोनों मिलते हैं एक उधर मुँह फेर लेता है और दूसरा उधर मुँह फेर लेता है और इन दोनों में बेहतर वह है जो इब्तिदाअन सलाम करे"।(पहले सलाम करे)

हदीस् (2) अबूदाऊद ने ह़ज़रत आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मुस्लिम के लिये यह नहीं है कि दूसरे मुस्लिम को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे जब उससे मुलाक़ात हो तो तीन मरतबा सलाम करले अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका गुनाह भी उसके ज़िम्मे है"।

हदीस् (3) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन के लिये यह ह़लाल नहीं कि मोमिन को तीन दिन से ज़्यादा छोड़दे अगर तीन दिन गुज़र गये मुलाक़ात करे और सलाम करे और अगर दूसरे ने सलाम का जवाब देदिया तो अज्र में दोनों शरीक होगये और अगर जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके ज़िम्मे है और यह शख़्स़ छोड़ने के गुनाह से निकल गया।

हदीस् (4) अबूदाऊद ने अबू ख़राश सुलमी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि उन्होंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "जो शख़्स़ अपने भाई को साल भर छोड़दे तो यह उसके क़त्ल की मिस्ल है"।

हदीस् (5) इमाम अह़मद व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुस्लिम के लिये ह़लाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़दे फिर जिसने ऐसा किया और मरगया तो जहन्नम में गया"।

सुलूक करने का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

﴿وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾

"और जब हमने बनी इसराईल से अ़हद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजना और माँ, बाप और रिश्ते वालों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ भलाई करना और नमाज़ क़ाइम करो" और ज़कात दो"।

और फ़रमाता है।

﴿قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾

"तुम फ़रमाओ जो कुछ नेकी में ख़र्च करो तो वह माँ, बाप और क़रीब के रिश्ते वालों और यतीमों और मिस्कीनों और राहगीर के लिये हो और जो कुछ भलाई करोगे बेशक अल्लाह उसको जानता है"।

और फ़रमाता है।

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَّاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ؕ

"और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ, बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनसे उफ़ न कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे इ़ज़्ज़त की बात कहना और उनके लिये आजिज़ी का बाज़ू बिछादे नर्म दिली से और यह कह कि ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रह़म कर जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला"।

और फ़रमाता है।

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

"और हमने इन्सान को माँ, बाप के साथ भलाई करने की वसि़यत की और अगर वह तुझसे कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहरा ऐसे को जिसका तुझे इ़ल्म नहीं तो उनका कहना न मान"

और फ़रमाता है।

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۝ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا﴾

"और हमने इन्सान को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फरमाई उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेलती हुई और उसका दूध छुटना दो बरस में है यह कि शुक्र कर मेरा और अपने माँ बाप का मेरी ही तरफ़ तुझे आना

है और अगर वह दोनों तुझ से कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहरा ऐसे को जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना न मान और दुनिया में भलाई के साथ उनका साथ दे"।

और फ़रमाता है।

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾

"और हमने आदमी को माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया उसकी माँ ने तकलीफ के साथ उसे पेट में रखा और तकलीफ के साथ उस को जना"।

और फ़रमाता है।

﴿اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ﴾

"नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अ़क्ल है वह जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और बात पुख़्ता करके नहीं तोड़ते और जिसके जोड़ने का ख़ुदा ने हुक्म दिया है उसे जोड़ते हैं और ख़ुदा से डरते हैं और हिसाब की बुराई से डरते रहते हैं"

और फ़रमाता है।

﴿وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ﴾

"और जो लोग अल्लाह के अ़हद को मज़बूती के बाद तोड़ते हैं अल्लाह ने जिसके जोड़ने का हुक्म दिया है, उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं उनके लिये लअ़नत है और उनके लिये बुरा घर है"।

और फ़रमाता है।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ "और अल्लाह से डरो जिससे तुम सुवाल करते हो और रिश्ते से"।

ह़दीस (1) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ की, या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा सोह़बत यानी एहसान का मुस्तहक़ कौन है इरशाद फ़रमाया "तुम्हारी माँ" यानी माँ का हक़ सबसे ज़्यादा है। उन्होंने पूछा फिर कौन हुज़ूर ने फिर माँ को बताया। उन्होंने फिर पूछा कि फिर कौन इरशाद फ़रमाया तुम्हारा वालिद"। और एक रिवायत में है कि हुज़ूर ने फ़रमाया "सबसे ज़्यादा माँ है, फिर माँ, फिर माँ, फिर बाप फिर वह जो ज़्यादा क़रीब, फिर वह है जो ज़्यादा क़रीब है"। यानी एहसान करने में माँ का मरतबा बाप से भी तीन दर्जा बलन्द है।

ह़दीस (2) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ब'रिवायत बहज़ बिन ह़कीम अ़न अबीहि अ़न जद्दिही रावी कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह किसके साथ एह़सान करूँ फ़रामाया "अपनी माँ के साथ। मैनें कहा फिर किसके साथ फ़रमाया अपनी माँ के साथ। मैंने कहा फिर किसके साथ फ़रमाया माँ के साथ मैंने कहा फिर किसके साथ फ़रमाया अपने बाप के साथ फिर उसके साथ जो ज़्यादा क़रीब हो फिर उसके बाद जो ज़्यादा क़रीब हो।

ह़दीस (3) सह़ीह़ मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "ज़्यादा एह़सान करने वाला वह है जो अपने बाप के दोस्तों के साथ बाप के न होने की सूरत में एह़सान करे" यानी जब बाप मरगया या कहीं चला गया हो।

ह़दीस (4) सह़ीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "उसकी नाक ख़ाक में मिले (उसको तीन मरतबा फ़रमाया) यानी ज़लील हो किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कौन यानी यह किसके मुतअ़ल्लिक़ इरशाद है। फ़रमाया जिसने माँ, बाप दोनों या एक को बुढ़ापे के वक़्त पाया और जन्नत में दाख़िल न हुआ"। यानी उनकी ख़िदमत न की कि जन्नत में जाता।

ह़दीस (5) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में असमा बिन्ते अबी बक्र सि़द्दीक़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहती हैं जिस ज़माने में कुरैश ने हुज़ूर से मुआहिदा किया था मेरी माँ जो मुश्रिका थी मेरे पास आई मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी माँ आई है और वह इस्लाम की त़रफ़ रागि़ब है या वह इस्लाम से एअ़राज़ किए हुए है क्या मैं उसके साथ सुलूक करूँ इरशाद फ़रमाया "उसके साथ सुलूक करो"। यानी काफ़िरा माँ के साथ भी सुलूक किया जाये।

हदीस् (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में मुग़ीरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह ने यह चीज़ें तुम पर हराम करदी हैं माओं की ना'फ़रमानी करना और लड़कियों को ज़िन्दा दरगोर करना और दूसरों को जो अपने ऊपर आता हो उसे न देना और अपना मांगना कि लाओ। और यह बातें तुम्हारे लिये मकरूह कीं "(1)क़ील व क़ाल यानी फ़ुज़ूल बातें और (2)कस्रते सुवाल और (3)इज़ाअते माल"(माल को बर्बाद करना)

हदीस् (7) सहीह मुस्लिम व बुख़ारी में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "यह बात कबीरा गुनाहों में है कि आदमी अपने वालिदैन को गाली दे" लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है फ़रमाया "हाँ उसकी सूरत यह है कि यह दूसरे के बाप को गाली देता है, वह उसके बाप को गाली देता है, और यह दूसरे की माँ को गाली देता है वह उसकी माँ को गाली देता है"। सहाबा किराम जिन्होंने अरब का ज़मानाए जाहिलियत देखा था उनकी समझ में यह नहीं आया कि अपने माँ बाप को कोई क्योंकर गाली देगा यानी यह बात उनकी समझ से बाहर थी हुज़ूर ने बताया कि मुराद दूसरे से गाली दिलवाना है और अब वह ज़माना आया कि बाज़ लोग ख़ुद अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं और कुछ लिहाज़ नहीं करते।

हदीस् (8) शरह सुन्ना में और बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मैं जन्नत में गया, उसमें क़ुर्आन पढ़ने की आवाज़ सुनी, मैंने पूछा यह कौन पढ़ता है फ़िरिश्तों ने कहा हारिसा बिन नोअ़मान हैं हुज़ूर ने फ़रमाया यही हाल है एहसान का, यही हाल है एहसान का, हारिसा अपनी माँ के साथ बहुत भलाई करते थे"।

हदीस् (9) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "परवरदिगार की ख़ुश्नूदी बाप की ख़ुश्नूदी में है और परवरदिगार की नाख़ुशी बाप की नाराज़ी में है"।

हदीस् (10) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने रिवायत की कि एक शख़्स अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और यह कहा कि मेरी माँ मुझे यह हुक्म देती है कि मैं अपनी औरत को तलाक़ देदूँ अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "वालिद जन्नत के दरवाज़ों में बीच का दरवाज़ा है। अब तेरी ख़ुशी है कि उस दरवाज़े की हिफ़ाज़त करे या ज़ाइअ़ करदे"।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं मैं अपनी बीवी से महब्बत रखता था और हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु उस औरत से कराहत करते थे उन्होंने मुझसे फ़रमाया कि उसे तलाक़ देदो मैंने नहीं दी फिर हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और यह वाक़िआ बयान किया हुज़ूर ने मुझ से फ़रमाया कि "उसे तलाक़ देदो" उलमा फ़रमाते हैं कि अगर वालिदैन हक़ पर हों जब तो तलाक़ देना वाजिब ही है और अगर बीवी हक़ पर हो जब भी वालिदैन की रज़ा'मन्दी के लिये तलाक़ देना जाइज़ है।

हदीस् (12) इब्ने माजा ने अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अर्ज़ की या'रसूलल्लाह वालिदैन का औलाद पर क्या हक़ है फ़रमाया कि वह दोनों तेरी जन्नत व दोज़ख़ हैं यानी उनको राज़ी रखने से जन्नत मिलेगी और नाराज़ रखने से दोज़ख़ के मुस्तहक़ होगे।

हदीस् (13) बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने वालिदैन का फ़रमाँ'बर्दार है उसके लिये सुबह ही को जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अगर वालिदैन में

से एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है और जिसने इस हाल में सुबह की कि वालिदैन के मुतअल्लिक़ ख़ुदा की नाफ़रमानी करता है उसके लिये सुबह ही को जहन्नम के दो दरवाज़े खुल जाते हैं और एक हो तो एक दरवाज़ा खुलता है एक शख़्स ने कहा अगर्चे माँ, बाप उसपर ज़ुल्म करें फ़रमाया "अगर्चे ज़ुल्म करें, अगर्चे ज़ुल्म करें"।

हदीस् (14) बैहक़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब औलाद अपने वालिदैन की तरफ़ नज़रे रहमत करे तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये हर नज़र के बदले हज्जे मबरूर का सवाब लिखता है लोगों ने कहा अगर्चे दिन में सौ मरतबा नज़र करे फ़रमाया हाँ अल्लाह बड़ा है और अतयब है" यानी उसे सब कुछ कुदरत है उससे पाक है कि उसको उसके देने से आ़जिज़ कहा जाये।

हदीस् (15) इमाम अहमद व निसाई व बैहक़ी ने मुआ़विया बिन जाहिमा से रिवायत की कि उनके वालिद जाहिमा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा इरादा जिहाद में जाने का है हुज़ूर से मशवरा लेने को हाज़िर हुआ हूँ इरशाद फ़रमाया "तेरी माँ है अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया उसकी ख़िदमत लाज़िम करले कि जन्नत उसके क़दम के पास है"।

हदीस् (16) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "किसी के माँ बाप दोनों या एक का इन्तिक़ाल होगया और यह उनकी नाफ़रमानी करता था अब उनके लिये हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उसको नेकोकार लिख देता है"।

हदीस् (17) निसाई व दारमी ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मन्नान यानी एहसान जताने वाला और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और शराब ख़्वारी की मुदावमत करने वाला जन्नत में नहीं जायेगा"।

हदीस् (18) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैंने एक बड़ा गुनाह किया है आया मेरी तौबा क़बूल होगी फ़रमाया "क्या तेरी माँ ज़िन्दा है अ़र्ज़ की नहीं फ़रमाया तेरी कोई ख़ाला है अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया उसके साथ एहसान करो"।

हदीस् (19) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने अबी उसैद साइदी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे कि बनी सलमा में का एक शख़्स हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन मर चुके हैं अब भी उनके साथ एहसान का कोई तरीक़ा बाक़ी है फ़रमाया "हाँ उनके लिए दुआ़ व इस्तिग़फ़ार करना और जो उन्होंने अ़हद किया है उसको पूरा करना और जिस रिश्ते वाले के साथ उन्हीं की वजह से सुलूक किया जा सकता हो उसके साथ सुलूक करना और उनके दोस्तों की इ़ज़्ज़त करना"।

हदीस् (20) हाकिम ने मुस्तदरक में कअ़ब बिन उ़जरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "तुम लोग मिम्बर के पास हाज़िर हो जाओ" सब हाज़िर हुए जब हुज़ूर मिम्बर के पहले दर्जे पर चढ़े फ़रमाया आमीन! जब दसूरे पर चढ़े कहा आमीन! जब तीसरे दर्जे पर चढ़े कहा आमीन! जब हुज़ूर मिम्बर से उतरे हमने अ़र्ज़ की हुज़ूर से आज ऐसी बात सुनी कि कभी ऐसी नहीं सुना करते थे। फ़रमाया कि जिब्रील मेरे पास आये और यह कहा कि "उसे रहमते इलाही से दूरी हो जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़्फ़िरत न हुई, इस पर मैंने आमीन! कहा जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा उस शख़्स के लिये रहमते इलाही से दूरी हो जिसके सामने हुज़ूर का ज़िक्र हो और वह हुज़ूर पर दुरूद न पढ़े इस पर मैंने कहा आमीन! जब मैं तीसरे ज़ीने पर चढ़ा उन्होंने कहा उसके लिए दूरी हो जिसके माँ बाप

दोनों या एक को बुढ़ापा आया और उन्होंने उसे जन्नत में दाख़िल न किया मैंने कहा आमीन!"।

हदीस (21) बैहक़ी ने सईद इब्ने आस़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बड़े भाई का छोटे भाई पर वैसा ही ह़क़ है जैसा कि बाप का ह़क़ औलाद पर है"।

हदीस (22) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब अल्लाह मख़्लूक़ को पैदा फ़रमा चुका रिश्ता (कि यह भी एक मख़लूक़ है) खड़ा हुआ और दरबारे उलूहियत में इस्तिग़ासा किया इरशादे इलाही हुआ क्या है रिश्ता ने कहा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ काटने वालों से। इरशाद हुआ क्या तू इसपर राज़ी नहीं कि जो तुझे मिलाये मैं उसे मिलाऊँगा और जो तुझे काटे मैं उसे काट दूँगा उसने कहा हाँ मैं राज़ी हूँ फ़रमाया तो बस यही है"।

हदीस (23) स़ह़ीह़ बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रह़म (रिश्ता) रह़मान से मुश्तक़ है अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया जो तुझे मिलायेगा मैं उसे मिलाऊँगा और जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूंगा"।

हदीस (24) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "रिश्ता अ़र्शे इलाही से लिपटकर यह कहता है जो मुझे मिलायेगा अल्लाह उसको मिलायेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह उसे काटेगा"।

हदीस (25) अबूदाऊद ने अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने औ़फ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "अल्लाह तबारक तआ़ला ने फ़रमाया मैं अल्लाह हूँ और मैं रह़मान हूँ, रह़म (यानी रिश्ता) को मैंने पैदा किया और उसका नाम मैंने अपने नाम से मुश्तक़ किया लिहाज़ा जो उसे मिलायेगा मैं उसे मिलाऊँगा और जो उसे काटेगा उसे काटूंगा।

हदीस (26) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो यह पसन्द करे कि उसके रिज़्क़ में वुसअ़त हो और उसके अस्र (यानी उम्र में) ताख़ीर की जाये तो अपने रिश्ते वालों के साथ सुलूक करे"।

हदीस (27) इब्ने माजा ने स़ौबान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "तक़दीर को कोई चीज़ रद नहीं करती मगर दुआ़ और बिर्र" यानी एह़सान करने से उ़म्र में ज़्यादती होती है और आदमी गुनाह करने की वजह से रिज़्क़ से मह़रूम होजाता है। इस ह़दीस़ का मत़लब यह है कि दुआ़ से बलायें दफ़अ़ होती हैं यहाँ तक़दीर से मुराद तक़दीरे मुअ़ल्लक़ है और ज़्यादती–ए–उ़म्र का भी यही मत़लब है कि एह़सान करना दराज़ी–ए–उ़म्र का सबब है और रिज़्क से स़वाबे उख़रवी मुराद है कि गुनाह उसकी मह़रूमी का सबब है और हो सकता है कि बाज़ सूरतों में दुनियवी रिज़्क से भी मह़रूम होजाये।

हदीस (28) ह़ाकिम ने मुस्तदरक में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने नसब पहचानो ताकि स़िलाए रह़म करो क्योंकि अगर रिश्ता को काटा जाये तो अगर्चे क़रीब हो वह क़रीब नहीं और अगर जोड़ा जाये तो दूर नहीं अगर्चे दूर हो"।

हदीस (29) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने नसब को इतना सीखो जिससे स़िला रह़म कर सको क्योंकि स़िला रह़म अपने लोगों में मह़ब्बत का सबब है इस माल में ज़्यादा और अस्र (यानी उ़म्र)-में ताख़ीर होगी।

हदीस (30) ह़ाकिम ने मुस्तदरक में आ़स़िम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसको यह पसन्द हो कि उ़म्र में दराज़ी हो और रिज़्क

में वुसअत हो और बुरी मौत दफ़अ् हो वह अल्लाह तआला से डरता रहे और रिश्ते वालों से सुलूक करे।

हदीस् (31) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जायेगा"।

हदीस् (32) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में अब्दुल्लाह इब्ने उबई औफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने यह फ़रमाते सुना कि "जिस कौम में कातिअ् रहम होता है उस पर रहमते इलाही नहीं उतरती"।

हदीस् (33) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबूबक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में भी जल्द ही देदी जाये और उसके लिये आख़िरत में भी अज़ाब का ज़ख़ीरा रहे वह बग़ावत और क़तअ् रहम से बढ़कर नहीं" और बैहक़ी की रिवायत शोअ्बुल ईमान में उन्हीं से यूँ है कि जितने गुनाह हैं उनमें से जिस को अल्लाह तआला चाहता है मुआफ़ कर देता है सिवा वालिदैन की नाफ़रमानी के कि उस की सज़ा ज़िन्दगी में मौत से पहले दीजाती है।

हदीस् (34) सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सिला रहमी इसका नाम नहीं कि बदला दिया जाये यानी उसने इसके साथ एहसान किया इसने उसके साथ करदिया बल्कि सिला रहमी करने वाला वह है कि उधर से काटा जाता है और यह जोड़ता है"।

हदीस् (35) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी क़राबत वाले ऐसे हैं कि मैं उन्हें मिलाता हूँ और वह काटते हैं मैं उन के साथ एहसान करता हूँ वह मेरे साथ बुराई करते हैं और मैं उनके साथ हिल्म से पेश आता हूँ और वह मुझ पर जिहालत करते हैं इरशाद फ़रमाया "अगर ऐसा ही है जैसा तुमने बयान किया तुम उनको गर्म राख फंकाते हो और हमेशा अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे साथ एक मदद गार रहेगा जब तक तुम्हारी यही हालत रहे"।

हदीस् (36) हाकिम ने मुस्तदरक में उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाक़ात को गया मैंने जल्दी से हुज़ूर का दस्ते मुबारक पकड़ लिया और हुज़ूर ने मेरे हाथ को जल्दी से पकड़ लिया फिर फ़रमाया "ऐ उक़बा दुनिया व आख़िरत के अफ़ज़ल अख़लाक़ यह हैं कि तुम उसको मिलाओ जो तुम्हें जुदा करे और जो तुम पर ज़ुल्म करे उसे मुआफ़ करो और जो यह चाहे कि उम्र में दराज़ी हो और रिज़्क़ में वुस्अत हो वह अपने रिश्ते वालों के साथ सिला करे।

मसाइले फ़िक़्हिया:– सिला रहम के मअ्ना रिश्ता को जोड़ना है यानी रिश्ते वालों के साथ नेकी और सुलूक करना। सारी उम्मत का इसपर इत्तिफ़ाक़ है कि सिला रहम वाजिब है और क़तअे रहम हराम है। जिन रिश्ते वालों के साथ सिला वाजिब है वह कौन हैं बाज़ उलमा ने फ़रमाया वह ज़ू रहम महरम हैं और बाज़ ने फ़रमाया इससे मुराद ज़ू रहम है महरम हों या न हों। और ज़ाहिर यही क़ौले दोम है अहादीस् में मुतलक़न रिश्ते वालों के साथ सिला करने का हुक्म आता है क़ुर्आन मजीद में मुतलक़न ज़विलक़ुर्बा फ़रमाया गया मगर यह बात ज़रूरी है कि रिश्ते में चूंकि मुख़्तलिफ़ दरजात हैं सिला रहम के दरजात में भी तफ़ावुत (फ़र्क़) होता है। वालिदैन का मरतबा सबसे बढ़कर है इनके बाद ज़ूरहम महरम का, उनके बाद बक़िया रिश्ते वालों का। अला क़द्रे मरातिब (मरातिब के लिहाज़ से) (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– सिला रहम की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं उनको हदया व तोहफ़ा देना और अगर उनको किसी बात में तुम्हारी इआनत दर कार हो तो उस काम में उनकी मदद करना उन्हें सलाम करना उनकी मुलाक़ात को जाना उनके पास उठना, बैठना उनसे बात, चीत करना उनके साथ लुत्फ़ व

मेहरबानी से पेश आना। (दुरर)

मसअला.2:– अगर यह शख़्स परदेस में है तो रिश्ते वालों के पास ख़त भेजा करे उनसे ख़त व किताबत जारी रखे ताकि बे तअल्लुक़ी पैदा न होने पाये और होसके तो वतन आये और रिश्ते दारों से तअल्लुक़ ताज़ा करले इस तरह करने से महब्बत में इज़ाफ़ा होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला.3:– यह परदेस में है वालिदैन उसे बुलाते हैं तो आना ही होगा ख़त लिखना काफ़ी नहीं है यूहीं वालिदैन को उसकी ख़िदमत की हाजत हो तो आये और उनकी ख़िदमत करे। बाप के बाद दादा और बड़ा भाई का मरतबा है कि बड़ा भाई ब'मन्ज़िला बाप के होता है बड़ी बहन और ख़ाला माँ की जगह पर है बाज़ ने चचा को बाप की मिस्ल बताया और हदीस़ عم الرجل صنو ابيه से भी यही मुस्तफ़ाद होता है उनके अलावा औरों के पास ख़त भेजना या हदया भेजना किफ़ायत करता है।(रद्दुल)

मसअला.4:– रिश्तेदारों से नाग़ा देकर मिलता रहे यानी एक दिन मिलने को जाये दूसरे दिन न जाये व अला हाज़लक़ियास (और इसी तरह समझिये) कि इससे महब्बत उलफ़त ज़्यादा होती है बल्कि अक़रबा से जुमा जुमा मिलता रहे या महीने में एक बार और तमाम क़बीला और ख़ान्दान को एक होना चाहिए जब हक़ उनके साथ हो तो दूसरों से मुक़ाबला और इज़हारे हक़ में सब मुत्तहिद होकर काम करें जब अपना कोई रिश्तेदार कोई हाजत पेश करे तो उसकी हाजत रवाई करे उसको रद कर देना क़तअ़ रहम है। (दुरर)

मसअला.5:– सिला रहम उसी का नाम नहीं कि वह सुलूक करे तो तुम भी करो यह चीज़ तो हक़ीक़त में मुकाफ़ात यानी अदला बदला करना है कि उसने तुम्हारे पास चीज़ भेजदी तुमने उसके पास भेजदी वह तुम्हारे यहाँ आया तुम उसके पास चले गये हक़ीक़तन सिला रहम यह है कि वह काटे और तुम जोड़ो, वह तुमसे जुदा होना चाहता है बे एअ्तिनाई करता है और तुम उसके साथ रिश्ते के हुक़ूक़ की मुराआत करो। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.6:– हदीस़ में आया है कि सिला रहम से उम्र ज़्यादा होती है और रिज़्क़ में वुस्अ़त होती है बाज़ उलमा ने इस हदीस़ को ज़ाहिर पर हमल किया यानी यहाँ क़ज़ा मुअ़ल्लक़ मुराद है क्योंकि क़ज़ा मुबरम टल नहीं सकती اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ और बाज़ ने फ़रमाया कि ज़्यादती उम्र का यह मतलब है कि मरने के बाद भी उसका स़वाब लिखा जाता है गोया वह अब भी ज़िन्दा है या यह मुराद है कि मरने के बाद भी उसका ज़िक्रे ख़ैर लोगों में बाक़ी रहता है। (रद्दुलमुहतार)

औलाद पर शफ़क़त और यतीमों पर रहमत

हदीस़ (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि एक एअ्राबी ने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ की कि आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं हम उन्हें बोसा नहीं देते हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूँ"।

हदीस़ (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है कहते हैं एक औरत अपनी दो लड़कियाँ लेकर मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ मांगा मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ न था मैंने वही देदी औरत ने खजूर तक़सीम करके दोनों लड़कियों को देदी और खुद नहीं खाई जब वह चली गई हुज़ूर नबी करीम अ़लैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ़ लाये मैंने यह वाक़िआ बयान किया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "जिसको खुदा ने लड़कियाँ दी हों अगर वह उनके साथ एहसान करे तो वह जहन्नम की आग से उसके लिये रोक होजायेंगी"।

हदीस़ (3) इमाम अहमद व मुस्लिम ने आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती हैं एक मिस्कीन औरत दो लड़कियों को लेकर मेरे पास आई मैंने उसे तीन खजूरें दीं एक एक लड़कियों को देदी और एक को मुँह तक खाने के लिये लेगई कि लड़कियों ने उससे मांगी उसने दो टुकड़े करके दोनों को देदी जब यह वाक़िआ हुज़ूर को सुनाया इरशाद फ़रमाया "अल्लाह

तआ़ला ने उसके लिये जन्नत वाजिब करदी और जहन्नम से आज़ाद कर दिया"।

हदीस (4) स़ह़ीह मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसकी अ़याल (परवरिश) में दो लड़कियाँ बुलूग़ तक रहें वह क़ियामत के दिन उस त़रह आयेगा कि मैं और वह पास पास होंगे और हुज़ूर ने अपनी उंगलियाँ मिलाकर फ़रमाया कि इस त़रह"।

हदीस (5) शरह सुन्नत में इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स यतीम को अपने खाने पीने में शरीक करे अल्लाह तआ़ला उसके लिये ज़रूर जन्नत वाजिब करदेगा मगर जब कि ऐसा गुनाह किया हो जिसकी मग़्फ़िरत न हो और जो शख़्स तीन लड़कियों या इतनी ही बहनों की परवरिश करे उनको अदब सिखाये उनपर मेहरबानी करे यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उन्हें बे'नियाज़ करदे।(यानी अब उन को ज़रूरत बाक़ी न रहे) अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत वाजिब कर देगा" किसी ने कहा या रसूलल्लाह या दो (यानी दो की परवरिश में यही स़वाब होजाये) फ़रमाया दो (यानी उन में भी वही स़वाब है) और अगर लोगों ने एक के मुतअ़ल्लिक़ कहा होता तो हुज़ूर एक को भी फ़रमा देते और जिसकी करीमतैन को अल्लाह ने दूर कर दिया उसके लिये जन्नत वाजिब है दरयाफ़्त किया गया करीमतैन क्या हैं फ़रमाया आँखें।

हदीस (6) अबूदाऊद ने औ़फ़ बिन मालिक अश्जई रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैं और वह औ़रत जिसके रुख़्सारे मैले हैं दोनों जन्नत में इस त़रह होंगे"। यानी जिस त़रह कलिमा और बीच की उंगलियाँ पास पास हैं इससे मुराद वह औ़रत है जो मनस़ब व जमाल वाली थी और बेवा होगई और उसने यतीमों की ख़िदमत की यहाँ तक कि वह जुदा होजायें। (यानी बड़े होजायें) या मर जायें।

हदीस (7) इमाम अह़मद व ह़ाकिम व इब्ने माजा ने सुराक़ा इब्ने मालिक रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या मैं तुमको यह न बतादूँ कि अफ़ज़ल स़दक़ा क्या है वह अपनी उस लड़की पर स़दक़ा करना है जो तुम्हारी त़रफ़ वापस हुई (यानी उसका शौहर मरगया या उसको त़लाक़ देदी और बाप के यहाँ चली आई) तुम्हारे सिवा उसका कमाने वाला कोई नहीं है"।

हदीस (8) अबू'दाऊद ने इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसकी लड़की हो और वह उसे ज़िन्दा दर'गोर न करे, और उसकी तौहीन न करे, और औलादे ज़कूर (लड़के) को उसपर तर्जीह़ न दे अल्लाह तआ़ला उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा"।

हदीस (9) तिर्मिज़ी ने जाबिर इब्ने समुरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "कोई शख़्स अपनी औलाद को अदब दे वह उसके लिये एक स़ाअ़ स़दक़ा करने से बेहतर है"।

हदीस (10) तिर्मिज़ी व बैहक़ी ने ब'रिवायत अय्यूब इब्ने मूसा अबीहि अ़न जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "बाप की औलाद को कोई अ़तिया अदबे ह़सन से बेहतर नहीं"।

हदीस (11) तिर्मिज़ी व ह़ाकिम ने अ़म्र बिन सईद बिनिलआ़स़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "वालिद का अपनी औलाद को इससे बढ़कर कोई अ़तिया नहीं कि उसे अच्छे आदाब सिखाये"।

हदीस (12) इब्ने माजा ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपनी औलाद का इकराम करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ"।

हदीस (13) इब्नुन्नज्जार ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ल अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बाप के ज़िम्मे भी औलाद के हुकूक़ हैं जिस तरह औलाद के ज़िम्मे बाप के हुकूक़ हैं"।

हदीस (14) तिबरानी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपनी औलाद को बराबर दो अगर मैं किसी को फ़ज़ीलत देता तो लड़कियों को फ़ज़ीलत देता"।

हदीस (15) तिबरानी ने नोअ़मान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अतिया में अपनी औलाद के दरम्यान अ़द्ल करो जिस तरह तुम खुद यह चाहते हो कि वह सब तुम्हारे साथ एहसान व मेहरबानी में अ़द्ल करें"।

हदीस (16) इब्नुन्नज्जार ने नोअ़मान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआला इसको पसन्द करता है कि तुम अपनी औलाद के दरम्यान अ़द्ल करो यहाँ तक कि बोसा लेने में"।

हदीस (17) सहीह बुख़ारी में सुहैल इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स यतीम की किफ़ालत करे वह यतीम उसी घर का हो या ग़ैर का मैं वह दोनों जन्नत में इस तरह होंगे हुज़ूर ने कलिमा की उंगली और बीच की उंगली से इशारा किया और दोनों उंगलियों के दरम्यान थोड़ा सा फ़ासिला किया"।

हदीस (18) इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुसलमानों में सबसे बेहतर घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ एहसान किया जाता हो और मुसलामनों में सब से बुरा वह घर है जिस में यतीम हो और उसके साथ बुराई की जाती हो"।

हदीस (19) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स यतीम के सर पर महज़ अल्लाह के लिये हाथ फेरे तो जितने बालों पर उसका हाथ गुज़रेगा हर बाल के मुक़ाबिल में उस के लिये नेकियाँ हैं और जो शख़्स यतीम लड़की या यतीम लड़के पर एहसान करे मैं और वह जन्नत में (दो उंगलियों को मिलाकर फ़रमाया) इस तरह होंगे"।

हदीस (20) इमाम अहमद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अपनी दिल की सख़्ती की शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "यतीम के सर पर हाथ फेरो और मिस्कीन को खाना खिलाओ"।

हदीस (21) तिबरानी ने औसत में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि "लड़का यतीम हो तो उसके सर पर हाथ फेरने में आगे को लाये और बच्चे का बाप हो तो हाथ फेरने में गर्दन की तरफ़ ले जाये"।

पड़ोसियों के हुकूक़

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَیْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِیْنِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۔﴾

"और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो माँ, बाप से भलाई करो और रिश्ते दारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाया और दूर के हमसाया और करवट के साथी और राहगीर और अपने बान्दी गुलाम से, बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला"।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "खुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, खुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, खुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, अ़र्ज़ की गई कौन या रसूलल्लाह फ़रमाया वह शख़्स कि

उसके पड़ोसी उसकी आफ़तों से महफ़ूज़ न हों यानी जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ें देता है"।

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "वह जन्नत में नहीं जायेगा जिसका पड़ोसी उसकी आफ़तों से अमन में नहीं है"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उम्मुलमोमिनीन आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के मुतअल्लिक़ बराबर वसियत करते रहे यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि पड़ोसी को वारिस् बनादेंगे"।

हदीस् (4) तिर्मिज़ी व दारमी व हाकिम ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला के नज़्दीक साथियों में वह बेहतर है जो अपने साथी का ख़ैर ख़्वाह हो और पड़ोसियों में अल्लाह के नज़्दीक वह बेहतर है जो अपने पड़ोसी का ख़ैर ख़्वाह हो"।

हदीस् (5) हाकिम ने मुस्तदरक में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी का इकराम करे"।

हदीस् (6) इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स ने हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे यह क्योंकर मालूम हो कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया फ़रमाया "जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते सुनो कि तुमने अच्छा किया है तो बेशक तुमने अच्छा किया और जब यह कहते सुनो कि तुमने बुरा किया बेशक तुमने बुरा किया है"।

हदीस् (7) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में अब्दुर्रहमान इब्ने उबई क़ुराद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया सहाबा किराम ने वज़ू का पानी लेकर मुँह वग़ैरा पर मसह करना शुरूअ़ करदिया हुज़ूर ने फ़रमाया क्या चीज़ तुम्हें इस काम पर आमादा करती है अर्ज़ की अल्लाह व रसूल की महब्बत हुज़ूर ने फ़रमाया जिसकी ख़ुशी यह हो कि अल्लाह व रसूल से महब्बत करें वह जब बात बोले सच बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाये तो अमानत अदा करदे और जो उसके जवार में हो उसके साथ एहसान करे।

हदीस् (8) बैहक़ी ने शोअ़बुलईमान में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना "मोमिन वह नहीं जो ख़ुद पेट भर खाये और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूका रहे"। यानी मोमिने कामिल नहीं।

हदीस् (9) तिबरानी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स हान्डी पकाये तो शोरबा ज़्यादा करे और पड़ोसी को भी उसमें से कुछ दे"।

हदीस् (10) दैलमी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "ऐ आइशा! पड़ोसी का बच्चा आजाये तो उसके हाथ में कुछ रखदो कि इससे महब्बत बढ़ेगी"।

हदीस् (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "पड़ोसी तुम्हारी दीवार पर कड़ियाँ रखना चाहे तो उसे मनअ़ न करो" यह हुक्म दियानत का है क़ज़ाअ़न उसको मनअ़ कर सकता है।

हदीस् (12) इमाम अहमद व बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फ़ुलानी औरत के मुतअल्लिक़ ज़िक्र किया जाता है कि नमाज़ व रोज़ा व सदक़ा कस्रत से करती है मगर यह बात भी है कि वह अपने पड़ोसियों को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती है फ़रमाया वह जहन्नम में है उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फ़ुलानी औरत की निस्बत ज़िक्र किया जाता है कि उसके रोज़ा व सदक़ा व नमाज़ में कमी है (यानी

नवाफ़िल) वह पनीर के टुकड़े सदक़ा करती है और अपनी ज़बान से पड़ोसियों को ईज़ा नहीं देती फ़रमाया वह जन्नत में है।

हदीस् (13) इमाम अहमद व बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे मा'बैन अख़लाक़ की उसी त़रह तक़सीम फ़रमाई, जिस त़रह रिज़्क़ की तक़सीम फ़रमाई अल्लाह तआ़ला दुनिया उसे भी देता है जो उसे महबूब हो और उसे भी जो महबूब नहीं और दीन सिर्फ़ उसी को देता है जो उसके नज़्दीक प्यारा है लिहाज़ा जिसको ख़ुदा ने दीन दिया उसे महबूब बना लिया क़सम उसकी जिसके दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है बन्दा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसका दिल और ज़बान मुसलमान न हो या'नी जब तक दिल में तस्दीक़ और ज़बान से इक़रार न हो और मोमिन नहीं होता जब तक उसका पड़ोसी उसकी आफ़तों से अमन में न हो उसी की मिस्ल हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत की"।

हदीस् (14) हाकिम ने मुस्तदरक में नाफ़ेअ़ इब्ने अ़ब्दुल'हारिस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मर्द मुस्लिम के लिये दुनिया में यह बात सआ़दत में से है कि उसका पड़ोसी स़ालेह (नेक) हो और मकान कुशादा हो और सवारी अच्छी हो"।

हदीस् (15) हाकिम ने मुस्तदरक में आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे दो पड़ोसी हैं उनमें से किसके पास हदया भेजूँ फ़रमाया "जिसका दरवाज़ा ज़्यादा नज़्दीक हो"।

हदीस् (16) इमाम अहमद ने उ़क़बा इब्ने आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ियामत के दिन सबसे पहले जो दो शख़्स अपना झगड़ा पेश करेंगे वह दोनों पड़ोसी होंगे"।

हदीस् (17) बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से ब'सनदे ज़ईफ़ रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हें मा'लूम है कि पड़ोसी का क्या हक़ है यह कि जब वह तुमसे मदद मांगे मदद करो जब क़र्ज़ मांगे क़र्ज़ दो और जब मुसीबत पहुँचे तो तअ़ज़ियत करो और मरजाये तो ज़नाज़े के साथ जाओ और बिग़ैर इजाज़त अपनी इमारत बलन्द न करो कि उसकी हवा रोक दो और अपनी हान्डी से उसको ईज़ा न दो मगर उसमें से कुछ उसे भी दो और मेवे ख़रीदो तो उसके पास भी हदया करो और अगर हदया न करना हो तो छुपाकर मकान में लाओ और तुम्हारे बच्चे उसे लेकर बाहर न निकलें कि पड़ोसी के बच्चों को रंज होगा। तुम्हें मा'लूम है पड़ोसी का क्या हक़ है क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है पूरे त़ौर पर पड़ोसी का हक़ अदा करने वाले थोड़े हैं वही जिस पर अल्लाह की मेहबानी है"। बराबर पड़ोसी के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर वसियत फ़रमाते रहे यहाँ तक कि लोगों ने गुमान किया कि पड़ोसी को वारिस् करदेंगे फिर हुज़ूर ने फ़रमाया कि पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं बा'ज़ के तीन हक़ हैं बा'ज़ के दो और बा'ज़ का एक हक़ है जो पड़ोसी मुस्लिम हो और रिश्ते वाला हो उसके तीन हक़ हैं हक़्क़े जवार और हक़्क़े इस्लाम और हक़्क़े क़राबत पड़ोसी मुस्लिम के दो हक़ हैं हक़्क़े जवार और हक़्क़े इस्लाम और पड़ोसी काफ़िर का सिर्फ़ एक हक़्क़े जवार है हमने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह उनको अपनी कुर्बानियों में से दें फ़रमाया कि मुश्रिकीन को कुर्बानियों में से कुछ न दो।

मसअला.1:– छत पर चढ़ने में दूसरों के घरों में निगाह पहुँचती है तो वह लोग छत पर चढ़ने से मनअ़ कर सकते हैं जब तक पर्दा की दीवार न बनवाले या कोई ऐसी चीज़ न लगाले जिससे बे'पर्दगी न हो और अगर दूसरे लोगों के घरों में नज़र नहीं पड़ती मगर वह लोग जब छत पर चढ़ते हैं तो सामना होता है तो उसको चढ़ने से मनअ़ नहीं कर सकते बल्कि उनकी मस्तूरात को यह चाहिए कि वह ख़ुद छतों पर न चढ़ें ताकि बे'पर्दगी न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– इसके मकान की छत दूसरे के मकान में है यह अपनी दीवार में मिट्टी लगाना चाहता है मालिक मकान अपने घर में जाने से उसे रोकता है अब मिट्टी क्योंकर लगाई जाये मालिक मकान से कहा जायेगा कि उसे मकान में जाने की इजाज़त दे वरना वह खुद मिट्टी लगवादे इसके पैसे उससे दिलवादिये जायेंगे इसी तरह अगर उसकी दीवार दूसरे के मकान में गिरगई है वहाँ से मिट्टी उठाने की ज़रूरत है मालिक मकान उसको इजाज़त देदे कि यह वहाँ से मिट्टी उठाये और इजाज़त नहीं देता तो खुद उठाये। (आलमगीरी)

मख़्लूके ख़ुदा पर मेहरबानी करना

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"नेकी और परहेज़गारी पर आपस में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह व ज़ुल्म पर मदद न करो"।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जुरैर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता"।

हदीस (2) अहमद व तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैंने अबुल'क़ासिम सादिक़ मस्दूक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "रहमत नहीं निकाली जाती मगर बदबख़्त से"।

हदीस (3) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर वह रहम फ़रमायेगा जिसकी हुकूमत आसमान में है"।

हदीस (4) तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "वह हम में से नहीं जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े की तौक़ीर न करे और अच्छी बात का हुक्म न करे और बुरी बात से मनअ़ न करे"।

हदीस (5) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की "जवान अगर बूढ़े का इकराम उसकी उम्र की वजह से करेगा तो उसकी उम्र के वक़्त अल्लाह तआला ऐसे को मुक़र्रर करदेगा जो उस का इकराम (ताज़ीम) करे"।

हदीस (6) अबूदाऊद ने अबूमूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह बात अल्लाह तआला की तअ़ज़ीम में से है कि बूढ़े मुसलमान का इकराम किया जाये और उस हामिले क़ुर्आन का इकराम किया जाये जो न ग़ाली हो न ज़ानी (यानी जो ग़ुलू करते हैं कि हद से तजावुज़ कर जाते हैं कि पढ़ने में अलफ़ाज़ की सेहत का लिहाज़ नहीं रखते या मअ़ना ग़लत बयान करते हैं या रिया के तौर पर तिलावत करते हैं और जफ़ा यह है कि उससे एअ़राज़ करे, न क़ुर्आन की तिलावत करे, न उसके अहकाम पर अमल करे) और बादशाहे आदिल का इकराम करना"।

हदीस (7) इमाम अहमद व बैहक़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मोमिन उलफ़त की जगह है और उस शख़्स में कोई भलाई नहीं जो न उलफ़त करे न उससे उलफ़त की जाये"।

हदीस (8) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मेरी उम्मत में किसी की हाजत पूरी करदे जिससे मक़सूद उसको खुश करना है उसने मुझे खुश किया और जिसने मुझे ख़ुश किया उसने अल्लाह को खुश किया और जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा"।

हदीस (9) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो किसी मज़लूम की फ़रयाद'रसी करे अल्लाह तआला उसके लिये तिहत्तर मग़्फ़िरतें लिखेगा उनमें से एक से उनके तमाम कामों की दुरुस्ती होजायेगी और

बहत्तर से क़ियामत के दिन उसके दर्जे बलन्द होंगे''।

हदीस् (10) सहीह मुस्लिम में नोअ़्मान इब्ने बशीर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''तमाम मोमिनीन शख़्से वाहिद की मिस्ल हैं अगर उसकी आँख बीमार हुई तो वह कुल बीमार है और सर में बीमारी हुई तो कुल बीमार है''।

हदीस् (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूमूसा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन मोमिन के लिये इमारत की मिस्ल है कि ''उसका बाज़ बाज़ को कुव्वत पहुँचाता है फिर हुज़ूर ने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में दाख़िल फ़रमाईं यानी जिस तरह यह मिली हुई हैं मुसलमानों को भी इसी तरह होना चाहिए''

हदीस् (12) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''अपने भाई की मदद कर ज़ालिम हो या मज़लूम हो'' किसी ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मज़लूम हो तो मदद करूँगा ज़ालिम हो तो क्योंकर मदद करूँ। फ़रमाया कि ''उस को ज़ुल्म करने से रोकदे यही मदद करना है''।

हदीस् (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मुस्लिम मुस्लिम का भाई है न उस पर ज़ुल्म करे, न उसकी मदद छोड़े और जो शख़्स अपने भाई की ह़ाजत में हो अल्लाह उसकी ह़ाजत में है और जो शख़्स मुस्लिम से किसी एक तकलीफ़ को दूर करे अल्लाह तआ़ला क़ियामत की तकलीफ़ में से एक तक्लीफ़ उसकी दूर कर देगा और जो शख़्स मुस्लिम की पर्दा'पोशी करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा''।

हदीस् (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है बन्दा मोमिन नहीं होता जब तक अपने भाई के लिये वह पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता है''।

हदीस् (15) सहीह मुस्लिम में तमीम दारी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''दीन ख़ैर ख़्वाही का नाम है'' इसको तीन मरतबा फ़रमाया हमने अ़र्ज़ की किसकी ख़ैर ख़्वाही, फ़रमाया ''अल्लाह व रसूल और उसकी किताब की और अइम्माए मुस्लिमीन और आ़म मुसलमानों की''।

हदीस् (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जुरैर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से नमाज़ क़ाइम करने और ज़कात देने और हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही करने पर बैअ़त की थी।

हदीस् (17) अबूदाऊद ने हज़रत आ़इशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''लोगों को उनके मरतबे में उतारो'' य़ानी हर शख़्स के साथ उस तरह पेश आओ जो उसके मरतबे के मुनासिब हो सबके साथ एकसा बरताव न हो मगर उसमें यह लिहाज़ ज़रूर करना होगा कि दूसरे की तहक़ीर व तज़लील न हो।

हदीस् (18) तिर्मिज़ी व बैहक़ी ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''तुम में अच्छा वह शख़्स है जिससे भलाई की उम्मीद हो और जिसकी शरारत से अमन हो और तुममें बुरा वह शख़्स है जिससे भलाई की उम्मीद न हो और जिसकी शरारत से अमन न हो''।

हदीस् (19) बैहक़ी ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''तमाम मख़लूक़ अल्लाह तआ़ला की ए़याल है और अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक सब में प्यारा वह है जो उसकी ए़याल के साथ एह़सान करे''।

हदीस् (20) तिर्मिज़ी ने अबूज़र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जहाँ कहीं रहो ख़ुदा से डरते रहो और बुराई होजाये तो उस के बाद नेकी करो यह नेकी उसे मिटादेगी और लोगों से अच्छे अख़लाक़ के साथ पेश आओ"।

नर्मी व हया व ख़ूबी–ए– अख़लाक़ का बयान

हदीस् (1) अल्लाह तआला मेहरबान है, मेहरबानी को दोस्त रखता है और मेहरबानी करने पर वह देता है कि सख़्ती पर नहीं देता। (मुस्लिम)

हदीस् (2) हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया "नर्मी को लाज़िम करलो और सख़्ती व फ़हश से बचो जिस चीज़ में नर्मी होती है उसको ज़ीनत देती है और जिस चीज़ से जुदा करली जाती है उसे ऐबदार कर देती है"। (मुस्लिम)

हदीस् (3) जो नर्मी से महरूम हुआ वह ख़ैर से महरूम हुआ। (मुस्लिम)

हदीस् (4) जिसको नर्मी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आख़िरत की ख़ैर का हिस्सा मिला और जो शख़्स नर्मी के हिस्से से महरूम हुआ वह दुनिया व आख़िरत के ख़ैर से महरूम हुआ। (शरह सुन्ना)

हदीस् (5) क्या मैं तुमको ख़बर न दूँ कि कौन शख़्स जहन्नम पर हराम है और जहन्नम उस पर हराम वह शख़्स कि आसानी करने वाला नर्म क़रीब सहल है। (अहमद तिर्मिज़ी)

हदीस् (6) मोमिन आसानी करने वाले नर्म होते हैं जैसे नकेल वाला ऊँट कि खींचा जाता है तो खिंच जाता है और चट्टान पर बिठाया जाये तो बैठ जाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (7) एक शख़्स अपने भाई को हया के मुतअल्लिक़ नसीहत कर रहा था कि इतनी हया क्यों करते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "उसे छोड़ो" यानी नसीहत न करो क्योंकि हया ईमान से है"। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (8) "हया नहीं लाती है मगर ख़ैर को हया कुल ही ख़ैर है"। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (9) "यह अगले अम्बिया का कलाम है जो लोगों में मशहूर है जब तुझे हया नहीं तो जो चाहे कर"। (बुख़ारी)

हदीस् (10) हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है और बेहूदा गोई जफ़ा से है और जफ़ा जहन्नम में है। (अहमद, तिर्मिज़ी)

हदीस् (11) हर दीन के लिये एक ख़ुल्क़ होता है यानी आदत व ख़सलत और इस्लाम का ख़ुल्क़ हया है। (इमाम मालिक)

हदीस् (12) ईमान व हया दोनों साथी हैं एक को उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। (बैहक़ी)

हदीस् (13) नेकी अच्छे अख़लाक़ का नाम है और गुनाह वह है जो तेरे दिल में खटके और तुझे यह नापसन्द हो कि लोगों पर इत्तिलाअ् होजाये। (मुस्लिम) यह हुक्म उसका है जिसके सीने को ख़ुदा ने मुनव्वर फ़रमाया है और क़ल्ब बेदार रौशन है फिर भी यह वहाँ है कि दलाइले शरईया से उसकी हुरमत साबित न हो और अगर दलाइले हुरमत पर हो तो न खटकने का लिहाज़ न होगा।

हदीस् (14) तुममें से सबसे ज़्यादा मेरा महबूब वह है जिसके अख़लाक़ सब से अच्छे हों। (बुख़ारी)

हदीस् (15) तुम में अच्छे वह हैं जिनके अख़लाक़ अच्छे हों। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (16) ईमान में ज़्यादा कामिल वह है जिनके अख़लाक़ अच्छे हों। (अबूदाऊद)

हदीस् (17) ख़ुल्के हसन से बेहतर इन्सान को कोई चीज़ नहीं दी गई। (बैहक़ी)

हदीस् (18) क़ियामत के दिन मोमिन की मीज़ान में सबमें भारी जो चीज़ रखी जायेगी वह ख़ुल्के हसन है और अल्लाह तआला उसको दोस्त नहीं रखता जो फ़हश गो बदज़बान हो। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (19) मोमिन अपने अच्छे अख़्लाक़ की वजह से क़ाइमुल्लैल और साइमुन्नहार का दर्जा पाजाता है। (अबूदाऊद) (रातों को नमाजें पढ़ने वाला, दिन को रोज़ा रखने वाला)

हदीस् (20) मोमिन धोका खाजाने वाला होता है। (यानी अपने करम की वजह से धोका खा जाता है न

कि वे अक़्ली से) और फ़ाजिर धोका देने वाला लईम यानी बदख़ुल्क़ होता है। (इमाम अहमद, तिर्मिज़ी)

हदीस (21) अल्लाह से डर जहाँ भी तू हो और बुराई होजाये तो उसके बाद नेकी कर कि यह उसको मिटादेगी और लोगों के साथ अच्छे अख़्लाक़ से पेश आया कर। (अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस (22) जो शख़्स ग़ुस्से को पी जाता है हालांकि कर डालने पर उसे क़ुदरत है क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसे सबके सामने बुलायेगा और इख़्तियार देदेगा कि जिन हूरों में तू चाहे चला जाये। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद)

हदीस (22) "मैं इस लिये भेजा गया कि अच्छे अख़्लाक़ की तकमील कर दूँ"। (इमाम मालिक व अहमद)

अच्छों के पास बैठना बुरों से बचना

हदीस (1) अच्छे और बुरे हम'नशीन की मिसाल जैसे मुश्क का उठाने वाला और भट्टी फूंकने वाला, जो मुश्क लिये हुए है या वह तुझे उसमें से देगा या तू उससे ख़रीद लेगा या तुझे ख़ुश्बू पहुँचेगी और भट्टी फूंकने वाला तेरे कपड़े जलादेगा या तुझे बुरी बू पहुँचेगी।

हदीस (2) मुसाहबत न करो मगर मोमिन की यानी सिर्फ़ मोमिने कामिल के पास बैठा करो।

हदीस (3) बड़ों के पास बैठा करो और उ़लमा से बातें पूछा करो और हुकमा से मेल'जोल रखो।

हदीस (4) जो मुसलमान लोगों से मिलता, जुलता है और उनकी ईज़ाओं पर सब्र करता है वह उस मुसलमान से बेहतर है जो नहीं मिलता, जुलता और उन की तकलीफ़ दिही (तकलीफ़ देने) पर सब्र नहीं करता।

हदीस (5) अच्छा साथी वह है कि जब तू ख़ुदा को याद करे तो वह तेरी मदद करे और जब तू भूले तो वह याद दिलाये।

हदीस (6) अच्छा हम'नशीन वह है कि उसके देखने से तुम्हें ख़ुदा याद आये और उसकी गुफ़्तुगू से तुम्हारे अ़मल में ज़्यादती हो और उसका अ़मल तुम्हें आख़िरत की याद दिलाये।

हदीस (7) "ऐसे के साथ न रहो जो तुम्हारी फ़ज़ीलत का क़ाइल न हो, जैसे तुम उसकी फ़ज़ीलत के क़ाइल हो यानी जो तुम्हें नज़रे हिक़ारत से देखता हो उसके साथ न रहो या यह कि वह अपना हक़ तुम्हारे ज़िम्मे जानता हो और तुम्हारे हक़ का क़ाइल न हो"।

हदीस (8) हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया ऐसी चीज़ में न पड़ो जो तुम्हारे लिये मुफ़ीद न हो और दुश्मन से अलग रहो और दोस्त से बचते रहो मगर जब कि वह अमीन हो कि अमीन की बराबर कोई नहीं और अमीन वही है जो अल्लाह से डरे और फ़ाजिर के साथ न रहो कि वह तुम्हें फुजूर सिखायेगा और उसके सामने भेद की बात न कहो और अपने काम में उनसे मश्वरा लो जो अल्लाह से डरते हैं।

हदीस (9) हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया फ़ाजिर से भाई बन्दी न कर कि वह अपने फ़ेअ़्ल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा और यह चाहेगा कि तू भी उस जैसा होजाये और अपनी बद'तरीन ख़स्लत को अच्छा करके दिखायेगा तेरे पास उसका आना, जाना ऐब और नंग है और अहमक़ से भी भाई चारा न कर कि वह अपने को मशक़्क़त में डालदेगा और तुझे कुछ नफ़अ़ नहीं पहुँचायेगा और कभी यह होगा कि तुझे नफ़अ़ पहुँचाना चाहेगा मगर होगा यह कि नुक़सान पहुँचा देगा उसकी ख़ामोशी बोलने से बेहतर है, उसकी दूरी नज़्दीकी से बेहतर है, और मौत ज़िन्दगी से बेहतर, और कज़्ज़ाब से भी भाई चारा न कर कि उसके साथ मुआ़शरत तुझे नफ़अ़ न देगी तेरी बात दूसरों तक पहुँचायेगा और दूसरों की तेरे पास लायेगा और अगर तू सच बोलेगा जब भी वह सच नहीं बोलेगा।

अल्लाह के लिए दोस्ती व दुश्मनी का बयान

हदीस (1) रूहों का लश्कर मुजतमअ़ (इकट्ठा) था जिनमें वहाँ तआ़रुफ़ था दुनिया में उल्फ़त हुई और वहाँ ना'आश्नाई रही तो यहाँ इख़्तिलाफ़ हुआ।

हदीस (2) अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन फ़रमायेगा कहाँ हैं जो मेरे जलाल की वजह से आपस

में महब्बत रखते थे आज मैं उनको अपने साये में रखूंगा आज मेरे साये के सिवा कोई साया नहीं।

हदीस (3) एक शख़्स अपने भाई से मिलने दूसरे क़रया (गाँव या जगह) में गया, अल्लाह तआला ने उसके रास्ते पर एक फ़िरिश्ता बैठा दिया जब वह फ़िरिश्ते के पास आया उसने दरयाफ़्त किया कहाँ का इरादा है कहा इस क़रया में मेरा भाई है उससे मिलने जाता हूँ फ़िरिश्ते ने कहा क्या उस पर तेरा कोई एहसान है जिसे लेने को जाता है उसने कहा नहीं सिर्फ़ यह बात है कि मैं उसे अल्लाह के लिये दोस्त रखता हूँ फ़िरिश्ते ने कहा मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है कि तुझे यह ख़बर दूँ कि अल्लाह ने तुझे दोस्त रखा कि तूने अल्लाह के लिये उससे महब्बत की।

हदीस (4) एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसके मुतअ़ल्लिक़ क्या इरशाद है जो किसी क़ौम से महब्बत रखता है और उनके साथ मिला नहीं यानी उनकी सोहबत हासिल न हुई या उसने उन जैसे अअ़्माल नहीं किये इरशाद फ़रमाया आदमी उसके साथ है जिससे उसे महब्बत है। इस हदीस से मालूम होता है कि अच्छों से महब्बत अच्छा बना देती है और उस का हश्र अच्छों के साथ होगा और बदों की महब्बत बुरा बना देती है और उसका हश्र उनके साथ होगा।

हदीस (5) एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़ियामत कब होगी फ़रमाया तूने उसके लिये क्या तैयारी की है उसने अर्ज़ की उसके लिये मैंने कोई तैयारी नहीं की सिर्फ़ इतनी बात है कि मैं अल्लाह व रसूल से महब्बत रखता हूँ इरशाद फ़रमाया "तू उनके साथ है जिनसे तुझे महब्बत है" हज़रत अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु कहते हैं कि इस्लाम के बाद मुसलमानों को जितनी इस कलिमे से खुशी हुई ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी।

हदीस (6) अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है "जो लोग मेरी वजह से आपस में महब्बत रखते हैं और मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और माल ख़र्च करते हैं उनसे मेरी महब्बत वाजिब होगई"।

हदीस (7) अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया "जो लोग मेरे जलाल की वजह से आपस में महब्बत रखते हैं उनके लिये नूर के मिम्बर होंगे अम्बिया व शोहदा उनपर ग़िब्ता करेंगे"।

हदीस (8) अल्लाह तआ़ला के कुछ ऐसे बन्दे हैं कि वह न अम्बिया हैं न शोहदा और ख़ुदा के नज़्दीक उनका ऐसा मरतबा होगा कि क़ियामत के दिन अम्बिया और शोहदा उनपर ग़िब्ता करेंगे लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इरशाद फ़रमाईये यह कौन लोग हैं फ़रमाया कि यह वह लोग हैं जो महज़ रहमते इलाही की वजह से आपस में महब्बत रखते हैं, न उनके आपस में रिश्ता है न माल का लेना देना है। ख़ुदा की क़सम उनके चेहरे नूर हैं और वह ख़ुद नूर पर हैं उनको ख़ौफ़ नहीं जब कि लोग ख़ौफ़ में होंगे और न वह ग़मगीन होंगे, जब दूसरे ग़म में होंगे और हुज़ूर ने यह आयत पढ़ी اَلَا اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ "अल्लाह के औलिया पर न ख़ौफ़ है न ग़म करेंगे

हदीस (9) ईमान की चीज़ों में सब में मज़बूत अल्लाह के बारे में मवालात है और अल्लाह के लिये महब्बत करना और बुग्ज़ रखना।

हदीस (10) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हें मालूम है अल्लाह के नज़्दीक सबसे ज़्यादा पसन्द कौनसा अमल है किसी ने कहा नमाज़ व ज़कात और किसी ने कहा जिहाद हुज़ूर ने फ़रमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा अल्लाह के लिये दोस्ती और बुग्ज़ रखना है"।

हदीस (11) जब किसी ने किसी से अल्लाह के लिये महब्बत की तो उसने रब अ़ज़्ज़ व जल्ल का इकराम किया।

हदीस (12) दो शख़्सों ने अल्लाह के लिये बाहम महब्बत की और एक मश्रिक़ में है दूसरा मग़्रिब में क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला दोनों को जमअ़ करदेगा और फ़रमायेगा यही वह है जिससे तूने मेरे लिये महब्बत की थी।

हदीस (13) जन्नत में याक़ूत के सुतून हैं उनपर ज़बर्जद के बाला ख़ाने हैं वह ऐसे रौशन हैं जैसे

चमकदार सितारे लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह इनमें कौन रहेगा फ़रमाया वह लोग जो अल्लाह के लिये आपस में मह़ब्बत रखते हैं एक जगह बैठते हैं आपस में मिलते हैं।

ह़दीस् (14) अल्लाह के लिये मह़ब्बत रखने वाले अ़र्श के गिर्द याकूत की कुर्सी पर होंगे।

ह़दीस् (15) जो किसी से अल्लाह के लिये मह़ब्बत रखे, अल्लाह के लिये दुश्मनी रखे, और अल्लाह के लिये दे, और अल्लाह के लिये मनअ़् करे, उसने अपना ईमान कामिल कर लिया।

ह़दीस् (16) दो शख़्स् जब अल्लाह के लिये बाहम मह़ब्बत रखते हैं उनके दरम्यान में जुदाई उस वक़्त होती है कि उनमें से एक ने कोई गुनाह किया। यानी अल्लाह के लिये जो मह़ब्बत हो उसकी पहचान यह है कि अगर एक ने गुनाह किया तो दूसरा उससे जुदा होजाये।

ह़दीस् (17) अल्लाह तआ़ला ने एक नबी के पास वह़ी भेजी कि फ़ुलाँ ज़ाहिद से कहदो कि तुम्हारा ज़ोहद और दुनिया में बे रग़बती अपने नफ़्स की राहत है और सब से जुदा होकर मुझसे तअ़ल्लुक़ रखना यह तुम्हारी इ़ज़्ज़त है, जो कुछ तुम पर मेरा ह़क़ है उसके मुक़ाबिल क्या अ़मल किया अ़र्ज़ करेगा ऐ रब वह कौनसा अ़मल है इरशाद होगा क्या तुमने मेरी वजह से किसी से दुश्मनी की और मेरे बारे में किसी वली से दोस्ती की।

ह़दीस् (18)आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है उसे यह देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है।

ह़दीस् (19) जब एक दूसरे से भाई चारा करे तो उसका नाम और उसके बाप का नाम पूछले और यह कि वह किस क़बीले से है कि उससे मह़ब्बत ज़्यादा पायदार होगी।

ह़दीस् (20) जब एक शख़्स् दूसरे से मह़ब्बत रखे तो उसे ख़बर करदे कि मैं तुझसे मह़ब्बत रखता हूँ।

ह़दीस् (21) एक शख़्स् ने हुज़ूर की ख़िदमत में अ़र्ज़ की कि मैं उस शख़्स् से अल्लाह के वास्ते मह़ब्बत रखता हूँ इरशाद फ़रमाया तुमने उसको इत्तिलाअ़् देदी है अ़र्ज़ की नहीं। इरशाद फ़रमाया उठो उसको इत्तिलाअ़् देदो उसने जाकर ख़बर'दार किया उसने कहा जिसके लिये तू मुझसे मह़ब्बत रखता है वह तुझे मह़बूब बनाले वापस आकर हुज़ूर से कह सुनाया। इरशाद फ़रमाया उसने क्या कहा जो उसने कहा था कह सुनाया फ़रमाया ''तू उसके साथ होगा जिससे तूने मह़ब्बत की और तेरे लिये वह है जो तूने क़स्द किया है''।

ह़दीस् (22) दोस्त से थोड़ी दोस्ती कर अ़जब नहीं कि किसी दिन वह तेरा दुश्मन होजाये और दुश्मन से दुश्मनी थोड़ी कर दूर नहीं कि वह किसी रोज़ तेरा दोस्त होजाये।

ह़जामत बनवाना और नाख़ुन तरशवाना

ह़दीस् (1) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''पाँच चीज़ें फ़ित़रत से हैं यानी अम्बिया साबिक़ीन अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत से हैं। (1)ख़तना करना और (2)मुए ज़ेरे नाफ़ मूंडना और (3)मूंछें कम करना और (4)नाख़ुन तरशवाना और (5)बग़ल के बाल उखेड़ना''।

ह़दीस् (2) स़ह़ीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मूंछे कटवाओ और दाढ़ियाँ लटकाओ मजूसियों की मुख़ालफ़त करो''।

ह़दीस् (3) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मुश्रिकीन की मुख़ालफ़त करो दाढ़ियों को ज़्यादा करो और मूंछों को ख़ूब कम करो''।

ह़दीस् (4) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मूंछ को कम करते थे और ह़ज़रत इब्राहीम ख़लीलुर्रह़मान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही करते थे।

ह़दीस् (5) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व निसाई ने ज़ैद इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मूंछ से नहीं लेगा

वह हम में से नहीं यानी हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मुए ज़ेरे नाफ़ को न मुंढे और नाखुन न तराशे और मूंछ न काटे वह हम में से नहीं"।

हदीस (7) तिर्मिज़ी ने ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाढ़ी की चौड़ाही और लम्बाई से कुछ लिया करते थे।

हदीस (8) सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि मूंछें और नाखुन तरशवाने और बग़ल के बाल उखाड़ने और मुए ज़ेरे नाफ़ मूंडने में हमारे लिये यह वक़्त मुक़र्रर किया गया है कि चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़ें यानी चालीस दिन के अन्दर इन कामों को ज़रूर करलें।

हदीस (9) अबूदाऊद ने ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीहि जद्देही रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सफ़ेद बाल न उखाड़ो क्योंकि वह मुस्लिम का नूर हैं जो शख़्स इस्लाम में बूढ़ा हुआ अल्लाह तआला उसकी वजह से उसके लिये नेकी लिखेगा और ख़ता मिटादेगा और दर्जा बलन्द करेगा"।

हदीस (10) तिर्मिज़ी व निसाई ने कअ़ब इब्ने मुर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ यह बुढ़ापा उसके लिये क़ियामत के दिन नूर होगा"।

हदीस (11) इमाम मालिक ने रिवायत की सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि हज़रत इब्राहीम ख़लीलुर्रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मेहमानों की ज़ियाफ़त की और सबसे पहले ख़तना किया और सबसे पहले मूंछ के बाल तराशे और सबसे पहले सफ़ेद बाल देखा अर्ज़ की ऐ रब यह क्या है परवरदिगार तबारक व तआला ने फ़रमाया ऐ इब्राहीम यह वक़ार है अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरा वक़ार ज़्यादा कर।

हदीस (12) दैलमी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स क़स्दन सफ़ेद बाल उखाड़ेगा क़ियामत के दिन वह नेज़ा हो जायेगा जिससे उसको भोंका जायेगा"।

हदीस (13) तिबरानी ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजामत के सिवा गर्दन के बाल मुंडाने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़ज़अ़ से मनअ़ फ़रमाया। नाफ़ेअ़ से पूछा गया क़ज़अ़ क्या चीज़ है नाफ़ेअ़ ने कहा बच्चे का सर कुछ मूंड दिया जाये कुछ मुतअ़द्दिद जगह छोड़ दिया जाये।

हदीस (15) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसका सर कुछ मुंडा हुआ है और कुछ छोड़ दिया गया है हुज़ूर ने लोगों को इससे मनअ़ किया और यह फ़रमाया कि कुल मूंडो या कुल छोड़ दो।

हदीस (16) अबूदाऊद व निसाई ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने जअ़फ़र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि जब हज़रत जअ़फ़र शहीद हुए तीन दिन तक हुज़ूर ने उनकी आल से कुछ नहीं फ़रमाया फिर तशरीफ़ लाये और यह फ़रमाया कि आज के बाद से मेरे भाई (जअ़फ़र) पर न रोना फिर फ़रमाया कि मेरे भाई के बच्चों को बुलाओ कहते हैं कि हम हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किये गये फ़रमाया हज्जाम को बुलाओ हुज़ूर ने हमारे सर मुंडवा दिये।

हदीस (17) अबूदाऊद ने इब्नुल'हन्ज़लिया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़ुरैम असदी बहुत अच्छा शख़्स है अगर उसके सर के बाल बड़े न होते और तहबन्द नीचा न होता। जब यह ख़बर ख़ुरैम रदियल्लाहु तआला अन्हु को पहुँची तो छुर

लेकर बाल काट डाले और कानों तक कर लिये और तहबन्द को आधी पिन्डली तक ऊँचा कर लिया।

हदीस (18) अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि कहते हैं मेरे गेसू थे। मेरी माँ ने कहा कि उनको नहीं कटवाऊंगी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें पकड़ते और खींचते थे यानी हुजूर का दस्ते अक़दस उन बालों को लगा है उस वजह से ब'क़स्द तबर्रुक छोड़ रखे थे कटवाती न थीं।

हदीस (19) निसाई ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत को सर मुंडाने से मनअ् फ़रमाया है।

हदीस (20) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ कोई हुक्म न होता उसमें अहले किताब की मुवाफ़क़त पसन्द थी (क्योंकि हो सकता है कि वह जो कुछ करते हों वह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा हो) और अहले किताब बाल सीधे रखते थे और मुश्रिकीन मांग निकाला करते थे लिहाज़ा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाल सीधे रखे यानी मांग नहीं निकाली फिर बाद में हुजूर ने मांग निकाली (इससे मालूम हुआ कि हुजूर को इस मुआमले में अहले किताब की मुख़ालफ़त का हुक्म हुआ)।

मसाइले फ़िक़्हिया

जुमा के दिन नाख़ुन तरशवाना मुस्तहब है हाँ अगर ज़्यादा बढ़गये हों तो जुमा का इन्तिज़ार न करे कि नाख़ुन बड़ा होना अच्छा नहीं क्योंकि नाख़ुनों का बड़ा होना रिज़्क़ की तंगी का सबब है एक हदीसे ज़ईफ़ में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज़ के लिये जाने से पहले मूंछे कतरवाते और नाख़ुन तरशवाते एक दूसरी हदीस में है कि जो जुमा के दिन नाख़ुन तरशवाये अल्लाह तआला उसको दूसरे जुमा तक बलाओं से महफ़ूज़ रखेगा और तीन दिन ज़ाइद यानी दस दिन तक एक हदीस में है जो हफ़्ता के दिन नाख़ुन तरशवाये उससे बीमारी निकल जायेगी और शिफ़ा दाख़िल होगी और जो इतवार के दिन तरशवाये फ़ाक़ा निकलेगा और तवंगरी आयेगी और जो पीर के दिन तरशवाये जुनून जायेगा और सेहत आयेगी और जो मंगल के दिन तरशवाये मर्ज़ जायेगा और शिफ़ा आयेगी और जो बुध के दिन तरशवाये वसवास व ख़ौफ़ निकलेगा और अमन व शिफ़ा आयेगी और जो जुमेरात के दिन तरशवाये जुज़ाम जाये और आफ़ियत आये और जो जुमा के दिन तरशवाये रहमत आयेगी और गुनाह जायेंगे यह हदीसें अगर्चे ज़ईफ़ हैं मगर फ़ज़ाइल में क़ाबिले एअ्तिबार हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.1:– हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से यह मन्क़ूल है कि पहले दाहिने हाथ के नाख़ुनों को इस तरह तरशवाये सबसे पहले छुंगलिया फिर बीच वाली फिर अंगूठा फिर मंझली फिर कलिमे की उंगली और बायें हाथ में पहले अंगूठा फिर बीच वाली फिर छंगुलिया फिर कलिमे की उंगली फिर मंझली यानी दाहिने हाथ में छंगुलिया से शुरूअ् करे और बायें हाथ में अंगूठे से और एक उंगली छोड़कर और बाज़ में दो छोड़कर कटवाये एक रिवायत में आया है कि "इस तरह करने से कभी आशोब नहीं होगा"। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअला.2:– नाख़ुन तराशने की यह तर्तीब जो मज़कूर हुई इसमें कुछ पेचीदगी है ख़ुसूसन अवाम को इसकी निगहदाश्त दुश्वार है लिहाज़ा एक दूसरा तरीक़ा है जो आसान है और वह भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मरवी है वह यह है कि दाहिनी हाथ की कलिमे की उंगली से शुरूअ् करे और छंगुलिया पर ख़त्म करे फिर बायें की छंगुलिया से शुरूअ् करके अंगूठे पर ख़त्म करे इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नाख़ुन तरशवाये इस सूरत में दाहिने ही हाथ से शुरूअ् हुआ और दाहिने पर ख़त्म भी हुआ। (दुर्रेमुख़्तार) आला'हज़रत क़िब्ला क़ुद्दिस सिर्रुहु का भी यही मअ्मूल था और फ़क़ीर भी इसी पर अमल करता है।

मसअला.3:– पाँव के नाख़ुन तरशवाने में कोई तर्तीब मन्क़ूल नहीं बेहतर यह है कि पाँवों की

उंगलियों में ख़िलाल करने की जो तर्तीब है उसी तर्तीब से नाखुन तरशवाये यानी दाहिने पाँव की छंगुलिया से शुरूअ़ करके अंगूठे पर ख़त्म करे फिर बायें पाँव के अंगूठे से शुरूअ़ करके छंगुलिया पर ख़त्म करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– दांत से नाखुन न खुटकना चाहिए कि मकरूह है और उसमें मर्ज़े'बर्स़ मआ़ज़ल्लाह पैदा होने का अंदेशा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मुजाहिद जब दारुलहर्ब में हों तो उनके लिये मुस्तहब यह है कि नाखुन और मूंछें बड़ी रखें कि उनकी यह शक्ले मुहीब (डरावनी शक्ल) देखकर कुफ़्फ़ार पर रोब तारी हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– हर जुमा को अगर नाखुन न तरशवाये तो पन्द्रहवें दिन तरशवाये और उसकी इन्तिहाई मुद्दत चीलीस दिन है उसके बाद न तरशवाना ममनूअ़ है यही हुक्म मूंछें तरशवाने और मुए ज़ेरे नाफ़ दूर करने और बग़ल के बाल साफ़ करने का है। चालीस दिन से ज़्यादा होना मनअ़ है सहीह मुस्लिम की हदीस़ अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कहते हैं कि नाखुन तरशवाने और मूंछ काटने और बग़ल के बाल लेने में हमारे लिये यह मीआ़द मुक़र्रर की गई थी कि चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़े रखें।

मसअ्ला.7:– मुए ज़ेरे नाफ़ दूर करना सुन्नत है हर हफ़्ता में नहाना, बदन को साफ़ सुथरा रखना और मुए ज़ेरे नाफ़ दूर करना मुस्तहब है और बेहतर जुमा का दिन है और पन्द्रहवें रोज़ करना भी जाइज़ है और चालीस रोज़ से ज़ाइद गुज़ार देना मकरूह व ममनूअ़। मुए ज़ेरे नाफ़ उस्तुरे से मूंडना चाहिए और उसको नाफ़ के नीचे से शुरूअ़ करना चाहिए और अगर मूंडने की जगह हरताल चूना या इस ज़माने में बाल उड़ाने का साबुन चला है उससे दूर करे यह भी जाइज़ है औरत को यह बाल उखेड़ डालना सुन्नत है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– बग़ल के बालों का उखाड़ना सुन्नत है और मूंडना भी जाइज़ है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.9:– बेहतर यह है कि गले के बाल न मुंडवाये उन्हें छोड़ रखे। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– नाक के बाल न उखाड़े कि उससे मर्ज़े'आ़किला पैदा होने का डर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– जनाबत की हालत में न बाल मुंडवाये और न नाखुन तरशवाये कि यह मकरूह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– भों के बाल अगर बड़े होगये तो उनको तरशवा सकते हैं चेहरे के बाल लेना भी जाइज़ है जिसको ख़त बनवाना कहते हैं सीना और पीठ के बाल मूंडना या कतरवाना अच्छा नहीं। हाथ, पाँव, पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.13:– बच्ची के (यानी वह कुछ बाल जो नीचे के होंट और ठोंड़ी के बीच में होते हैं।(मुहम्मद अमीनुल कादरी)) अग़ल बग़ल के बाल मुंडाना या उखेड़ना बिदअ़त है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मूंछों को कम करना सुन्नत है इतनी कम करे कि अबरू की मिस्ल होजाये यानी इतनी कम हो कि ऊपर वाले होंट के बालाई हिस्से से न लटकें और एक रिवायत में मुंडाना आया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मूंछों के दोनों किनारों के बाल बड़े बड़े हों तो हरज नहीं बाज़ सल्फ़ की मूंछें इस क़िस्म की थीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– दाढ़ी बढ़ाना अम्बिया'किराम की सुन्नत से है मुंडाना या एक मुश्त से कम करना हराम है हाँ एक मुश्त से ज़ाइद होजाये तो जितनी ज़्यादा है उसको कटवा सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– दाढ़ी चढ़ाना या उसमें गिरह लगाना जिस तरह सिख वग़ैरा करते हैं ना'जाइज़ है इस ज़माने में दाढ़ी मूंछ में तरह तरह की तराश, ख़राश की जाती है बाज़ दाढ़ी, मूंछ का बिल्कुल सफ़ाया करा देते हैं बाज़ लोग मूंछों की दोनों जानिब मूंड'कर बीच में ज़रासी बाक़ी रखते हैं जैसे मालूम होता है कि नाक के नीचे दो मक्खियाँ बैठी हैं किसी की दाढ़ी फ्रेंच कट और किसी की कर्ज़न फ़ैशन होती है यह जो कुछ होरहा है सब नसारा के इत्तिबाअ़ और तक़लीद (उनके तरीके पर चलने) में हो रहा है मुसलमानों के जज़बाते ईमानी इतने ज़्यादा कमज़ोर होगये कि वह अपने वक़ार

व शिआ़र को खोते हुए चले जाते हैं उनको इस बात का एह़सास नहीं होता कि हम क्या थे और क्या होगये जब उनकी बेहि़सी इस दर्जा बढ़गई और ह़मिय्यत व ग़ैरते ईमानी यहाँ तक कम होगई कि दसूरे कामों में जज़्ब होते जाते हैं पा'मर्दी और इस्तिक़लाल (मजबूत इरादे) के साथ इस्लामी रिवायात व अह़काम की पाबन्दी नहीं करते तो उनसे क्या उम्मीद होसकती है कि इस्लामी अह़काम का एह़तिराम करायेंगे और हुक़ूक़े मुस्लिमीन की ह़िफ़ाज़त करेंगे मुस्लिम के हर फ़र्द को तअ़्लीमाते इस्लाम का मुजस्समा होना चाहिए अख़लाक़ सलफ़े स़ालेहीन का नमूना होना चाहिए इस्लामी शिआ़र की ह़िफ़ाज़त करनी चाहिए ताकि दूसरी क़ौमों पर उसका अस़्र पड़े।

मसअ्ला.18:– बाज़ दाढ़ी मुन्डे यहाँ तक बेबाक (निडर) होते हैं कि वह दाढ़ी का मज़ाक़ उड़ाते हैं शरीअ़त के मुताबिक़ दाढ़ी रखने पर फब्तियाँ करते हैं दाढ़ी मुंडाना ह़राम, गुनाह था मगर यह तो सोचो यह तुमने किस चीज़ का मज़ाक़ उड़ाया किस की तौहीन व तज़लील की। इस्लाम की हर बात अटल है और उसके तमाम उस़ूल व फ़ुरूअ़् मज़बूत़ हैं उनमें किसी बात को बुरा बताना इस्लाम को ऐब लगाना है तुम ख़ुद सोचो जो कुछ उसका नतीजा है वह तुम पर वाज़ेह़ होजायेगा किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़ेगी।

मसअ्ला.19:– मर्द को इख़्तियार है कि सर के बाल मुंडाये या बढ़ाये और मांग निकाले।(रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.20:– हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दोनों चीज़ें स़ाबित हैं अगर्चे मुंडाना सिर्फ़ एह़राम से बाहर होने के वक़्त स़ाबित है दीगर औक़ात में मुंडाना स़ाबित नहीं। हाँ बाज़ स़ह़ाबा से मुंडाना स़ाबित है मस़लन ह़ज़रत मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु बत़ौर आ़दत मुंडाया करते थे। हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की मुए मुबारक कभी निस्फ़ कान तक कभी कान की लौ तक होते और जब बढ़ जाते तो शाना्ए मुबारक से छूजाते और हुज़ूर बीच सर में मांग निकालते।

मसअ्ला.21:– मर्द को यह जाइज़ नहीं कि औरतों की त़रह़ बाल बढ़ाये बाज़ सूफ़ी बनने वाले लम्बी, लम्बी लटें बढ़ा लेते हैं जो उनके सीने पर सांप की त़रह़ लहराती हैं और बाज़ चोटियाँ गूँधते हैं या जूड़े बना लेते हैं यह सब ना'जाइज़ काम और ख़िलाफ़े शरअ़् हैं तस़व्वुफ़ बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की पूरी पैरवी करने और ख़्वाहिशाते नफ़्स को मिटाने का नाम है।

मसअ्ला.22:– सफ़ेद बालों को उखाड़ना, कैंची से चुनकर निकलवाना मकरूह है हाँ मुजाहिद अगर इस नियत से ऐसा करे कि कुफ़्फ़ार पर उसका रोअ़्ब त़ारी हो तो जाइज़ है।(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.23:– बीच सर को मुंडवादेना और बाक़ी जगह को छोड़ देना जैसाकि एक ज़माने में पान बनवाने का रिवाज था यह जाइज़ है और ह़दीस में जो क़ज़अ़् (बालों को कुछ मूंडना कुछ छोड़देना) की मुमानअ़त आई है उसके यह मअ़्ना हैं कि मुतअ़द्दिद जगह सर के बाल मूंडना और जगह जगह बाक़ी छोड़ना जिसको गुल बनाना कहते हैं। (आ़लमगीरी, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.24:– बुख़ारी शरीफ़ से भी यही ज़ाहिर है पान बनवाने को क़ज़अ़् समझना ग़लती है हाँ बेहतर यही है कि सर के बाल मुंडाये तो कुल मुंडाडाले यह नहीं कि कुछ मूंडे जायें और कुछ छोड़ दिये जायें।

मसअ्ला.25:– बाज़ देहातियों को देखा जाता है कि वह पेशानी को ख़त़ की त़रह़ बनवाते हैं और दोनों जानिब नोकें निकलवाते हैं या और त़रह़ से बनवाते हैं यह सुन्नत और सलफ़ के त़रीक़े के ख़िलाफ़ है ऐसा न करें।

मसअ्ला.26:– गर्दन के बाल मूंडना मकरूह है (आ़लमगीरी) यानी जब सर के बाल न मुंडायें सिर्फ़ गर्दन ही के मुंडायें जैसाकि बहुत से लोग ख़त़ बनवाने में गर्दन के बाल भी मुंडाते हैं और अगर पूरे सर के बाल मुंडा दिये तो उसके साथ गर्दन के बाल भी मुंडा दिये जायें।

मसअ्ला.27:– आजकल सर पर गुफ़्फ़ा रखने का रिवाज बहुत ज़्यादा होगया है कि सब त़रफ़ से बाल निहायत छोटे छोटे और बीच में बड़े बड़े बाल होते हैं यह भी नस़ारा की तक़लीद में हैं और ना'जाइज़ है

फिर उन बालों में बाज़ दाहिने या बायें जानिब मांग निकालते हैं सुन्नत के ख़िलाफ़ है सुन्नत यह है कि बाल हों तो बीच में मांग निकाली जाये और बाज़ मांग नहीं निकालते सीधे रखते हैं यह भी सुन्नते मन्सूख़ा (जो ख़त्म करदी गई) और यहूद व नसारा का तरीक़ा है जैसाकि अहादीस में मज़कूर है।

मसअ्ला.28:– एक तरीक़ा यह भी है कि न पूरे बाल रखते हैं न मुंडाते हैं बल्कि कैंची या मशीन से बाल कतरवाते हैं यह ना'जाइज़ नहीं मगर अफ़ज़ल व बेहतर यही है कि मुंडाये या बाल रखे।

मसअ्ला.29:– औरत को सर के बाल कटवाने जैसाकि इस ज़माने में नसरानी औरतों ने कटवाने शुरूअ् कर दिये ना'जाइज़ व गुनाह है, और उस पर लअ्नत आई, शौहर ने ऐसा करने को कहा जब भी यही हुक्म है कि औरत ऐसा करने में गुनहागार होगी क्योंकि शरीअ़त की ना'फ़रमानी करने में किसी का कहना नहीं माना जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार) सुना है कि बाज़ मुसलमान घरों में भी औरतों के बाल कटवाने की बला आगई है ऐसी पर'कैंच औरतें देखने मे लौन्डा मालूम होती हैं। और हदीस् में फ़रमाया कि "जो औरत मर्दाना हैअ्त (मर्दों की तरह हालत बनाना) में हो उसपर अल्लाह की लअ्नत है जब बाल कटवाना औरत के लिये ना'जाइज़ है तो मुंडाना बदरजा औला ना'जाइज़ है कि यह भी हिन्दुस्तान के मुश्रिकीन का तरीक़ा है कि जब उनके यहाँ कोई मरजाता है या तीर्थ को जाती हैं तो बाल मुंडादेती हैं।

मसअ्ला.30:– तरशवाने या मुंडाने में जो बाल निकले उन्हें दफ़न करदे, इसी तरह नाख़ुन का तराशा पाख़ाना या गुस्ल ख़ाना में उन्हें डालदेना मकरूह है कि इस से बीमारी पैदा होती है। (आलमगीरी) मुए'ज़ेरे नाफ़ का ऐसी जगह डाल देना कि दूसरों की नज़र पड़े ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.31:– चार चीज़ों के मुतअ़ल्लिक़ हुक्म यह है कि दफ़्न करदी जायें बाल, नाख़ुन, हैज़ का लत्ता, ख़ून। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– सर में जुयें भरी हैं और बाल मुंडादिये उन्हें दफ़्न करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– मजनूना (पागल औरत) के सर में बीमारी होगई मस्लन कस्रत से (अधिकाधिक) जूयें पड़गईं और उसका कोई वली नहीं तो अगर किसी ने उसका सर मुंडा दिया उसने एहसान किया, मगर उसके सर में कुछ बाल छोड़दे ताकि मालूम होसके कि औरत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– सफ़ेद बाल उखेड़ने में हरज नहीं जबकि ब'क़स्द ज़ीनत ऐसा न करे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) और ज़ाहिर यही है कि जो लोग ऐसा करते हैं वह ज़ीनत ही के इरादे से करते हैं ताकि यह सपेदी दूसरों पर ज़ाहिर न हो और जवान मालूम हों, इसी वजह से हदीस् में इससे मुमानअ़त आई और यह भी ज़ाहिर है कि दाढ़ी में इस क़िस्म का तसर्रुफ़ ज़्यादा ममनूअ् होगा।

ख़त्ना का बयान

ख़त्ना सुन्नत है और यह शिआ़रे इस्लाम में है कि मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम में इससे इम्तियाज़ होता है इसी लिये उ़र्फ़े आ़म में इसको मुसलमानी भी कहते हैं

सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "हज़रत इब्राहीम ख़लीहुर्रह्मान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना ख़त्ना किया उस वक़्त उनकी उ़म्र शरीफ़ अस्सी बरस की थी।

मसअ्ला.1:– ख़त्ना की मुद्दत सात साल से बारह साल की उ़म्र तक है और बाज़ उ़लमा ने यह फ़रमाया कि विलादत से सातवें दिन के बा़द ख़त्ना करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– लड़के की ख़त्ना कराई गई मगर पूरी खाल नहीं कटी, अगर आधे से ज़ाइद कट गई है तो ख़त्ना होगई बाक़ी को काटना ज़रूरी नहीं और अगर निस्फ़ या निस्फ़ से ज़ाइद बाक़ी रहगई तो नहीं हुई या़नी फिर से होनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि ख़त्ना में जो खाल काटी जाती है वह उसमें नहीं है। ख़त्ना की हाजत नहीं और अगर कुछ खाल है जिसको खींचा जा सकता है मगर उसे सख़्त तकलीफ़ होगी और हशफ़ा (सुपारी) ज़ाहिर है तो हज्जामों को दिखाया जाये अगर वह कहदें कि नहीं

होसकती तो छोड़दिया जाये बच्चे को ख़्वाह म'ख़्वाह तकलीफ़ न दीजाये। (आलमगीरी)

मसअला.4:– सुना जाता है कि जिस बच्चे में पैदायशी ख़त्ना की खाल नहीं होती उसके बाप वग़ैरा औलिया उस रस्म की अदा के लिये अइज़्ज़ा अक़रबा (दोस्त व रिश्तेदार वग़ैरा) को बुलाते हैं और ख़त्ना के क़ाइम मक़ाम पान की गिलोरी काटी जाती है गोया इससे ख़त्ना की रस्म अदा कीगई यह एक बेकार हरकत है जिसका कुछ महसल व फ़ायदा नहीं।

मसअला.5:– बूढ़ा आदमी मुशर्रफ़'ब'इस्लाम हुआ जिसमें ख़त्ना कराने की ताक़त नहीं तो ख़त्ना कराने की हाजत नहीं। बालिग़ शख़्स मुशर्रफ़'ब'इस्लाम हुआ अगर वह ख़ुद ही अपनी मुसलमानी कर सकता है तो अपने हाथ से करले वरना नहीं, हाँ अगर मुम्किन हो कि कोई औरत जो ख़त्ना करना जानती हो उससे निकाह़ करे तो निकाह़ करके उससे ख़त्ना कराये। (आलमगीरी)

मसअला.6:– ख़त्ना होचुकी है मगर वह खाल फिर बढ़गई और ह़शफ़ा को छुपालिया तो दोबारा ख़त्ना की जाये और इतनी ज़्यादा न बढ़ी हो तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.7:– ख़त्ना कराना बाप का काम है वह न हो तो उसका वसी उसके बाद दादा फिर उसके वसी का मरतबा है। मामूं और चचा या उनके वसी का यह काम नहीं हाँ अगर बच्चा उनकी तर्बियत व अयाल में हो तो कर सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअला.8:– औरतों के कान छिदवाने में ह़रज नहीं और लड़कियों के कान छिदवाने में भी ह़रज नहीं इस लिये कि ज़मानाए रिसालत में कान छिदते थे और इस पर इन्कार नहीं हुआ। (आलमगीरी) बल्कि कान छिदवाने का सिल्सिला अब तक बराबर जारी है सिर्फ़ बाज़ लोगों ने नसरानी औरतों की तक़लीद में मौक़ूफ़ कर दिया जिनका एअ्तिबार नहीं।

मसअला.9:– इन्सान को ख़स्सी करना हराम है उसी तरह हिजड़ा करना भी, घोड़े को ख़स्सी करने में इख़्तिलाफ़ है सहीह यह है कि जाइज़ है दूसरे जानवरों के ख़स्सी करने में अगर फ़ायदा हो मसलन उसका गोश्त अच्छा होगा या ख़स्सी न करने में शरारत करेगा लोगों को ईज़ा पहुँचायेगा उन्ही मसालेह (मसलिहतों) की बिना पर बकरे और बैल वग़ैरा को ख़स्सी किया जाता है यह जाइज़ है और अगर मन्फ़अत या नुक़सान को दूर करना, दोनों बातें न हों तो ख़स्सी करना ह़राम है।

मसअला.10:– जिस ग़ुलाम को ख़स्सी किया गया हो उससे ख़िदमत लेना ममनूअ़ है जैसाकि उमरा व सलातीन के यहाँ इस क़िस्म के लोगों से ख़िदमत ली जाती है जिनको ख़्वाजा'सरा कहते हैं, उनसे ख़िदमत लेने में यह ख़राबी होती है कि दूसरे लोग इसकी वजह से ख़स्सी करने की जुरअत करते हैं और इस ह़राम फ़ेल का इर्तिकाब करते हैं और अगर ऐसे ग़ुलाम से काम ही न लिया जाये तो ख़स्सी करने का सिल्सिला ही मुन्क़तेअ़ (ख़त्म) होजायेगा। (हिदाया)

मसअला.11:– घोड़ी को गधे से गाभन करना जिससे ख़च्चर पैदा होता है इसमें ह़रज नहीं ह़दीस़ सहीह में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की सवारी का जानवर बग़ला–ए –बैज़ा था और अगर यह फ़ेअ्ल ना'जाइज़ होता तो हुज़ूर ऐसे जानवर को अपनी सवारी में न रखते। (हिदाया)

ज़ीनत का बयान

ह़दीस़ (1) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में है ह़ज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी कहती हैं हुज़ूर को मैं निहायत उमदा ख़ुश्बू लगाती थी यहाँ तक कि उसकी चमक हुज़ूर के सर मुबारक और दाढ़ी में पाती थी।

ह़दीस़ (2) सह़ीह़ मुस्लिम में नाफ़ेअ़ से मरवी कहते हैं कि इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा कभी ख़ालिस ऊद (अगर) की धूनी लेते यानी उसके साथ किसी दूसरी चीज़ की आमेज़िश नहीं करते और कभी ऊद के साथ काफ़ूर मिलाकर धूनी लेते और यह कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम भी इस तरह़ धूनी लिया करते थे।

ह़दीस़ (3) अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक क़िस्म की ख़ुश्बू थी जिसको इस्तेअ़माल फ़रमाया करते थे।
हदीस़ (4) शरह़ सुन्ना में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कस्रत से सर में तेल डालते और दाढ़ी में कंघा करते।
हदीस़ (5) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके बाल हों उनका इकराम करे या़नी उनको धोये तेल लगाये कंघा करे।
हदीस़ (6) इमाम मालिक ने अबूक़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मेरे सर पर पूरे बाल थे मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से अ़र्ज़ की इनको कंघा किया करूँ हुज़ूर ने फ़रमाया हाँ और उनका इकराम करो लिहाज़ा अबू क़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हुज़ूर के फ़रमाने की वजह से कभी दिन में दो मरतबा तेल लगाया करते।
हदीस़ (7) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने रोज़ रोज़ कंघा करने से मनअ़ फ़रमाया (यह नही तन्ज़ीही (सख़्ती से न रोकना) है और मक़सद यह है कि मर्द को बनाव श्रृंगार में मशग़ूल न रहना चाहिए)।
हदीस़ (8) इमाम मालिक ने अ़ता इब्ने यसार से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे। एक शख़्स़ आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे हुज़ूर ने उसकी त़रफ़ इशारा किया गोया बालों के दुरुस्त करने का हुक्म देते हैं वह शख़्स़ दुरुस्त करके वापस आया, हुज़ूर ने फ़रमाया क्या यह उससे बेहतर नहीं है कि कोई शख़्स़ बालों को इस त़रह बिखेर कर आता है गोया वह शैत़ान है।
हदीस़ (9) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस्मद पत्थर का सुर्मा लगाओ कि वह निगाह को जिला (रौशनी) देता है और पलक के बाल उगाता है और हुज़ूर के यहाँ सुर्मा'दानी थी जिससे हर शब में सुर्मा लगाते थे तीन सलाईयाँ इस आँख में और तीन इसमें।
हदीस़ (10) अबूदाऊद व निसाई ने करीमा बिन्ते हुमाम से रिवायत की कहते हैं मैंने ह़ज़रत आ़इशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मेंहदी लगाने के मुतअ़ल्लिक़ पूछा उन्होंने फ़रमाया कि इसमें कुछ ह़रज नहीं लेकिन मैं ख़ुद मेहंदी लगाने को ना'पसन्द करती हूँ क्योंकि मेरे ह़बीब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इसकी बू ना'पसन्द थी।
हदीस़ (11) अबूदाऊद ने ह़ज़रत आ़इशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि हिन्द बिन्ते उ़तबा ने अ़र्ज़ की या नबी'यल्लाह मुझे बैअ़त कर लीजिये फ़रमाया "मैं तुझे बैअ़त न करूँगा जब तक तू अपनी हथेलियों को न बदलदे (यानी मेहन्दी लगाकर उनका रंग न बदल ले) तेरे हाथ गोया दरिन्दे के हाथ मा़लूम हो रहे हैं"। (या़नी औ़रतों को चाहिए कि हाथों को रंगीन कर लिया करें)
हदीस़ (12) अबूदाऊद व निसाई ने ह़ज़रत आ़इशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहते हैं कि एक औ़रत के हाथ में किताब थी उसने पर्दे के पीछे से रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की त़रफ़ इशारा किया या़नी हुज़ूर को देना चाहा हुज़ूर ने अपना हाथ खींच लिया और यह फ़रमाया कि "अगर औ़रत होती तो नाख़ुन को मेहन्दी से रंगे होती"।
हदीस़ (13) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक मुख़न्नस़ ह़ाज़िर लाया गया जिसने अपने हाथ और पाँव मेहन्दी से रंगे थे इरशाद फ़रमाया उसका क्या ह़ाल है (या़नी इसने क्यों मेहन्दी लगाई है) लोगों ने अ़र्ज़ की यह औ़रतों से तशब्बोह करता है (औ़रतों की त़रह रहता है) हुज़ूर ने हुक्म फ़रमाया उसको शहर बदर कर दिया गया, मदीने से निकाल कर नक़ीअ़ को भेजदिया गया।
हदीस़ (14) तिर्मिज़ी ने सईद इब्नुलमुसय्यब से रिवायत की कहते हैं कि अल्लाह त़य्इब है त़य्इब

यानी खुश्बू को दोस्त रखता है, सुथरा है सुथराई को दोस्त रखता है, करीम है करम को दोस्त रखता है, जव्वाद है जूद को दोस्त रखता है। लिहाज़ा अपने सेहन को सुथरा रखो, यहूदियों के साथ मुशाबहत न करो।

हदीस (15) सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जायेगा एक शख़्स ने अर्ज़ की कि किसी को यह पसन्द होता है कि कपड़े अच्छे हों जूते अच्छे हों (यानी यह बात भी तकब्बुर है या नहीं) फ़रमाया अल्लाह जमील है जमाल को दोस्त रखता है। तकब्बुर नाम है हक़ से सर'कशी करने और लोगों को हक़ीर जानने का।

हदीस (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "यहूद व नसारा ख़िज़ाब नहीं करते तुम उनकी मुख़ालफ़त करो" यानी ख़िज़ाब करो।

हदीस (17) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़तहे मक्का के दिन अबूक़ुहाफ़ा (हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद) लाये गये और उनका सर और दाढ़ी सग़ामा (यह एक घास है) की तरह सफ़ेद थी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उस को किसी चीज़ से बदलदो (यानी ख़िज़ाब लगाओ) और स्याही से बचो यानी स्याह ख़िज़ाब न लगाना।

हदीस (18) अबूदाऊद व निसाई ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आख़िर ज़माना में कुछ लोग होंगे जो स्याह ख़िज़ाब करेंगे जैसे कबूतर के पोटे वह लोग जन्नत की खुश्बू नहीं पायेंगे।

हदीस (19) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे अच्छी जिससे सफ़ेद बालों का रंग बदला जाये मेहन्दी या कतम है" यानी मेहन्दी लगाई जाये या कतम।

हदीस (20) अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक शख़्स गुज़रा जिसने मेहन्दी का ख़िज़ाब किया था इरशाद फ़रमाया यह खूब अच्छा है फिर एक दूसरा शख़्स गुज़रा जिसने मेहन्दी और कतम का ख़िज़ाब किया था फ़रमाया यह उससे भी अच्छा है फिर एक तीसरा शख़्स गुज़रा जिसने ज़र्द ख़िज़ाब किया था। फ़रमाया "यह उन सबसे अच्छा है"।

हदीस (21) इब्नुन्नज्जार ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "यह सबसे पहले मेहन्दी और कतम का ख़िज़ाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और सबसे पहले स्याह ख़िज़ाब फ़िरऔन ने किया"।

हदीस (22) तिबरानी ने कबीर में और हाकिम ने मुस्तदरक में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि मोमिन का ख़िज़ाब ज़र्दी है और मुस्लिम का ख़िज़ाब सुर्ख़ी है और काफ़िर का ख़िज़ाब स्याह है।

हदीस (23) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह की लअ़नत उस औरत पर जो बाल मिलाये या दूसरी से बाल मिलवाये, और गोदने वाली, और गुदवाने वाली पर।

हदीस (24) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह की लअ़नत गोदने वालियों पर और गुदवाने वालियों पर और बाल नोचने वालियों पर यानी जो औरत भौं के बाल नोचकर अबरू को खुबसूरत बनाती हैं उसपर लअ़नत और खुबसूरती के लिये दांत रेतने वालियों पर यानी जो औरतें दांतों को रेत कर खुबसूरत बनाती हैं और अल्लाह तआला की पैदा की हुई चीज़ को बदल डालती हैं। एक औरत ने अब्दुल्लाह

इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाज़िर होकर यह कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि आप ने फुलाँ फुलाँ किस्म की औरतों पर लअ़नत की है उन्होंने फरमाया मैं क्यों न लअ़नत करूँ उनपर जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लअ़नत की और उसपर जो किताबुल्लाह में (मलऊन) है उसने कहा मैंने किताबुल्लाह पढ़ी है मुझे तो उसमें यह चीज़ नहीं मिली फ़रमाया तूने (ग़ौर से) पढ़ा होता तो ज़रूर इसको पाया होता क्या तूने यह नहीं पढ़ा।
﴿وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾
"यानी रसूल जो कुछ तुम्हें दें उसे लो और जिस चीज से मनअ़ करदें उससे बाज आजाओ"
उस औरत ने कहा हाँ यह पढ़ा है अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया कि हुज़ूर ने उससे मनअ़ फ़रमाया है एक रिवायत में है कि उसके बाद उस औरत ने यह कहा कि उनमें की बाज बातें तो आप की बीवी में भी हैं अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने फ़रमाया अन्दर जाकर देखो वह मकान में गई फिर आई तो आपने फ़रमाया क्या देखा उसने कहा कुछ नहीं देखा अ़ब्दुल्लाह ने फ़रमाया अगर उसमें यह बात होती तो मेरे साथ नहीं रहती यानी ऐसी औरत मेरे घर में नहीं रह सकती है।

हदीस (25) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "नज़रे बद हक़ है यानी नज़र लगना सहीह है ऐसा होता है और गोदने से हुज़ूर ने मनअ़ फ़रमाया"।

हदीस (26) सुनन अबूदाऊद में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है उन्होंने कहा बाल मिलाने वाली और मिलवाने वाली और अबरू के बाल नोचने वाली और नुचवाने वाली और गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लअ़नत है जबकि बीमारी से यह न किया हो।

हदीस (27) अबूदाऊद ने रिवायत की कि जिस साल मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़मानाए ख़िलाफ़त में हज किया (मदीना में आये) और मिम्बर पर चढ़कर बालों का गुच्छा जो सिपाही के हाथ में था लेकर कहा ऐ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हुज़ूर इससे मनअ़ फ़रमाते थे यानी चोटी में बाल जोड़ने से और हुज़ूर यह फ़रमाते थे कि बनी इसराईल उस वक़्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने यह करना शुरूअ़ कर दिया।

मसअ्ला.1:– इन्सान के बालों की चोटी बनाकर औरत अपने बालों में गून्धे यह हराम है हदीस में उसपर लअ़नत आई बल्कि उसपर लअ़नत जिसने किसी दूसरी औरत के सर में ऐसी चोटी गून्धी और अगर वह बाल जिसकी चोटी बनाई गई ख़ुद उसी औरत के हैं जिसके सर जोड़ी गई जब भी ना'जाइज़ और अगर ऊन या स्याह तागे की चोटी बनाकर लगाये तो इसकी मुमानअ़त नहीं स्याह कपड़े का मूबाफ़ (चोटी में बांधने का कपड़ा) बनाना जाइज़ है और कलावा में तो अस्लन हरज नहीं कि यह बिल्कुल मुमताज़ होता है उसी तरह गोदने वाली और गुदवाने वाली या रेती से दांत रेत'कर ख़ुबसूरत करने वाली या दूसरी औरत के दांत रेतने वाली या मोचने से अब्रू के बालों को नोचकर ख़ुबसूरत बनाने वाली और जिसने दूसरी के बाल नोचे उन सब पर हदीस में लअ़नत आई।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– लड़कियों के कान, नाक छेदना जाइज़ है और बाज़ लोग लड़कों के भी कान छिदवाते हैं और दुरया पहनाते हैं यह ना'जाइज़ है यानी कान छिदवाना भी ना'जाइज़ और ज़ेवर पहनाना भी ना'जाइज़। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.3:– औरतों को हाथ पाँवों में मेहन्दी लगाना जाइज़ है कि यह ज़ीनत की चीज़ है बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पाँवों में मेहन्दी लगाना न चाहिए। (आलमगीरी) लड़कियों के हाथ पाँवों में लगा सकते हैं जिस तरह उनको ज़ेवर पहना सकते हैं।

मसअ्ला.4:– औरतें अपनी चोटियों में पोत (शीशे या कांच के दाने) और चाँदी, सोने के दाने लगा सकती हैं। (आलमगीरी)

मसअला.5:– पत्थर का सुर्मा इस्तेअ्माल करने में हरज नहीं और स्याह सुर्मा या काजल ब'क़स्द ज़ीनत(ज़ीनत के इरादे से)मर्द को लगाना मकरूह है और ज़ीनत मक़सूद न हो तो कराहत नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.6:– मकान में ज़ी रूह की तस्वीर लगाना जाइज़ नहीं और ग़ैर ज़ी'रूह की तस्वीर से मकान आरास्ता करना जाइज़ है जैसाकि तुग़रे और कतबों से मकान सजाने का रिवाज है।(आलमगीरी)

मसअला.7:– गर्मी से बचने के लिये ख़स या जवासे की टट्टियाँ लगाना जाइज़ है और अगर तकब्बुर के तौर पर हो तो ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.8:– यह शख़्स सवारी पर है और उसके साथ और लोग पैदल चल रहे हैं अगर महज़ अपनी शान दिखाने और तकब्बुर के लिये ऐसा करता है तो मनअ् है। (आलमगीरी) और ज़रूरत से हो तो हरज नहीं मस्लन यह बूढ़ा या कमज़ोर है कि चल न सकेगा या साथ वाले किसी तरह उसके पैदल चलने को गवारा ही नहीं करते जैसाकि बाज़ मरतबा उलमा व मशाइख़ के साथ दूसरे लोग ख़ुद पैदल चलते हैं और उनको पैदल चलने नहीं देते उसमें कराहत नहीं जबकि अपने दिल को क़ाबू में रखें और तकब्बुर न आने दें और महज़ उन लोगों की दिलजोई मन्ज़ूर हो।

मसअला.9:– मर्द को दाढ़ी और सर वग़ैरा के बालों में ख़िज़ाब लगाना जाइज़ बल्कि मुस्तहब है मगर स्याह ख़िज़ाब लगाना मनअ् है हाँ मुजाहिद को स्याह ख़िज़ाब भी जाइज़ है कि दुश्मन की नज़र में उसकी वजह से हैबत बैठेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

नाम रखने का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۭ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

"ऐ ईमान वालो! एक गिरोह दूसरे गिरोह से मसखरा'पन न करे, हो सकता है कि यह उनसे बेहतर हों और न औरतें औरतों से मसख़रा पन करें हो सकता है कि यह उनसे बेहतर हों और अपने को ऐब न लगाओ और बुरे लक़बों से न पुकारो ईमान के बाद फ़ुसूक़ बुरा नाम है और जो तौबा न करें वह ज़ालिम हैं"।

हदीस (1) बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "औलाद का वालिद पर यह हक़ है कि उसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाये"।

हदीस (2) असहाबे सुनने अरबअ् ने अब्दुल्लाह बिन जुराद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने भाईयों को उनके अच्छे नामों से पूकारो बुरे अलक़ाब से न पुकारो"।

हदीस (3) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हारे नामों में अल्लाह तआला के नज़्दीक ज़्यादा प्यारे नाम अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान हैं"।

हदीस (4) इमाम अहमद व अबू'दाऊद ने अबुद्दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ियामत के दिन तुमको तुम्हारे नाम और तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया जायेगा लिहाज़ा अच्छे नाम रखो"।

हदीस (5) अबूदाऊद ने अबी वहब जशमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नाम पर नाम रखो और अल्लाह के नज़्दीक नामों में ज़्यादा प्यारे नाम अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान हैं और सच्चे नाम हारिस् व हुमाम हैं और हर्ब व मुर्रा बुरे नाम हैं"।

हदीस (6) दैलमी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अच्छों के नाम पर नाम रखो और अपनी हाजतें अच्छे चेहरे वालों से तलब करो"।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरे नाम पर नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ कुन्नियत न करो क्योंकि (मेरी कुन्नियत अबुलक़ासिम महज़ इस वजह से नहीं कि मेरे साहेबज़ादा का नाम क़ासिम था बल्कि) मैं क़ासिम बनाया गया हूँ कि तुम्हारे मा'बैन तक़सीम करता हूँ"।

हदीस (8) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाज़ार में थे एक शख़्स ने अबुल'क़ासिम कह'कर पुकारा उस की तरफ़ मुतवज्जेह हुए उसने कहा मैंने उस शख़्स को पुकारा इरशाद फ़रमाया "मेरे नाम के साथ नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ कुन्नियत न करो"।

हदीस (9) अबूदाऊद ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर हुजूर के बाद मेरे लड़का पैदा हो तो आपके नाम पर उसका नाम रखूँ और आप की कुन्नियत पर उसकी कुन्नियत करूँ फ़रमाया हाँ।

हदीस (10) इब्ने असाकिर अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जिसके लड़का पैदा हो और वह मेरी महब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिये उसका नाम मुहम्मद रखे वह और उसका लड़का दोनों बहिश्त में जायें"।

हदीस (11) हाफ़िज़ अबू ताहिर सलफ़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। "रोज़े क़ियामत दो शख़्स रब्बुल'इज़्ज़त के हुज़ूर खड़े किये जायेंगे हुक्म होगा उन्हें जन्नत में लेजाओ अर्ज़ करेंगे इलाही हम किस अमल पर जन्नत के क़ाबिल हुए हमने तो जन्नत का कोई काम किया नहीं फ़रमायेगा जन्नत में जाओ मैंने हल्फ़ किया है कि जिसका नाम अहमद या मुहम्मद हो दोज़ख़ में न जायेगा।

हदीस (12) अबू'नईम ने हिल्या में नुबैत बिन शरीत रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि "अल्लाह तआला ने फ़रमाया मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे अज़ाब न दूँगा"।

हदीस (13) इब्ने सअद तबक़ात में उस्मान उमरी से मुरसलन रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "तुम में किसी का क्या नुक़सान है अगर उसके घर में एक मुहम्मद या दो मुहम्मद या तीन मुहम्मद हों"।

हदीस (14) तिब्रानी कबीर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसके तीन बेटे हों और वह उनमें से किसी का नाम मुहम्मद न रखे वह ज़रूर जाहिल है"।

हदीस (15) हाकिम ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब लड़के का नाम मुहम्मद रखो तो उसकी इज़्ज़त करो और मज्लिस में उसके लिये जगह कुशादा करो और उसे बुराई की तरफ़ निस्बत न करो"।

हदीस (16) बज़ार ने अबू राफ़ेअ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब लड़के का नाम मुहम्मद रखो तो उसे न मारो और न महरूम करो"।

हदीस (17) सहीह मुस्लिम में ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि उनका नाम बर्रा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपना तज़किया न करो। (यानी अपनी बड़ाई और तअरीफ़ न करो) अल्लाह को मालूम है कि तुममें बुरा और नेकी वाला कौन है उसका नाम ज़ैनब रखदो।

हदीस (18) सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं जवैरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा का नाम बर्रा था हुज़ूर ने यह नाम बदलकर जवैरिया रखा और यह बात हुज़ूर को ना'पसन्द थी कि यूँ कहा जायेगा कि बर्रा के पास से चले गये।

हदीस (19) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की एक लड़की का नाम आसिया था हुज़ूर ने उसका नाम जमीला रखा।

हदीस (20) तिर्मिज़ी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुरे नाम को बदल देते थे।

हदीस (21) सहीह बुख़ारी में सअ्द इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मेरे दादा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए हुज़ूर ने पूछा "तुम्हारा क्या नाम है" उन्होंने कहा हुज़्न फ़रमाया "तुम सहल हो यानी अपना नाम सहल रखो कि उसके मअ्ना नर्म और हुज़्न सख़्त को कहते हैं उन्होंने कहा जो नाम मेरे बाप ने रखा है उसे नहीं बदलूँगा सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं इसका नतीजा यह हुआ कि हममें अब तक सख़्ती पाई जाती है।

तम्बीहः— नाम रखने के मुतअल्लिक़ बाज़ मसाइल अक़ीक़ा के बयान में ज़िक्र किये गये हैं वहाँ से मालूम करें बाज़ यहाँ ज़िक्र की जाती हैं।

मसअला.1:— अल्लाह तआला के नज़्दीक बहुत प्यारे नाम अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान हैं जैसाकि हदीस में वारिद है उन दोनों में ज़्यादा अफ़ज़ल अब्दुल्लाह है कि इज़ाफ़ते अब्द ज़ात की तरफ़ है। उन्हीं के हुक्म में वह असमा हैं जिनमें उबूदियत की इज़ाफ़त दीगर असमा–ए–सिफ़ातिया की तरफ़ हो मसलन अब्दुर्रहीम, अब्दुल'मलिक अब्दुल'ख़ालिक़ वग़ैरहा हदीस में जो उन दोनों नामों को तमाम नामों में ख़ुदा तआला के नज़्दीक प्यारा फ़रमाया गया उसका मतलब यह है कि जो शख़्स अपना नाम अब्द के साथ रखना चाहता हो तो सबसे बेहतर अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान हैं। वह नाम न रखे जायें जो जाहिलियत में रखे जाते थे कि किसी का नाम अब्दे शम्स और किसी का अब्दुद्दार होता लिहाज़ा यह न समझना चाहिए कि यह दोनों नाम मुहम्मद व अहमद से भी अफ़ज़ल हैं क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस्मे पाक मुहम्मद व अहमद हैं और ज़ाहिर यही है कि यह दोनों नाम ख़ुद अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिये मुन्तख़ब फ़रमाये अगर यह दोनों नाम ख़ुदा के नज़्दीक बहुत प्यारे न होते तो अपने महबूब के लिये पसन्द न फ़रमाया होता। अहादीस में मुहम्मद नाम रखने के बहुत फ़ज़ाइल मज़कूर हैं उन में से बाज़ ज़िक्र किये गये।

मसअला.2:— जिनका नाम मुहम्मद हो वह अपनी कुन्नियत अबू क़ासिम रख सकता है और हदीस में जो मुमानअत आई है वह हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी के साथ मख़्सूस थी क्योंकि अगर किसी की यह कुन्नियत होती और उसके साथ पुकारा जाता तो धोका लगता कि शायद हुज़ूर को पूकारा चुनाँचि एक दफ़आ ऐसा ही हुआ कि किसी ने दूसरे को अबुल'क़ासिम कहकर आवाज़ दी हुज़ूर ने उसकी तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई तो उसने कहा मैंने हुज़ूर को नहीं इरादा किया यानी नहीं पुकारा उस मौक़े पर इरशाद फ़रमाया कि मेरे नाम के साथ नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ अपनी कुन्नियत न करो अगर यह शुब्ह किया जाये कि नाम रखने में भी उस क़िस्म का धोका हो सकता था तो उसका जवाब यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामे पाक के साथ पुकारना क़ुर्आन पाक ने मनअ् फ़रमादिया था।

﴿لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

"रसुल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरालो जैसा कि तुम में एक दूसरे को पुकारता है"

लिहाज़ा सहाबए किराम जो हाज़िरे ख़िदमते अक़्दस हुआ करते थे वह कभी नाम के साथ पुकारते न थे बल्कि या रसूलल्लाह या नबीयल्लह वग़ैरा अलक़ाब से निदा करते। वह एहतिमाल ही यहाँ पैदा न होता कि मुहम्मद कहकर कोई पुकारे और हुज़ूर मुराद हों एअ्राब वग़ैरा ना'वाक़िफ़ लोगों ने इस तरह पुकारा तो यह दूसरी बात है क्योंकि वह नावकिफ़ी में हुआ और हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साहिबज़ादे मुहम्मद इब्ने हनफ़िया का नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबुल'क़ासिम रखी और यह हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हुआ

लिहाज़ा इससे मा़लूम होता है कि वह ह़दीस़ मन्सूख़ है।

मसअ्ला.3:– बाज़ असमाए इलाहिया जिनका इतलाक़ ग़ैरुल्लाह पर जाइज़ है उनके साथ नाम रखना जाइज़ है जैसे अ़ली, रशीद, कबीर, बदीअ़ क्योंकि बन्दों के नामों में वह मअ़ना मुराद नहीं हैं जिनका इरादा अल्लाह तआ़ला पर इत्लाक़ करने में होता है और उन नामों में अलिफ़ व लाम मिलाकर भी नाम रखना जाइज़ है मस्लन अलअ़ली, अर्रशीद। हाँ इस ज़माने में चूंकि अवाम में नामों की तसग़ीर करने का बकस्रत रिवाज होगया है लिहाज़ा जहाँ ऐसा गुमान हो ऐसे नाम से बचना ही मुनासिब है ख़ुसूसन जबकि असमा–ए–इलाहिया के साथ अ़ब्द का लफ़्ज़ मिलाकर नाम रखा गया मस्लन अ़ब्दुर्रहीम, अ़ब्दुलकरीम, अ़ब्दुल अज़ीज़ कि यहाँ मुज़ाफ़ इलैहि से मुराद अल्लाह तआ़ला है और ऐसी सूरत में तसग़ीर अगर क़स्दन होती तो मआज़ल्लाह कुफ़्र होती क्योंकि यह उस शख़्स की तसग़ीर नहीं बल्कि मअ़बूदे बर'हक़ की तसग़ीर है मगर अवाम और ना'वाक़िफ़ों का यह मक़सद यक़ीनन नहीं है इसी लिये वह हुक्म नहीं दिया जायेगा। बल्कि उनको समझाया और बताया जाये और ऐसे मौक़े पर ऐसे नाम ही न रखे जायें जहाँ यह एहतिमाल (शक) हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– ऐसा नाम रखना जिसका ज़िक्र न क़ुर्आन मजीद में आया हो न ह़दीसों में हो न मुसलमानों में ऐसा नाम मुस्तअ़मल (जारी) हो उसमें उ़लमा को इख़्तिलाफ़ है बेहतर यह है कि न रखे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखने की हाजत नहीं बिग़ैर नाम रखे दफ़्न करदें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– बच्चा पैदा होकर मर गया तो दफ़्न से पहले उसका नाम रखा जाये लड़का हो तो लड़कों का सा, लड़की हो तो लड़कियों का सा नाम रखा जाये और मा़लूम न होसका कि लड़की है या लड़का तो ऐसा नाम रखा जाये जो मर्द व औ़रत दोनों हो सकता हो। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– बच्चे की कुन्नियत होसकती है या नहीं स़हीह़ यह है कि हो सकती है ह़दीसे़ अबी उ़मैर उसकी दलील है।

मसअ्ला.8:– बच्चे की कुन्नियत अबूबक्र, अबू तुराब, अबुल'हसन वग़ैरा रखना जाइज़ है इन कुन्नियतों से तबर्रुक मक़सूद होता है कि उन ह़ज़रात की बरकत बच्चे के शामिले ह़ाल हो। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.9:– जो नाम बुरे हों उनको बदल कर अच्छा नाम रखना चाहिए ह़दीस़ में है कि क़ियामत के दिन तुम अपने और अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे लिहाज़ा अपने नाम अच्छे रखो हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बुरे नामों को बदल दिया एक शख़्स का नाम अस़रम था उसको बदलकर ज़ुरआ रखा और आसि़या नाम को बदल कर जमीला रखा। यसार, रिबाह़, अफ़लह़, बरकत नाम रखने से भी मनअ़ फ़रमाया।

मसअ्ला.10:– अ़ब्दुल'मुस्तफ़ा, अ़ब्दुन्नबी, अ़ब्दुर्रसूल नाम रखना जाइज़ है कि उस निस्बत की शराफ़त मक़सूद है और उ़बूदियत के ह़क़ीक़ी मअ़ना यहाँ मक़सूद नहीं हैं। रही अ़ब्द की इज़ाफ़त ग़ैरुल्लाह की त़रफ़ यह क़ुर्आन व ह़दीस़ से स़ाबित है।

मसअ्ला.11:– ऐसे नाम जिनमें तज़किया–ए–नफ़्स और ख़ुद'सिताई (अपनी बड़ाई, और तारीफ़) निकलती है उनको भी हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बदल डाला बर्रा का नाम ज़ैनब रखा और फ़रमाया कि "अपने नफ़्स का तज़्किया न करो"। शमसुद्दीन, ज़ैनुद्दीन, मुहीयुद्दीन, फ़ख़रुद्दीन, नसीरुद्दीन, सिराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन, क़ुतबुद्दीन वग़ैरहा नाम जिनके अन्दर ख़ुद'सिताई और बड़ी ज़बर'दस्त तअ़रीफ़ पाई जाती है नहीं रखने चाहिए। रहा यह कि बुज़ुर्गाने दीन व अइम्मा–ए–साबेक़ीन को उन नामों से याद किया जाता है तो यह जानना चाहिए कि उन ह़ज़रात के नाम यह न थे बल्कि यह उनके अलक़ाब हैं कि जब वह ह़ज़रात मरातिबे उ़लया और मनासि़बे जलीला (बलन्द मरतबों और बड़े मनसबों) पर फ़ाइज़ हुए तो मुसलमानों ने उनको इस त़रह़ कहा और यहाँ एक जाहिल और अनपढ़ जो अभी पैदा हुआ और उसने दीन की अभी कोई ख़िदमत नहीं की इतने बड़े बड़े

अल्फ़ाज़े फ़ख़ीमा (बुजुर्गी वाले अलफ़ाज) से याद किया जाने लगा। इमाम मुहीयुद्दीन नोवी से रहमतुल्लाहि तआला ब'वजूद उस जलालते शान के उनको अगर मुहियुद्दीन कहा जाता तो इनकार फ़रमाते और कहते कि जो मुझे मुहियुद्दीन नाम से बुलाये उसको मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– गुलाम'मुहम्मद, गुलाम'सिद्दीक, गुलाम'फ़ारूक, गुलाम'अ़ली, गुलाम'हसन, गुलाम'हुसैन, वग़ैरा नाम जिनमें अम्बिया व सहाबा व औलिया के नामों की तरफ़ गुलाम को इज़ाफ़त करके नाम रखा जाये यह जाइज़ है उसके अ़दमे जवाज़ की कोई वजह नहीं, बाज़ वहाबिया का इन नामों का ना'जाइज़ बल्कि शिर्क बताना बद बातिनी की दलील है ऐसा भी सुना गया है कि बाज़ वहाबियों ने गुलाम अ़ली नाम को बदलकर गुलामुल्लाह नाम रखा यह उनकी जिहालत है कि जाइज़ नाम को बदलकर ना'जाइज़ नाम रखा गुलाम इज़ाफ़त अल्लाह तआला की तरफ़ करना और किसी को गुलामुल्लाह कहना ना'जाइज़ है क्योंकि गुलाम के हक़ीक़ी मअ्ना पिसर और लड़का के हैं अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उससे पाक है कि उसके लिये कोई लड़का हो अ़ल्लामा अ़ब्दुल'ग़नी नाबलिसी क़ुद्दिस सिर्रुहु ने हदीक़ा–ए–नदिय्या में फ़रमाया युक़ालु अ़ब्दुल्लाह व अमतुल्लाह वला युक़ालु गुलामुल्लाह व जारियतुल्लाह।

मसअ्ला.13:– मुहम्मद'बख़्श, अहमद'बख़्श, नबी'बख़्श, पीर'बख़्श, अ़ली'बख़्श, हुसैन'बख़्श, और उसी क़िस्म के दूसरे नाम जिनमें किसी नबी या वली के नाम के साथ बख़्श का लफ़्ज़ मिलाकर नाम रखा गया हो जाइज़ है।

मसअ्ला.14:– ग़फ़ूरुद्दीन, ग़फ़ूरुल्लाह नाम रखना ना'जाइज है क्योंकि ग़फ़ूर के मअ्ना हैं मिटाने वाला अल्लाह तआला ग़फ़ूर है कि वह बन्दों के गुनाह मिटादेता है लिहाज़ा ग़फ़ूरुद्दीन के मअ्ना हुए दीन को मिटाने वाला।

मसअ्ला.15:– طٰہٰ، یٰسٓ (ताहा,यासीन) नाम भी न रखे जायें कि यह मुक़त्तआते क़ुर्आनिया से हैं जिनके मअ्ना मालूम नहीं ज़ाहिर यह है कि यह असमा–ए–नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम से हैं और बाज़ उलमा ने असमा–ए–इलाहिया से कहा बहर हाल जब मअ्ना मालूम नहीं तो हो सकता है कि उसके ऐसे मअ्ना हों जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम या अल्लाह तआला के साथ ख़ास हों और उन नामों के साथ मुहम्मद मिलाकर मुम्मद ताहा, मुहम्मद यासीन, कहना भी मुमानअ़त को दफ़अ् न करेगा।

मसअ्ला.16:– मुहम्मद'नबी, अहमद'नबी, मुहम्मद'रसूल, अहमद'रसूल, नबीयुज़्ज़मां नाम रखना भी ना'जाइज़ है बल्कि बाज़ का नाम नबीयुल्लाह भी सुना गया है ग़ैर नबी को नबी कहना हरगिज़ हरगिज़ जाइज़ नहीं होसकता।

तम्बीह:– अगर कोई यह कहे कि नामों में असली मअ्ना का लिहाज़ नहीं होता बल्कि यहाँ तो यह शख़्स मुराद है उसका जवाब यह है कि अगर ऐसा होता तो शैतान, इब्लीस वग़ैरा इस क़िस्म के नामों से लोग गुरेज़ न करते और नामों में अच्छे और बुरे नामों की दो क़िस्में न होतीं और हदीस में न फ़रमाया जाता कि अच्छे नाम रखो नीज़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने बुरे नामों को बदला न होता कि जब उस असली मअ्ना का बिल्कुल लिहाज़ नहीं तो बदलने की क्या वजह।

मुसाबक़त का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में सलमा इब्ने अकवअ् रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कुछ लोग पैदल तीर'अन्दाज़ी कर रहे थे यानी मुसाबक़त के तौर पर, उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया ऐ बनी इस्माईल (यानी अहले अ़रब क्योंकि अ़रब वाले हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं) तीर'अन्दाज़ी करो क्योंकि तुम्हारे बाप यानी इस्माईल अ़लैहिस्सलाम तीर'अन्दाज़ थे और दोनों फ़रीक़ों में से एक के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाया कि मैं बनी फुलाँ के साथ हूँ। दूसरे फ़रीक़ ने हाथ रोक लिया हुज़ूर ने फ़रमाया क्यों तुम लोगों ने हाथ रोका।

उनहोंने कहा जब हुज़ूर बनी फुलाँ यानी हमारे फ़रीक़े मुक़ाबिल के साथ होगये तो अब हम क्योंकर तीर चलायें यानी अब हमारे जीतने की सूरत बाक़ी नहीं रही। इरशाद फ़रमाया "तुम तीर चलाओ मैं तुम सबके साथ हूँ"।

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने मुज़मर घोड़ों (मुज़मर घोड़े वह कहलाते हैं जिनको ख़ूब खिलाकर मोटा करलिया जाये उसके बाद ख़ुराक कम करें और एक मकान में बन्द करदें और उनको झूल उढ़ादें कि ख़ूब पसीना आये और बादी गोश्त छंटकर दुबले होजायें ऐसे घोड़े बहुत तेज़ रफ़्तार होते हैं। "मुहम्मद अमीनुल क़ादरी") में हफ़िया (यह एक जगह का नाम है जो मदीना तय्यिबा से चन्द मील फ़ासिले पर है) से दौड़ कराई और उसकी इन्तिहाई मुसाफ़त स़नीयतुल'वदअ़ थी और दोनों के मा'बैन छः मील मुसाफ़त थी और जो घोड़े मुज़मर न थे उनकी दौड़ सनिय्या से मस्जिदे बनी ज़रीक़ तक हुई उन दोनों में एक मील का फ़ासिला था।

हदीस् (3) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुसाबक़त नहीं मगर तीर और ऊँट और घोड़े में"।

हदीस् (4) शरह सुन्ना में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो घोड़ों में एक और घोड़ा शामिल कर लिया और मालूम है कि पीछे रह जायेगा तो उसमें ख़ैर नहीं और अगर अन्देशा है कि यह आगे जा सकता है तो मुज़ाइक़ा नहीं" यानी पहली सूरत में ना'जाइज़ है और दूसरी सूरत में जाइज़।

हदीस् (5) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो घोड़ों में एक और घोड़ा शामिल किया और उसके पीछे हो जाने का इल्म नहीं है तो क़िम्मार (जुवा) नहीं और मालूम है कि पीछे रह जायेगा तो जुवा है।

हदीस् (6) अबूदाऊद व निसाई ने इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जलब व जुनुब नहीं हैं यानी घुड़ दौड़ में यह जाइज़ नहीं कि कोई दूसरा शख़्स उसके घोड़े को डांटे और मारे कि यह तेज़ दौड़ने लगे और न यह कि सवार अपने साथ कोतल घोड़ा (यानी ख़ाली घोड़ा) रखे कि जब पहला घोड़ा थक जाये तो दूसरे पर सवार होजाये"।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के हमराह यह सफ़र में थीं। कहती हैं मैंने हुज़ूर से पैदल मुसाबक़त की और मैं आगे होगई फिर जब मेरे जिस्म में गोश्त ज़्यादा होगया यानी पहले से कुछ मोटी होगई मैंने हुज़ूर के साथ दौड़ की इस मरतबा हुज़ूर आगे होगये और यह फ़रमाया कि यह उसका बदला होगया।

मसाइल फ़िक़्हिया:– मुसाबक़त का मतलब यह है कि चन्द शख़्स आपस में यह तै करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबक़त लेजाये उसको यह दिया जायेगा यह मुसाबक़त सिर्फ़ तीर'अन्दाज़ी में हो सकती है या घोड़े, गधे, खच्चर में जिस तरह घुड़ दौड़ में हुआ करता है कि चन्द घोड़े एक साथ भगाते जाते हैं जो आगे निकल जाता है उसको एक रक़म या कोई चीज़ दी जाती है। ऊँट और आदमियों की दौड़ भी जाइज़ है क्योंकि ऊँट भी अस्बाबे जिहाद में हैं यानी यह जिहाद के लिये कार'आमद चीज़ है मतलब यह है कि उन दौड़ों से मक़सूद जिहाद की तैयारी है लहव व लइब मक़सूद नहीं अगर महज़ खेल के लिये ऐस करता है तो मकरूह है इसी तरह अगर फ़ख़ और बड़ाई मक़सूद हो या अपनी शुजाअत व बहादुरी का इज़हार मक़सूद हो तो यह भी मकरूह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– सब्क़त लेजाने वाले के लिये कोई चीज़ मशरूत न हो तो उन मज़कूर अशया के साथ उसका जवाज़ ख़ास नहीं बल्कि हर चीज़ में मुसाबक़त हो सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– साबिक़ (आगे निकल जाने वाले) के लिये जो कुछ मिलना तै पाया है वह उसके लिये

ह़लाल व त़य्यिब है मगर वह उसका मुस्तहक़ नहीं यानी अगर दूसरा उसको न दे तो क़ाज़ी के यहाँ दअ़्वा कर के जबरन वसूल नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मुसाबक़त जाइज़ होने के लिये शर्त़ यह है कि सिर्फ़ एक जानिब से माल शर्त़ हो यानी दोनों में से एक ने यह कहा कि अगर तुम आगे निकल गये तो तुमको मसलन सौ रूपये दूँगा और मैं आगे निकल गया तो तुम से कुछ नहीं लूँगा दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि शख़्से सालिस (तीसरा शख़्स) ने उन दोनों से यह कहा कि तुम में जो आगे निकल जायेगा उसको इतना दूँगा जैसाकि अकसर हुकूमत की जानिब से दौड़ होती है और उसमें आगे निकल जाने वाले के लिये इन्आ़म मुक़र्रर होता है उन लोगों में बाहम कुछ लेना देना तै नहीं होता है। (दुर्रेमुख़्तार वगैरा)

मसअ्ला.4:– अगर दोनों जानिब से माल की शर्त़ हो मसलन तुम आगे होगये तो मैं इतना दूँगा और मैं आगे होगया तो मैं इतना लूँगा यह सूरत जुवा और ह़राम है, हाँ अगर दोनों ने अपने साथ एक तीसरे शख़्स को शामिल कर लिया जिसको मुह़ल्लिल कहते हैं और ठहरा यह कि अगर यह आगे निकल गया तो रक़म मज़कूर यह लेगा और पीछे रहगया तो यह देगा कुछ नहीं, इस सूरत मे दोनों जानिब से माल की शर्त़ जाइज़ है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मुह़ल्लिल के लिये यह ज़रूर है कि उसका घोड़ा भी उन्हीं दोनों जैसा हो यानी हो सकता है कि उसका घोड़ा आगे निकल जाये या पीछे रह जाये दोनों बातों में से एक का यक़ीन न हो और अगर उसका घोड़ा उन जैसा न हो मालूम हो कि पीछे ही रह जायेगा या मालूम हो कि यक़ीनन आगे निकल जायेगा तो उसके शामिल करने से शर्त़ जाइज़ न होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुह़ल्लिल यानी शख़्से सालिस (तीसरे शख़्स) का घोड़ा अगर दोनों से आगे निकल गया तो दोनों ने जो कुछ देने को कहा था यह मुह़ल्लिल दोनों से ले लेगा और अगर दोनों से पीछे रह गया तो यह उन दोनों को कुछ नहीं देगा बल्कि उन दोनों में जो आगे होगया वह दूसरे से वह लेगा जिसका देना शर्त ठहरा है इसकी सूरत यह है कि दो शख़्स ने पाँच, पाँचसौ की बाज़ी लगाई और मुह़ल्लिल को शामिल कर लिया कि अगर मुह़ल्लिल आगे होगया तो दोनों से पाँच पाँच सौ यानी एक हज़ार ले लेगा और अगर मुह़ल्लिल आगे न हुआ तो उन दोनों को वह कुछ न देगा बल्कि उन दोनों में जो आगे होगा वह दूसरे से पाँच सौ लेगा और अगर दोनों के घोड़े एक साथ पहुँचे तो उन दोनों में कोई भी दूसरे को कुछ न देगा, न मुह़ल्लिल से कुछ लेगा और अगर उन दोनों में एक का घोड़ा और मुह़ल्लिल का घोड़ा दोनों एक साथ पहुँचे तो मुह़ल्लिल इससे कुछ नहीं ले सकता बल्कि उससे लेगा जिसका घोड़ा पीछे रह गया और दूसरा भी उसी पीछे रह जाने वाले से लेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– मुसाबक़त में शर्त़ यह है कि मुसाफ़त इतनी हो जिसको घोड़े तै कर सकते हों और जितने घोड़े लिये जायें वह सब ऐसे हों जिनमें यह एह्तिमाल हो कि आगे निकल जायेंगे इस त़रह तीर अन्दाज़ी और आदमियों की दौड़ में भी यही शर्तें हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.8:– ऊँटों की दौड़ में आगे होने का मत़लब यह है कि शाना आगे होजाये गर्दन का एअ़तिबार नहीं और घोड़ों की दौड़ में जिसकी गर्दन आगे होजाये वह आगे होने वाला माना जायेगा। (रद्दुल मुहतार) मगर इस ज़माने का रिवाज यह है कि घोड़ों में कनोती का एअ़्तिबार किया जाता है और कनोती भी जब ही आगे होगी कि गर्दन आगे होजाये।

मसअ्ला.9:– तलबा ने किसी मसअ्ला के मुतअ़ल्लिक़ शर्त़ लगाई कि जिसकी बात सहीह होगी उसको यह दिया जायेगा उसमें भी वह सारी तफ़सील है जो मुसाबक़त में मज़कूर हुई यानी अगर एक त़रफ़ से शर्त़ हो तो जाइज़ है दोनों त़रफ़ से हो तो ना जाइज़ मसलन एक त़ालिबे इल्म ने दूसरे से कहा चलो उस्ताज़ से चलकर पूछें अगर तुम्हारी बात सहीह हो तो मैं तुमको यह दूँगा और मेरी सहीह हुई तो तुमसे कुछ नहीं लूँगा कि एक जानिब से शर्त़ हुई या एक ने दूसरे से कहा आओ मैं और तुम मसाइल में गुफ़्तगू करें अगर तुम्हारी बात सहीह हुई तो यह दूँगा और मेरी सहीह हुई

तो कुछ न लूँगा यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– त़लबा में यह ठहरा कि जो पहले आयेगा उसका सबक़ पहले होगा इस सूरत में जो दर्सगाह में पहले आया उसका ह़क़ मुक़द्दम है और अगर हर एक पहले आने का मुद्दई है तो जो गवाहों से पहले आना स़ाबित करदे वह मुक़द्दम है और अगर गवाह न हों तो कुर्आ डाला जाये जिसका नाम पहले निकले वह मुक़द्दम है। (ख़ानिया)

कसब का बयान

(कसबे हलाल की ख़ूबियाँ ग्यारहवें हिस्से में अहादीस़ से बयान होचुकी हैं)

इतना कमाना फ़र्ज़ है जो अपने लिये और अहल व अ़याल के लिये और जिनका नफ़्क़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है उनके नफ़्क़ा के लिये और अदाए दैन (कर्ज अदा करने) के लिये किफ़ायत कर सके उसके बाद उसे इख़्तियार है कि इतने ही पर बस करे या अपने और अहल व अ़याल के लिये कुछ पस मान्दा (बचत के लिये) रखने की भी सई व कोशिश करे। माँ, बाप मोहताज व तंगदस्त हों क़र्ज़ है कि कमाकर उन्हें बक़द्रे किफ़ायात दे।(जितना किफ़ायत करे) (आलमगीरी)

मसअ्ला.1:– क़द्रे किफ़ायत से ज़ाइद इसलिये कमाता है कि फ़ुक़रा व मसाकीन की ख़बर गीरी कर सकेगा या अपने क़रीबी रिश्तेदारों की मदद करेगा यह मुस्तह़ब है और यह नफ़्ल इबादत से अफ़ज़ल है और अगर इस लिये कमाता है कि माल व दौलत ज़्यादा होने से मेरे इ़ज़्ज़त व वक़ार में इज़ाफ़ा होगा फ़ख़्र, तकब्बुर, मक़सूद न हो तो यह मुबाह है और अगर महज़ माल की कस़रत या तफ़ाख़ुर मक़सूद है तो मनअ् है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– जो लोग मसाजिद और ख़ानक़ाहों में बैठ जाते हैं और बसर औक़ात के लिये कुछ काम नहीं करते और अपने को मुतवक्किल बताते हैं ह़ालाँकि उनकी निगाहें इसकी मुन्तज़िर रहती हैं कि कोई हमें कुछ देजाये वह मुतवक्किल नहीं उससे अच्छा यह था कि कुछ काम करते उससे बसर औक़ात करते। (आलमगीरी) इसी त़रह़ आजकल बहुत से लोगों ने पीरी मुरीदी को पेशा बनालिया है सालाना मुरीदों में दौरा करते हैं और मुरीदों से त़रह़ त़रह़ से रक़में खसोटते हैं जिसको नज़राना वग़ैरा नामों से मौसूम करते हैं और उन में बहुत से ऐसे भी हैं जो झूट और फ़रेब से भी काम लेते हैं यह ना जाइज़ है।

मसअ्ला.3:– सबसे अफ़ज़ल कसब जिहाद है यानी जिहाद में जो माले ग़नीमत ह़ासिल हुआ मगर यह ज़रूर है कि उसने माल के लिये जिहाद न किया हो बल्कि एअ्ला–ए–कलिमतुल्लाह मक़सूदे अस़ली हो जिहाद के बाद तिजारत फिर ज़राअ़त फिर सन्अ़त व ह़िरफ़त का मरतबा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– चर्ख़ा कातना औरतों का काम है मर्द को चर्ख़ा कातना मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.5:– जिसके पास उस दिन के खाने के लिये मौजूद हो उसे सुवाल करना ह़राम है साइलों और गदा गरों ने इसतरह़ पर जो माल ह़ासिल किया और जमअ् किया वह ख़बीस़ माल है(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जो शख़्स़ इल्मे दीन व क़ुर्आन पढ़कर कसब छोड़ देता है वह अपने दीन को खाता है (आलमगीरी) यानी आ़लिम या क़ारी होकर बैठ गया और कमाना छोड़ दिया यह ख़याल किये हुए है कि लोग मुझे आ़लिम या क़ारी समझकर खुद ही खाने को देंगे कमाने की क्या ज़रूरत है यह ना जाइज़ है रहा यह अम्र कि क़ुर्आन मजीद व इल्मे दीन की तअ़्लीम पर उजरत लेना और उसके पढ़ाने की नौकरी करना उसको फ़ुक़हा मुताख़िरीन ने जाइज़ बताया है जिसको हम इजारा के बयान में ज़िक्र कर चुके हैं। यह दीन फ़रोशी में दाख़िल नहीं।

मसअ्ला.7:– जिस शख़्स़ ने ह़राम त़रीक़े से माल जमा किया और मर गया वुरस़ा को अगर मालूम हो कि फ़ुलाँ फ़ुलाँ के यह अमवाल हैं तो उनको वापस करदें और मालूम न हो तो स़दक़ा करदें(आलम)

मसअ्ला.8:– अगर माल में शुबह हो तो ऐसे माल को अपने क़रीबी रिश्ते दार पर स़दक़का कर सकता है यहाँ तक कि अपने बाप या बेटे को दे सकता है इस सूरत में यही ज़रूर नहीं कि अजनबी ही को दे। (आलमगीरी)

अम्र बिल मअ़रूफ़ व नही अ़निल मुन्कर का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"और तुममें एक ऐसा गिरोह होना चाहिए कि भलाई की तरफ़ बुलाये और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मनअ़ करे और यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं"।

और फ़रमाता है।

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾

"तुम बेहतर हो उनमें सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुए भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मनअ़ करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो"।

और कुर्आन में है।

﴿يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ﴾

(लुकमान ने अपने बेटे से कहा)"ऐ मेरे बेटे नमाज काइम रख और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मनअ़ कर और जो उफ़ताद (मुसीबत) तुझ पर पडे उसपर सब्र कर बेशक यह हिम्मत के काम हैं"।

हदीस (1) "तुम में जो शख़्स बुरी बात देखे उसे अपने हाथ से बदलदे और अगर उसकी इस्तिताअ़त न हो तो ज़बान से बदले और उसकी भी इस्तिताअ़त (ताक़त) न हो तो दिल से यानी उसे दिल से बुरा जानें और यह कमज़ोर ईमान वाला है। (मुस्लिम)

हदीस (2) हुदूदुल्लाह में मुदा'हनत करने वाला (यानी ख़िलाफ़े शरअ़ चीज़ देखे और ब'वजूद कुदरत मनअ़ न करे उसकी) और हुदूदुल्लाह में वाक़ेअ़ होने वाले की मिसाल यह है कि एक क़ौम ने जहाज़ के बारे में कुर्आ डाला बाज़ ऊपर के हिस्से में रहे बाज़ नीचे के हिस्से में, नीचे वाले पानी लेने ऊपर जाते और पानी लेकर उनके पास से गुज़रते उनको तकलीफ़ होती (उन्होंने उसकी शिकायत की) नीचे वाले ने कुल्हाड़ी लेकर नीचे का तख़्ता काटना शुरूअ़ किया ऊपर वालों ने देखा तो पूछा क्या बात है कि तख़्ता तोड़ रहे हो उसने कहा मैं पानी लेने जाता हूँ तो तुमको तकलीफ़ होती है और पानी लेना मुझे ज़रूरी है (लिहाज़ा मैं तख़्ता तोड़कर यहीं से पानी ले लूँगा और तुम लोगों को तकलीफ़ न दूँगा) पस इस सूरत में अगर ऊपर वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया और खोदने से रोक दिया तो उसे भी नजात देंगे और अपने को भी और अगर छोड़ दिया तो उसे भी हलाक किया और अपने को भी। (बुख़ारी)

हदीस (3) क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है या तो अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से मनअ़ करोगे या अल्लाह तआ़ला तुम पर जल्द अपना अ़ज़ाब भेजेगा फिर दुआ़ करोगे और तुम्हारी दुआ़ क़बूल न होगी।(तिर्मिज़ी)

हदीस (4) जब ज़मीन में गुनाह किया जाये तो जो वहाँ मौजूद है मगर उसे बुरा जानता है, उसकी मिस्ल है जो वहाँ नहीं है और जो वहाँ नहीं है मगर उसपर राज़ी है वह उसकी मिस्ल है जो वहाँ हाज़िर है। (अबूदाऊद)

हदीस (5) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया ऐ लोगो! तुम इस आयत को पढ़ते हो।

﴿يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

"ऐ ईमान वालो अपने नफ़्स को लाज़िम पकड़लो गुमराह तुमको ज़रर न पहुँचायेगा जब कि तुम खुद हिदायत पर हो"। (यानी तुम उस आयत से यह समझते होगे कि जब हम खुद हिदायत पर हैं तो गुमराह की गुमराही हमारे लिए मुज़िर नहीं हमको मनअ़ करने की ज़रूरत नहीं) मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि "लोग अगर बुरी बात देखें और उसको न बदलें तो क़रीब है कि अल्लाह तआ़ला उनपर ऐसा अ़ज़ाब भेजेगा जो सब को घेरलेगा"। (इब्ने'माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस (6) जिस क़ौम में गुनाह होते हों और लोग बदलने पर क़ादिर हों फिर न बदलें तो क़रीब है कि अल्लाह तआ़ला सब पर अ़ज़ाब भेजे। (अबूदाऊद)

हदीस (7) अच्छी बात का हुक्म करो और बुरी बात से मनअ़ करो यहाँ तक कि जब तुम यह देखो कि बुख़्ल की इताअ़त की जाती है और ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी की जाती है और दुनिया को

दीन पर तर्जीह दी जाती है और हर शख़्स अपनी राय पर घमन्ड करता है और ऐसा अम्र देखो कि तुम्हें उससे चारा न हो तो अपने नफ़्स को लाज़िम करलो यानी खुद को बुरी चीज़ों से बचाओ और अवाम के मुआमला को छोड़ो। (यानी ऐसे वक़्त में अम्र बिल'मअ़रूफ़ व नही अनिलमुन्कर ज़रूरी नही) तुम्हारे आगे सब्र के दिन आयेंगे जिनमें सब्र करना ऐसा है जैसे मुठ्ठी में अंगारा लेना अमल करने वाले के लिये उस ज़माने में पचास शख़्स अमल करने वालों का अज्र है। लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह उनमें से पचास का अज्र उस एक को मिलेगा फ़रमाया कि तुममें से पचास की बराबर अज्र मिलेगा (तिर्मिज़ी इब्ने'माजा) पाँचवीं हदीस् में जो आयत ज़िक्र की गई वह इसी मौक़े और वक़्त के लिये है।

हदीस् (8) लोगों की हैबत हक़ बोलने से न रोके जब मा'लूम हो तो कहदे। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (9) चन्द मख़्सूस लोगों के अमल की वजह से अल्लाह तआ़ला सब लोगों को अज़ाब नहीं करेगा मगर जब कि वहाँ बुरी बात की जाये और वह लोग मनअ़ करने पर क़ादिर हों और मनअ़ न करें तो अब आम व ख़ास सबको अज़ाब होगा। (शरह सुन्ना)

हदीस् (10) बनी इस्राईल ने जब गुनाह किये उनके उ़लमा ने मनअ़ किया मगर वह बाज़ न आये फिर उ़लमा उनकी मज्लिसों में बैठने लगे और उनके साथ खाने, पीने लगे खुदा ने उ़लमा के दिल भी उन्हीं जैसे करदिये और दाऊद व ईसा इब्ने मरयम अ़लैहिमस्सलाम की ज़बान से उन सब पर लअ़्नत की यह उस वजह से कि उन्होंने ना'फ़रमानी की और हद से तजावुज़ करते थे। इसके बा'द हुज़ूर ने फ़रमाया खुदा की क़सम तुम या तो अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से रोकेगे और ज़ालिम के हाथ पकड़लोगे और उनको हक़ पर रोकोगे और हक़ पर ठहराओगे या अल्लाह तुम सब के दिल एक त़रह के कर देगा फिर तुम सब पर लअ़्नत करदेगा जिस त़रह उन सब पर लअ़्नत की। (अबू'दाऊद)

हदीस् (11) मैंने शबे मेअ़राज में देखा कि कुछ लोगों के होंट आग की कैंचियों से काटे जाते हैं मैंने पूछा जिब्रील यह कौन लोग हैं कहा यह आपकी उम्मत के वाइज़ हैं जो लोगों को अच्छी बात का हुक्म करते थे और अपने को भूले हुए थे। (शरह सुन्ना)

हदीस् (12) ज़ालिम बादशाह के पास हक़ बात बोलना अफ़ज़ल जिहाद है। (इब्ने'माजा)

हदीस् (13) मेरे बा'द में उमरा (अमीर, सरदार) होंगे जिनकी बा'ज़ बातें अच्छी होंगी और बा'ज़ बुरी जिसने बुरी बात से कराहत की वह बरी है और जिसने इन्कार किया वह सलामत रहा लेकिन जो राज़ी हुआ और पैरवी की। (वह हलाक हुआ) (मुस्लिम, अबूदाऊद)

हदीस् (14) मुझसे पहले जिस नबी को खुदा ने किसी उम्मत में मबऊ़स किया उसके लिये उम्मत से हवारीईन और असहाब हुए जो नबी की सुन्नत लेते और और उसके हुक्म की पैरवी करते फिर उनके बा'द ना'ख़लफ़ लोग पैदा हुए कि कहते वह जो करते नहीं, और करते वह जिसका दूसरों को हुक्म न देते, जिसने हाथ के साथ उनसे जिहाद किया वह मोमिन है और जिसने ज़बान से जिहाद किया वह मोमिन है और जिसने दिल से जिहाद किया वह मोमिन है और उसके बा'द राई के दाना के बराबर ईमान नहीं। (मुस्लिम)

मसाइल फ़िक़्हिया

अम्र बिल'मअ़रूफ़ यह है कि किसी को अच्छी बात का हुक्म देना मसलन किसी से नमाज़ पढ़ने को कहना और नही अ़निल मुन्कर का मत़लब यह है कि बुरी बातों से मनअ़ करना यह दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं

क़ुर्आन मजीद में इरशाद फ़रमाया

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

तर्जमा:– "तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो"

अहादीस में उसकी बहुत ताकीद आई और उसके ख़िलाफ़ करने की मज़म्मत फ़रमाई।

मसअ्ला.1:– मअ़सियत (गुनाह) का इरादा किया मगर उसको किया नहीं तो गुनाह नहीं बल्कि उसमें भी एक क़िस्म का सवाब है जबकि यह समझकर बाज़ रहा कि यह गुनाह का काम है, नहीं

करना चाहिए। अहादीस् से ऐसा ही साबित है और अगर गुनाह के काम का बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया जिसको अ़ज़्म कहते हैं तो यह भी एक गुनाह है अगर्चे जिस गुनाह का अ़ज़्म किया था उसे न किया हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– किसी को गुनाह करते देखे तो निहायत मतानत और नर्मी के साथ उसे मनअ् करे और उसे अच्छी त़रह़ समझाये फिर अगर उस त़रीक़े से काम न चला वह शख़्स़ बाज़ न आया तो अब सख़्ती से पेश आये उसको सख़्त अल्फ़ाज़ कहे मगर गाली न दे न फ़ह़श लफ़्ज़ ज़बान से निकाले और इससे भी काम न चले तो जो शख़्स़ हाथ से कुछ कर सकता है करे मस्लन वह शराब पीता है तो शराब बहादे, बर्तन तोड़फ़ोड़ डाले, गाता बजाता है तो बाजे तोड़ डाले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– अम्र बिल'मअ्रूफ़ की कई सूरतें हैं अगर ग़ालिब गुमान यह है कि उनसे कहेगा तो वह उसकी बात मान लेंगे और बुरी बात से बाज़ आजायेंगे तो अम्र बिल'मअ्रूफ़ वाजिब है उसको बाज़ रहना जाइज़ नहीं और अगर गुमाने ग़ालिब यह है कि वह त़रह़ त़रह़ की तोहमत बान्धेंगे और गालियाँ देंगे तो तर्क करना अफ़ज़ल है और अगर यह मालूम है कि वह उसे मारेंगे और यह स़ब्र न कर सकेगा या उसकी वजह से फ़ितना व फ़साद पैदा होगा आपस में लड़ाई ठन जायेगी जब भी छोड़ना अफ़ज़ल है और अगर मालूम है कि वह मानेंगे नहीं मगर न मारेंगे और न गालियाँ देंगे तो इसे इख़्तियार है और अफ़ज़ल यह है कि अम्र करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– अगर अन्देशा है कि उन लोगों को अम्र बिल'मअ्रूफ़ करेगा तो क़त्ल कर डालेंगे और यह जानते हुए उसे किया और उन लोगों ने मार ही डाला तो यह शहीद हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– उमरा के ज़िम्मे अम्र बिल'मअ्रूफ़ हाथ से है कि अपनी क़ुव्वत व सित़वत से उन काम को रोकदें और उ़लमा के ज़िम्मे ज़बान से है कि अच्छी बात करने को और बुरी बात से बाज़ रहने को ज़बान से कहदें और अ़वामुन्नास के ज़िम्मे दिल से बुरा जानना है। (आलमगीरी) उसका मक़सद वही है जो ह़दीस् में फ़रमाया कि जो बुरी बात देखे उसे चाहिए कि अपने हाथ से बदलदे और अगर हाथ से बदलने पर क़ादिर न हो तो ज़बान से बदलदे यानी ज़बान से उसका बुरा होना ज़ाहिर करदे और मनअ् करदे और उसकी भी इस्तित़ाअ़त न हो तो दिल से बुरा जाने और यह ईमान का सबसे कमज़ोर मरतबा है यहाँ अ़वाम से मुराद वह लोग हैं कि उनमें न हाथ से रोकने की हिम्मत है और न ज़बान से मनअ् करने की जुरअत। क़ौम के चौधरी और ज़मींदार वग़ैरा बहुत से अ़वाम ऐसी हैसि्यत रखते हैं कि हाथ से रोक सकते हैं उनपर लाज़िम है कि रोकें ऐसों के लिए फ़क़त़ दिल से बुरा जानना काफ़ी नहीं।

मसअ्ला.6:– अम्र बिल'मअ्रूफ़ के लिये पाँच चीज़ों की ज़रूरत है **अव्वल इल्म** कि जिसे इल्म न हो उस काम को अच्छी त़रह़ अन्जाम नहीं दे सकता **दोम** इस से मक़सूद रज़ा–ए–इलाही और एअ़ला–ए–कलि'मतुल्लाह हो **सोम** जिसको हुक्म देता है उसके साथ शफ़क़त व मेहरबानी करे नर्मी के साथ कहे **चहारुम** अम्र करने वाला स़ाबिर और बुर्द'बार हो **पन्जुम** यह शख़्स़ खुद उस बात पर आ़मिल हो वरना क़ुर्आन के इस हुक्म का मिस्दाक़ बन जायेगा "क्यों कहते हो वह जिसको तुम खुद नहीं करते" अल्लाह के नज़्दीक नाखुशी की बात है यह कि ऐसी बात कहो जिसको खुद न करो और यह भी क़ुर्आन मजीद में फ़रमाया कि क्या लोगों को तुम अच्छी बात का हुक्म करते हो और खुद अपने को भुले हुए हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– आम शख़्स़ को यह न चाहिए कि क़ाज़ी या मुफ़्ती या मशहूर व मअ्रूफ़ आ़लिम को अम्र बिल'मअ्रूफ़ करे कि यह बे'अदबी है मस्ल मशहूर है ख़त़ा–ए–बुज़ुर्गान गिरफ़्तन ख़त़ास्त। और कभी ऐसा भी होता है कि यह लोग किसी मस्लेह़ते ख़ास़ से एक फ़ेअ्ल करते हैं जिस तक अ़वाम की नज़र नहीं पहुँचती और यह शख़्स़ समझता है कि जैसे हमने किया उन्होंने भी किया ह़ालांकि दोनों में बहुत फ़र्क़ होता है। (आलमगीरी) यह हुक्म उन उ़लमा के मुतअ़ल्लिक़ है जो अह़कामे शरअ् के

पाबन्द हैं और इत्तिफ़ाक़न कभी ऐसी चीज़ ज़ाहिर हुई जो नज़रे अवाम में बुरी मालूम होती है वह लोग मुराद नहीं जो हलाल व हराम की परवाह नहीं करते और नाम इल्म का बदनाम करते हैं।

मसअ्ला.8:– जिसने किसी को बुरा काम करते देखा और खुद यह भी उस बुरे काम को करता है तो इस बुरे काम से मना करदे क्योंकि उसके ज़िम्मे दो चीज़ें वाजिब हैं बुरे काम को छोड़ना और दूसरे को बुरे काम से मना करना अगर एक वाजिब का तारिक है तो दूसरे का क्यों तारिक बने। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स बुरा काम करता है उसके बाप के पास शिकायत लिखकर भेजी जाये या नहीं अगर मालूम है कि उसका बाप मना करने पर क़ादिर है और वह मना भी करदेगा तो लिखकर भेजदे वरना क्या फ़ाइदा इसी तरह ज़ौजैन और बादशाह व रईय्यत या आक़ा व मुलाज़िमीन के बारे में अगर लिखना मुफ़ीद हो तो लिखे। (खानिया)

मसअ्ला.10:– बाप को अन्देशा है कि अगर लड़के से कहेगा तो उसका हुक्म न मानेगा और उसका जी भी कहने को चाहता है तो यूँ कहे अगर यह करते तो खूब होता उसे हुक्म न दे कि उस सूरत में अगर उसने न किया तो आक़ होगा जो एक सख़्त कबीरा गुनाह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– किसी ने गुनाह किया फिर सच्चे दिल से ताइब होगया तो उसे यह न चाहिए कि क़ाज़ी या हाकिम के पास अपने जुर्म को इस लिए पेश करे कि हद्दे शरअ् क़ाइम की जाये क्योंकि पर्दा पोशी बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स को दूसरे का माल चुराते देखा है मगर मालिक को ख़बर देता है तो चोर उसपर जुल्म करेगा तो ख़ामोश होजाये और यह अन्देशा न हो तो ख़बर करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुश्रिकीन पर तन्हा हमला करने में ग़ालिब गुमान यह है कि क़त्ल हो जायेगा मगर यह भी ग़ालिब गुमान है कि यह उनके आदमी को क़त्ल करेगा या ज़ख्मी करदेगा या शिकस्त देदेगा तो तन्हा हमला करने में हरज नहीं और ग़ालिब गुमान यह हो कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह मारा जायेगा तो हमला न करे और अगर फ़ुस्साक़ मुस्लिमीन को गुनाह से रोकेगा तो यह खुद क़त्ल होजायेगा और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जब भी उनको मनअ् करे अ़ज़ीमत यही है अगर्चे मना न करने की भी रुख़्सत है। (आलमगीरी) क्योंकि इस सूरत में क़त्ल होजाना फ़ाइदे से ख़ाली नहीं इस वक़्त अगर्चे ब'ज़ाहिर फ़ाइदा नहीं मालूम होता मगर आइन्दा उसके नताइज बेहतर निकलेंगे।

इल्म व तालीम का बयान

इल्म ऐसी चीज़ नहीं जिसकी फ़ज़ीलत और खूबियों के बयान करने की हाजत हो सारी दुनिया जानती है कि इल्म बहुत बेहतर चीज़ है उसका हासिल करना तुग़राए इम्तियाज़ (बड़ाई की अ़लामत) यही वह चीज़ है कि उससे इन्सानी ज़िन्दगी कामयाब और खुशगवार होती है और इसी से दुनिया व आख़िरत सुधरती है। मगर हमारी मुराद इस इल्म से वह इल्म नहीं जो फ़लासिफ़ा से हासिल हुआ हो और जिसको इन्सानी दिमाग़ ने इख़्तिराअ् (ईजाद) किया हो या जिस इल्म से दुनिया की तहसील मक़सूद हो ऐसे इल्म की क़ुर्आन मजीद ने मज़म्मत की बल्कि वह इल्म मुराद है जो क़ुर्आन व हदीस से हासिल हो कि यही इल्म वह है जिससे दुनिया व आख़िरत दोनों संवरती हैं और यही इल्म ज़रीआ–ए–निजात है और इसी की क़ुर्आन व हदीस में तअ्रीफ़ें आई हैं और इसी की तअ्लीम की तरफ़ तवज्जोह दिलाई गई है क़ुर्आन मजीद में बहुत से मवाक़ेअ् पर उसकी खूबियाँ सराहतन या इशारतन बयान फ़रमाई गईं।

1.इल्म से यह मुराद नहीं कि वह पूरा आलिम हो बल्कि मुराद यह है कि इतना जानता हो कि यह चीज़ गुनाह है और दूसरे को बुरी भली बात समझाने का तरीक़ा मालूम हो कि मुअस्सिर पैराया से उसको कह सके 12 मिन्हु।

2. उस का यह मतलब नहीं कि जो शख़्स खुद आलिम न हो वह दूसरों को अच्छी बात का हुक्म ही न दे बल्कि मक़सद यह है कि वह खुद भी करे और दूसरों को भी करने को कहे 12 मिन्हु

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "अल्लाह से उसके बन्दों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं"।

और फ़रमाता है।

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

"अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया है दर्जे बलन्द फ़रमायेगा"

और फ़रमाता है।

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

"क्यों न हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमाअ़त निकले कि दीन की समझ हासिल करे और वापस आकर अपनी क़ौम को डर सुनाये इस उम्मीद पर कि वह बचें।

और फ़रमाता है।

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

"तुम फ़रमाओ क्या जानने वाले और अन्जान बराबर हैं नसीहत तो वही मानते हैं जो अ़क्ल वाले हैं"

अहादीस इल्म के फ़ज़ाइल में बहुत आईं चन्द अहादीस् ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस् (1) जिस शख़्स के साथ अल्लाह तआ़ला भलाई का इरादा करता है उसको दीन का फ़क़ीह बनाता है और मैं तक़सीम करता हूँ और अल्लाह देता है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (2) सोने चाँदी की तरह आदमियों की कानें हैं जो लोग जाहिलियत में अच्छे थे इस्लाम में भी अच्छे हैं जबकि इल्म हासिल करें। (मुस्लिम)

हदीस् (3) इन्सान जब मरजाता है उसका अ़मल मुन्क़तेअ़ होजाता है मगर तीन चीज़ें (कि मरने के बाद भी यह अ़मल ख़त्म नहीं होते उसके नामा–ए–आ़माल में लिखे जाते हैं) **सदक़ा–ए–जारिया** और **इल्म** जिस से नफ़अ़ हासिल किया जाता हो और **औलादे सालेह** (नेक औलाद) जो उसके लिये दुआ़ करती रहती है। (मुस्लिम)

हदीस् (4) जो शख़्स किसी रास्ते पर इल्म की तलब में चले अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत का रास्ता आसान कर देगा और जब कोई क़ौम ख़ानाए ख़ुदा में मुजतमेअ़(इकट्ठा)होकर किताबुल्लाह की तिलावत करे और उसको पढ़े, पढ़ाये तो उसपर सकीना उतरता है और रहमत ढांक लेती है और मलाइका घेर लेते हैं और अल्लाह तआ़ला उनका ज़िक्र उन लोगों में करता है जो उसके मुक़र्रब हैं और जिसके अ़मल ने सुस्ती की तो उसका नसब उसे तेज़ रफ़्तार नहीं करेगा। (मुस्लिम)

हदीस् (5) मस्जिदे दमिश्क़ में एक शख़्स अबू'दरदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास आया और कहने लगा मैं मदीना–ए–रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से अपके पास एक हदीस् सुनने को आया हूँ मुझे ख़बर मिली है कि आप उसे बयान करते हैं किसी और काम के लिये नहीं आया हूँ हज़रत अबूदाऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि "जो शख़्स इल्म की तलब में किसी रास्ते को चले अल्लाह तआ़ला उसको जन्नत के रास्ते पर लेजाता है और तालिबे'इल्म की ख़ुश्नूदी के लिये फ़िरिश्ते अपने बाज़ू बिछा देते हैं और आ़लिम के लिये आसमान वाले और ज़मीन के बसने वाले और पानी के अन्दर मछलियाँ यह सब इस्तिग़फ़ार करते हैं और आ़लिम की फ़ज़ीलत आ़बिद पर ऐसी है जैसे चौदहवीं रात के चाँद को तमाम सितारों पर और बेशक उ़लमा वारिसे अम्बिया हैं अम्बिया ने अशर्फ़ी और रूपये का वारिस् नहीं किया उन्होंने इल्म का वारिस् किया पस जिसने इल्म को लिया उसने पूरा हिस्सा लिया"। (अहमद, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद व इब्ने माजा, दारमी)

हदीस् (6) आ़लिम की फ़ज़ीलत आ़बिद पर वैसी है जैसी मेरी फ़ज़ीलत तुम्हारे अदना पर उसके बाद फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला और उसके फ़िरिश्ते और तमाम आसमान व ज़मीन वाले यहाँ तक कि चींटी अपने सूराख़ में यहाँ तक कि मछली उसकी भलाई के ख़्वाहाँ हैं जो लोगों को अच्छी चीज़ की तालीम देता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (7) एक फ़क़ीह (दीन के मसाइल का जानने वाला) हज़ार आबिद से ज़्यादा शैतान पर सख़्त है। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (8) इल्म की त़लब हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है और इल्म को ना'अहल के पास रखने वाला ऐसा है जैसा सुअर के गले में जवाहिर और मोती और सोने का हार डालने वाला। (इब्ने'माजा)

हदीस् (9) जो शख़्स़ त़लबे इल्म के लिये घर से निकले तो जब तक वापस न हो अल्लाह की राह में है। (तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस् (10) मोमिन कभी ख़ैर (यानी इल्म) से आसूदा नहीं होता यहाँ तक कि उस का मुन्तहा जन्नत होता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (11) अल्लाह तआला उस बन्दे को खुश रखे जिसने मेरी बात सुनी और याद करली और महफ़ूज़ रखी और दूसरे को पहुँचादी, क्योंकि बहुत से इल्म के ह़ामिल फ़क़ीह नहीं और बहुत से इल्म के ह़ामिल उस तक पहुँचाते हैं, जो उनसे ज़्यादा फ़क़ीह हैं। (अहमद, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद व इब्ने'माजा, दारमी)

हदीस् (12) मोमिन को उसके अ़मल और नेकियों से मरने के बाद भी यह चीज़ें पहुँचती रहती हैं इल्म जिसकी उसने तअ़लीम दी और इशाअ़त की और औलाद स़ालेह़ (नेक औलाद) जिसे छोड़ मरा है, या मुसह़फ़ जिसे मीरास् में छोड़ा, या मस्जिद बनाई, या मुसाफ़िर के लिये मकान बनादिया, या नहर जारी करदी, या अपनी सेहत और ज़िन्दगी में अपने माल में से स़दक़ा निकाल दिया, जो उस के मरने के बाद उसको मिलेगा। (इब्ने'माजा)

हदीस् (13) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि एक घड़ी रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत से अफ़ज़ल है। (दारमी)

हदीस् (14) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाये वहाँ दो मज्लिस थीं फ़रमाया कि "दोनों मज्लिसें अच्छी हैं और एक दूसरी से अफ़ज़ल है यह लोग अल्लाह से दुआ़ करते हैं और उसकी त़रफ़ रग़बत करते हैं वह चाहे तो उनको दे और चाहे तो मनअ़ करदे और यह दूसरी मज्लिस वाले इल्म सीखते हैं और जाहिल को सिखाते हैं यह अफ़ज़ल हैं, मैं मुअ़ल्लिम बनाकर भेजा गया" और उसी मज्लिस में हुज़ूर बैठ गये। (दारमी)

हदीस् (15) जिसने मेरी उम्मत के दीन के मुतअ़ल्लिक़ चालीस हदीसें हिफ़्ज़ कीं उसको अल्लाह तआ़ला फ़क़ीह उठायेगा और मैं उसका शाफ़ेअ़ व शहीद होंगा। (बैहक़ी)

हदीस् (16) दो ह़रीस़ (लालची) आसूदा नहीं होते एक इल्म का ह़रीस़ कि इल्म से कभी उसका पेट नहीं भरेगा और एक दुनिया का लालची कि यह कभी आसूदा नहीं होगा। (बैहक़ी)

हदीस् (17) अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया दो ह़रीस़ आसूदा नहीं होते एक स़ाह़िबे इल्म, दूसरा स़ाह़िबे दुनिया मगर यह दोनों बराबर नहीं। स़ाह़िबे इल्म अल्लाह की खुशनूदी ज़्यादा ह़ासिल करता रहता है और स़ाह़िबे दुनिया सरकशी में बढ़ता जाता है उसके बाद हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने यह आयत पढ़ी كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ (हाँ,हाँ बेशक आदमी सरकशी करता है इस पर कि अपने आप को ग़नी समझ लिया) और दूसरे के लिये फ़रमाया إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (अल्लाह से उसके बन्दों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं) (दारमी)

हदीस् (18) जिस इल्म से नफ़ा ह़ासिल न किया जाये वह उस ख़ज़ाने की मिस्ल है जिसमें से राहे खुदा में ख़र्च नहीं किया जाता। (अहमद)

हदीस् (19) सबसे ज़्यादा ह़सरत क़ियामत के दिन उसको होगी जिसे दुनिया में त़लबे इल्म का मौक़ा मिला मगर उसने त़लब नहीं की और उस शख़्स़ को होगी जिसने इल्म ह़ासिल किया और उससे सुनकर दूसरों ने नफ़अ़ उठाया खुद उसने नफ़ा नहीं उठाया। (इब्ने'असाकर)

हदीस् (20) उ़लमा की स्याही शहीद के ख़ून से तोली जायेगी और उस पर ग़ालिब होजायेगी (ख़तीब)

हदीस् (21) उ़लमा की मिसाल यह है कि जैसे आसमान में सितारे जिनसे खुश्की और समन्दर की तारीकों में रास्ते का पता चलता है और अगर सितारे मिट जायें तो रास्ता चलने वाले भटक जायेंगे (अहमद)

हदीस् (22) इल्म तीन हैं, आयते मुहकमा या सुन्नते क़ाइमा या फ़रीज़ा–ए–आदिला और उनके सिवा जो कुछ है वह ज़ाइद है। (इब्ने माजा, अबूदाऊद)

हदीस् (23) हज़रत हसन बसरी ने फ़रमाया इल्म दो हैं एक वह कि क़ल्ब में हो यह इल्म नाफ़ेअ् (फ़ायदा देने वाला) है दूसरा वह कि ज़बान पर हो यह इब्ने आदम पर अल्लाह की हुज्जत है।(दारमी)

हदीस् (24) जिसने इल्म तलब किया और हासिल करलिया उसके लिये दो चन्द अज्र हैं और हासिल न हो तो एक अज्र।(दारमी)

हदीस् (25) जिसको मौत आगई और वह इल्म को इस लिये तलब कर रहा था कि इस्लाम का एहया (ज़िन्दा) करे उसके और अम्बिया के दरम्यान जन्नत में एक दर्जे का फ़र्क़ होगा। (दारमी)

हदीस् (26) अच्छा शख़्स वह आलिमे दीन है कि अगर उसकी तरफ़ एहतियाज लाई जाये तो नफ़ा पहुँचाता है और उससे बे परवाही की जाये तो वह अपने को बे परवाह रखता है। (रज़ीन)

हदीस् (27) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया जिसको कोई बात मालूम है वह कहे और न मालूम हो तो यह कहदे कि अल्लाहु अअ्लमु (अल्लाह ज़्यादा जानता है) क्योंकि इल्म की शान यह है कि जिस चीज़ को न जानता हो उसके मुतअ़ल्लिक़ यह कहदे अल्लाहु अअ्लमु। अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी से फ़रमाया

﴿قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾

"मैं तुमसे उस पर उजरत नहीं मांगता और न मैं तकल्लुफ़ करने वालों से हूँ।"

यानी जो बात मालूम न हो उसके मुतअ़ल्लिक़ बोलना तकल्लुफ़ है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (28) क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़्दीक सबसे बुरा मरतबा उस आलिम का है जो इल्म से मुन्तफ़ेअ् न हो (फ़ायदा न उठाये)। (दारमी)

हदीस् (29) ज़ियाद इब्ने लबीद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक चीज़ ज़िक्र करके फ़रमाया कि यह उस वक़्त होगी जब इल्म जाता रहेगा मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह इल्म क्योंकर जायेगा हम क़ुर्आन पढ़ते हैं और अपने बेटों को पढ़ाते हैं वह अपनी औलाद को पढ़ायेंगे उसी तरह क़ियामत तक सिल्सिला जारी होगा हुज़ूर ने फ़रमाया ज़ियाद "तुझे तेरी माँ रोये मैं ख़याल करता था कि तू मदीने में फ़क़ीह शख़्स है क्या यह यहूद व नसारा तौरात व इन्जील नहीं पढ़ते, मगर है यह कि जो कुछ उनमें है उसपर अ़मल नहीं करते" (अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस् (30) हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने कअ़्ब अहबार से पूछा अरबाबे इल्म कौन हैं कहा वह जो जानते हैं उसपर अ़मल करते हैं। फ़रमाया किस चीज़ ने उलमा के क़ुलूब से इल्म को निकाल दिया कहा तमअ् ने। (यानी लालच ने) (दारमी)

हदीस् (31) मेरी उम्मत में कुछ लोग क़ुर्आन पढ़ेंगे और यह कहेंगे कि हम उमरा (मालदारों) के पास जाकर वहाँ से दुनिया हासिल करलें और अपने दीन को उनसे बचाये रखेंगे मगर ऐसा नहीं होगा जिस तरह क़ताद (एक कांटे वाला दरख़्त है) से नहीं लिया जाता मगर कांटा उसी तरह उमरा के क़ुर्ब से सिवा ख़ता के कुछ हासिल नहीं। (इब्ने माजा)

हदीस् (32) खुदा के नज़्दीक बहुत मबग़ूज़ क़ुर्रा(उलमा)वह हैं जो उमरा की मुलाक़ात को जाते हैं(इब्ने माजा)

हदीस् (33) अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर अहले इल्म, इल्म की हिफ़ाज़त करें और उसको अहल के पास रखें तो उसकी वजह से अहले ज़माना के सरदार होजायें मगर उन्होंने इल्म को दुनिया वालों के लिये ख़र्च किया ताकि उनसे दुनिया हासिल करें लिहाज़ा उनके सामने ज़लील होगये। मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है "जिसने तमाम फ़िक्रों को एक फ़िक्रे आख़िरत की फ़िक्र कर दिया, अल्लाह तआ़ला फ़िक्रे दुनिया से उसकी किफ़ायत फ़रमायेगा और जिसके लिये अहवाले दुनिया की फ़िक्रें मुतफ़र्रिक़ रहीं अल्लाह को उसकी कुछ परवाह नहीं कि वह किस वादी में हलाक हुआ।(इब्ने माजा)

हदीस (34) जिससे इल्म की कोई बात पूछी गई और उसने नहीं बताई उसके मुँह में क़ियामत के दिन आग की लगाम लगादी जायेगी। (अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस (35) जिसने इल्म को इस लिये तलब किया कि उलमा से मुक़ाबला करेगा या जाहिलों से झगड़ा करेगा इसलिये कि लोगों को अपनी तरफ़ मुतवज्जेह करेगा, अल्लाह तआ़ला उसे जहन्नम में दाख़िल कर देगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस (36) जो इल्म अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल करने के लिये है (यानी इल्मे दीन) उसको जो शख़्स इस लिये हासिल करे कि मताए़ दुनिया (दुनिया का सामान) मिलजाये उसको क़ियामत के दिन जन्नत की ख़ुशबू नहीं मिलेगी। (अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा)

हदीस (37) वअ़्ज़ नहीं कहता, मगर अमीर या मामूर या मुतकब्बिर यानी वअ़्ज़ कहना अमीर का काम है या वह किसी को हुक्म करदे कि वह कहे और उनके सिवा जो कोई कहता है वह तलबे जाह व तलबे दुनिया के लिये है। (अबूदाऊद)

हदीस (38) जिसको बिग़ैर इल्म फ़तवा दिया गया तो उसका गुनाह उस फ़तवा देने वाले पर है और जिसने अपने भाई को मशवरा दिया और यह जानता है कि भलाई उसके ग़ैर में है उसने ख़्यानत की। (अबूदाऊद)

हदीस (39) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ़ नज़र उठाई फिर यह फ़रमाया कि यह वह वक़्त है कि लोगों से इल्म जुदा करदिया जायेगा यहाँ तक कि इल्म की किसी बात पर क़ादिर नहीं होंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस (40) अल्लाह तआ़ला इल्म को इस तरह नहीं क़ब्ज़ करेगा कि लोगों के सीनों से जुदा करले बल्कि इल्म का क़ब्ज़ करना उलमा के क़ब्ज़ करने से होगा जब आ़लिम बाक़ी न रहेंगे जाहिलों को लोग सरदार बनालेंगे, वह बिग़ैर इल्म फ़तवा देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस (41) बदतर से बदतर बुरे उलमा हैं और बेहतर से बेहतर अच्छे उलमा हैं। (दारमी)

हदीस (42) इल्म की आफ़त निस्यान (भूल) है और ना'अहल से इल्म की बात कहना इल्म को ज़ाइअ़ करना है। (दारमी)

हदीस (43) इब्ने सीरीन ने फ़रमाया यह इल्मे दीन है तुम्हें देखना चाहिए कि किससे अपना दीन लेते हो।

मसअ्ला.1:– अपने बच्चे को क़ुर्आन व इल्म पढ़ने पर मजबूर कर सकता है, यतीम बच्चे को उस चीज़ पर मार सकता है जिस पर अपने बच्चे को मारता है। (रद्दुल'मुहतार) क्योंकि अगर यतीम बच्चे को मुतलक़ुल'इनान (यानी बिल्कुल आज़ाद) छोड़दिया जाये तो इल्म व अदब से बिल्कुल कोरा रह जायेगा और उ़मूमन बच्चे बिग़ैर तम्बीह क़ाबू में नहीं आते और जब तक उन्हें ख़ौफ़ न हो कहना नहीं मानते मगर मारने का मक़सद सहीह होना ज़रूर है ऐसे ही मौक़ा पर फ़रमाया गया।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ "अल्लाह को मालूम है कि कौन मुफ़सिद है और कौन मुसलेह"

इसी तरह असातिज़ा भी बच्चों को न पढ़ने या शरारत करने पर सज़ायें दे सकते हैं मगर वह कुल्लिया उनके पेशे नज़र भी होना चाहिए कि अपना बच्चा होता तो उसे भी इतनी ही सज़ा देते बल्कि ज़ाहिर तो यह है कि हर शख़्स को अपने बच्चे की तर्बियत व तअ़लीम का जितना ख़याल होता है दूसरे का उतना ख़्याल नहीं होता तो अगर इस काम पर अपने बच्चे को न मारा या कम मारा और दूसरे बच्चे को ज़्यादा मारा तो मालूम हुआ कि यह मारना महज़ ग़ुस्सा उतारने के लिये है सुधारना मक़सूद नहीं वरना अपने बच्चे के सुधारने का ज़्यादा ख़याल होता।

मसअ्ला.2:– आ़लिम अगर्चे जवान हो बूढ़े जाहिल पर फ़ज़ीलत रखता है लिहाज़ा चलने और बैठने में गुफ़्तुगू करने में बूढ़े जाहिल को आ़लिम पर तक़द्दुम करना न चाहिए यानी बात करने का मौक़ा

हो तो उससे पहले कलाम यह न शुरूअ् करे न आलिम से आगे चले न मुमताज़ जगह पर बैठे, आलिम ग़ैर क़र्शी, क़र्शी ग़ैर आलिम पर फ़ज़ीलत रखता है। आलिम का हक़ ग़ैर आलिम पर वैसा ही है जैसा उस्ताज़ का हक़ शागिर्द पर है। आलिम अगर कहीं चला भी जाये तो उसकी जगह पर ग़ैर आलिम को बैठना न चाहिए। शौहर का हक़ औरत पर इस से भी ज़्यादा है कि औरत को शौहर की हर ऐसी चीज़ में जो मुबाह हो ताअ़त करनी पड़ेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– दीने हक़ की हिमायत के लिये मुनाज़रा करना जाइज़ है बल्कि इबादत है और अगर इस लिये मुनाज़रा करता है कि किसी मुस्लिम को मग़लूब करदे या इस लिये कि उसका आलिम होना लोगों पर ज़ाहिर होजाये या दुनिया हासिल करना मक़सूद है माल मिलेगा या लोगों में मक़बूलियत हासिल होगी यह ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– मुनाज़रे में अगर मुनाज़िर तलबे हक़ के लिये मुनाज़रा करता है या उसका यह मक़सूद नहीं मगर बेजा ज़िद और हट नहीं करता इन्साफ़ पसन्दी से काम लेता है जब तो उसके साथ हीला करना जाइज़ नहीं और अगर महज़ उसका मक़सूद ही यह है कि अपने मुक़ाबिल को मग़लूब करदे और हरादे जैसाकि इस ज़माने में अकस्र बद'मज़हब इसी क़िस्म का मुनाज़रा करते हैं तो उसके मक्र और दाव से अपने को बचाना ही चाहिए ऐसे मौक़े पर उसके कैद (दाव) से बचने की तर्कीबें कर सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मिम्बर पर चढ़कर वअ़्ज़ व नसीहत करना अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और अगर तज़कीर व वअ़्ज़ से माल व जाह मक़सूद हो तो यह यहूद व नसारा का तरीक़ा है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– वअ़्ज़ कहने में बे'अस्ल बातें बयान कर देना मस्लन अहादीस् में अपनी तरफ़ से कुछ जुमले मिलादेना या उनमें कुछ ऐसी कमी कर देना जिससे हदीस् के मअ़्ना बिगड़ जायें जैसाकि इस ज़माने के अकस्र मुक़र्रिरीन की तक़रीरों में ऐसी बातें ब'कस्रत पाई जाती हैं कि मजमा पर अस्र डालने के लिये ऐसी हरकतें कर डालते हैं ऐसी वअ़्ज़'गोई ममनूअ् है। इसी तरह यह भी ममनूअ् है कि दूसरों को नसीहत करता है और खुद उन बातों में आलूदा है उसको सबसे पहले अपनी ज़ात को नसीहत करनी चाहिए और अगर वाइज़ ग़लत बातें बयान नहीं करता और न उस क़िस्म कर कमी बेशी करता है बल्कि अल्फ़ाज़ व तक़रीर में लताफ़त और शिस्तगी का ख़याल रखता है ताकि अस्र अच्छा पड़े लोगों पर रिक़्क़त तारी हो और क़ुर्आन व हदीस के फ़वाइद और निकात को शरह व बस्त के साथ बयान करता है तो यह अच्छी चीज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मुअ़ल्लिम ने बच्चों से कहा कि तुम लोग अपने अपने घरों से चटाई के लिये पैसे लाओ पैसे इकट्ठे हुए कुछ पैसों की चटाईयाँ लाया और कुछ खुद रखलिये जो अपने काम में सर्फ़ करेगा ऐसा कर सकता है क्योंकि बच्चों के बाप वग़ैरा इस क़िस्म के पैसे इस ग़र्ज़ से देते हैं कि बच रहेगा तो वह मियाँजी का होगा वह हरगिज़ उम्मीदवार नहीं रहते कि जो कुछ बचेगा वापस मिलेगा और जान'बूझकर उससे ज़्यादा दिया करते हैं जितने की ज़रूरत है उससे मालूम होता है कि उनका मक़सद इस रक़म ज़ाइद की तमलीक (मालिक बनादेना) है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– आलिम अगर अपना आलिम होना लोगों पर ज़ाहिर करे तो इसमें हरज नहीं मगर यह ज़रूर है कि तफ़ाख़ुर के तौर पर यह इज़्हार न हो कि तफ़ाख़ुर हराम है बल्कि महज़ तहदीसे नेअ़्मते इलाही के लिये यह इज़्हार हो और यह मक़सद हो कि जब लोगों को ऐसा मअ़्लूम होगा तो इस्तिफ़ादा करेंगे कोई दीन की बात पूछेगा और कोई पढ़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– तलबे इल्म अगर अच्छी नियत से हो तो हर अ़मले ख़ैर से यह बेहतर है क्योंकि उस का नफ़अ् सबसे ज़्यादा है मगर यह ज़रूरी है कि फ़राइज़ की अन्जाम देही में ख़लल व नुक़सान न हो। अच्छी नियत का यह मतलब है कि रज़ा–ए–इलाही और आख़िरत के लिये इल्म सीखे तलबे दुनिया व तलबे जाह न हो और तालिब का अगर मक़सद यह हो कि मैं अपने से जिहालत को दूर

करूँ और मख़्लूक़ को नफ़अ् पहुँचाऊं या पढ़ने से मक़सूद इल्म का एहया (ज़िन्दा रखना) है मसलन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है मैं भी न पढ़ूँ तो इल्म मिट जायेगा यह नियतें भी अच्छी हैं और अगर तसहीहे नियत पर क़ादिर न हो जब भी न पढ़ने से पढ़ना अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– आ़लिम व मुतअ़ल्लिम को इल्म में बुख़्ल न करना चाहिए मस्लन उस से आ़रियत के तौर पर कोई किताब मांगी या उससे कोई मसअ्ला समझना चाहे तो इन्कार न करे किताब देदे मसअ्ला समझादे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं जो शख़्स इल्म में बुख़्ल करेगा तीन बातों में से किसी में मुब्तला होगा या वह मरजायेगा और उसका इल्म जाता रहेगा या बादशाह की त़रफ़ से बला में मुब्तला होगा, या इल्म भूल जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– आ़लिम व मुतअ़ल्लिम को इल्म की तौक़ीर करनी चाहिए यह न हो कि ज़मीन पर किताबें रखे, पाख़ाना पेशाब के बाद किताबें छूना चाहे तो वुज़ू कर लेना मुस्तहब है, वुज़ू न करे तो हाथ ही धोले, अब किताबें छुये और यह भी चाहिए कि ऐश'पसन्दी में न पड़े खाने, पहनने, रहने, सहने, में मअ़मूली ह़ालत इख़्तियार करे। औरतों की त़रफ़ ज़्यादा तवज्जोह न रखे, मगर यह भी न हो कि इतनी कमी करदे कि तक़लीले ग़िज़ा और कम ख़्वाबी में अपनी जिस्मानी ह़ालत ख़राब करदे और अपने को कमज़ोर करदे कि ख़ुद अपने नफ़्स का भी ह़क़ है और बीवी बच्चों का भी ह़क़ है सब का ह़क़ पूरा करना चाहिए। आ़लिम व मुतअ़ल्लिम को यह भी चाहिए कि लोगों से मेल जोल कम रखें और फ़ुज़ूल बातों में न पड़ें और पढ़ने पढ़ाने का सिल्सिला बराबर जारी रखें, दीनी मसाइल में मुज़ाकरा करते रहें, कुतुब बीनी करते रहें, किसी से झगड़ा होजाये तो नर्मी और इन्साफ़ से काम लें, जाहिल और उसमें उस वक़्त भी फ़र्क़ होना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– उस्ताज़ का अदब करे उसके हुक़ूक़ की मुहाफ़ज़त करे और माल से उसकी ख़िदमत करे और उस्ताद से कोई ग़ल्ती होजाये तो उसमें पैरवी न करे। उस्ताज़ का ह़क़ माँ, बाप और दूसरे लोगों से ज़्यादा जाने उसके साथ तवाज़ोअ् से पेश आये जब उस्ताज़ के मकान पर जाये तो दरवाज़े पर दस्तक न दे बल्कि उसके बर'आमद होने का इन्तिज़ार करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– ना'अहलों को इल्म न पढ़ाये और जो उसके अहल हों उनकी तअ़लीम से इन्कार न करे कि ना'अहलों का पढ़ाना इल्म को ज़ाइअ् करना है और अहल को न पढ़ाना ज़ुल्म व जोर है।(आलमगीरी) ना'अहल से मुराद वह लोग हैं जिनकी निस्बत मालूम है कि इल्म के हुक़ूक़ को महफ़ूज़ न रख सकेंगे पढ़कर छोड़देंगे जाहिलों के'से अफ़आ़ल करेंगे या लोगों को गुमराह करेंगे या उ़लमा को बदनाम करेंगे।

मसअ्ला.14:– मुअ़ल्लिम अगर स़वाब ह़ासिल करना चाहता है तो पाँच बातें उस पर लाज़िम हैं (1)तअ़लीम पर उजरत लेना शर्त न करे अगर कोई ख़ुद कुछ देदे तो लेले वरना कुछ न कहे (2)बा'वज़ू रहे (3)ख़ैर ख़्वाहाना तअ़लीम दे तवज्जोह के साथ पढ़ाये (4)लड़कों में झगड़ा हो तो अ़द्ल व इन्स़ाफ़ से काम ले यह न हो कि मालदारों के बच्चों की त़रफ़ ज़्यादा तवज्जोह करे और ग़रीबों के बच्चों की त़रफ़ कम। (5)बच्चों को ज़्यादा न मारे मारने में ह़द से तजावुज़ करेगा तो क़ियामत के रोज़ मुह़ासबा देना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– **एक शख़्स** ने नमाज़ वग़ैरा के मसाइल इस लिये सीखे कि दूसरे लोगों को सिखाये, बतायेगा और **दूसरे ने** इस लिये सीखे कि उनपर ख़ुद अ़मल करेगा पहला शख़्स इस दूसरे से अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार) यानी जब कि पहले का यह मक़सद हो कि अ़मल भी करेगा और तअ़लीम भी देगा या यह कि महज़ तहसीले इल्म में अव्वल को दूसरे पर फ़ज़ीलत है क्योंकि पहले का मक़सद दूसरों को फ़ाइदा पहुँचाना और दूसरे का मक़सद सिर्फ़ अपने को फ़ाइदा पहुँचाना है।

मसअ्ला.16:– घड़ी भर इल्मे दीन के मसाइल में मुज़ाकरा और गुफ़्तगू करना सारी रात इबादत करने से अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– कुछ क़ुर्आन मजीद याद कर चुका है और उसे फ़ुरस़त है तो अफ़ज़ल यह है कि

इल्म फ़िक़्ह सीखे कि क़ुर्आन मजीद हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और फ़िक़्ह की ज़रूरी बातों का जानना फ़र्ज़ेऐन है। (रद्दुलमुहतार)

रिया व सुमआ़ का बयान

रिया यानी दिखावे के लिए काम करना और सुमआ़ यानी इस लिये काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे यह दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं उनकी वजह से इबादत का स़वाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह होता है और यह शख़्स़ मुस्तहक़े अ़ज़ाब होता है।

क़ुर्आन मजीद में इरशाद हुआ।

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ﴾

"ऐ ईमान वालो अपने स़दक़ात को एहसान जताकर और अज़ियत देकर बातिल न करो उस शख़्स की त़रह जो दिखावे के लिये माल ख़र्च करता है"।

और इरशाद हुआ

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا﴾

"जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे"

इस की तफ़सीर में मुफ़स्सेरीन ने यह लिखा है कि रिया न करे कि वह एक क़िस्म का शिर्क है।

और फ़रमाता है।

﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرائون ويمنعون الماعون﴾

"वैल है उन नमाज़ियों के लिये जो नमाज़ से गफ़लत करते हैं, जो रिया करते हैं और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते हैं"

﴿فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾

अल्लाह की इबादत इस त़रह कर कि दीन को उस के लिये ख़ालिस कर, आगाह हो जाओ कि दीन ख़ालिस अल्लाह के लिये है।

और फ़रमाता है।

﴿وَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا﴾

"और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिये ख़र्च करते हैं और न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न पिछले दिन पर और जिसका साथी शैतान हुआ तो बुरा साथी हुआ"।

अह़ादीस़ उसकी मज़म्मत में बहुत हैं बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस़ (1) इब्ने माजा ने अबू सईद ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हम लोग मसीह़ दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और यह फ़रमाया कि "मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की ख़बर न दूँ जिसका मसीह़ दज्जाल से भी ज़्यादा मेरे नज़्दीक तुम पर ख़ौफ़ है" हमने कहा हाँ या रसूलल्लाह इरशाद फ़रमाया "वह शिर्के ख़फ़ी है आदमी नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है और इस वजह से ज़्यादा करता है कि यह देखता है कि दूसरा शख़्स़ उसे नमाज़ पढ़ते देख रहा है"।

हदीस़ (2) इमाम अह़मद ने मुह़म्मद इब्ने लबीद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस चीज़ का तुम पर ज़्यादा ख़ौफ़ है वह शिर्के अस़ग़र है"। लोगों ने अ़र्ज़ की शिर्के अस़ग़र क्या चीज़ है इरशाद फ़रमाया कि रिया है बैहक़ी ने इस ह़दीस़ में इतना ज़्यादा किया कि जिस दिन बन्दों के अअ़्माल का बदला दिया जायेगा रिया करने वालों से अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा उनके पास जाओ जिनके दिखावे के लिये काम करते थे जाकर देखो कि वहाँ तुम्हें कोई बदला और ख़ैर मिलता है"।

हदीस़ (3) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूसईद इब्ने अबी फ़ज़ाला रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब अल्लाह तआ़ला तमाम अव्वलीन व आख़िरीन को उस दिन जमअ़ फ़रमायेगा जिसमें शक नहीं तो एक मुनादी निदा करेगा जिसने कोई काम अल्लाह के लिये किया और उसमें किसी को शरीक कर लिया वह अपने अ़मल का स़वाब उसी शरीक से त़लब करे क्योंकि अल्लाह तआ़ला शिर्क से बिल्कुल बे'नियाज़ है"।

हदीस़ (4) स़ह़ीह़ मुस्लिम में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया "मैं तमाम शुरका में शिरकत से बे'नियाज़ हूँ, जिसने कोई अमल किया और उसमें मेरे साथ दूसरे को शरीक किया, मैं उसको शिर्क के साथ छोड़ दूँगा"। यानी उसका कुछ सवाब न दूँगा और एक रिवायत में है कि फ़रमाता है "मैं उससे बरी हूँ, वह उसी के लिये है जिसके लिये अमल किया"।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अम्वाल की तरफ़ नज़र नहीं फ़रमाता वह तुम्हारे और तुम्हारे दिल और तुम्हारे अअ्माल की तरफ़ नज़र करता है"।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जुन्दुब यानी अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो सुनाने के लिये काम करेगा अल्लाह तआला उसको सुनायेगा यानी उसकी सज़ा देगा और जो रिया करेगा अल्लाह तआला उसे रिया की सज़ा देगा"।

हदीस (7) तिब्रानी व हाकिम ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रिया का अदना मरतबा भी शिर्क है और तमाम बन्दों में खुदा के नज़्दीक वह ज़्यादा महबूब हैं जो परहेज़गार हैं जो छुपे हुए हैं अगर वह ग़ायब हों तो उन्हें कोई तलाश न करे और गवाही दें तो पहचाने न जायें वह लोग हिदायत के इमाम और इल्म के चिराग़ हैं"।

हदीस (8) इब्ने माजा ने रिवायत की कि एक रोज़ हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेगये। मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु को कब्रे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास रोता हुआ पाया हज़रत उमर ने फ़रमाया क्यों रोते हो हज़रत मआज़ ने कहा एक बात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी थी वह मुझे रुलाती है मैंने हुज़ूर को यह फ़रमाते सुना कि थोड़ासा रिया भी शिर्क है, और जो शख़्स अल्लाह के वली से दुश्मनी करे वह अल्लाह से लड़ाई करता है, अल्लाह तआला नेकों, परहेज़गारों, छुपे हुओं को दोस्त रखता है वह कि ग़ाइब हों तो ढुंडे न जायें, हाज़िर हों तो बुलाये न जायें और उनको नज़्दीक न किया जाये, उनके दिल हिदायत के चिराग़ हैं, हर गुबार आलूद तारीक से निकल जाते हैं यानी मुश्किलात और बलाओं से अलग होते हैं।

हदीस (9) इमाम बुख़ारी ने अबू'तमीमा से रिवायत की कहते हैं कि सफ़वान और उनके साथियों के पास मैं हाज़िर था जुन्दुब उनको नसीहत कर रहे थे उन्होंने कहा तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ सुना हो तो बयान करो जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना "जो सुनाने के लिये अमल करेगा अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसे सुनायेगा यानी सज़ा देगा और जो मशक़्क़त डालेगा अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसपर मशक़्क़त डालेगा उन्होंने कहा हमें वसियत कीजिये फ़रमाया सबसे पहले इन्सान का पेट सड़ेगा लिहाज़ा जिससे होसके कि पाकीज़ा माल के सिवा कुछ न खाये वह यही करे और जिससे होसके कि उसके और जन्नत के दरम्यान चुल्लू भर ख़ून हाइल न हो वह यह करे यानी किसी को नाहक़ क़त्ल न करे"।

हदीस (10) इमाम अहमद ने शद्दाद इब्ने औस से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "जिसने रिया के साथ नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया और जिसने रिया के साथ रोज़ा रखा उसने शिर्क किया और जिसने रिया के साथ सदक़ा दिया उस ने शिर्क किया"।

हदीस (11) इमाम अहमद ने शद्दाद इब्ने औस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि यह रोए किसी ने पूछा क्यों रोते हैं कहा कि एक बात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी थी वह याद आगई उसने मुझे रुला दिया हुज़ूर को मैंने यह फ़रमाते सुना कि "मैं अपनी

उम्मत पर शिर्क और शहवते ख़ुफ़िया का अन्देशा करता हूँ मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह क्या अपकी उम्मत आपके बा़द शिर्क करेगी फ़रमाया हाँ मगर वह लोग आफ़ताब व माहताब और पत्थर और बुत को नहीं पूजेंगे बल्कि अपने अअ़्माल में रिया करेंगे और शहवते ख़ुफ़्या यह कि सुबह़ को रोज़ा रखेगा फिर किसी ख़्वाहिश से रोज़ा तोड़ देगा।

ह़दीस् (12) इमाम अह़मद व मुस्लिम व निसाई ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे पहले क़ियामत के दिन एक शख़्स का फ़ैस़ला होगा जो शहीद हुआ है वह ह़ाज़िर किया जायेगा अल्लाह तआ़ला अपनी नेअ़्मतें दरयाफ़्त करेगा वह नेअ़्मतों को पहचानेगा यानी इक़रार करेगा इरशाद फ़रमायेगा कि उन नेअ़्मतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अ़मल किया है वह कहेगा मैंने तेरी राह में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हुआ अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा तू झूटा है तूने इस लिये क़िताल किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें सो कहलिया गया हुक्म होगा उसको मुँह के बल घसीटकर जहन्नम में डालदिया जायेगा और एक वह शख़्स जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और क़ुर्आन पढ़ा वह ह़ाज़िर किया जायेगा उससे नेअ़्मतों को दरयाफ़्त करेगा वह नेअ़्मतों को पहचानेगा फ़रमायेगा उन नेअ़्मतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अ़मल किया है कहेगा मैंने तेरे लिए इल्म सीखा और सिखाया और क़ुर्आन पढ़ा, फ़रमायेगा तू झूठा है तूने इल्म इस लिये पढ़ा कि तुझे आ़लिम कहा जाये और क़ुर्आन इस लिये पढ़ा कि तुझे क़ारी कहा जाये सो तुझे कह लिया गया हुक्म होगा मुँह के बल घसीटकर जहन्नम में डालदिया जायेगा। फिर एक तीसरा शख़्स लाया जायेगा जिसको ख़ुदा ने वुस्अ़त दी है और हर क़िस्म का माल दिया है उससे अपनी नेअ़्मतें दरयाफ़्त फ़रमायेगा वह नेअ़्मतों को पहचानेगा फ़रमायेगा तूने उनके मुक़ाबिल क्या किया अ़र्ज़ क़रेगा मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें ख़र्च करना तुझे मह़बूब है मगर मैंने उसमें तेरे लिये ख़र्च किया फ़रमायेगा तू झूटा है तूने इस लिये ख़र्च किया कि सख़ी कहा जाये सो कह लिया गया उसके मुतअ़ल्लिक़ भी हुक्म होगा मुँह के बल घसीटकर जहन्नम में डालदिया जायेगा"।

ह़दीस् (13) बुख़ारी ने तारीख़ में और तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह की पनाह मांगो 'जब्बुलहुज़्न' से यह जहन्नम में एक वादी है कि जहन्नम भी हर रोज़ चार सौ मरतबा इससे पनाह मांगता है इसमें क़ारी दाख़िल होंगे जो अपने अअ़्माल में रिया करते हैं और ख़ुदा के बहुत ज़्यादा मबग़ूज़ वह क़ारी हैं जो उमरा की मुलाक़ात को जाते हैं"।

ह़दीस् (14) त़िब्रानी औसत़ में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स आख़िरत के अ़मल से आरास्ता हो और वह न आख़िरत का इरादा करता है न आख़िरत का त़ालिब है उसपर आसमान व ज़मीन में लअ़्नत है"।

ह़दीस् (15) ह़कीम ने इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरी उम्मत में शिर्क चींटी की चाल से भी ज़्यादा मख़्फ़ी है जो चिकने पत्थर पर चलती है"।

ह़दीस् (16) इमाम अह़मद व त़िब्रानी ने अबूमूसा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ लोगो! शिर्क से बचो क्योंकि वह चींटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा है लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह किस त़रह़ शिर्क से बचें इरशाद फ़रमाया कि यह दुआ पढ़ो"।

﴿اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ﴾

"इलाही हम तेरी पनाह मांगते हैं उनसे कि जानकर हम तेरे साथ किसी चीज़ को शरीक करें और हम उससे इस्तिग़फ़ार करते हैं जिसको नहीं जानते"।

ह़दीस् (17) त़िबरानी ने अ़दी बिन ह़ातिम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "कुछ लोगों को जन्नत का हुक्म होगा जब जन्नत के

क़रीब पहुँच जायेंगे और उसकी ख़ुश्बू सूंघेंगे और महल और जो कुछ जन्नत में अल्लाह तआ़ला ने जन्नतियों के लिये सामान तैयार कर रखा है देखेंगे पुकारा जायेगा कि उन्हें वापस करो जन्नत में उनके लिये कोई हिस्सा नहीं यह लोग हसरत के साथ वापस होंगे कि ऐसी हसरत किसी को नहीं हुई और यह लोग कहेंगे कि ऐ रब! अगर तूने हमें पहले ही जहन्नम में दाख़िल कर दिया होता हमें तूने सवाब और जो कुछ अपने औलिया के लिये जन्नत में मुहय्या किया है न दिखाया होता तो यह हम पर आसान होता इरशाद फ़रमायेगा हमारा मक़सद ही यह था ऐ बद बख़्तो! जब तुम तन्हा होते थे तो बड़े बड़े गुनाहों से मेरा मुक़ाबला करते थे और जब लोगों से मिलते थे तो ख़ुशूअ़ के साथ मिलते जो कुछ दिल में मेरी तअ़ज़ीम करते उसके ख़िलाफ़ लोगों पर ज़ाहिर करते लोगों से तुम डरे मुझसे न डरे, लोगों की तअ़ज़ीम की और मेरी तअ़ज़ीम नहीं की, लोगों के लिये गुनाह छोड़े मेरे लिये नहीं छोड़े, लिहाज़ा तुमको आज अ़ज़ाब चखाऊँगा और सवाब से महरूम करूँगा।

हदीस (18) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसकी नियत तलबे आख़िरत है अल्लाह तआ़ला उसके दिल में ग़िना पैदा करदेगा और उसकी हाजतें जमअ़ करदेगा और दुनिया ज़लील होकर उसके पास आयेगी और तलबे दुनिया जिसकी नियत हो अल्लाह तआ़ला फ़क़्र व मोहताजी उसकी आँखों के सामने करदेगा और उसके कामों को मुतफ़र्रिक़ कर देगा और मिलेगा वही जो उसके लिये लिखा जा चुका है"।

हदीस (19) सहीह मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि यह फ़रमाईये कि आदमी अच्छा काम करता है और लोग उसकी तअ़रीफ़ करते हैं (यह रिया है या नहीं) फ़रमाया "यह मोमिन के लिये जल्द यानी दुनिया में बशारत है"।

हदीस (20) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपने मकान के अन्दर नमाज़ की जगह में था एक शख़्स आगया और यह बात मुझे पसन्द आई उसने मुझे इस हाल में देखा (यह रिया तो न हुआ) इरशाद फ़रमाया अबूहुरैरा तुम्हारे लिये दो सवाब हैं पोशीदा इबादत करने का और एलानिया का भी यह उस सूरत में है कि इबादत इस लिये नहीं की कि लोगों पर ज़ाहिर हो और लोग आ़बिद समझें इबादत ख़ालिसन अल्लाह के लिये है इबादत के बाद अगर लोगों पर ज़ाहिर होगई और तब्अ़न यह बात अच्छी मालूम होती है कि दूसरे ने अच्छी हालत पर पाया इस तबई मसर्रत से रिया नहीं।

हदीस (21) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आदमी की बुराई के लिये यह काफ़ी है कि दीन व दुनिया में उसकी तरफ़ उंगलियों से इशारा किया जाये मगर जिसको अल्लाह तआ़ला बचाये यानी जिसे लोग अच्छा समझते हों उसको रिया व अ़जाब से बचना बहुत मुश्किल होता है मगर ख़ुदा की ख़ास मेहरबानी जिस पर हो वही बचता है"।

मसअ्ला.1:– रोज़ादार से पूछा क्या तुम्हारा रोज़ा है उसे कह देना चाहिए कि हाँ है कि रोज़ा में रिया को दख़्ल नहीं यह न कहे कि देखता हूँ क्या होता है यानी ऐसे अलफ़ाज़ न कहे जिससे मालूम होता हो कि यह अपने रोज़े को छुपाता है कि यह बेवक़ूफ़ी की बात है कि छुपाता है मगर इस तरह जिससे इज़हार होंजाता है यह मुनाफ़िक़ीन का तरीक़ा है कि लोगों के सामने वह बताना चाहता है कि अपने अ़मल को छुपाता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– इबादत कोई भी हो उसमें इख़्लासे नियत ज़रूरी चीज़ है यानी महज़ रज़ा–ए–इलाही के लिये अ़मल करना ज़रूरी है दिखावे के तौर पर अ़मल करना बिलइजमाअ़ हराम है बल्कि हदीस में रिया को शिर्के असग़र फ़रमाया इख़्लास ही वह चीज़ है कि उसपर सवाब मुरत्तब होता है, हो सकता है कि अ़मल सहीह न हो मगर जब इख़्लास के साथ किया गया हो तो उसपर सवाब मुरत्तब हो। मसलन ला इल्मी में किसी ने नजिस पानी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ली अगर्चे यह नमाज़ सहीह न हुई कि सेहत की शर्त तहारत थी वह नहीं पाई गई मगर उसने सिद्क़ नियत और

इख़्लास के साथ पढ़ी है तो स्वाब का तरत्तुब है यानी उस नमाज़ पर स्वाब पायेगा मगर जब कि बाद में मालूम होगया कि नापाक पानी से वुज़ू किया था तो वह मुतालबा जो उसके ज़िम्मे है साक़ित (ख़त्म) न होगा वह ब'दस्तूर क़ाइम रहेगा उसको अदा करना होगा। और कभी शराइते सेहत पाये जायेंगे मगर स्वाब न मिलेगा मस्लन नमाज़ पढ़ी तमाम अरकान अदा किये और शराइत भी पाये गये मगर रिया के साथ पढ़ी तो अगर्चे उस नमाज़ की सेहत का हुक्म दिया जागे मगर चूंकि इख़्लास नहीं है स्वाब नहीं। रिया की दो सूरतें हैं कभी तो अस्ले इबादत ही रिया के साथ करता है कि मस्लन लोगों के सामने नमाज़ पढ़ता है और कोई देखने वाला न होता तो पढ़ता ही नहीं यह रिया–ए–कामिल है कि उसे इबादत का बिल्कुल स्वाब नहीं। दूसरी सूरत यह है कि अस्ले इबादत में रिया नहीं कोई होता न होता बहर हाल नमाज़ पढ़ता मगर वस्फ़ में रिया है कि कोई देखने वाला न होता जब भी पढ़ता मगर इस ख़ूबी के साथ न पढ़ता यह दूसरी क़िस्म पहली से कम दर्जे की है उसमें अस्ल नमाज़ का स्वाब है और ख़ूबी के साथ अदा करने का जो स्वाब है वह यहाँ नहीं कि यह रिया से है इख़्लास से नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.3:– किसी इबादत को इख़लास के साथ शुरूअ् किया मगर इसना–ए–अमल में रिया की मुदाख़लत होगई तो यह नहीं कहा जायेगा कि रिया से इबादत की बल्कि यह इबादत इख़्लास से हुई हाँ उसके बाद जो कुछ इबादत में हुस्न व ख़ूबी पैदा होगई वह रिया से होगी और यह रिया की क़िस्मे दोम ही शुमार होगी। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– रोज़े के मुतअ़ल्लिक़ बाज़ उलमा का यह क़ौल है कि उसमें रिया नहीं होता इसका ग़ालिबन यह मतलब होगा कि रोज़ा चन्द चीज़ों से बाज़ रहने का नाम है उसमें कोई काम नहीं करना होता जिसकी निस्बत कहा जाये कि रिया से किया वरना यह होसकता है कि लोगों को जताने के लिये यह कहता फिरता है कि रोज़ा से हूँ या लोगों के सामने मुँह बनाये रहता है ताकि लोग समझें कि इसका भी रोज़ा है इस तौर पर रोजा में भी रिया की मुदाख़लत हो सकती है(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– रिया की तरह उजरत लेकर कुर्आन मजीद की तिलावत भी है कि किसी मय्यित के लिये बग़र्ज़े ईसाले स्वाब कुछ लेकर तिलावत करता है कि यहाँ इख़्लास कहाँ बल्कि तिलावत से मक़सूद वह पैसे हैं कि वह नहीं मिलते तो पढ़ता भी नहीं इस पढ़ने में कोई स्वाब नहीं फिर मय्यित के लिये ईसाले स्वाब का नाम लेना ग़लत है कि जब स्वाब ही न मिला तो पहुँचायेगा क्या इस सूरत में न पढ़ने वाले को स्वाब न मय्यित को, बल्कि उजरत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार (रद्दुल'मुहतार) हाँ अगर इख़्लास के साथ किसी ने तिलावत की तो उसपर स्वाब भी है और उसका ईसाल भी होसकता है और मय्यित को इससे नफ़अ् भी पहुँचेगा बाज़ मरतबा पढ़ने वालों को पैसे नहीं दिये जाते मगर ख़त्म के बाद मिठाई तक़सीम होती है अगर इस मिठाई की ख़ातिर तिलावत की है तो यह भी एक क़िस्म की उजरत ही है कि जब एक चीज़ मशहूर होजाती है तो उसे भी मशरूत ही का हुक्म दिया जाता है उसका भी वही हुक्म है जो मज़कूर होचुका हाँ जो शख़्स यह समझता है कि मिठाई नहीं मिलती जब भी मैं पढ़ता वह इस हुक्म से मुस्तस्ना है और इस बात का ख़ुद वह अपने ही दिल से फ़ैसला कर सकता है कि मेरा पढ़ना मिठाई के लिये है या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये पंजआयत पढ़ने वाला अपना दोहरा हिस्सा लेता है यानी एक हिस्सा ख़ास पंजआयत पढ़ने का होता है और न मिले झगड़ता है, गोया यह ज़ाइद हिस्सा पंजआयत का मुआवज़ा है इससे भी यही निकलता है कि जिस तरह अजीर को उजरत न मिले तो झगड़ा कर लेता है उस तरह यह भी लेता है लिहाज़ा ब'ज़ाहिर इख़्लास नज़र नहीं आता वल्लाहु अअ्लमु बिस्सवाब।

मीलाद ख़्वाँ और वाइज़ भी दो हिस्से लेते हैं जब कि वअ़्ज़ में मिठाई तक़सीम होती है जिससे ज़ाहिर यही होता है कि एक हिस्सा अपने पढ़ने और तक़रीर करने का लेते हैं अगर वही हिस्सा यह भी लेते जो आम तौर पर तक़सीम होता है तो बहुत ख़ूब होता कि ज़रासी मिठाई के बदले अज्रे अज़ीम के ज़ाइअ् होने का शुब्ह न होता बाज़ जगह ख़ुसूसियत के साथ उनकी दअ़्वतें भी होती हैं कि उनको उसी हैसियत से खाना खिलाया जाता है कि यह पढ़ेंगे, बयान करेंगे यह मख़्सूस दअ़्वत भी उसी उजरत ही की हद में आती है हाँ अगर और लोगों की दअ़्वत भी हो तो यह नहीं कहा

जायेगा कि वअ़ज़ व तक़रीर का मुआवज़ा है उसी क़िस्म की बहुत सी सूरतें हैं जिनकी तफ़सील की चन्दाँ ज़रूरत नहीं यह मुख़्तसर बयान दीनदार मुत्तबेअ़ शरीअ़त के लिये काफ़ी है वह ख़ुद अपने दिल में इन्साफ़ कर सकता है कि कहाँ अ़मले ख़ैर की उजरत है और कहाँ नहीं।

मसअ्ला.6:– जो शख़्स ह़ज को गया और साथ में अम्वाले तिजारत (तिजारत का माल) भी लेगया अगर तिजारत का ख़याल ग़ालिब है यानी तिजारत करना मक़सूद है और वहाँ पहुँच जाऊँगा ह़ज भी कर लूँगा या दोनों पहलू बराबर हैं यानी सफ़र ही दोनों मक़सद से किया तो उन दोनों सूरतों में सवाब नहीं यानी जाने का सवाब नहीं अगर मक़सूद ह़ज करना है और यह कि मौक़ा मिल जायेगा तो माल भी बेच लूँगा तो ह़ज का सवाब है। इस तरह अगर जुमा पढ़ने गया और बाज़ार में दूसरे काम करने का भी ख़्याल है अगर असली मक़सद जुमा ही को जाना है तो उस जाने का सवाब है और अगर काम का ख़याल ग़ालिब है या दोनों बराबर तो जाने का सवाब नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– फ़राइज़ में रिया को दख़्ल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) उसका यह मतलब नहीं कि फ़राइज़ में रिया पाया ही नहीं जाता इस लिये कि जिस तरह नवाफ़िल को रिया के साथ अदा कर सकता है होसकता है कि फ़राइज़ को भी रिया के तौर पर अदा करे बल्कि मतलब यह है कि फ़र्ज़ अगर रिया के तौर पर अदा किया जब भी उसके ज़िम्मे से साक़ित होजायेगा, अगर्चे इख़्लास न होने की वजह से सवाब न मिले और यह मतलब भी होसकता है कि अगर किसी फ़र्ज़ अदा करने में रिया की मुदाख़लत का अन्देशा हो तो इस मुदाख़लत का एअ्तिबार करके फ़र्ज़ को तर्क न करे बल्कि फ़र्ज़ अदा करे रिया को दूर करने की और इख़्लास ह़ासिल होने की कोशिश करे।

ज़ियारते क़ुबूर का बयान

ज़ियारत के मुतअ़ल्लिक़ मसाइल हिस्सा चहारुम में बयान किये गये हैं।

ह़दीस् (1) सह़ीह़ मुस्लिम में बुरैदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैंने तुमको ज़्यारते क़ुबूर से मनअ़ किया था अब तुम क़बरों की ज़्यारत करो और मैंने तुमको क़ुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा खाने की मुमानअ़त की थी अब जब तक तुम्हारी समझ में आये रख सकते हो"।

ह़दीस् (2) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैंने तुमको ज़्यारते क़ुबूर से मनअ़ किया था अब तुम क़बरों की ज़्यारत करो कि वह दुनिया में बे'रग़बती का सबब है और आख़िरत याद दिलाती है"।

ह़दीस् (3) सह़ीह़ मुस्लिम में बुरैदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम लोगों को तअ़लीम देते थे कि "जब क़बरों के पास जायें यह कहें।

﴿اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ﴾

तर्जमा:– ऐ क़ब्रिस्तान वाले मोमिनों और मुसलमानों! तुम पर सलामती हो और इन्शाअल्लाहु तआ़ला हम तुमसे आ मिलेंगे हम अल्लाह से अपने लिये और तुम्हारे लिये आफ़ियत का सुवाल करते हैं।

ह़दीस् (4) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मदीने में क़ुबूर के पास गुज़रे तो उधर को मुँह करलिया और यह फ़रमाया।

﴿اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ﴾

तर्जमा:– ऐ क़ब्रिस्तान वालो तुम पर सलामती हो अल्लाह तआ़ला तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाये तुम हमसे पहले चले गये और हम तुम्हारे पीछे आने वाले है

ह़दीस् (5) सह़ीह़ मुस्लिम में ह़ज़रत आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कहती हैं कि जब मेरी बारी की रात होती हुज़ूर आख़िर शब में बक़ीअ़ को जाते और यह फ़रमाते।

﴿اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَاتُوْعَدُوْنَ غَداً مُّؤَجَّلُوْنَ وَ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ﴾

ह़दीस् (6) बैहक़ी ने शोअ़बुलईमान में मुह़म्मद इब्ने नोअ़मान से मुरसलन रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो अपने वालिदैन की दोनों या एक की हर जुमा में ज़ियारत करेगा उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी और नेकोकार लिखा जायेगा"।

ह़दीस् (7) ख़तीब ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स ऐसे की क़ब्र पर गुज़रे जिसे दुनिया में पहचानता था और उसपर सलाम करे तो वह मुर्दा उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब देता है"।

हदीस (8) इमाम अहमद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मैं अपने घर में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा हैं (यानी रौज़ा–ए–अतहर में) दाख़िल होती तो अपने कपड़े उतार देती (यानी ज़ाइद कपड़े जो ग़ैरों के सामने होने में सित्र पोशी के लिये ज़रूरी हैं) और अपने दिल में यह कहती कि यहाँ तो सिर्फ़ मेरे शौहर और मेरे वालिद हैं फिर जब मैं हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मदफ़ून हुए तो हज़रत उमर की हया की वजह से ख़ुदा की क़सम मैं वहाँ नहीं गई अच्छी तरह अपने ऊपर कपड़ों को लपेट कर।

मसअला.1:– ज़्यारते क़ुबूर जाइज़ व सुन्नत है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शोहदा–ए–उहुद की ज़्यारत को तशरीफ़ ले जाते और उनके लिये दुआ करते और यह फ़रमाया भी है कि तुम लोग क़ब्रों की ज़्यारत करो।

मसअला.2:– जिसकी क़ब्र की ज़्यारत को गया है उसकी ज़िन्दगी में अगर उसके पास मुलाक़ात को आता तो जितना नज़्दीक या दूर होता अब भी क़ब्र की ज़्यारत में उसी का लिहाज़ रखे।(आलमगीरी)

मसअला.3:– क़ब्र की ज़्यारत को जाना चाहे तो मुस्तहब यह है कि पहले अपने मकान में दो रकअ़त नमाज़ नफ़्ल पढ़े, हर रकअ़त में बादे फ़ातिहा, आयतुल'कुर्सी एक बार और कुल हु वल्लाहु तीन बार पढ़ें और उस नमाज़ का स़वाब मय्यित को पहुँचाये अल्लाह तआ़ला मय्यित की क़ब्र में नूर पैदा करेगा और उस शख़्स को बहुत बड़ा स़वाब अ़ता फ़रमायेगा, अब क़ब्रिस्तान को जाये रास्ते में ला'यानी बातों में मश्गूल न हो जब क़ब्रिस्तान पहुँचे जूतियाँ उतारदे और क़ब्र के सामने इस तरह खड़ा हो कि क़िब्ले को पीठ हो, मय्यित के चेहरे की तरफ़ मुँह और उसके बाद यह कहे।

﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ﴾

और 'सूरए फ़ातिहा' व 'आयतुलकुर्सी' व 'सूरए इज़ाज़ुलज़िलत' व अलहा'कुमुत्तकासुर पढ़े। सुरए मुल्क और दूसरी सुरतें भी पढ़ सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.4:– चार दिन ज़्यारत के लिये बेहतर हैं दो'शम्बा, पन्ज'शम्बा, जुमा, हफ़्ता, जुमा के दिन नमाज़े जुमा अफ़ज़ल है और हफ़्ता के दिन तुलूअ़ आफ़ताब तक और पन्ज'शम्बा को दिन के अव्वल वक़्त में और बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि पिछले वक़्त में अफ़ज़ल है मुतबर्रक रातों में ज़्यारते क़ुबूर अफ़ज़ल है मस्लन शबे'बरात, शबे'क़द्र, इसी तरह ईदैन के दिन और अशरा, ज़िलहिज्जा में भी बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअला.5:– क़ब्रिस्तान के दरख़्त का हुक्म यह है कि अगर वह दरख़्त क़ब्रिस्तान से पहले का है यानी ज़मीन को जब क़ब्रिस्तान बनाया गया उस वक़्त वह दरख़्त वहाँ मौजूद था तो जिसकी ज़मीन है उसी का दरख़्त है वह जो चाहे करे और अगर वह ज़मीन बंजर थी किसी की मिल्क न थी तो दरख़्त और ज़मीन का वह हिस्सा जिसमें दरख़्त है उसी पहली हालत पर है कि किसी की मिल्क नहीं और अगर क़ब्रिस्तान होने के बाद दरख़्त है और मालूम है कि फ़ुलाँ शख़्स ने लगाया है तो जिसने लगाया है उसका है मगर उसे यह चाहिए कि सदक़ा करदे और मालूम न हो कि किसने लगाया है बल्कि वह ख़ुद ही वहाँ जम गया है तो क़ाज़ी को उसके मुतअ़ल्लिक़ इख़्तियार है अगर क़ाज़ी की यह राय हो कि दरख़्त कटवाकर क़ब्रिस्तान पर ख़र्च करदे तो कर सकता है। (आलमगीरी)

ईसाले सवाब

मसअला.1:– ईसाले सवाब यानी क़ुर्आन मजीद या दुरूद शरीफ या कलिमा तय्यिबा या किसी नेक अमल का स़वाब दूसरे को पहुँचाना जाइज़ है इबादते मालिया, बदनिया फ़र्ज़ व नफ़्ल सबका स़वाब दूसरों को पहुँचाया जा सकता है ज़िन्दों के ईसाले स़वाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है कुतुबे फ़िक्ह व अक़ाइद में इसकी तसरीह मज़कूर है हिदाया और शरह अक़ाइद नस्फ़ी में उसका बयान मौजूद है उसको बिदअ़त कहना हट'धर्मी है हदीस से भी उस का जाइज़ होना साबित है हज़रत सअ़द रदियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का जब इन्तिक़ाल हुआ उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सअ़द की माँ का इन्तिक़ाल होगया कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है इरशाद फ़रमाया 'पानी' उन्होंने कुआँ खोदा और यह कि सअ़द की माँ

के लिये है मालूम हुआ कि ज़िन्दों के अअ्माल से मुर्दों को स्वाब मिलता है और फ़ायदा पहुँचता है अब रहीं तख़्सीसात मस्लन तीसरे दिन या चालीसवें दिन यह तख़्सीसात न शरई तख़्सीसात हैं न उनको शरई समझा जाता है, यह कोई भी नहीं जानता कि उसी दिन में स्वाब पहुँचेगा अगर किसी दूसरे दिन किया जायेगा तो नहीं पहुँचेगा। यह महज़ रिवाजी और उर्फ़ी बात है जो अपनी सुहूलत के लिये लोगों ने कर रखी है बल्कि इन्तिक़ाल के बाद ही से क़ुर्आन मजीद की तिलावत और ख़ैर, ख़ैरात का सिलसिला जारी होता है अकस्र लोगों के यहाँ उसी दिन से बहुत दिनों तक यह सिलसिला जारी रहता है उसके होते हुए क्योंकि कहा जा सकता है कि मख़्सूस दिन के सिवा दूसरे दिनों में लोग ना'जाइज़ जानते हैं यह महज़ इफ़्तिरा है जो मुसलमानों के सर बाँधा जाता है और ज़िन्दों मुर्दों को स्वाब से महरूम करने की बेकार कोशिश है। पस जब्कि हम असले कुल्ली बयान कर चुके तो जुज़ईयात के अहकाम खुद उसी कुल्लिया से मालूम होगये। **सोम** यानी तीजा जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है कि क़ुर्आन मजीद पढ़कर या कलिमाए तय्यिबा पढ़वाकर ईसाले स्वाब करते हैं और बच्चों और अहले हाजत को चने बताशे या मिठाईयाँ तक़सीम करते हैं और खाना पकवाकर फ़ुक़रा व मसाकीन को खिलाते हैं या उनके घरों पर भेजते हैं जाइज़ व बेहतर है। फ़िर हर पन्जशम्बा को हस्बे हैसियत खाना पकाकर ग़रीबों को देते या खिलाते हैं फिर चालीसवें दिन खाना खिलाते हैं फिर छः महीने पर ईसाले स्वाब करते हैं उसके बाद बर्सी होती है यह सब उसी ईसाले स्वाब की फ़ुरूअ़ हैं उसी में दाख़िल हैं मगर यह ज़रूरी है कि यह सब काम अच्छी नियत से किये जायें नुमाइशी न हों नुमूद मक़सूद न हो, वरना न स्वाब है न ईसाले स्वाब बाज़ लोग इस मौक़े पर अज़ीज़ व क़रीब और रिश्ते'दारों की दअ्वत करते हैं यह मौक़ा दअ्वत का नहीं बल्कि मोहताजों फ़क़ीरों को खिलाने का है जिससे मय्यित को स्वाब पहुँचे इसी तरह शबे बरात में हलवा पकता है और उसपर फ़ातिहा दिलाई जाती है हलवा पकाना भी जाइज़ है और उसपर फ़ातिहा भी उसी ईसाले स्वाब में दाख़िल। माहे रजब में बाज़ जगह सूरए मुल्क चालीस मर्तबा पढ़कर रोटियों या छुहारों पर दम करते हैं और उनको तक़सीम करते हैं और स्वाब मुर्दों को पहुँचाते हैं यह भी जाइज़ है। इसी माहे रजब में हज़रत जलाल बुख़ारी अलैहिर्रहमा के कूंडे होते हैं कि चावल या खीर पकवाकर कुंडों में भरते हैं और फ़ातिहा दिलाकर लोगों को खिलाते हैं यह भी जाइज़ है हाँ एक बात मज़मूम (बुरी) है वह यह है कि जहाँ कूंडे भरे जाते हैं वहीं खिलाते हैं वहाँ से हटने नहीं देते यह एक लग्व हरकत है मगर यह जाहिलों का तरीक़ा–ए–अमल है पढ़े लिखे लोगों में यह पाबन्दी नहीं। इसी तरह माहे रजब में बाज़ जगह हज़रत सय्यिदिना जअ्फ़र सादिक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु को ईसाले स्वाब के लिये पूरियों के कूंडे भरे जाते हैं और फ़ातिहा देकर खिलाते हैं यह भी जाइज़ मगर उसमें भी उसी जगह खाने की बाज़ों ने पाबन्दी कर रखी है यह बेजा पाबन्दी है। इस कूंडे के मुतअ़ल्लिक़ एक किताब भी है जिसका नाम 'दास्ताने अजीब' है उस मौक़े पर बाज़ लोग उसको पढ़वाते हैं उसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सुबूत नहीं वह न पढ़ी जाये फ़ातिहा दिलाकर ईसाले स्वाब करें। माहे मुहर्रम में दस दिनों तक ख़ुसूसन दसवीं को हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु व दीगर शोहदा–ए–करबला को ईसाले सवाब करते हैं कोई शर्बत पर फ़ातिहा दिलाता है कोई शीरबिरन्ज (चावलों की खीर) पर कोई मिठाई पर, कोई रोटी गोश्त पर, जिस पर चाहो फ़ातिहा दिलाओ जाइज़ है, उनको जिस तरह ईसाले स्वाब करो मन्दूब है बहुत से पानी और शर्बत की सबील लगा देते हैं, जाड़ों में चाय पिलाते हैं, कोई खिचड़ा पकवाता है जो कारे ख़ैर करो और स्वाब पहुँचाओ हो सकता है, इन सबको ना'जाइज़ नहीं कहा जा सकता बाज़ जाहिलों में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाए शोहदा–ए–करबला के दूसरों की फ़ातिहा न दिलाई जाये उनका यह ख़याल ग़लत है जिस तरह दूसरे दिनों में सब की फ़ातिहा हो सकती है उन दिनों में भी हो सकती है। माह रबीउ़ल'आख़िर की ग्यारहवीं तारीख़ बल्कि हर महीने की ग्यारहवीं को हुज़ूर सय्यिदिना ग़ौसे अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ातिहा दिलाई जाती है यह भी ईसाले स्वाब की एक सूरत है बल्कि ग़ौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु की जब कभी फ़ातिहा होती है किसी तारीख़ में हो अवाम उसे ग्यारहवीं की फ़ातिहा बोलते हैं माहे रजब की छठी

तारीख़ बल्कि हर महीने की छठी तारीख़ को हुज़ूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की फ़ातिहा भी ईसाले सवाब में दाख़िल है। अस्हाबे कहफ़ का तोशा या हुज़ूर गौसे अअ़ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु का तोशा या हज़रत शैख़ अहमद अब्दुलहक़ रुदौलवी क़ुद्दि'स सिर्रुहूल'अज़ीज़ का तोशा भी जाइज़ है और ईसाले सवाब में दाख़िल है।

मसअ्ला.2:– उर्से बुज़ुर्गाने दीने रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम अजमईन जो हर साल उनके विसाल के दिन होता है यह भी जाइज़ है उस तारीख़ में क़ुर्आन मजीद ख़त्म किया जाता है और सवाब उन बुज़ुर्ग को पहुँचाया जाता है या मीलाद शरीफ़ पढ़ा जाता है या वअ्ज़ कहा जाता है, बिल्जुमला ऐसे उमूर जो बाइसे सवाब व ख़ैर व बरकत हैं जैसे दूसरे दिनों में जाइज़ हैं उन दिनों में भी जाइज़ हैं हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर साल के अव्वल या आख़िर में शोहदा–ए–उहुद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम की ज़्यारत को तशरीफ़ लेजाते। हाँ यह ज़रूर है कि उर्स को लग्व व ख़ुराफ़ात चीज़ों से पाक रखा जाये जाहिलों को ना मशरूअ् हरकात से रोका जाये अगर मनअ् करने से बाज़ न आयें तो उन अफ़आ़ल के गुनाह उनके ज़िम्मे।

मजालिसे ख़ैर

मसअ्ला.1:– मीलाद शरीफ़ यानी हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की विलादते अक़्दस का बयान जाइज़ है उसी के ज़िम्न में उस मज्लिसे पाक में हुज़ूर के फ़ज़ाइल व मोअ्जिज़ात व सियर व हालात, हयात व रज़ाअ़त व बेअ्सत के वाक़िआत भी बयान होते हैं उन चीज़ों का ज़िक्र अहादीस में भी है और क़ुर्आन मजीद में भी अगर मुसलमान अपनी महफ़िल में बयान करें बल्कि ख़ास उन बातों के बयान करने के लिये महफ़िल मुन्अक़िद करें तो उसके ना'जाइज़ होने की कोई वजह नहीं इस मज्लिस के लिये लोगों को बुलाना और शरीक करना, ख़ैर की तरफ़ बुलाना है जिस तरह वअ्ज़ और जलसों के एअ्लान किये जाते हैं इश्तिहारात छपवाकर तक़सीम किये जाते हैं अख़बारात में उसके मुतअ़ल्लिक़ मज़ामीन शाइअ् किये जाते हैं और उनकी वजह से वह वअ्ज़ और जल्से ना'जाइज़ नहीं होजाते इसी तरह ज़िक्रे पाक के लिये बुलावा देने से उस मज्लिस को ना'जाइज़ व बिदअ़त नहीं कहा जा सकता इसी तरह मीलाद शरीफ़ में शीरीनी बांटना भी जाइज़ है, मिठाई बांटना बिर्र व सिला (नेकी व बदला मिलने का काम) है। जब यह महाफ़िल जाइज़ हैं तो शीरीनी तक़सीम करना जो एक जाइज़ फ़ेअ्ल था इस मज्लिस को ना'जाइज़ नहीं करदेगा। यह कहना कि लोग उसे ज़रूरी समझते हैं उस वजह से ना'जाइज़ है यह भी ग़लत है कोई भी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं जानता बहुत मरतबा मैंने ख़ुद देखा है कि मीलाद शरीफ़ हुआ और मिठाई नहीं तक़सीम हुई। और बिल'फ़र्ज़ उसे कोई ज़रूरी समझता भी हो तो उ़र्फ़ी ज़रूरी कहता होगा न कि शरअ़न उसको ज़रूरी जानता होगा। इस मज्लिस में ब'वक़्ते ज़िक्रे विलादत क़याम किया जाता है यानी खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं उ़लमा–ए–किराम ने इस क़याम को मुस्तहसन फ़रमाया है खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ना भी जाइज़ है बाज़ अकाबिर को इस मज्लिसे पाक में हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ भी हासिल हुआ है अगर्चे यह नहीं कहा जा सकता है कि हुज़ूर इस मौक़े पर ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं मगर किसी ग़ुलाम पर अपना करमे ख़ास फ़रमायें और तशरीफ़ लायें तो मुस्तबअ़द (दूर) भी नहीं।

मसअ्ला.2:– मज्लिसे मीलाद शरीफ़ में या दीगर मजालिस में वही रिवायात बयान की जायें जो साबित हों मौज़ूआ़त और गढ़े हुए क़िस्से हरगिज़ हरगिज़ बयान न किये जायें कि बजाए ख़ैर व बरकत ऐसी बातों के बयान करने में गुनाह होता है।

मसअ्ला.3:– मेअ्राज शरीफ़ के बयान के लिये मज्लिस मुन्अक़िद करना उनमें वाक़िआ़ मेअ्राज बयान करना जिस को रजबी शरीफ़ कहा जाता है जाइज़ है।

मसअ्ला.4:– यह मशहूर है कि शबे मेअ्राज में हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम नअ्लैने मुबारक पहने हुए अ़र्श पर गये और वाइज़ीन उसके मुतअ़ल्लिक़ एक रिवायत भी बयान करते हैं उसका सुबूत नहीं और यह भी साबित नहीं कि बरहना पा थे, लिहाज़ा इसके मुतअ़ल्लिक़ सुकूत करना मुनासिब है।

मसअ्ला.5:– ख़ुलफ़ाए राशेदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम की वफ़ात की तारीख़ों में मज्लिस मुन्अक़िद करना और उनके हालात व फ़ज़ाइल व कमालात से मुसलमानों को आगाह करना भी जाइज़ है कि वह हज़रात मुक़तदायाने अहले इस्लाम हैं उनकी ज़िन्दगी के कारनामे मुसलमानों के लिये मशअ़ले हिदायत हैं और उनका ज़िक्र बाइसे ख़ैर व बरकत और सबबे नुज़ूले रहमत है।

मसअ्ला.6:– रजब की 26 या 27 को रोज़े रखते हैं पहले को हज़ारी दूसरे को लख्खी कहते हैं यानी पहले में हज़ार रोज़े का सवाब और दूसरे में एक लाख का सवाब बताते हैं उन रोज़ों के रखने में मुज़ाइका नहीं मगर यह जो सवाब के मुतअल्लिक़ मशहूर है उसका सुबूत नहीं।

मसअ्ला.7:– अ़शराए मुहर्रम में मज्लिस मुन्अक़िद करना और वाक़िआ़ते करबला बयान करना जाइज़ है जब कि रिवायाते सहीहा बयान की जायें, उन वाक़िआत में सब्र व तहम्मुल, रज़ा व तस्लीम का बहुत मुकम्मल दर्स है और पाबन्दी अहकामे शरीअ़त व इत्तिबाअ़ सुन्नत का ज़बरदस्त अ़मली सुबूत है कि दीने हक़ की हिफ़ाज़त में तमाम अइज़्ज़ा व अक़रिबा व रुफ़क़ा और ख़ुद अपने को राहे ख़ुदा में कुर्बान किया और जज़अ़ व फ़ज़अ़ का नाम भी न आने दिया मगर उस मज्लिस में सहाबा किराम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम का भी ज़िक्रे ख़ैर होजाना चाहिए ताकि अहले सुन्नत और शीओं की मजालिस में फ़र्क़ व इम्तियाज़ रहे।

मसअ्ला.8:– तअ़ज़िया'दारी कि वाक़िआते करबला के सिल्सिले में तरह तरह के ढांचे बनाते और उनको हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु के रोज़ाए पाक की शबीह कहते हैं कहीं तख़्त बनाये जाते हैं कहीं ज़रीह (एक क़िस्म का ताज़िया) बनती है और अ़लम और शद्दे निकाले जाते हैं, ढोल, ताशे और क़िस्म क़िस्म के बाजे बजाये जाते हैं तअ़ज़ियों का बहुत धूम धाम से गश्त होता है, आगे पीछे होने में जाहिलयत के से झगड़े होते हैं, कभी दरख़्त की शाख़ें काटी जाती हैं कहीं चबूतरे खुदवाये जाते हैं, तअ़ज़ियों से मन्नतें मानी जाती हैं, सोने चाँदी के अ़लम चढ़ाये जाते हैं, हार फूल नारियल चढ़ाते हैं, वहाँ जूते पहनकर जाने को गुनाह जानते हैं, बल्कि इस शिद्दत से मनअ़ करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी मुमानअ़त नहीं करते, छतरी लगाने को बहुत बुरा जानते हैं, तअ़ज़ियों के अन्दर मसनूई क़बरें बनाते हैं, एक पर सब्ज़ ग़िलाफ़ और दूसरी पर सुर्ख़ ग़िलाफ़ डालते हैं, सब्ज़ ग़िलाफ़ वाली को हज़रत सय्यिदिना इमाम हसन रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की क़ब्र और सुर्ख़ ग़िलाफ़ वाली को हज़रते सय्यदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्र या शबीह बताते हैं, और वहाँ शर्बत, मालीदा वगैरा पर फ़ातिहा दिलवाते हैं यह तसव्वुर करके कि हज़रत इमाम आ़ली मक़ाम के रोज़ा और मुवाजहा अक़दस में फ़ातिहा दिला रहे हैं फिर यह तअ़ज़िया दसवीं तारीख़ को मसनूई करबला में लेजाकर दफ़्न करते हैं गोया यह जनाज़ा था जिसे दफ़्न कर आये फिर तीजा, दसवाँ, चालीसवाँ सब कुछ किया जाता है और हर एक ख़ुराफ़ात पर मुश्तमिल होता है। हज़रत क़ासिम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की मेहन्दी निकालते हैं गोया उनकी शादी हो रही है और मेहन्दी रचाई जायेगी और इसी तअ़ज़ीया'दारी के सिल्सिले में कोई पैक (क़ासिद) बनता है जिसके कमर से घुंघरू बन्धे होते हैं गोया यह हज़रत इमाम आ़ली मक़ाम का क़ासिद और हर'कारा है जो यहाँ से ख़त लेकर इब्ने ज़ियाद या यज़ीद के पास जायेगा और वह हरकारों की तरह भागा फिरता है किसी बच्चे को फ़क़ीर बनाया जाता है उसके गले में झोली डालते और घर घर उससे भीक मंगवाते हैं, कोई सक़्क़ा बनाया जाता है छोटीसी मश्क उसके कन्धे से लटकती है गोया यह दरया–ए–फुरात से पानी भर लायेगा, किसी अ़लम पर मश्क लटकती है और उसमें तीर लगा होता है गोया यह हज़रते अब्बास अ़लम'दार हैं कि फुरात से पानी ला रहे हैं और यज़ीदियों ने मश्क को तीर से छेद दिया है, इसी क़िस्म की बहुतसी बातें की जाती हैं यह सब लग़्व व ख़ुराफ़ात हैं उनसे हरगिज़ सय्यिदिना हज़रत इमामे हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ख़ुश नहीं यह तुम ख़ुद ग़ौर करो कि उन्होंने एहया–ए–दीन व सुन्नत के लिये यह ज़बर'दस्त कुर्बानियाँ कीं और तुमने मआ़ज़ल्लाह उसको बिदअ़ात का ज़रीआ़ बनालिया बाज़ जगह उसे तअ़ज़िया'दारी के सिल्सिला में बुराक़ बनाया जाता है जो अजीब किस्म का मुजस्समा होता है कि कुछ हिस्सा इन्सानी शक्ल का होता है और कुछ हिस्सा जानवर कासा शायद यह हज़रत इमाम आ़ली मक़ाम की सवारी

के लिये एक जानवर होगा कहीं दुलदुल बनता है कहीं बड़ी क़ब्रें बनती हैं बाज़ जगह आदमी, रीछ, बन्दर, लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते हैं जिनको इस्लाम तो इस्लाम इन्सानी तहज़ीब भी जाइज़ नहीं रखती, ऐसी बुरी ह़रकात, इस्लाम हरगिज़ जाइज़ नहीं रखता। अफ़सोस कि मह़ब्बते अहले बैते किराम का दअ़वा और ऐसी बेजा ह़रकतें यह वाक़िआ़ तुम्हारे लिये नसीह़त था और तुमने उसको खेल, तमाशा बनालिया इसी सिलसिले में नोह़ा व मातम भी होता है और सीना कोबी होती है इतनी ज़ोर–ज़ोर से सीना कूटते हैं कि वर्म होजाता है, सीना सुर्ख़ होजाता है बल्कि बाज़ जगह ज़न्ज़ीरों और छुरियों से मातम करते हैं कि सीने से ख़ून बहने लगता हैं तअ़ज़ियों के पास मर्सिया पढ़ा जाता है और तअ़ज़िया जब गश्त को निकलता है उस वक़्त भी उसके आगे मर्सिया पढ़ा जाता है, मर्सिया में ग़लत वाक़िआत नज़्म किये जाते हैं अहले बैते किराम की बे हुरमती और बे'सब्री और जज़अ़ व फ़ज़अ़ का ज़िक्र किया जाता है और चूंकि अकसर मर्सिया राफ़ज़ियों ही के हैं बाज़ में तबर्रा भी होता है मगर उस रौ में सुन्नी भी उसे बे'तकल्लुफ़ पढ़ जाते हैं और उन्हें उसका ख़याल भी नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं। यह सब ना'जाइज़ और गुनाह के काम हैं।

मसअला.9:– इज़हारे ग़म के लिये सर के बाल बिखेरते हैं, कपड़े फाड़ते और सर पर खाक डालते और भूसा उड़ाते हैं यह भी ना'जाइज़ और जाहिलयत के काम हैं। उनसे बचना निहायत ज़रूरी है अह़ादीस में उनकी सख़्त मुमानअ़त आई है। मुसलमानों पर लाज़िम है कि ऐसे उमूर से परहेज़ करें और ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह और रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम राज़ी हों कि यही निजात का रास्ता है।

मसअला.10:– तअ़ज़ियों और अ़लम के साथ बाज़ लोग लंगर लुटाते हैं या'नी रोटियाँ या बिस्किट या और कोई चीज़ ऊँची जगह से फेंकते हैं यह ना'जाइज़ है कि रिज़्क की सख़्त बे'हुरमती होती है यह चीज़ें कभी नालियों में भी गिरती हैं और अकसर लूटने वालों के पाँवों के नीचे भी आती हैं और बहुत कुछ कुचल कर ज़ाइअ़ होती हैं अगर यह चीज़ें इन्सानियत के त़रीक़े पर फ़ुक़रा को तक़सीम की जायें तो बे'हुरमती न हो और जिनको दिया जाये उन्हें फ़ाइदा भी पहुँचे मगर वह लोग इस तरह लुटाते हैं कि अपनी नेक नामी तसव्वुर करते हैं।

आदाबे सफ़र का बयान

ह़दीस (1) स़ह़ीह़ बुख़ारी में कअ़ब बिन मालिक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक को पंजशम्बा के रोज़ रवाना हुए और पंजशम्बा (यानी जुमेरात) के दिन रवाना होना हुज़ूर को पसन्द था।

ह़दीस (2) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने स़ख़्र इब्ने वदाआ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इलाही तू मेरी उम्मत के लिये सुबह़ में बरकत दे और हुज़ूर सरिय्या या लश्कर भेजते तो सुबह़ के वक़्त में भेजते और स़ख़्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ताजिर थे यह अपनी तिजारत का माल सुबह़ को भेजते यह स़ाह़िबे स़रवत (मालदार) हो गये और उनका माल ज़्यादा होगया।

ह़दीस (3) स़ह़ीह़ बुख़ारी में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तन्हाई की ख़राबियों को जो कुछ मैं जानता हूँ अगर दूसरे लोग जानते तो कोई सवार रात में तन्हा न जाता"।

ह़दीस (4) इमाम मालिक व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व ब'रिवायत उ़मर बिन शुऐ़ब अ़न अबीहि अ़न जद्दिही रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "एक सवार शैतान है और दो सवार दो शैतान हैं और तीन जमाअ़त है"।

ह़दीस (5) अबूदाऊद ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब सफ़र में तीन शख़्स हों तो एक को अमीर यानी अपना सरदार बनालें"।

ह़दीस (6) बैहक़ी ने सहल इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सफ़र में क़ौम का सरदार वह है जो उनकी ख़िदमत करे जो शख़्स ख़िदमत में सबक़त लेजायेगा तो शहादत के सिवा किसी अ़मल से दूसरे

लोग उस पर सबक़त नहीं लेजा सकते"।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सफ़र अ़ज़ाब का टुकड़ा है सोना और खाना, पीना सब को रोक देता है लिहाज़ा जब काम पूरा करले जल्दी घर को वापस हो"।

हदीस (8) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब रात में मन्ज़िल पर उतरो तो रास्ते से बचकर ठहरो कि वह जानवरों का रास्ता है और ज़हरीले जानवर के ठहरने की जगह है"।

हदीस (9) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जानवरों की पीठों को मिम्बर न बनाओ यानी जब सवारी रुकी हुई हो तो उसकी पीठ पर बैठकर बातें न करो क्योंकि अल्लाह ने सवारियों को तुम्हारे लिये इस लिये मुसख़्ख़र किया है कि तुम उनके ज़रीआ से ऐसे शहरों को पहुँचो जहाँ बिग़ैर मशक़्क़ते नफ़्स नहीं पहुँच सकते थे और तुम्हारे लिये ज़मीन को अल्लाह तआला ने बनाया है, उस पर अपनी हाजतें पूरी करो यानी बातें करनी हों तो ज़मीन पर उतरकर करो।

हदीस (10) अबूदाऊद ने अबू सअ़लबा ख़ुशनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि लोग जब मन्ज़िल में उतरते तो मुतफ़र्रिक़ ठहरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हारा मुतफ़र्रिक़ होकर ठहरना शैतान की जानिब से है उसके बाद सहाबा जब किसी मन्ज़िल में उतरते तो मिलकर ठहरते"।

हदीस (11) अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रात में चलने को लाज़िम करलो (यानी फ़क़त दिन ही में नहीं बल्कि रात के कुछ हिस्से में भी चला करो।) क्योंकि रात में ज़मीन लपेट दी जाती है यानी रात में चलने से रास्ता जल्द तै होता है"।

हदीस (12) अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि जब हम मन्ज़िल में उतरते तो जब तक कजावे खोल न लेते नमाज नहीं पढ़ते।

हदीस (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम पैदल तशरीफ़ लेजा रहे थे एक शख़्स गधे पर सवार आया और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह सवार होजाईये और ख़ुद पीछे सरका रसूल सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "यूँ नहीं जानवर की सदर जगह बैठने में तुम्हारा हक़ है मगर जब कि यह हक़ तुम मुझे देदो" उन्होंने कहा मैंने हुज़ूर को दिया हुज़ूर सवार होगये।

हदीस (14) इब्ने अ़साकर ने अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब सफ़र से कोई वापस आये तो घर वालों के लिये हदया लाये अगर्चे अपनी झोली में पत्थर ही डाल लाये"।

हदीस (15) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम अपने अहल के पास सफ़र से रात में नहीं तशरीफ़ लाते हुज़ूर सुबह को आते या शाम को।

हदीस (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी के ग़ाइब होने का ज़माना तवील हो यानी बहुत दिनों के बाद मकान पर आये तो ज़ौजा के पास रात में न आये दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर ने उनसे फ़रमाया "अगर रात में मदीने में दाख़िल होए तो बीवी के पास न जाना जब तक वह बनाओ श्रंगार करके आरास्ता न होजाये।

हदीस (17) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में कअ़ब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि

नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सफ़र से दिन में चाश्त के वक़्त तशरीफ़ लाते तशरीफ़ लाने के बाद सबसे पहले मस्जिद में जाते और दो रकअ़त नमाज़ पढ़ते फिर लोगों के लिये मस्जिद ही में बैठ जाते।

ह़दीस् (18) सह़ीह़ बुख़ारी में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था हम मदीना में आगये तो हुज़ूर ने मुझसे फ़रमाया "मस्जिद में जाओ और दो रकअ़त नमाज़ पढ़ो"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– औरत को बिग़ैर शौहर या मह़रम के तीन दिन या ज़्यादा का सफ़र करना ना'जाइज़ है और तीन दिन से कम का सफ़र अगर किसी मर्द सालेह़ या बच्चे के साथ करे तो जाइज़ है बाँदी के लिये भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.2:– जिहाद के सिवा किसी काम के लिये सफ़र करना चाहता है मस्लन तिजारत या ह़ज या उ़मरा के लिये सफ़र करना चाहता है इसके लिये वालिदैन से इजाज़त ह़ासिल करे अगर वालिदैन इस सफ़र को मनअ् करें और उसको अन्देशा हो कि मेरे जाने के बाद उनकी कोई ख़बर'गीरी न करेगा और उसके पास इतना माल भी नहीं है कि वालिदैन को भी दे और सफ़र के मसारिफ़ भी पूरे करे ऐसी सूरत में बिग़ैर इजाज़ते वालिदैन सफ़र को न जाये और अगर वालिदैन मोहताज न हों उनका नफ़्क़ा औलाद के ज़िम्मे न हो मगर वह सफ़र ख़तर'नाक है हलाकत का अन्देशा है जब भी बिग़ैर इजाज़त सफ़र न करे और हलाकत का अन्देशा न हो तो बिग़ैर इजाज़त सफ़र कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– बिग़ैर इजाज़ते वालिदैन इल्मे दीन पढ़ने के लिये सफ़र किया इसमें ह़रज नहीं और उसको वालिदैन की नाफ़रमानी नहीं कहा जायेगा। (आलमगीरी)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– याद'दाश्त के लिये यानी इस ग़र्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रुमाल या कमर'बन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरा पर डोरा बाँध लेते हैं यह जाइज़ है और बिला वजह डोरा बाँध लेना मकरूह। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.2:– गले में तअ़्वीज़ लटकाना जाइज़ है जबकि वह तअ़्वीज़ हो यानी आयाते क़ुर्आनिया या असमा–ए–इलाहिया या अ़दईया (दुआओं) से तअ़्वीज़ किया गया हो और बाज़ ह़दीसों में मुमानअ़त आई है उससे मुराद वह तअ़्वीज़ात हैं जो ना'जाइज़ अलफ़ाज़ पर मुश्तमिल हों जो ज़मानाए जाहिलियत में किये जाते थे। इसी त़रह़ तअ़्वीज़ात और आयात व अह़ादीस् व अ़दईया रकाबी में लिखकर मरीज़ को ब'नियते शिफ़ा पिलाना भी जाइज़ है जुनुब व ह़ाइज़ व नुफ़सा भी तअ़्वीज़ात को गले में पहन सकते हैं बाज़ू पर बाँध सकते हैं जबकि तअ़्वीज़ात ग़िलाफ़ में हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– बिछौने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेअ़्माल करना ना'जाइज़ है यह इबारत उसकी बनावट में हो, या काढ़ी गई हो, या रौश्नाई से लिखी हो अगर्चे ह़ुरूफ़े मुफ़रिदा लिखे हों क्योंकि ह़ुरूफ़े मुफ़रिदा का भी एह़तिराम है। (रद्दुल'मुहतार) अकस्र दस्तरख़्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्तरख़्वानों को इस्तेअ़्माल में लाना उनपर खाना न चाहिए बाज़ लोगों के तकियों पर अश्आ़र लिखे होते हैं इनका भी इस्तेअ़्माल न किया जाये।

मसअ्ला.4:– वअ़्दा किया गया मगर उसको पूरा करने में कोई शरई क़बाह़त थी इस वजह से पूरा नहीं किया तो उसको वअ़्दा ख़िलाफ़ी नहीं कहा जायेगा और वअ़्दा ख़िलाफ़ करने का जो गुनाह है इस सूरत में नहीं होगा अगर्चे वअ़्दा करने के वक़्त उसने इस्तिस्ना न किया हो कि यहाँ शरीअ़त की जानिब से इस्तिस्ना मौजूद है उसको ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। मस्लन वअ़्दा किया था कि फ़ुलाँ जगह आऊँगा और वहाँ बैठकर तुम्हारा इन्तिज़ार करूँगा मगर जब वहाँ गया तो

देखता है कि नाच, रंग और शराब ख़ोरी वग़ैरा में लोग मश्गूल हैं वहाँ से यह चला आया यह वअ़्दा
ख़िलाफ़ी नहीं है या उसके इन्तिज़ार करने का वअ़्दा किया था और इन्तिज़ार कर रहा था कि
नमाज़ का वक़्त आगया यह चला आया, वअ़्दा के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। (मुश्किलुल'आसार, इमाम तहावी)

मसअ्ला.5:– बाज़ काश्तकार अपनी खेतियों में कपड़ा लपेटकर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं इससे मक़सूद नज़रे बद से खेतियों को बचाना होता है क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले इस पर पड़ेगी उसके बाद ज़राअ़त पर पड़ेगी और इस सूरत में ज़राअ़त को नज़र नहीं लगेगी ऐसा करना ना'जाइज़ नहीं क्योंकि नज़र का लगना सहीह है। अहादीस् से साबित है उसका इन्कार नहीं किया जा सकता हदीस् में है कि जब अपने या किसी मुसलमान भाई की चीज़ देखे और पसन्द आये तो बरकत की दुआ करे यह कहे ''बार'कल्लाहु अह़सनुलख़ालिक़ीन अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीहि'' या उर्दू में यह कहदे कि अल्लाह बरकत करे इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.6:– मुश्रिकीन के बर्तनों में बिग़ैर धोये खाना, पीना मकरूह है यह उस वक़्त है कि बर्तन का नजिस होना मालूम न हो और मालूम हो तो उसमें खाना, पीना ह़राम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– अ़जीब व ग़रीब क़िस्सा, कहानी तफ़रीह़ के तौर पर सुनना जाइज़ है जबकि उनका झूटा होना यक़ीनी न हो बल्कि जो यक़ीनन झूट हों उनको भी सुना जासकता है जब कि बतौर ज़र्बे मिस्ल हों या उनसे नसीह़त मक़सूद हो जैसाकि मस्नवी शरीफ़ वग़ैरा में बहुत से फ़र्ज़ी क़िस्से वअ़्ज़ व पिन्द के लिये दर्ज किये गये हैं उसी तरह जानवरों और कंकर पत्थर वग़ैरा की बातें फ़र्ज़ी तौर पर बयान करना या सुनना भी जाइज़ है मस्लन 'गुलिस्ताँ' में ह़ज़रत शैख़ सअ़्दी अ़लैहिर्रह़मा ने लिखा।''गिले ख़ुश्बूए दर ह़म्माम रोज़े'। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.8:– तमाम ज़बानों में अ़र्बी ज़बान अफ़ज़ल है हमारे आक़ा व मौला सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की यह ज़बान है क़ुर्आन मजीद अ़र्बी ज़बान में नाज़िल हुआ। अहले जन्नत की जन्नत में अ़र्बी ही ज़बान होगी, जो इस ज़बान को ख़ुद सीखे या दूसरों को सिखाये उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार) यह जो कहा गया सिर्फ़ ज़बान के लिहाज़ से कहा गया वरना एक मुस्लिम को ख़ुद सोचने की ज़रूरत है कि अ़र्बी ज़बान का जानना मुसलमानों के लिये कितना ज़रूरी है क़ुर्आन व ह़दीस और दीन के तमाम उसूल व फ़ुरूअ़् इसी ज़बान में हैं इस ज़बान से नावाक़िफ़ी कितनी कमी और नुक़सान की चीज़ है।

मसअ्ला.9:– औ़रत रुख़सत होकर आई और औ़रतों ने कहदिया कि यह तुम्हारी औ़रत है उससे वत़ी जाइज़ है अगर्चे यह ख़ुद उसे पहचानता न हो। (दुर्रेमुख़्तार) इसी तरह औ़रतों ने शबे ज़िफ़ाफ़ में उसके कमरे में जिस औ़रत को दुल्हन बनाकर भेज दिया अगर्चे यह नहीं कहा कि तुम्हारी औ़रत है उससे वत़ी जाइज़ है कि उसको हैअ़ते मख़्सूसा के साथ यहाँ पहुँचाना ही उसकी दलील है क्योंकि दूसरी औ़रत को इस तरह हरगिज़ नहीं भेजा जाता।

मसअ्ला.10:– जिसके ज़िम्मे अपना ह़क़ हो और वह न देता हो तो अगर उसकी ऐसी चीज़ मिल जाये जो उसी जिन्स की है जिस जिन्स का ह़क़ है तो लेसकता है इस मुआ़मले में रूपया और अशर्फ़ी एक जिन्स की चीज़ें हैं यानी उसके ज़िम्मे रूपया था और अशर्फ़ी मिलगई तो बक़द्र अपने ह़क़ के ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.11:– लोगों के साथ मदारात से पेश आना, नर्म बातें करना, कुशादा रुई से कलाम करना, मुस्तह़ब है मगर यह ज़रूरी है कि मुदाहनत न पैदा हो। बद'मज़हब से गुफ़्तगू करे तो इस तरह न करे कि वह समझे मेरे मज़हब को अच्छा समझने लगा बुरा नहीं जानता है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.12:– मकान किराये पर दिया और किरायेदार उसमें रहने लगा अगर मकान देखने को जाना चाहता है कि देखे किस ह़ालत में है और मरम्मत की ज़रूरत हो तो मरम्मत करादी जाये तो किरायेदार से इजाज़त लेकर अन्दर जाये यह ख़याल न करे कि मकान मेरा है मुझे इजाज़त की

क्या ज़रूरत कि मकान अगर्चे इसका है मगर सुकूनत दूसरे की है और इजाज़त लेने का हुक्म उसी सुकूनत की वजह से है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.13:– हम्माम में जाये तो तहबन्द बाँधकर नहाये लोगों के सामने बरहना होना ना'जाइज़ है तन्हाई में जहाँ किसी की नज़र पढ़ने का एहतिमाल न हो बरहना होकर भी गुस्ल कर सकता है इसी तरह तालाब या दरिया में जबकि नाफ़ से ऊँचा पानी हो बरहना नहा सकता है। (आ़लमगीरी) मगर जबकि पानी साफ़ हो और दूसरा कोई शख़्स नज़्दीक हो कि उसकी नज़र मवाज़ेअ् सित्र पर पड़ेगी तो ऐसे मौके पर पानी में भी बरहना होना, जाइज़ नहीं।

मसअ्ला.14:– अहले महल्ला ने इमामे मस्जिद के लिये कुछ चन्दा जमअ् करके देदिया या उसे खाने पहनने के लिये सामान कर दिया यह उन लोगों के नज़्दीक भी जाइज़ है जो उजरत पर इमामत को ना'जाइज़ फ़रमाते हैं कि यह उजरत नहीं बल्कि एहसान है कि ऐसे लोगों के साथ करना ही चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– जो शख़्स मुक़तदा और मज़हबी पेशवा हो उसके लिये अहले बातिल और बुरे लोगों से मेल, जोल रखना मनअ् है और अगर उस वजह से मदारात करता है कि ऐसा न करने में वह ज़ुल्म करेगा तो मुज़ाइक़ा नहीं जब कि यह ग़ैर मअ्रूफ़ शख़्स हो। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:– किसी ने कटखना कुत्ता पाल रखा है जो राहगीरों को काट खाता है तो बस्ती वाले ऐसे कुत्ते को क़त्ल कर डालें बिल्ली अगर ईज़ा पहुँचाती है तो उसे तेज़ छूरी से ज़बह करडालें उसे ईज़ा देकर न मारें। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.17:– टिड्डी हलाल जानवर है उसे खाने के लिये मार सकते हैं और ज़रर से बचने के लिये भी उसे मार सकते हैं चींटी ने ईज़ा पहुँचाई और मारडाली तो हरज नहीं वरना मकरूह है जूँ को मार सकते हैं अगर्चे उसने काटा न हो और आग में डालना मकरूह है जूँ का बदन या कपड़े से निकाल कर ज़िन्दा फेंक देना त़रीक़े अदब के ख़िलाफ़ है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.18:– खटमल मारना जाइज़ है कि यह तकलीफ़ देह जानवर है।(यानी तकलीफ़ देने वाला जानवर है)

मसअ्ला.19:– जिसके पास माल की क़िल्लत (कमी) है और औलाद की कस्रत उसे वसि़यत न करना ही अफ़ज़ल है और अगर वुरसा अग़निया (मालदार) हों या माल की दो तिहाई भी उनके लिये बहुत होंगी तो तिहाई की वसि़यत कर जाना बेहतर है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.20:– मर्द को अज्नबिया औ़रत का झूटा और औ़रत को अज्नबी मर्द का झूटा मकरूह है ज़ौजा व महारिम के झूटे में हरज नहीं (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार) कराहत उस सूरत में है जब कि तलज़्ज़ुज़ के तौर पर हो और अगर तलज़्ज़ुज़ मक़सूद न हो बल्कि तबर्रुक के तौर पर हो जैसा कि आ़लिमे बा'अ़मल और बा'शरअ् पीर का झूटा कि उसे तबर्रुक समझकर लोग खाते, पीते हैं उसमें हरज नहीं।

मसअ्ला.21:– बीवी नमाज़ न पढ़े तो शौहर उसको मार सकता है उसी तरह ज़ीनत पर भी मार सकता है और घर से बाहर निकल जाने पर भी मार सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.22:– बीवी बेहूदा बल्कि फ़ाजिरा हो तो शौहर पर यह वाजिब नहीं कि उसे त़लाक़ ही दे डाले यूंही अगर मर्द फ़ाजिर हो तो औ़रत पर यह वाजिब नहीं कि उससे पीछा छुड़ाये हाँ अगर यह अन्देशा हो कि दोनों हुदूदुल्लाह को क़ाइम न रख सकेंगे हुक्मे शरअ् की पाबन्दी न करेंगे तो जुदाई में हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.23:– हाजत के मौक़े पर क़र्ज़ लेने में हरज नहीं जबकि अदा करने का इरादा हो और अगर यह इरादा हो कि अदा न करेगा तो हराम खाता है और अगर बिग़ैर अदा के मरगया मगर नियत यह थी कि अदा करेगा तो उम्मीद है कि आख़िरत में उससे मुवाख़ज़ा न हो। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.24:– जिसका हक़ उसके ज़िम्मे था वह ग़ाइब होगया पता नहीं कि वह कहाँ है न यह मा़लूम कि ज़िन्दा है या मरगया तो उसपर यह वाजिब नहीं कि शहरों शहरों उसे तलाश करता फिरे(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.25:– जिस का दैन था वह मरगया और मदयून दैन से इन्कार करता है वुरसा उससे वसूल न कर सके तो उसका सवाब दाइन को मिलेगा उसके वुरसा को नहीं और अगर मदयून ने उसके वुरसा को दैन अदा कर दिया तो बरी होगया। (आलमगीरी)

कि उसके ज़िम्मे दैन है
मसअ्ला.26:– जिसके ज़िम्मे दैन था वह मरगया और वारिस् को मालूम न था
ताकि तर्का से अदा करे, उसने तर्का को ख़र्च करडाला तो वारिस् से दैन का मुआख़ज़ा नहीं होगा और
अगर वारिस् को मालूम है कि मय्यित के ज़िम्मे दैन है तो उसपर अदा करना वाजिब है और अगर वारिस्
को मालूम था मगर भूल गया इस वजह से अदा न किया जब भी आख़िरत में मुवाख़ज़ा नहीं वदीअ़त का
भी यही हुक्म है कि भूल गया और जिसकी चीज़ थी उसे नहीं दी तो मुवाख़ज़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– मदयून और दाइन जा रहे थे रास्ते में डाकूओं ने घेरा, मदयून यह चाहता है कि उसी वक़्त में दैन अदा करदूँ ताकि डाकू इसका माल छीने और मैं बच जाऊँ आया इस ह़ालत में दाइन लेने से इन्कार कर सकता है या उसको लेना ही होगा फ़क़ीह अबुल्लैस रह़मतुल्लाहि तआ़ला यह फ़रमाते हैं कि दाइन लेने से इन्कार कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– किसी ने कहा फ़ुलाँ शख़्स की कुछ चीज़ें मैंने खाली हैं उसे पाँच रूपये दे देना वह न हो तो उसके वारिसों को देना, वारिस् न हो तो ख़ैरात कर देना, इस शख़्स की सिर्फ़ बीवी है कोई दूसरा वारिस् नहीं है अगर औ़रत यह कहती है कि मेरा दैन महर उसके ज़िम्मे है जब तो रूपये उसी को दिये जायें वरना सिर्फ़ उसे चहारुम दिया जाये यानी सवा रुपया जब कि औ़रत यह कहे कि उस की कोई औलाद न थी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– अगर जान, माल, आबरू का अन्देशा है उनके बचाने के लिये रिश्वत देता है या किसी के ज़िम्मे अपना ह़क़ है जो बिग़ैर रिश्वत दिये वुसूल नहीं होगा और यह इस लिये रिश्वत देता है कि मेरा ह़क़ वुसूल होजाये यह देना जाइज़ है यानी देने वाला गुनहगार नहीं मगर लेने वाला ज़रूर गुनहगार है उसको लेना जाइज़ नहीं इसी त़रह़ जिन लोगों से ज़बान दराज़ी का अन्देशा हो जैसे बाज़ लुच्चे शोहदे ऐसे होते हैं कि सरे बाज़ार किसी को गाली देदेना या बे'आबरू कर देना उनके नज़्दीक मअ़मूली बात है ऐसों को इस लिए कुछ देदेना ताकि ऐसी ह़रकतें न करें या बाज़ शोअ़रा ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर न दिया जाये तो मज़म्मत में क़सीदे कह डालते हैं उनको अपनी आबरू बचाने और ज़बान बन्दी के लिये कुछ देदेना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.30:– भेड़, बकरियों के चरवाहे को इस लिये कुछ देदेना कि वह जानवरों को रात में उसके खेत में रखेगा क्योंकि इससे खेत दुरुस्त होजाता है यह ना'जाइज़ व रिश्वत है अगर्चे यह जानवर ख़ुद चरवाहे के हों और अगर कुछ देना नहीं ठहरा है जब भी ना'जाइज़ है क्योंकि इस मौक़े पर उ़रफ़न दिया ही करते हैं तो अगर्चे देना शर्त़ नहीं मगर मशरूत़ ही के हुक्म में है। इसके जवाज़ की यह सूरत होसकती है कि मालिक से उन जानवरों को आ़रियत लेले और मालिक चरवाहे से यह कहदे कि तू उसके खेत में जानवरों को रात में ठहराना अब अगर चरवाहे को एह़सान के त़ौर पर देना चाहे तो दे सकता है ना'जाइज़ नहीं और अगर मालिक के कहने के बाद भी चरवाहा मांगता है और जब तक उसे कुछ न दिया जाये ठहराने पर राज़ी न हो तो यह फिर ना'जाइज़ व रिश्वत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– बाप को उसका नाम लेकर पुकारना मकरूह है कि यह अदब के ख़िलाफ़ है उसी त़रह़ औ़रत को यह मकरूह है कि शौहर को नाम लेकर पुकारे। (दुर्रेमुख़्तार) बाज़ जाहिलों में यह मशहूर है कि औ़रत अगर शौहर का नाम लेले तो निकाह़ टूट जाता है यह ग़लत़ है शायद उसे इस लिये गढ़ा हो कि इस डर से कि त़लाक़ होजायेगी शौहर का नाम न लेगी।

मसअ्ला.32:– मरने की आरज़ू करना और उसकी दुआ मांगना मकरूह है जबकि किसी दुनियावी तकलीफ़ की वजह से हो मस़लन तंगी से बसर औक़ात होती है, या दुश्मन का अन्देशा है, माल जाने का ख़ौफ़ है, और अगर यह बातें न हों बल्कि लोगों की ह़ालतें ख़राब होगईं मअ़सियत में

मुब्तला हैं उसे भी अन्देशा है कि गुनाह में पड़ जायेगा तो आरज़ूए मौत मकरूह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– ज़लज़ला के वक़्त मकान से निकलकर बाहर आजाना जाइज़ है इस तरह अगर दीवार झूकी हुई है गिरना चाहती है उसके पास से भागना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– ताऊन जहाँ हो वहाँ से भागना जाइज़ नहीं और दूसरी जगह से वहाँ जाना भी न चाहिए उसका मतलब यह है कि जो लोग कमज़ोर एअ्तिक़ाद के हों और ऐसी जगह गये और मुब्तला होगये उनके दिल में बात आई कि यहाँ आने से ऐसा हुआ न आते तो काहे को इस बला में पड़ते और भागने में बच गया तो यह ख़याल किया कि वहाँ होता तो न बचता भागने की वजह से बचा ऐसी सूरत में भागना और जाना दोनों ममनूअ् ताऊन के ज़माने में अवाम से अकसर इसी किस्म की बातें सुनने में आती हैं और उसका अक़ीदा पक्का है जानता है कि जो कुछ मुक़द्दर में होता है वही होता है न वहाँ जाने से कुछ होता है न भागने में फ़ाइदा पहुचता है तो ऐसे को वहाँ जाना भी जाइज़ है और निकलने में भी हरज नहीं कि इसको भागना नहीं कहा जायेगा और हदीस् में मुतलक़न निकलने की मुमानअत नहीं बल्कि भागने की मुमानअत है।

मसअ्ला.35:– काफ़िर के लिये मग़्फ़िरत की दुआ हरगिज़ हरगिज़ न करे हिदायत की दुआ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एक शख़्स मरा जिसका काफ़िर होना मालूम था मगर अब एक मुसलमान उसके मुसलमान होने की शहादत देता है उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी और मुसलमान मरा और एक शख़्स उसके मुर्तद होने की शहादत देता है तो महज़ उसके कहने से उसे मुर्तद नहीं क़रार दिया जायेगा और जनाज़े की नमाज़ तर्क नहीं की जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मकान में परिन्द ने घोंसला लगाया और बच्चे भी किये, बिछौने और कपड़ों पर बीट गिरती है ऐसी हालत में घोंसला बिगाड़ना और परिन्द को भगा देना नहीं चाहिए बल्कि उस वक़्त तक इन्तिज़ार करे कि बच्चे बड़े होकर उड़ जायें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– जिमाअ् करते वक़्त कलाम करना मकरूह है और तुलूअ़े फज्र से नमाज़े फज्र तक बल्कि तुलूअ़े आफ़ताब तक ख़ैर के सिवा दूसरी बात न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– माहे सफ़र को लोग मन्हूस जानते हैं इसमें शादी ब्याह नहीं करते लड़कियों को रुख़्सत नहीं करते और भी इस क़िस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं खुसूसन माहे सफ़र की इब्तिदाई तेरह तारीख़ें बहुत ज़्यादा नहिस (मन्हूस) मानी जाती हैं और उनको तेरह तेज़ी कहते हैं यह सब जिहालत की बातें हैं। हदीस् में फ़रमाया कि सफ़र कोई चीज़ नहीं यानी लोंगों का इसे मन्हूस समझना ग़लत है इसी तरह ज़ीक़ादा के महीने को भी बहुत लोग बुरा जानते हैं और उसको ख़ाली का महीना कहते हैं यह भी ग़लत है और हर माह में 3,13,23,8,18,28 को मन्हूस जानते हैं यह भी लग्व बात है।

मसअ्ला.40:– क़मर'दर अक़रब यानी चाँद जब बुर्ज'अक़रब में होता है तो सफ़र करने को बुरा जानते हैं और नुजूमी इसे मन्हूस बताते हैं और जब बुर्जे असद में होता है तो कपड़े क़तअ् कराने और सिलवाने को बुरा जानते हैं ऐसी बातों को हरगिज़ न माना जाये यह बातें ख़िलाफ़े शरअ् और नुजूमियों के ढकोसले हैं।

मसअ्ला.41:– नुजूम की इस क़िस्म की बातें जिनमें सितारों की तासीरात बताई जाती हैं कि फुलाँ सितारा तुलूअ् करेगा तो फ़ुलाँ बात होगी यह भी ख़िलाफ़े शरअ् है उसी तरह नछत्तरों का हिसाब कि फुलाँ नछत्तर से बारिश होगी यह भी ग़लत है हदीस् में उसपर सख़्ती से इन्कार फ़रमाया।

मसअ्ला.42:– माहे सफ़र का आख़िर चहारशम्बा हिन्दुस्तान में बहुत मनाया जाता है लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं, सैर व तफ़रीह व शिकार को जाते हैं पूरियाँ पकती हैं और नहाते धोते खुशियाँ मनाते हैं और कहते यह हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस

रोज़ गुस्ले सेहत फ़रमाया था और बैरूने मदीना त़य्यिबा तशरीफ़ लेगये थे। यह सब बातें बे'अस्ल हैं बल्कि उन दिनों में हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का मर्ज़ शिद्दत के साथ था वह बातें ख़िलाफ़े वाक़िअ़ हैं और बाज़ लोग यह कहते हैं कि उस रोज़ बलायें आती हैं और तरह तरह की बातें बयान की जाती हैं सब बे'सुबूत हैं बल्कि ह़दीस़ का यह इरशाद "ला सफ़र" यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं ऐसी तमाम ख़ुराफ़ात को रद्द करता है।

मसअ्ला.43:– एक शख़्स ने किसी को अज़ियत (तकलीफ़) पहुँचाई उससे मुआ़फ़ी मांगना चाहता है मगर जानता है कि अभी उसे गुस़्सा है मुआ़फ़ नहीं करेगा लिहाज़ा मुआ़फ़ी मांगने में ताख़ीर की उस ताख़ीर में यह मअ़ज़ूर नहीं। ज़ालिम ने मज़लूम को बार–बार सलाम किया और वह जवाब भी देता रहा और उसके साथ अच्छी त़रह पेश आया यहाँ तक कि ज़ालिम ने समझ लिया कि अब वह मुझसे राज़ी होगया यह काफ़ी नहीं है बल्कि मुआ़फ़ी मांगना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– इमामा खड़े होकर बाँधे और पाजामा बैठकर पहने जिसने उसका उलटा किया वह ऐसे मर्ज़ में मुब्तला होगा जिसकी दवा नहीं।

मसअ्ला.45:– कपड़े पहने तो दाहिने से शुरूअ़ करे यानी पहले दाहिनी आस्तीन या दाहिने पाइन्चे में डाले फिर बायें में।

मसअ्ला.46:– पाजामा का तकिया न बनाये कि यह अदब के ख़िलाफ़ है और इमामा का भी तकिया न बनाये। (आलाहज़रत)

मसअ्ला.47:– बैल पर सवार होना और उसपर बोझ लादना और गधे से हल जोतना जाइज़ है यानी यह ज़रूर नहीं कि बैल से सिर्फ़ हल जोतने का काम लिया जाये उसपर बोझ न लादा जाये और गधे पर सिर्फ़ बोझ ही लादा जाये हल न जोता जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– जानवर से काम लेने में यह लिहाज़ ज़रूरी है कि उसकी त़ाक़त से ज़्यादा काम न लिया जाये इतना न लिया जाये कि वह मुसीबत में पड़ जाये जितना बोझ उठा सकता है उतना ही उनपर लादा जाये या जितनी दूर जा सके वहीं तक लेजाया जाये या जितनी देर तक काम करने का मुतहम्मिल होसके उतना ही लिया जाये बाज़ यक्का तांगा वाले इतनी ज़्यादा सवारियाँ बिठा लेते हैं कि घोड़ा मुसीबत में पड़ जाता है यह ना'जइज़ है और यह भी ज़रूर है कि बिला'वजह जानवर को न मारे और सर या चेहरे पर किसी हालत में हरगिज़ न मारे कि यह बिलइजमाअ़ ना'जाइज़ है। जानवर पर ज़ुल्म करना ज़िम्मी काफ़िर पर ज़ुल्म करने से ज़्यादा बुरा है और ज़िम्मी पर ज़ुल्म करना मुस्लिम पर ज़ुल्म करने से भी बुरा क्योंकि जानवर का कोई मुईन व मददगार अल्लाह के सिवा नहीं उस ग़रीब को इस ज़ुल्म से कौन बचाये। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार)

وَ صَلَّى الله علىٰ خَيرِ خلقه محمد و اله و صحبه اجمعين و الحمد لله رب العالمين

تمت

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी
नियर दो मीनार मस्जिद मोहल्ला एजाज़ नगर,
पुराना शहर बरेली, यू0पी
मो0:– 9219132423

10फ़रवरी 2010